लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 29 में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. XX।X contains 51-62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—62, शुक्रवार, 16 मई, 1969/26 वैशाख, 1891 (शक)
No.—62, Friday, May 16, 1969/Vaisakha 26, 1891 (Saka)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — Member Sworn

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या / S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
1741.	संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस में भ्रष्टाचार	Corruption in Police of Union Territories	1—3
1742.	खेलों के स्तर का गिर जाना	Deterioration in standard of Sports	3—7
1743.	प्रशासनिक सुधार आयोग को सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of Administrative Reforms Commission	7—11
1744.	भारत में ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries in India	11—17

अल्प-सूचना प्रश्न — SHORT NOTICE QUESTION

28.	दिल्ली नगर निगम के लिए उप चुनाव	Bye-election to Delhi Municipal Corporation	17—21

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सं० / S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
1745.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि संबंधी पुस्तक में तिब्बत की स्थिति	Situation of Tibet in Book on Internal Law	21
1746.	आचार्य विनोबा भावे द्वारा बनाई गई शिक्षा योजना	Education Scheme propounded by Acharya Vinoba Bhave	21—22

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तां० प्र० संख्या विषय S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
1747. चंडीगढ़ के लिए योजना नियतन	Plan Allocation for Chandigarh	22
1748. अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रसार	Expansion of Education amongst Minorities	22
1749. दिल्ली लाल किले में 'प्रकाश तथा ध्वनि' (सोन-एट-लुमेयर) कार्यक्रम को दर्शाना	Son-et-Lumiere Display at Red Fort, Delhi	23
1750. पुलिस द्वारा गोली चलाना	Firing by Police	23
17′1. नई दिल्ली में यातायात अभियान	Traffic Drive in New Delhi	24
17৲2. विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi Departmental Examinations	24
1753. गणतंत्र दिवस पुरस्कार	Republic Day Awards	24—25
1754. डाकुओं के पास हथियार	Arms with Dacoits	25
1755. आंध्र प्रदेश तथा पंजाब में भाषायी अल्पसंख्यक	Linguistic Minorities in Andhra Pradesh and Punjab	25—26
1756. भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गये पुरस्कार लौटाये जाना	Return of Awards conferred by President of India	26
1757. विभिन्न पत्तनों पर यातायात को शीघ्र मोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करना	Provision of adequate facilities for quicker flow of Traffic at various Ports	26
1758. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति का प्रतिवेदन	B. H. U. Enquiry Committee Report	27
1759. इंडियन एयर लाइन्स के डकोटा विमान की जयपुर में दुर्घटना	Indian Air lines Dakota involved accident at Jaipur	27
1760. पालम धावन पथ (रनवे) का विस्तार	Extension of Palam Runway	27—28
1761. मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था के लिए अपर्याप्त धनराशि	Inadequate Funds for Communication in Madhya Pradesh	28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1762.	राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में केरल के मुख्य मंत्री द्वारा व्यक्त मत	Opinion expressed by Kerala Chief Minister regarding appointment of Governor	28—29
1763.	नया साम्यवादी दल	New Communist Party	29
1764.	दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का पुनर्गठन	Reorganisation of Darbhanga Sanskrit University	29—30
1765.	लक्कदीव द्वीपों में अज्ञात राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों का बसना	Persons of unknown Nationality settling in Laccadive	30
1766.	विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की भर्ती	Recruitment of Indians working Abroad	30—31
1767.	विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा प्रपत्रों, नियमावलियों आदि का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Forms, Manuals, etc. in Hindi by various Ministries	31
1768.	दक्षिण भारत में संसद का सत्र	Parliament Session in the South	31
1769.	भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षाओं के लिये अधिकतम आयु	Maximum Age limit for I. A. S. and Allied Services Examinations	31—32
1770.	प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिये पाठ्य पुस्तकें	Text-books for Primary students	32
1771.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	Hindustan Shipyard Ltd.	32—33

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

9834.	डकैती उन्मूलन कार्यक्रम	Dacoity Eradication Programme	33—34
9835.	विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा	Security for VIPs.	34
9836.	रांची विश्यविद्यालय को केन्द्रीय अनुदान	Central Grant to Ranchi University	34—35
9837.	नई दिल्ली के एक मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध जांच	Enquiry against a New Delhi Magistrate	35—36
9838.	नई दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध आरोप	Allegations against New Delhi Magistrate	36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9839.	युगोस्लाविया के एक शिपयार्ड में बना टैंकर	Tanker built in Yugoslav Shipyard	36
9840.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की समीक्षा समिति	Review Committee of National Council of Educational Research and Training	37
9841.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की समीक्षा समिति	Review Committe of National Council of Educational Research and Training	37—39
9342.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House rent allowance to employees of National Council of Educational Research and Training	38—39
9843.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा रिकार्डों को जलाना	Burning of records of N. C. E. R. T.	39
9844.	मंगलौर पत्तन परियोजना द्वारा निर्मित लघु तलकर्षक	Mini Dredger manufacture by Mangalore Harbour Project	39
9845.	बैरी आयोग का प्रतिवेदन	Beri Commission Report	40
9846.	परीक्षा सुधार आन्दोलन में व्यय	Expenditure on Examination Reform Movement	40
9847.	विभिन्न भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिये प्रोत्साहन	Incentives for study of various Indian Languages	40—41
9848.	अमेरिका की केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसी द्वारा पी० आर० आई० और फ्री न्यूज एण्ड फीचर सर्विस को वित्तीय सहायता देना	Financing of P. R. S. I. and Free News Feature Service by C. I. A.	41
9849.	लड़कियों की शिक्षा पर अपव्यय	Wastage on Girls' Education	41—42
9850.	दिल्ली के न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Judicial Officers in Delhi	42
9851.	शंकाराचार्य के बारे में टिप्पणियाँ	Remarks on Shankaracharya	42—43
9852.	भारत का राष्ट्रीय चिह्न	National Emblem of India	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9853.	शिक्षा प्रणाली की समस्याओं को हल करने के लिये आयोगों की नियुक्ति	Appointment of Commissions to solve problems of Education system	43—44
9854.	लक्कदीव में करानियों को छुट्टी	Leave to Karanis in Laccadive	44
9855.	मंत्रियों से सम्बन्धित निजी कर्मचारियों के वेतनक्रम	Pay scales of Personal Staff attached to Ministers	44—45
9856.	अयोध्या मन्दिर	Ayodhya Temple	45
9857.	अयोध्या नगर में प्रमुख स्थानों का विकास	Development of prominent places in Ayodhya City	45
9858.	पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pak Nationals	45—46
9859.	शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सलाहकार व्यवस्था	Joint Consultative Machinery in Ministry of Education	46
9860.	वैज्ञानिक तथा परिभाषिक शब्दावली आयोग के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotions of Personnel in the C. S. T. T.	46—47
9861.	ईसाई जनसंख्या	Christian Population	47
9862.	विदेशों को भेजी गई भारतीय लड़कियां	Indian Girls Sent abroad	47—48
9863.	शिवाजी की तलवार	Sword of Shivaji	48
9864.	भारतीय पुलिस सेवा	Indian Police Service	48
9865.	भारतीय व्यापारिक नौवहन का विस्तार	Expansion of Indian Merchant Navy	48—49
9866.	राजस्थान के श्री वंश प्रदीप सिंह द्वारा गबन	Embezzlement by Shri Bans Pradeep Singh of Rajasthan	49
9867.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों को अलाभ	U. P. Candidates placed at disadvantage in U. P. S. C. Examinations	49—50
9868.	शंकर की अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता	Shankar's International Children's Competitions	50
9869.	चण्डीगढ़ में प्लाट	Plots in Chandigarh	50—51
9870.	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी	Employees on deputation in Union Territory of Chandigarh	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9871.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति का प्रतिवेदन	Central Inland Water Transport Committee's Report	51—52
9872.	विदर्भ में स्थिति	Situation in Vidarbha	52
9873.	सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व	Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government Services	52—54
9874.	दिल्ली में अश्लील साहित्य बरामद किया जाना	Recovery of Obscene literature in Delhi	54
9875.	मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी नागरिक	Pak citizens arrested in M. P.	54—55
9876.	पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण	Kidnapping by Pakistanis	55
9877.	पाकिस्तानी जासूसों का भाग जाना	Escape of Pak Spies	55
9878.	उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ कर्मचारियों को अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धियां देना	Additional increments to senior employees in Supreme Court	56
9879.	दीघा समुद्री पतन का समुद्री रमणीय स्थल के रूप में विकास	Digha Sea-Port as Sea Resort	56—57
9880.	नये प्रकाश स्तम्भ	New Light House	57
9881.	भारत के लिये कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम	Functional Literacy Programme for India	57—58
9882.	केन्द्रीय परिरक्षण प्रयोगशाला	Central Conservation Laboratory	58—59
9883.	केरल में मन्दिरों को सरकारी अधिकार में लिया जाना	Taking over of Temples in Kerala	59
9884.	क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भूपाल की डिग्रियों और डिप्लोमाओं को मान्यता	Recognition of degrees and diplomas of Regional College of Education, Bhopal	59—60
9885.	कलकत्ता में पाए गये बम	Bombs found in Calcutta	60
9886.	भारतीय जहाजों द्वारा विदेश व्यापार का माल ढोया जाना	Handling of overseas trade by Indian Ships	60—61

अतारां॰ प्र॰ संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
9887. रंग पहाड़ स्टेशन के निकट विस्फोट	Explosion near Rangapahar Station	61—62
9888. मजलिस-ए-मुशवरत	Majlise-Mushawarat	62
9889. ग्रासाम में अग्निकांड	Fire in Assam	62—63
9890. दिल्ली प्रशासन द्वारा स्कूलों की इमारतों के लिये अर्जित की गई भूमि	Land acquired for school buildings by Delhi Administration	63
9891. उड़ीसा के किसानों द्वारा सशस्त्र क्रांति के लिये योजना	Plan for Armed Revolt by Orissa Farmers	63
9892. मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण मार्गों पर पुलों की कमी	Lack of bridges on important routes in M. P.	64
9893. अखिल भारतीय शिक्षा सेवा	All Indian Educational Service	64
9691. खंडवा की हवाई पट्टी को आधुनिक रूप देना	Face-Lift of Air-Strip of Khandwa	64—65
9895. उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश	Retired High-Court Judges	65
9896. विमान यातायात को नियंत्रिन करने के लिए विमान मार्ग प्रणाली का लागू किया जाना	Introduction of Airways system for controlling Air Traffic	65—66
9897. पोर्ट ब्लेयर के राजकीय डिग्री कालेज में प्राध्यापक का पद	Post of a Lecturer in Government Degree College, Port Blair	66
9898. प्रधान मंत्री से मुलाकात के लिये पूरन सिंह की प्रार्थना	Request by Puran Singh for a meeting with the Prime Minister	66—67
9899. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की चल तथा अचल सम्पत्ति	Movable and Immovable Properties belonging to R. S. S.	67
9900. निजी सेनायें	Private Senas	67
9901. मध्य प्रदेश में एक ट्रान्स-मीटर का पकड़ा जाना	Recovery of Transmitter in M. P.	68
9902. गृह-कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	S. C. and S. T. Employees in Home Affairs Ministry	68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9903.	पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribes Employees in Tourism and Civil Aviation Ministry	69
9904.	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी	S. C. and S. T. Employees in Shipping and Transport Ministry	69
9905.	नव पाषाण कालीन स्थान की खोज	Discovery of a Site of Neolithic Age	69—70
9906.	शिक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in Education Ministry	70
9907.	दिल्ली में एक सरकारी वकील द्वारा एक संसद सदस्य का कथित अपमान	Alleged insult of a Member of Parliament by a Public Prosecutor in Delhi	70—71
9908.	फरवरी, 1969 में शाहदरा की फैक्टरी में विस्फोट	Explosion in Shahdra Factory in Feb. 1969	71
9909.	आवेदकों से पोस्टल आर्डरों की मांग	Demand of Postal Orders from applicants	71—72
9910.	गांधी हत्या जांच	Gandhi Murder Enquiry	72
9911.	इन्दौर विश्वविद्यालय को अनुदान	Grant to Indore University	72—73
9912.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी आदि पर नियंत्रण	Control over I. C. C. R./Sahitya Akademi Lalit Kala Akademi/Sangeet Natak Akademi	73—74
9913.	श्री रोमेश चन्द को लेनिन शान्ति पारितोषिक	Lenin Peace Award to Shri Remesh Chandra	74
9914.	नेहरू संग्रहालय, नई दिल्ली में चोरी	Theft in Nehru Museum, New Delhi	74

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6915.	इम्फाल में भूमि का आवंटन	Allotment of land in Imphal	74—75
9916.	आगरा बम्बई सड़क मार्ग को दोहरा करने का प्रस्ताव	Proposal to double Agra-Bombay road	75—76
9917.	आगरा बम्बई राजपथ पर स्थित खालघाट पुल को चौड़ा करना	Widening of Khalghat Bridge on Agra-Bombay Highway	76
9918.	इम्फाल स्थित विश्वविद्यालय केन्द्र	University Centre at Imphal	76
9919.	केन्द्रीय सेवाओं के लिए पूर्वगत परिस्थितियों का सत्यापन	Verification of Anticedents of entrants to Central Services	77
9920.	श्रेणी एक के अधिकारियों का गतिरोध	Stagnation of Class I officers	77—78
9921.	दिल्ली पुलिस की हिरासत में विचाराधीन बन्दियों का बच निकलना	Excape of Undertrials from the Delhi Police Lock-up	
9922.	दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां	Police Contingents in Delhi	79
9923.	जोधपुर सीमा कमीशन के नक्शों का पाकिस्तान भेजा जाना	Jodhpur Boundary Commission Maps sent to Pakistan	79
9924.	'मोपाला लैंड' के सम्पादक के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Editor of 'Moplaland'	80
9925.	शंकराचार्य के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Shankaracharya	80
9926.	अस्पृश्यता पर शंकराचार्य के के विचार	Shankaracharya's Views on Untouchability	80—81
9927.	उप-सचिवों के तथा उनसे उच्च दर्जे के बिना कार्य वाले अधिकारी	Deputy Secrctaries and above without Jobs	81
9928.	उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा राजनैतिक नेताओं के सम्मान में स्वागत समारोह	Receptions by High Court Judges to Political Leaders	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9929.	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में डाकुओं के आतंकित क्षेत्र	Dacoit-infested areas in U. P., M. P. and Rajasthan	82
9930.	दिल्ली में जेब कतरों तथा समाज विरोधी तत्वों के अभियान	Drive against pick-pockets and antisocial elements in Delhi	82
9931	दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में जेब कतरी जाने और छुरेबाजी की घटनायें	Pick-pocketing and stabbing in D. T. U. Buses	82—83
9932.	अध्यापकों तथा छात्रों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विधि बनाना	Legislation to prevent unlawful activities by teachers and students	83
9933.	राजस्थान में नर बली	Humaraj Sacrifice in Rajasthan	83—84
9934.	पहली मई को सार्वजनिक छुट्टी का रखा जाना	Observance of 1st May as Public Holiday	84
9935.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government employees	84—85
9936.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी	Officers of the Archaeological Survey of India	85
9937.	प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षा के माध्यम के रूप में	Urdu as Medium of Instruction in Primary Schools	85—86
9938.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों में सिगरेटों के बारे में घोषणा	Announcement of cigarettes on I. A. C. Flights	86
9939.	यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को सहायता	Assistance by UNESCO to N. C. E. R. T.	86—87
9940.	स्कूल पाठ्य पुस्तक संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के बीच संबंध	Relationship between national Board for School Text-Books and National Council of Educational Research and Training	87
9941.	पश्चिम जर्मनी को जहाजों के निर्माण का आर्डर	Order for manufacture of ships in West Germany	87—88

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	Pages
9942. राष्ट्रीय राजपथों पर लगे मील दर्शाने वाले पत्थरों पर उर्दू में चिन्ह	Signs in Urdu on Milestones on National Highways	88
9943. वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये धन प्रयोग में न लाना	Non-utilisation of funds for Scientific Research	88—89
9944. पेट्रोल तथा स्नेहक तेलों पर कर लगाने के कारण परिवहन उद्योग पर प्रभाव	Effect of Levies on Petrol and Lubricating Oils on Transport Industry	90
9945. मोटर साइकल तथा स्कूटर चलाने वालों द्वारा सुरक्षा टोपियों का उपयोग	Use of Safety Hemlets by Motorcyclists and Scooterists	
9946. होटल परियोजनाओं के लिए दिये गये ऋण	Loans given to Hotel Projects	91
9947. पंजाब के राज्यपाल को वापस बुलाना	Recall of Punjab Governor	91
9948. तामिलनाडु में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Tamilnadu	91—92
9949. पम्बन में सड़क पुल	Road Bridge at Pamban	92
9950. गंगा तथा घग्घर नदियों का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाना	Declaration of Ganga and Ghagghar Rivers as National Waterways	92—93
9951. देश में हिप्पियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध	Banning of entry of Hippies	93
9752. कोहली आयोग का प्रतिवेदन	Kohli Commission Report	93
9953. बरौनी तेघरा औद्योगिक क्षेत्र में बम विस्फोट	Bomb Explosion in Barauni-Teghra Industrial Area	94
9954. जयपुर तथा भोपाल के बीच राजकीय राजपथ	State Highway between Jaipur and Bhopal	94
9955. सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल हर्ब्स आर्गनाइजेशन में निदेशक का पद	Post of Director in Central Indian Medicinal Harbs Organisation	94—95
9956. झांसी से कोटा और अजमेर तक सड़क सम्पर्क	Linking of Road from Jhansi to Kota and on to Ajmer	95—96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9957.	अण्डमान की कोशीय जेल के ढाये जाने के शिष्टमण्डल	Deputation against demolition of Cellular Jail in Andamans	96—97
9958.	दोहरे करों के कारण सड़क परिवहन के विकास में बाधा	Hampering of road transport due to multiplicity of taxes	97—98
9959.	दिल्ली में अपराध स्थिति का अध्ययन	Study of Crime situation in Delhi	98
9960.	कांडला पत्तन को बृहत् भीतरी प्रदेश के साथ जोड़ने का प्रस्ताव	Proposal to link Kandla port with vast hinterland	98—99
9961.	नौवहन विकास निधि तथा भारतीय पत्तनों का आधुनिकीकरण	Shipping Development fund and Modernisation of Indian ports	99
9962.	निरक्षरता का उन्मूलन	Liquidation of Illiteracy	99—100
9963.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 पर जमसूलाघाट पर जांच गेट	Check gate on National Highway No. 5 at Jamsulaghat	100—101
9964.	नेफा में गिरजाघरों य जलाये जाने के समाचार	Reported Burning of Churches in NEFA	101
9965.	नेफा में आदिम जाति के लिये लोगों के स्कूल	Schools in NEFA for Tribal People	101—102
9966.	'बिजयनगर काल' के संग्रहालय का निर्माण	Construction of "Vijayanagar Period Museum"	102
9967.	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से शिकायतें	Complaints from Central Government Offices in West Bengal	102—103
9968.	गैर सरकारी कालेजों के प्रबन्ध निकायों में त्रुटियों को दूर करना	Removal of shortcomings in managing bodies of Private colleges	103
9969.	गुरु नानक की पांचवी शताब्दी मनाना	Celebration of Quincentenary of Guru Nanak Sahib	103—104
9970.	केन्द्र राज्य सम्बन्ध	Centre-State relations	104
9971.	मद्रास में तमिल अध्ययन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना	Setting up of International Institute of Tamil Studies at Madras	104—105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9972.	बरौनी उर्वरक कारखाने का अतिथि गृह में लूटपाट	Ranscking of Guest House of Barauni Fertilizer Factory	105
9973.	भारतीय ग्रामों के मानवीय परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन	Study of Human Ecology of Indian Villages	106
9974.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अनुदान	Grants to Kendriya Vidyalaya Sangathan	106
9975.	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग	Commission for Scientific and Technical Terminology	106
9976.	दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ कार्यकारी सेवा	Delhi Administration Subordinate Executive service	107
9977.	तेलंगाना आन्दोलन तथा बंगाल बंद के कारण हुई वित्तीय हानि	Financial loss due to Telengana Agitation and Bengal Bandh	108
9978.	आसाम से कलकत्ता तक भारतीय राष्ट्रिकों के जहाजों के लाने के लिये पाकिस्तानी जलमार्गों का प्रयोग	Use of Pak waters for bringing vessles of Indian nationals from Assam to Calcutta	108
9979.	हिमाचल प्रदेश को दिये गये पी० सी० एस० अधिकारियों (न्यायिक) की वरिष्ठता का नियतन	Seniority fixation of P. C. S. Officers (Judicial) allocated to Himachal Pradesh	108—109
9980.	पंजाब तथा हरियाणा के लिये उच्च न्यायालय	High Courts for Punjab and Haryana	109—110
9981.	केन्द्रीय सरकार के नियम दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू होना	Applicability of Central Government's Rules to Delhi Administration employees	110
9982.	बिहार में अध्यापकों द्वारा हड़ताल	Strike by Bihar Teachers	110—111
9983.	पाठ्य पुस्तक बोर्ड	Board for Text Books	111
9984.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जलपान गृह	Resturants at international Airport	111
9985.	संसदीय प्रतिनिधिमंडल का लद्दाख का प्रस्तावित दौरा	Proposed visit by a parliamentary delegation to Ladakh	112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9986.	गोग्रा में बजरों तथा लांचों की मरम्मत तथा निर्माण करने वाले शिपयार्ड	Shipyards in Goa engaged in repairing and constructing of barges and launches	112
9987.	वर्ष 1967 में पुलिस ग्रान्दोलन	Police Agitation in 1967	113
9988.	भारत में सी० ग्राई० ए० की गतिविधियां	C. I. A. Activities in India	113—114
9989.	शिक्षकों के व्यवसायिक निकाय की स्थापना	Setting up of a Professional Body of teachers	114
9990.	देश में छात्र ग्रसन्तोष की समस्या	Problem of Students' Unrest	114—115
9991.	दिल्ली में ग्रग्निकांड	Fire incidents in Delhi	115
9992.	हिमाचल प्रदेश को दिये गये कर्मचारी	Employees allocated to Himachal Pradesh	115
9993.	मद्रास तथा कलकत्ता तथा ग्रन्य राज्यों में नगर निगमों द्वारा बनाये गये पृथक पुलिस दल	Separate Police Force Organised by Corporations in Madras and Calcutta and other States	116
9994.	भारत में विदेशी पर्यटकों द्वारा भारतीय व्यंजन ग्रौर भारतीय ढंग के मनोरंजन को पसन्द करना	Liking of Foreign Tourists to Indian Cuisine and Indian type of Entertainment	116
9995.	इंडियन एयरलाइन्स की डीमापुर को उड़ानें	Indian Airlines Flight to Dimapur	116—117
9996.	भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां	Adverse Observations against Former Chief Justice of India	117
9997.	ग्रलीगढ़ में मराठा किला	Maratha Fort at Aligarh	117—118
9998.	सरकार द्वारा एलाट किया गए प्लाटों को बिक्री पर मुनाफा कमाने के लिये दिल्ली के मुख्यायुक्त के कार्यालय के ग्रधिकारियों के विरुद्ध ग्रारोप	Allegations against Officers of Chief Commissioner's Office, Delhi for making profits on the sale of Plots of land allotted by Government	118

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9999.	इन्द्रा मार्केट, दिल्ली	Indira Market, Delhi	118—119
10000.	सेंट्रल स्कूल अनीसाबाद, पटना सिटी में पढ़ने वाले एक बच्चे की पिटाई	Beating of child studying in central School Anisabad, Patna City	119—120
10001.	विदेशी गुप्तचरों की गिरफ्तारियां	Arrest of Foreign Spies	120
10002.	दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में दाखिला	Admission in colleges of Delhi University	120
10003.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम द्वारा मैसर्स ऐस्कोर्ट्स लिमिटेड से समुद्री डीजल इंजन की खरीद	Purchase of Marine Diesel Engine by the Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam from M/s. Escorts Ltd.	120—121
10004.	अंग्रेजों के राज के समय निर्धारित की गई पाठ्य पुस्तकें	Text books prescribed during British days	121
10005.	आपातकालीन स्थितियों में संगठित छात्रों को हथियार	Arms for organised students during Emergencies	121—122
10006.	हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi	122—123
10007.	जबलपुर और कान्ह तक विमान सेवा का विस्तार	Extension of Air Service of Jabalpur and Kanha	123
10008.	भारतीय ऋतुविज्ञान विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority List of Employees working in India Meterological Department	123—124
10009.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का अभ्यावेदन	Representation from Scheduled caste and scheduled Tribe Employees of India Meterological Department	124—125
10010.	भारतीय ऋतुविज्ञान विभाग में कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled caste and Scheduled tribe employees working in India Meterological Department	125—156

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
10011.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/वेधशालाओं के महानिदेशालय में वैज्ञानिक सहायक	Scientific Assistants in India Meteorological Department Directorate General of Observatories	126—127
10012.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पदों पर कर्मचारियों का स्थाईकरण	Confirmation of Appointees to posts reserved for scheduled castes/Scheduled tribes	127
10013.	सहायकों की पदोन्नति	Promotion of Assistants	128
10014.	दिल्ली की एक महिला वकील का अपहरण	Kidnapping of advocate girl of Delhi	128—129
10015.	ए० एफ० एल०—सी० आई० ओ० द्वारा भारत में कार्मिक संघों को वित्तीय सहायता के बारे में समाचार	Press Report re. AFL CIO Financing Unions in India	129
10016.	मनीपुर में गैरसरकारी कालेजों को भूमि देना	Grant of land to private colleges in Manipur	129
10017.	कलकत्ता-अगरतल्ला-सिल्चर विमान सेवाओं के समय में परिवर्तन	Change in Schedule of Calcutta-Agartala Silchar Flights	130
10018.	भारत में गैरसरकारी होटलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Private Hotels in India	130—131
10019.	जहाज निर्माण उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Wage Board Recommendations on Shipbuilding Industry	131
10020.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कार्मिक संघ का समयोपारित कार्य के बारे में अभ्यावेदन	Representation from Labour Union of Hindustan Shipyard regarding overtime work	131
10021.	छम्ब क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pak Intrusion in Chhamb Sector	132
10022.	हरियाणा में जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of spies in Haryana	132—133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1002?.	विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश	Admission of students by Universities	133
10024.	पारादीप पत्तन पर तल साफ करने का काम रोकना	Stoppage of dredging work at Paradeep port	133—134
10025.	दिल्ली परिवहन को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिया जाना	Taking over control of DTU by Government	134—135
10026.	लंदन स्थित संग्रहालय में 'गीत गोविन्द' की पाण्डुलिपि	Manuscript of Gita Gobinda in Lonon Museum	135
10027.	श्री विद्यासागर काले, बीरभम, पश्चिम बंगाल को भवर निर्माण के लिए अनुदान	Building grant to Shri Vidyasagar college, Birbhum, West Bengal	135
10028.	केन्द्रीय भाषा संस्था	Central Institute of Languages	135—136
10029.	दिल्ली में मुस्लिम सेना	Muslim sena in Delhi	136
10030.	कारवाड़ पत्तन के विकास के बारे में जापान की एक फर्म के साथ वार्ता	Talks with a Japanese Company Regarding development of Karwar Port	136—137
0031.	शरावती और काली नदियों पर पुलों का निर्माण	Construction of Bridges over River Sharavati and Kali	137
10032.	बरेली-गोहाटी पार्श्व सड़क पर काम	Work on Bareilly Gauhati Lateral Road	137—138
10033.	प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करना	Production of books in Regional Languages at University Level	138
	अतारांकित प्रश्न संख्या 644 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to Unstarred Question No. 644.	138
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	139—144
	नर्मदा जल विवाद के बारे में दिये गये वक्तव्य को शुद्ध करने वाला वक्तव्य	Statement correcting statement re Narmada Water Dispute	145

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao	145
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति कार्यवाही सारांश	Committee on Private Members Bills and Resolution—Minutes	145
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	Assent to Bills	145
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	146
90वां प्रतिवेदन	Ninetieth Report	146
मालेगांव तथा धूलिया में रंगदार साड़ियों के उत्पादन पर रोक के बारे में याचिका	Petition re. Ban on Production of coloured sarees at Malegaon and Dhulia	146
अलोह धातुओं के उत्पादन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1203 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to SQ. No. 1203 re production of non-ferrous metals	146
संसद सदस्यों के लिये वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी तदर्थ संयुक्त समिति की कुछ सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में वक्तव्य	Statement re. Government reaction to recommendations of ad hoc Joint Committee on Salary, allowances and other amenties to M. Ps.	146
श्री रघुरामैया	Shri Raghu Ramaih	146
पैट्रोलियम (संशोधन) विधेयक पुर: पुस्थापित	Petroleum (Amendment) Bill—Introduced	146—147
स्थपित विधेयक	Architects Bill	147
संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to Join Joint Committees	147—148
सिविल प्रक्रिया संहिता विधेयक	Code of Civil Procedure Bill	148
संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to Join Joint Gommittee	148—149
अवक्रय विधेयक	Hire purchase Bill	149
संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की राज्य सभा की सिफारिश के बारे में सहमति प्रस्ताव	Motion to concur in Rajya Sabha recomendation to Join Joint Committee	149—152

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
नागरिकता (संशोधन) नियमों के बारे में प्रस्ताव-वापिस लिया गया	Motion re Citizenship (Amendment) Rules-withdrawn	152—154
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	152—153
श्री एस० कुन्डु	Shri S. Kundu	153
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	153
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Surjoo Pandey	153
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	154
अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमों के बारे में प्रस्ताव	Motion re. All India Services (Conduct) Rules	155—161
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri Narendra Kumar Salve	155—160
पश्चिमी बंगाल विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक	West Bengal Legislative Council (Abolition) Bill	161—166
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	161—166
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	161—163
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	162—163
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel	163—164
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	163—164
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	164—165
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	165
खण्ड 2, 9 तथा 1	Clauses 2 to 9 and 1	167—169
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	167—169
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	167
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	167
श्री स० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	167—168
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Johi	168
श्री एस० कुन्डु	Shri S. Kundu	168
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	168

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	168
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshidas Jadav	168
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	168
देश में तोड़-फोड़ की तथा हिंसात्मक गतिविधियों को दिये जा रहे प्रोत्साहन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. encoragement to Subversive and violent activities in the Country	169
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	169
विधियों की भाषा विषयक विधेयक-पुरःस्थापित	Language of Laws Bill—Introduced	169
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक	All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Bill	170
धारा 2, 4 आदि का संशोधन श्री जार्ज फरनेन्डीज द्वारा	(Amednemt of Section 2, 4 etc.) by Shri Geroge Fernandes	170
विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव–अस्वीकृत	Motion for leave to introduce Negatived	170—171
संसद सदस्यों का वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित धारा 3, 4 आदि का संशोधन श्री यशवन्त सिंह कुशवाह द्वारा	Salaries and Allowances to Members of Parliament (Amendment) Bill Introduced (Amendment of sections 3, 4 etc.) by Shri Yashwant Singh Kushwah	171
संविधान (संशोधन) विधेयक - अस्वीकृत अनुच्छेद 75, 164 आदि का संशोधन श्री कामेश्वर सिंह द्वारा	Constitution (Amendment) Bill—Negatived Amendment of articles 75, 164, etc.) by Shri Kameshwar Singh	172—174
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	172—173
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	172
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govind Menon	172
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh	172—173
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 292, 293 आदि का संशोधन)	Indian Penal Code (Amendment—Bill) (Amendment of sections 292, 293 etc.)	174—177

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा प्रसारित किये गये तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha and as reported by Select Committee	174—175
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tennetl Viswanatham	174
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	174
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	174
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	175
खंड 2 से 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	175—177
पारित करने का प्रस्ताव प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to pass, as reported by Select Committee	175—177
व्यय विनियमन तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन विधेयक	Regulation of expenditure and eradication of Corruption Bill shri Humayun Kabir	177
परिचालित करने का प्रस्ताव	Motion to Circulate	177
श्री हुमायून कबिर	Shri Humayun Kabir	177—178
आधे घंटे की चर्चा	Half-and-hour discussion	178—183
चाय के निर्यात के लिये भारत तथा श्रीलंका के संयुक्त प्रयास	Indo-Ceylon venture for the export of Tea	178
श्रीमती इलापाल चौधरी	Shrimati Ila Pal Choudhury	178—180
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	180—183
संसद भवन के निकट पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य	Statement re arrests made by Police near Parliament House	183—188
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	183—188

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 16 मई, 1969/26 वैशाख, 1891 (शक)
Friday, May 16, 1969/Vaisakha 26, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[**MR. SPEAKER** *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBER SWORN

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज—उत्तर प्रदेश)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Corruption in Police of Union Territories

*1741. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that corruption is rampant in the Police in the Union Territories, which is responsible for eradication of corruption ;

(b) the number of constables and Police Officers in the Union Territories arrested in 1968 on charges of corruption ; and

(c) the measures adopted by Government to eradicate corruption in Police in future ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. Certain Complaints have, however, been brought to the notice of the Government regarding corruption in the Police of Union Territories.

(b) All Union Territories (except Delhi, Chandigarh, Pondicherry and Himachal Pradesh) have reported that no member of the police force was arrested in 1968 on charges of corruption. In Delhi 26 police personnel were arrested on charges of corruption during the period. Reply from the Union Territories of Chandigarh, Pondicherry and Himachal Pradesh will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

(c) When a complaint is received appropriate enquiries are made and suitable action taken. Surveillances is also kept by senior officers and the vigilance machinery to prevent corrupt practices.

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Minister has first state that the police officers are working with vigilance to cradicate corruption. The fact is that corruption is the order of the day in the police. The main reason of corruption is poverty. The emoluments being paid to our constables and officers are so meagre that they can not live without corrupt practices. Residental accommodation is not provided to them and no allowance is paid to them for extra duty.

So, I want to know the steps being taken by Government to eradicate the main reason of corruption i.e. their poverty.

Shri Vidya Charan Sukla : I agree the corruption is prevalant in the police. But it is wrong to say that most of our police personnel are corrupt. It will have a had effect on there and it will also result in lowering the morale of those who are honest and hardworking. I agree that there are certain circumstances in which they are tempted to be corrupt and in case they do not get their salary in time and they do not have the proper means of livly hood they are likely to be on an easy pray to corruption. We must try to remove these difficulties to the extent possible, keeping in view our resources. A police commission was appointed for Delhi and increases had been made in the salaries and allowances of the police personnel in accordance with their recommendations. This factor had to be considered constantly with the increase in prices so that the police personnel are not put to hardship.

Shri Om Prakash Tyagi : Sir, I had the occasion to go to foreign countries like U.K. and I found there that the greatest of foreigners who go there were the policemen or the police officars. They are ready to help you in every trouble. But the police mentality in India is quite opposite. People fear to go to them to place before them their difficulties. Their treatment is such that people do not want to go to them even after a theft or a dacoity has been committed in their houses. The present stracture of the police is the legacy of British rule who wanted to rule India by force and they have been trained in that way. So, I want to know the steps taken or proposed to be taken to bring a change in this stracture of police and inculcuate a feeling of service among the police personnel.

Shri Vidya Charan Sukla : Many changes had been made in their training. But it is not necessary that there change will result in a change in public-police relations. The changes in training were made just after independence. But as the hon. Member has stated no substantial changes had been there in the public-police relations. People hesitate to go to the police stations So we have to take many more steps in this direction. It is a very wide question and it covers our entire economic structure, our social set up and the legacies of pre-independence period. So it is not possible to make our police force at once so avaiable as that of England by effecting some changes hare and there. We have to make continous efforts in order to do that and we are doing so. I hope ultimately we will achieve our aim.

श्री द्वारकानाथ तिवारी : सरकार के चार विभाग ऐसे हैं जिनमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर विद्यमान हैं और यदि मन्त्री महोदय को उनकी जानकारी नहीं है, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है पहला विभाग है पुलिस विभाग, दूसरा रेलवे, तीसरा न्यायालय और और चौथा राशन विभाग। इन चारों विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैं जानना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार किस प्रकार दूर किया जाये, इस बारे में सुझाव देने के लिये, क्या सरकार का विचार कोई समिति नियुक्त करने का है, ताकि देश को खत्म होने से बचाया जा सके।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह नहीं कहता कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है, परन्तु उसकी इतनी कटु आलोचना करना सही नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सुझाव देने के लिए समिति के नियुक्त किए जाने से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। वास्तव में माननीय सदस्यों सहित देश के सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए उपायों का पता लगाना कठिन नहीं है, मुख्य कठिनाई तो उन उपायों को क्रियान्वित करने की है।

Shri Sheo Charan Lal : Sir, one year ago in village Totalpur Sopipur of Police station Ferozabad in District Agra 11 houses of Nisads were looted. The hon. Minister was kind enough to grant compensation of Rs. 55000 for there and withdraw their cases.

But the case had not been withdrawn due to police pressure and it is resulting in delay in the payment of compensation. I would request the hon. Minister that the compansation should be paid to them immediately, the cases should be withdrawn and the guilty police officers should be punished.

Shri Vidya Charan Sukla : Sir, the incident which is being refrred to by the hon. Member occurred in U.P. when that state was under President's rule. So we took certain action in that regard. After that mid-term elections were held and the State Government was sowrn in. We are not aware of the steps taken by the State Government. A statement will be laid on the Table of the House after obtaining the necessary information from the state Government.

Shri Prem Chand Verma : I want to know from the hon. Minister whether he had received any such complaints or he is aware of the position that those police officers who prove in competent in other states are transfered to Himachal Pradesh or Union Territories and they are told that they are being transferred to far off place as a punishment and if so the reasons therefor.

In this context I would also like to know from the hon. Minister whether Government proposes to create a separate gazetted cadre for Union Territories and give preference to the local people of those areas while recruiting candidates for those post, so that they are enabled to take greater port in the administration.

Shri Vidya Charan Sukla : The first inference of the hon. member is not correct. So far as his second suggestion is concerned we will consider that. We always try to see that local people should be given priority. But we have to think as to what extent it is possible.

Deterioration in Standard of Sports

+

*1742. **Shri Onker Singh :** **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the standard of the sportsmen of our country is much inferior to that of the sportsment in other countries ;

(b) if so, the steps taken by Government to impart training in various sports and for the promotion of sports ; and

(c) the number of the sportsmen of the country who won foreign awards during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) It is unfortunately a fact, that, in the world of sports, India's status, in general, is relatively secondary.

(b) A statement containing the necessary information is laid on the Table of the Sabha.

(c) Presumably, the Honourable Member is referring to the medals which our sportsmen/sports Teams received having stood first, second or third in the various international athletic and sports meets. 64 Individual sportsmen and 7 sports teams secured first, second and third positions in International events during the last three years.

STATEMENT

(1) It is primarily for the National sports Federations to take suitable steps to improve the standard of the games, with which they are concerned. However, all proposals received from such bodies in this behalf are given due consideration and financial assistance is also rendered where necessary.

(2) The National Sports Federations organise National Championships and encourage other major tournaments. They also send teams abroad or invite foreign teams for competitive practice in India, as and when necessary. Financial assistance is rendered by the Government in deserving cases on the recommendation of the All India Council of the Sports.

(3) Financial assistance is also rendered by the Government to National Sports Federations for paid Assistant Secretaries employed by them and for the purchase of sports equipment of non-expenditble nature.

(4) Sports Councils of the various states are also assisted by the Government of India financially for organising annual coaching camps, construction of Utility Stadia and for the purchase of sports equipment of non-expendible nature.

(5) The national Institute of Sports has been set up at Patiala for imparting coaching in various games and sports. It has so far trained about 1300 coaches. The national coaching scheme (formerly know as Rajkumari Sports Coaching Scheme) has also contributed to the discovery and training of talent in varibus parts of the country.

(6) A number of Arjuna Awards are given by Government to outstanding sportsmen every year,

(7) Two new schemes—one for the establishment of 10000 Rural Sports Centres and the other for sports Talent Scholarships have been formulated for implementation during the Fourth Five Year Plan period.

(8) For University students, the National Sports Organisation Programme is being introduced, as one of the alternatives to NCC in order to help in the development of sports.

(9) In order that our country is in a position to play host for organising sufficiently big international events, the Government has decided to set up a sports Complex in Delhi, and suitable steps are being taken for its early construction.

Shri Onkar Singh : India has remained Hockey-Champion for several years but last year also she was defected. Did the Government inquire into the reasons therefor ? Is it not the reason that instead of the right type of persons in wrong hands, who are not well up in this game, are selected at the time of selection ?

Shri Bhakt Darshan : It is really a matter of regret that in the Olympic Games held at Mexico last year our team could get as brilliant a success as it should have deserved. The All India Sports Council is examining this issue. A Committee has been appointed in this connection on whose report the All India Sports Council will consider the ways and

means to improve the situation and Administration will also take a decision on getting a report in this behalf.

Shri Onkar Singh : May I know whether a few members of this Committee referred by the Minister unduese in corruption and enroll their own relatives in the team. Would the Government inquire into this matter and the take necessary action ?

Shri Bhakt Darshan : It is quite untrue that there are some such peoples in this Committee...(*interruption*)

Shri Hukam Chand Kachwai : Several instances have been cited here that these people accept while...(*interruption*).

Shri Bhakt Darshan : The question of the hon. Member relates to that Committee which is examining the issue relating to our failure in Mexico Games. This Committee includes four ex-Captains who had successfully led our hockey teams, and the Chairman of this Committee is Shri Sarin who is Defence Secretary and has sufficient knowledge of Games. The hon. Member's contention may be about some other Committee and not about this Committee...(*interruptions*).

श्री स० मो० बनर्जी : आस्ट्रेलिया के समस्त दौरे के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मैं शिक्षा मन्त्री डा० राव तथा उपमन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि इस विचार से कि वित्त मन्त्री की सहायता से समस्त दौरे के लिए स्वीकृति मिल गई है तथा यहाँ 5 मैच खेले जायेंगे जिनमें से एक मैच कानपुर में भी होगा, तो क्या किसी प्रकार की कूटनीति करते बिना किसी ऐसी क्रिकेट टीम का चुनाव कर लिया गया है जो कि वास्तव में ही बहुत अच्छा खेल सकती है तथा आस्टेलिया की टीम हरा सकती है या कम से कम सुगमता से से उसका मुकाबला कर सकती हैं ? राजनीति बीच में आ जाने से अच्छे खिलाड़ियों को अवसर नहीं मिल पाता। मैं यही जानना चाहूँगा। सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है कि कि आस्ट्रेलिया की टीम को पराजित करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु अच्छे खिलाड़ियों का चयन हो ?

श्री भक्त दर्शन : आस्ट्रेलिया की टीम अगली सर्दियों में आ रही है। अत: उचित चयन करने के लिए अभी काफी समय है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : हंगरी जैसे छोटे देश की खेल-कूद में सफलताओं को देखकर, जिसे वर्ष 1968 के ओलिम्पिक में तीसरा स्थान मिला तथा जिसने पहले ओलिम्पिक खेलों में अनेक पदक जीते, यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम अपने खिलाड़ियों को 7-8 वर्ष की अल्प आयु में ही सम्भाल लें तथा यदि उतनी ही संख्या में लड़कियों को भी प्रोत्साहन दें, तो खेल-कूद के क्षेत्र में हम विश्व में अपना विशिष्ट स्थान बना सकते हैं। साथ ही हमें केवल हाकी में ही प्रवीणता प्राप्त करने की आदत छोड़ देनी चाहिए तथा अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए अन्यथा खेल-कूद के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाने का हमारा स्वप्न कभी पूरा न हो सकेगा। अपने देश के खिलाड़ी, लड़कों व लड़कियों को अल्पायु से ही प्रशिक्षण देने की दिशा में तथा उनकी खेलों की ओर रुझान पैदा करने के बादे में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री भक्त दर्शन : इतने अच्छे सुझाव देने के लिए मैं माननाय सदस्य का आभारी हूँ। इस बारे में हमारा पहले से ही ध्यान है और हम इस सम्बन्ध में योजना बना रहे हैं।

Shri Balraj Madhok : The hon. Minister is not correct if he says that we are quite good at sports. We are 50 crores in number and it will be wrong if we compare ourselves with other contries like Malaysia or Ceylon. In last Olympics we were defeated in all the Sports even in Hockey. I want to ask two questions. Firstly, whether it is not a fact that we are paying more attention towards those games which are not the games of common men ? More attention is being paid to games like Cricket, Tennis which are games of the rich people but the common man's games like Hockey, Football, Kabaddi etc. Are not being taken care of. Although the Government talks of Socialism yet they encourage the games of Capitalists. So, may I know whether the Government would give more encoragement to common man's games like Football, Hockey, Kabaddi etc.

Secondly, in your statement you said that coaching schemes have been implemented, but as you know. Sportsman of tomorrow are found in Schools. Therefore if you do not catch up the school children and train them, even the coaching scheme would do no good. Would the Government, therefore, try to procedure sportsman by catching up sporting talents in schools, giving them special encouragement and scholarships etc. ?

Shri Bhakt Darshan : I want to make it clear that in reply to the original question I have never said that our standard is very high. In fact, we have been striving hard for raising our standard. Hon. Member's suggestion that we should not concentrate only on a few Games, will be considered. As regards Criket and Tennis etc. it will not be proper to give up Tennis particularly in view of success achieved by us recently in Davis Cup. India has joined international fame in this Game. But besides that the suggestion for giving encouragement to other games will also be considered.

As regards second question that these games should be made popular among school children. The hon. Member will be glad to know that we have formulated a scheme and the Fourth Five Year Plan to grant some scholarships. The Planning Commission is being consulted in this regard. According to that scheme, special steps will be taken to encourage students brilliant in sports.

Shri Mrityunjay Prasad : There is enough scope for those who have earned name in sports but for promising young sportsmen there is no room anywhere. I would, therefore, like to know whether besides giving employment opportunities and also good posts in Government undertakings to those who have made a mark the Government would also recruit those promising sportsmen who have not earned a name but are still rising and are expected to rise.

Secondly, may I know the steps taken to popularise wrestling and make arrangements for "Akharas" for this purpose in other states also as has been done in Delhi ; if so how ?

Shri Bhakt Darshan : Hon. Members' first suggestion is worth considering and will be examined.

As regards Indian games, efforts are being made to encourage them. In addition to Kho Kho and Kabaddi etc. for which All India Federations have been constituted, we are giving the financial assistance so that all India Competetion could be arranged for there also.

श्री दिनकर देसाई : अनेक राज्यों में आज स्कूलों में व कालेजों में खेल-कूद अनिवार्य नहीं है। जब तक इन्हें अनिवार्य नहीं बनाया जायेगा तथा और अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा, तब तक देश में खेलों का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। शिक्षा मन्त्री यह कह सकते है कि यह राज्य का विषय है परन्तु मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये क्या वह राज्य के शिक्षा मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलायेंगे ? इसका यह अभिप्राय नहीं होगा कि

भारत सरकार राज्य सरकार पर कुछ थोपना चाहती है। क्या मन्त्री महोदय सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाकर स्कूलों व कालेजों में खेल-कूद को अनिवार्य विषय बनाने के बारे में विचार-विमर्श करेंगे ?

श्री भक्त दर्शन : माननीय सदस्य मानेंगे कि इस उद्देश्य के लिए अनेक सम्मेलन, समितियां तथा आयोग हुए है और इसलिए अब ऐसा सम्मेलन आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहूँगा कि सरकार ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है जिसके अनुसार एन सी सी, जो कि पहले स्कूलों में अनिवार्य थी, उसके स्थान पर खेल-कूद को पाठ्य-क्रम का अनिवार्य अंग बनाया जा रहा है।

Shri Manubhai Patel : So far as sports are concerned, the All India Sports Council manages all these sports. But this Council gives only encouragement to the different branches of Sports. So, until a National Youth Board is constituted in Higher Secondary Schools and Colleges. There will be no proper coordination. May I know the Education Ministry have any proposal to set up a National Youth Board ? If so, whether Youth Boards are being set up to coordinate all these affairs and if so within what time ?

Shri Bhakt Darshan : A proposal regarding Youth Board is being considered. Recently, a conference was called by the hon. Minister and it still needs a detailed examination. But I want to imform the hon. Member that a Youth Board will come into existance and it will be for non-student Youths. As regards students, the schools and colleges should take initiative and that is why we are helping State Council of Sports so as to encourage local organisations.

Shri Maharaj Singh Bharati : Chandgi Ram was not given permission to take part in the last Olympics and he was stopped merely by putting certain formal complications although he has again emerged as Hind Kesari. So, I want to know what have been the results of the inquiry made by Government against a group who have become professional in the field working, and are concerned with the issue of sending sportsmen to foreign countries and also in some cases of bungling ? What punishment are you going to award to the guilty ones ?

Shri Bhakt Darshan : In this connection I had alrealy stated in reply to question some days ago, that the C. B. I. has been consulted and they are making necessary inquiries.

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

*1743. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में आयोग ने क्या सिफारिश की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को कार्यन्वित करना सम्बन्धित मन्त्रालयों। विभागों का उत्तरदायित्व है।

(ख) भारत सरकार के शासनतन्त्र और उसकी कार्यप्रणाली सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी प्रतिलिपियां 13-11-1969 को सदन के सभा पटल पर रखी गई थी।

Shri Yajna Datt Sharma : The A. R. C. has done a great job and for which we congratulate them. I took them five years and the Commission submitted eleven reports. But it is regratted that the hon. Minister's reply does not at all indicate as to what effective steps are being taken by the Government with a view to implementing all those recommendations. In this contect, I want to know whether or not the Government propose to set up an over all machinery with a view to sincerely implement the recommendations of the A. R. C. with the same spirit of bringing about administrative reform as has been put fourth by the A. R. C.

As you have replied that the concerned Departments/Ministries would implement those recommendations, it is possible that those recommendations might not suit a particular Ministry and that Ministry might not like to implement them. In this view, have you got any machinery to keep a watch on all these things and ensure that there recommendations are implemented properly.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): This Commission was set up by the Government with a view to bringing about reform in the Administration. Now their recommendations are being received and a procedure has also been laid down to take a decision after examining and processing those recommendations. The A. R. C. has given certain recommendations in regard to that procedure also. Some of these recommendations are being examined separately. The point is that all these things will be examined at the earliest possible so as to reform the administrative set up and also to stream line procedures of working.

Shri Yajna Datt Sharma : I have not got answer to my question. My point was that there are two kinds of recommendations. One pertained to a number of Ministeries where the number of employees has become twice and thrice within 10 years as a result of which there has risen a problem of furniture and accommodation. The A. R. C. has given certain recommendation to simplify the working in this behalf. Now, on those recommendations you will take decisions on cabinet and Ministerial level. I want to know as to how will you take decision of cabinet level and how will you ensure that all the recommendations have been implemented in time spirit by the Ministries. If I don't forget one of the recommendations say that there should he call in the Ministry of Finance which may be directly under the Deputy Finance Minister or the Finance Minister see whethere these recommendations have been implemented or not. You have not given an answer to that.

Shri Vjdya Charan Shukla : I had replied that such a machinery had been set up. If you want details I am give those also, This machinery examines and processes the particular recommendations and as far as possible, puts them before the Minister and the cabinet. But no decision is taken below the Minister's level.

As far as I understand, you want to know how do we examine the various recommendations of the Administrative Reforms Commission and how those recommendations are implemented.

A machinery has been set up to look into all these matters. The report are referred to the Ministries concerned as soon as they are received. After that the Ministry concerned gets the paper prepared by a committee appointed by the concerned Ministry. Afterwards the papers are submitted to the Committee of Secretaries concerned with the subject. The cabinet secretary, then, sends that to the concerned Ministry. The recommendations of ordinary nature are decided at the Ministers' level they are not referred to the Committee or the Sub-committee of the Ministry. But the recommendations which are found worth refering to the sub-committee of the Ministry or to the cabinet they are refered to them and the decision are taken by the cabinet or the sub-committee of the Ministry. Any recommendation made by the Administrative Reforms Commission is not liable to be accepted or turned down by secretaries only. These recommendations are decided at the level of Minister or the cabinet.

So far as the second part of the question put by the hon. Members is concerned I have already mentioned that the recommendations made by the commission is underconsideration. It has not been decided as yet that the accepted recommendations should be considered through that procedure or not.

Shri Yajna Datt Sharma : I want to cite an example. The Imformation wing has been functioning under the Ministry of External Affairs. The Administrative Reforms Commission have recommended that this wing should be transferred to the Ministry of Information and Broadcasting. Now, if the Ministry of External Affairs are not willing to surrender the wing then who will see the recommendation made by the Commission are fully implemented. May I know whether the Government propose to keep this wing under the Ministry of Information and Broadcasting ? My grouse is that the Commissions appointed by the Government perform their duty with great efficiency and skill. Even on the Administrative Reforms Commission a heavy amount of Rs. 1 crore has been incurred by the Government. But as we see, no fruitful results are achieved in this way and the whole amount is proved to be infunctions because the recommendations of such Commissions are not implemented.

Shri Vidya Charan Shukla : I appreciate the genuine concern felt by the hon. Member. The decisions should be taken on all the recommendations made by the Administrative Reforms Commission. Appropriate actions on these recommendations should be taken and they should implemented without any delay.

So far as the example cited by the hon. Member in concrened, I want to submit that any recommendation involving two or three Ministries or the Departments will be considered by the Secretaries of the Ministries concerned and afterwards the recommendation will be decided by the sub-committee of the cabinet or by the cabinet itself. To see whether the decision taken by the cabinet is being implemented or not, is the out look of the cabinet secretariat. It is also the responsibility of the Administrative Reforms Division appointed in the Ministry of Home Affairs to ensure the proper implementation of the decisions taken by the Government. If the recommendations are accepted only by the Minister.

Shri Yajna Datt Sharma : The Government had also appointed a Commission to settle the boundry dispute between the States of Mysore and Maharashtra but the dispute has not yet been sattled.

Shri Vidya Charan Shukla : The information regarding the procedure of implementing the recommendation made by the Administrative Reforms Commission has been stated by me.

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : प्रकाशित तथा अप्रकाशित प्रतिवेदनों के पृष्ठों की संख्या शायद वेदों तथा उपनिषदों के पृष्ठों की संख्या से भी अधिक होगी इन प्रतिवेदनों की संख्या में इतनी वृद्धि को देखते हुए तथा प्रशासनिक सुधार आयोग को बनाए रखने पर इतने भारी व्यय को देखते हुए क्या सरकार ने इस आयोग को स्थाई बनाने के बारे में सोचा है ? इतने अधिक प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उस व्यवस्था को पर्याप्त समझती है जिसके द्वारा आयोग की सिफारिशों को कार्यन्वित किया जायेगा ? और यदि नहीं तो क्या सरकार आयोग को यह सब स्थिति बताना चाहेगी क्योंकि इतनी अधिक संख्या में ग्रंथ छप चुके हैं तथा इस आयोग पर एक करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आयोग का मूल कार्य प्रायः समाप्त है आयोग ने 11 प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं तथा अन्य प्रतिवेदन भी शीघ्र ही प्राप्त होने वाले हैं। मैं पहले भी बता चुका

हूँ कि प्रतिवेदनों की परीक्षा करने तथा उनको कार्यान्वित करने के बारे में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निर्णय कर लिया गया है। यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग स्थाई नहीं है किन्तु कार्यान्वित कराने वाली व्यवस्था स्थाई होगी। जैसे ही इस आयोग का कार्य समाप्त होगा सरकार का मुख्य कार्य यह होगा कि सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिवेदनों को प्रभावपूर्ण ढंग से तथा शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाय।

Shri Prakash Vir Shastri : Just as Hoover Commission was considered the most important Commission in America the Administrative Reforms Commission was also given the same significance in India when it was established. Is was felt at that time that the Government of India would give considerable significance to the decision taken by that commission and that the recommendation made by them would be implemented seriously by the Government. But now it has been observed that the importance of this commission is being gradually diminishred with the passing of time. May I know the time by which the decisions will be taken by the Government regarding the two important recommendations made by the Administrative Reforms Commission ? One of the recommendations was made by the sub-committee of the Commission regarding the Council of Ministers of the States and the centre and it was suggested therein that the maximum number of the Ministers in the Council of Ministers of both the Centre and the States should not be more than eight but I think neither the Prime Minister has taken any decision in this matter so far nor how the Home Ministry focussed the attention of the Prime Minister towards this recommendation made by the Administrative Reforms Commission. In the other recommendations the Administrative Refroms Commission suggested that number of Government employees should be reduced and their efficiency should be increased.

Shri Vidya Charan Shukla : The Administrative Reforms Commission have made so many recommendations but at present I am not aware of the actual position regarding these two recommendations as pointed out by the hon. Member. But so much I can say that no recommendation can be accepted or rejected without bringing that into the notice of the Minister concerned.

So far as the importance of this commission is concerned, it would be examined by the public in terms of the reform actually gained in the functioning of the Administration. If certain reformative work could be achieved and if efficiency in the administration is brought to the considerable extent by this Commission it would be certainly its due importance. But after implementing the recommendations of the Commission no reformation is observed in the Administration then how this Commission can be given any importance by the public, the Government and the Parliament and how the work of this Commission can be appreciated by all of us ? Therefore, I would like to mention that we are making every efforts to accept and implement as many recommendations of the Commission as possible. This is a serious matter and, therefore, it cannot be understood that this procedure will render all the benefits without taking much time. We will have to continue this procedure for a considerable time and any fruitful results can be gained after the constant efforts made by the Government in this regard.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि प्रशासनिक सुधार आयोग अपना कार्य कब तक समाप्त कर लेगा ? सरकार को अभी तक इस आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ? क्या सरकार भी उन पर निर्णय देने के लिए उतना ही समय लेगी जितना कि आयोग ने उन्हें तैयार करने में लिया है अथवा उन सिफारिशों को कार्यान्वित कराने के बारे में कोई समय की सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो प्रतिवेदन सरकार को मिल चुके हैं उन पर बड़ी शीघ्रता से

कार्यवाही की जा रही है । पांच प्रतिवेदनों पर सरकार ने अपना निर्णय दे दिया है तथा उसके बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है । 6 प्रतिवेदन अभी विभिन्न स्थिति में परीक्षाधीन है तथा उन पर भी शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है । मैं भी मानता हूं कि इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करना चाहिए किन्तु कुछ प्रक्रिया है जिसको पूरा करने में कुछ समय तो लग ही जाता है । हमें आशा करनी चाहिए कि आयोग की सिफारिशें को स्वीकार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधार अवश्य होगा ।

Christian Missionaries in India

+

*1744. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Christian Missionaries, who came to India during the last two years from abroad, came to take the place of some Christian Missionaries or to create new ground for their work ;

(b) whether some Christian have arrived in India through the Christian Missionary Institutions during the above period to cooperate with doctors, nurses, teachers and persons engaged in other services ;

(c) the number of such foreign Christian Missionaries who are doctors, teachers or social workers working in Christian Missions at present ; and

(d) whether Government are wathing the activities of those people lest they should be indulging in anti-national activities in the guise of missionary work ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Any person, who, on coming to India will be attached to or will receive remuneration from the funds of a Missionary society, organisation or body in India, is regarded as proceeding to India for or in connection with missionary work. Definition of "Missionary" is, therefore, not confined to those who come for evangelical work only.

Fresh foreign missionaries coming in replacement or augmentation of the existing personnel are admitted into India only if they possess outstanding qualifications or experience and no suitable Indian is available for the work. Subject to this policy, foreign missionaries have been admitted into India during the last two years for replacement as also augmentation of the existing personnel.

(b) Some Christians who have not been ordained as missionaries, may have come during the last two years through Christian Missionary institutions to work with them as doctors, nurses, teachers, etc. However, in view of the definition mentioned in reply to part (a) above, they are treated as missionaries, and, therefore, separate information in respect of such persons is not available.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

(d) Suitable arrangements exist for watching the activities of any foreigner, including a foreign missonary, who is suspected to be indulging in any undesirable activity.

STATEMENT

Profession	Total Number
Doctors	271
Teachers	1,844
Social Workers	1,043

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, day before Yesterday, the hon. Home Minister, Y. B. Chavan had a discussion about the foreign money received for political purposes and utilised in the General Elections. May I know from the hon. Minister whether it is true that foreign money is flowing into this country in the name of religion also and is utilised for political purposes secondly. At that time, the hon. Minister stated that the Government are considering to draft a Bill in this respect. I would like to know whether the Government will make such a provision in that Bill that there will be a systamatic control over the foreign money received in the name of religion and that money will not be utilised for political purposes ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is not proper to say that attention is not being paid to the question that foreign money received in the name of religion is being utilised for the political activities. Full measures are taken to curb the misuse of foreign money for political purposes received in the name of religion and if ever such complaints have been received, we have enquired into them. One or two Complaints, which were received, were investigated and the persons, responsible for misuse of foreign money were made to leave India. The hon. Minister should accept that we are strictly watching that the foreign money received in the name of religion may not be misused.

So far as the Bill is concerned, these will be a provision to the effect that the foreign money received in the name of religion should not be misused in this way.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the hon. Minister can state authoritively and confidently where the foreign money received so for in the name of religion in the country have been utilised by the missionaries or the Missionary institutions ? May I know whether any statement in this respect was submitted to the Government and whether the hon. Minister can give assurance to the House in this respect, if not, how the hon. Minister can state that the foreign money was utilised for religion purposes only and not for political purposes ?

Secondly, some years ago the Christian Missionaries or institutions in India requested the Government and even under went fasts in the church in front of the Rashtrapati Bhawan that the foreign missionaries leaving India should be replaced by Indian missionaries and not by foreign missionaries, May I know the reaction of the Government thereto ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is our policy that we do not replace the foreign missionaries leaving India by foreign missionaries. We are very strict in this matter. I have already stated about it in the reply to main question.

Only in exceptional cases we replace them by foreign missionaries when such suitable persons are not easily available in the country.

So far as the first question is concerned, from the information we get or from the sources of our information we come to know about the missionaries or the missionary institutions using the foreign money. Bedides, many State Covernments also keep watch over it. They also get reports. From these two means we keep control over it and see that the money is not misused. If there is any misuse we take immediate action.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was quite clear. I wanted to know whether they give full information to the Government as to the manner in which they utilise that money and submit voucher to the Government as to how the money was used, so that the Government may authoritatively State that the money has been utilised in religious purposes ?

Shri Vidya Charan Shukla : We do not get such information from them. We keep watch on the manner in which they use the money. Not only we, but the State Governments, in which they functions, also keep watch over them. We do get information from them but not in the form of a statement.

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know whether the Ministry of Home Affairs have received any complaints regarding the foreign missionaries from America or Britain that they take photography of the backward and illitrate class of the people living in forests and hills and show them after preparing slides and this way present a wrong image of India. Is it not humiliating for Indians ? If it is true, who use these missionaries and what was their number and what action has been taken against them ?

Shri Vidya Charan Shukla : We do received such complaints and we took action also. In the cases, which were true, we took action against the missionaries and asked them to leave India or when they left India we did not allow them to come back to India. Special care is taken that they do not indulge in such activities.

Shri Shiv Kamar Shastri : It has not been stated that to which country they belonged.

Shri Vidya Charan Shukla : I do not remember the name of the country. If the hon. Member likes I will give their information.

Shri B. N. Kureel : The money received from foreign countries in the name of religion should be spent for the religions purposes only and it is used very objectionable to it for political purposes. Here, in India also, less and crores of rupees are collected in the name of religion. May I know whether this fact will also be kept in view and attention will be paid to see that this money is not used for political purposes ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is possible that the money collected in the country in the name of religion right have been used for political purposes. But it is not possible for as to put any legal control upon that.

श्री प० गोपालन : हाल ही में, विदेशी धर्म प्रचारकों ने हमारे देश के कई भागों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और उनके इस कार्य के मुख्य केन्द्र देश के सीमा क्षेत्र हैं। समाचार पत्रों में यह छपा था कि पिछले वर्ष कुछ अमरीकी प्रचारकों को, जो आसाम तथा समीप के क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे, उनके आपत्तिजनक तथा अवांछनीय गतिविधियों के लिए, देश छोड़ने को कहा गया था, देश की सुरक्षा के इस खतरे को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विदेशी प्रचारकों के प्रदेश पर कम से कम सीमा क्षेत्रों में पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ?

दूसरे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धार्मिक कामों के लिए देश में आ रहा विदेशी धन वास्तव में राजनीतिक कामों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, क्या सरकार धर्म के नाम पर देश में आ रहे विदेशी धन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम सीमा क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों के कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। लेकिन यह केवल देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है।

श्री प० गोपालन : उनमें से कुछ को वापिस क्यों भेज दिया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्योंकि उनकी उपस्थिति से देश की सुरक्षा को खतरा था। जब कभी ऐसा मामला हमारे सामने आता है हम उस पर जरूर कार्यवाही करते हैं। जहां तक विदेशी धन के प्रश्न का सम्बन्ध है, जैसा मैंने पहले कहा, जब कभी विदेशों से प्राप्त धन का उपयोग उन कार्यों के अतिरिक्त जिनके लिए यह आता है, अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, तो हम अवश्य कार्यवाही करते हैं।

Shrimati Jayaben Shah : The hon. Minister has stated that foreign missionaries is not utilised for political purposes but in the country such an impression is prevatent that it is so utilised. May I know whether it is not a fact that the missionaries werking in Nagaland Mizoland etc. have tried their best to affect the political situation there and also have tried to anti-Indian feelings in the minds of the people ? May I know what action has been taken by the Government to remove such impression ?

Shri Vidya Charan Shukla : Such instances do have come to our notice. Whenever such instances come to our notice we take proper action after the investigation. While replying to a question put by Shri P. Gopalan just now. I stated that whenever such thing arises we take immediate action and make them to leave the country. It is not true that all indulge in such activities...

Shrimati Jayaben Shah : I am not talking about all. Tell us only about those who indulge in such activities.

Shri Vidya Charan Shukla : Action has been taken against them and they have been forced to leave India also.

Shri Jagannath Rao Joshi : The hon. Minister has stated that a strict watch is kept on those whose activities are found undesirable. Father Ferrer is such a man whose activities have been found undesirable in Maharashtra, where there is Congress Government. When he returned to India he was not allowed to earlier Bombay City from Santa Cruz Airport. In these circumstances, how he was allowed to enter Andhra Pradesh and continue his work though there is Congress rule in Andhra Pradesh also ?

Shri Vidya Charan Shukla : According to the procedure when we receive any application regarding the entry of any missionary in India, we ask the State Government of the concerned area where he wants carry out his work , whether they have got any objection about his movements in the State and doing the work ? We permit him if the State Government of the concerned state has no objection. So far as the Father Ferrer in concerned, we asked the Government of Andhra Pradesh about his entry, and they had no objection. Therefore we allowed him to carry out his work. We made it clear to Father Ferrer that he will have to do his work according to our rules and requirements. If he will act otherwise, again action will be taken against him.

Shri Jagannath Rao Joshi : Why the Government of Andhra Pradesh was asked about it when the Congress Government of Maharashtra raised objection to it ? It will be like setting up a wrong precedent in the country to ask another Congress State Government for a thing against which objection has already been raised by the Congress Government in Maharashtra.

In many states there are United Front Governments. If the activities of a missionary are declared objectionable by a Congress Government and as a result he starts living in one of those states, where there is United Front Government, May I know whether there is any central policy in the respect ?

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे वाद-विवाद का रूप नहीं देना चाहिए, उन्हें स्मरण रहना चाहिए कि महाराष्ट्र राज्य सरकार आन्ध्र प्रदेश से बिल्कुल भिन्न है। आप यह नहीं कह सकते कि मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने बताया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उनके अपने राज्य में आने के बारे में स्वीकृति दे दी है। लेकिन यह महाराष्ट्र राज्य सरकार से भिन्न है।

Shri Tulshidas Jadhav : According to Article 25(1) of the Constitution all have been given the fundamental right of "freely to profess, practice and propagate religion". When every missionay has got the right to propagate his religion, if some persons convert their

religion as a result of feelings of service and explaination of his religion given by the missionary. May I know, whether there is any restriction on their conversion, if not, how for it is justified to try to blame persons engaged in such service-work ?

May I also know whether the Government keep an eye on those who indulge in anti-social activities and forument their on people illegally and mercilessly in the name of Hindu religion ? If so, what action have been taken against such people ?

Shri Vidya Charan Shukla : What reply can I give in this respect ?

Shri Sarjoo Pandey : It is said that in our contry ..

Shri Tulshidas Jadhav : Mr. Speaker, My question has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अत: कार्यवाही में आप खलल क्यों पैदा करते हैं ? उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दे दिया है। यह अलग बात है यदि आप प्रश्न के बराबर ही लम्बा चौड़ा उत्तर चाहते हों।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन्होंने एक सामान्य प्रश्न सामने प्रस्तुत कर दिया है और मैं उससे सहमत हूँ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, मंत्री महोदय उनसे सहमत हैं।

Shri Sarjoo Pandey : It is said that Christians propagate their religion in our country and the little children are converted to Christianity by giving many allurements. But I think the main reason behind it is the misbehaviour of the Hindus towards the two caste people. The Covernment are not taking any concrete measures so that this drawback may be removed and the Christian missionaries may not be able to reap benefits out of the poverty of our people and the conversion may not take place. May I know whether the Government are considering to take some particular steps in this respect ?

Shri Vidya Charan Shukla : Whatever the hon. Member has said, is right, But in this direction social leaders should take steps. If Government start intervening in such matters, the work of our social and religious institutions will not run smoothly.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : प्रश्न यह नहीं है कि कोई विशेष राज्य किसी विदेशी धर्म प्रचारक को बुलाना चाहता है अथवा निकालना चाहता है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसे धर्म प्रचारक की गतिविधियां पक्षपातपूर्ण अथवा देश के हित के विरुद्ध हैं ? इस विशेष मामले में मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या फादर फैरर की गतिविधियां राज्य के हित के विरुद्ध पायी गईं ? यदि हां, तो उनको आने की तथा अन्य राज्य में बसने की अनुमति क्यों दी गई जब कि महाराष्ट्र राज्य ने उनको नहीं आने दिया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि एक राज्य ने अवश्य आपत्ति उठाई थी और उन्होंने उनको राज्य छोड़ने के लिए कहा था, जब उन्होंने फिर निवेदन किया और आंध्र में काम करने की इच्छा प्रकट की तो हमने उस राज्य से परामर्श लिया और जब उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की तो हमने उनको अनुमति दे दी।

श्री पीलु मोदी : इससे यह सिद्ध होता है कि उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं था।

श्री जी० भा० कृपलानी : अगर अपने भारतीय धर्म प्रचारक उपलब्ध हैं तो क्या सरकार की नीति यह नहीं कि विदेशी वस्तुओं की तुलना में स्वदेशी वस्तुओं को प्रश्रय दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हाँ, यही हमारी नीति है ।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक संस्था मनीपुर, नागालैंड तथा आसाम के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगी हुई है और केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री राजनीतिक कार्यों के लिए उस संस्था से नियमित रूप से धन प्राप्त कर रहे हैं । मैं आपको मन्त्री का नाम बता सकता हूँ, अगर आप चाहें तो......(व्यवधान) ये समाचार आसाम के एक समाचार-पत्र में छपे थे कि विदेशी धर्मप्रचारक संस्था मनीपुर, नागालैंड तथा आसाम के सीमा क्षेत्रों में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लगी हुई हैं और केन्द्रीय सरकार के एक मन्त्री राजनीतिक कार्यों के लिए उस संस्था से नियमित रूप से वित्त प्राप्त कर रहे हैं......(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री हेम बरुआ : मैं यथा समय आपको सभी तथ्यों के बारे में बता सकता हूँ ।

मणिपुर, नागालैंड और आसाम के सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी पादरियों की राष्ट्र-द्रोही कार्यवाहियों की रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या यह सत्य है कि आसाम सरकार ने चिकित्सा तथा शिक्षा में लगे व्यक्तियों को भी राज्य से बाहर निकाल दिया है ? यदि हाँ, तो क्या यह तथ्य है कि क्या इन लोगों को इस लिए निकाल दिया गया कि ये राष्ट्र-द्रोही कार्य करते थे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने स्वयं ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि वे लोग देश-द्रोही कार्यवाही में रत थे, इसलिए उन्हें आसाम से बाहर निकाल दिया गया है । ऐसी गति-विधियों में लगे व्यक्तियों को तो निकाला ही जायेगा । जहाँ तक केन्द्रीय मन्त्री के विरुद्ध आरोपों का सम्बन्ध है यह बात न तो मेरी सूचना में आई है और न ही मैंने इस बारे में कुछ भी पत्रों में पढ़ा है । यदि माननीय सदस्य विवरण देंगे तो मैं निश्चय ही जांच कराऊंगा तथा तथ्यों की जानकारी उन्हें दूंगा ।

श्री हेम बरुआ : कुछ पत्रों में यह सूचना छपी है और मामले की आगे जांच कराना सरकार का काम है ।

Shri Manubhai J. Patel : How many foreign missionaries arrived in India for preaching their religion during the last two years and what was the amount that they brought with them.

Shri Vidya Charan Shukla : Those who came for preaching their religion do not bring along much money. Money comes to them separately. I shall collect the information asked for by the hon. Member and send it to him.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय ने बताया था कि जब भारत में योग्य ईसाई-धर्म प्रचारकों की कमी होती है तब विदेशी पादरियों को यहां आने दिया जाता है । विदेशी योग्य पादरियों को यहां मंगाने की अपेक्षा क्यों नहीं भारतीय प्रचारकों को धर्म प्रचार कार्य के तकनीकी ज्ञान के लिए विदेश भेजा जाता ?

श्री विद्याचरण शुक्ल । मैंने पहले ही बताया है कि जब तक विशिष्ट अर्हता न हो, जो कि

भारतीयों में उपलब्ध नहीं, न तो नए प्रचारकों के आने की अनुमति दी जाती है और न ही पुरानों को बदलने दिया जाता है। इस बाधा से भारत में विदेशी पादरियों की संख्या निरन्तर घटती जा जा रही है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : मेरा प्रश्न था कि क्या उन्हें प्रचार कार्यों की तकनी की जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेजा जाएगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं उनके प्रश्न को नहीं समझ पाया।

श्री एस० कन्डप्पन : मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात् भी एक बात मुझे स्पष्ट नहीं हो पाई। विवरण में बताया गया है कि 217 डाक्टर, 1844 शिक्षक तथा 1043 समाज सेवक कार्य कर रहे हैं। जब उन लोगों को भारत आने की अनुमति दी गई थी तब क्या यह चेष्टा नहीं की गई थी कि ऐसे कार्य कर्ता हमारे देश से ही नियुक्त किए जा सकते हैं? यदि किशन पर्याप्त दयालू है तो उन कार्यवाहियों के लिए धन हमें दे सकते हैं। क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि क्या विदेशी लोगों के स्थानें पर भारतीय नियुक्त किए जा सकते हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारी नीति है कि जब कोई प्रचारक, शिक्षक, डाक्टर, नर्स कृषिक, अथवा अन्य तकनीक व्यक्ति के रूप में भारत आने के लिए आवेदन देता है तब हम इस बात की जांच करते है कि क्या देश में ऐसे भारतीय उपलब्ध हैं जो उन कार्यों को निभा सकें। यदि भारतीय उपलब्ध होते हैं तो हम आवेदन ठुकरा देते है अन्यथा हम यह जानने की चेष्टा करते हैं कि आवेदक में कोई विशिष्ट अर्हता है और यदि ऐसा नहीं होता तो भी हम आवेदनपत्र ठुकरा देते हैं। इस प्रकार बहुत विशिष्ट परिस्थितिओं में ही हम आवेदन स्वीकार करते हैं।

श्री एस कन्डप्पन : उत्तर भ्रामक है। क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि 1043 समाज सेवकों में ऐसी क्या विशिष्टता है जो भारतीयों में उपलब्ध नहीं थी?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं समझ नहीं पाया।

श्री एस० कन्डप्पन : आपने कई समाज-सेवकों को अनुमति दी है। क्या उनके स्थान में भारतीयों को नहीं नियुक्त किया जा सकता था?

अध्यक्ष महोदय : श्री शशि भूषण। अल्प सूचना प्रश्न।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Bye-Election to Delhi Municipal Corporation

28. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to **state :**

(a) whether Government's attention has been drawn to the large number of changes made in the voters' list for the bye-election to the Delhi Municipal Corporation held recently in Basti Julahan ;

(b) whether it is a fact that names of thousands of voters were added in and dropped from the voters' list after the filing of the nomination papers ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) 1,324 names were deleted and 108 added.

(c) As such deletions and additions though made in accordance with law, cause hardships and difficulties, the question of amending the relavant law is under the consideration of the Government.

Shri Shashi Bhushan : This question relates to the protection of voters. This is a clear case of violation of voters rights granted under the Constitution. The nomination papers were filed on 25th and after that even the candidate cannot withdraw his name. The period for helding election is one month and it was to be held on 4th. By 3rd the names from the list were changed. The time allowed appeal is 15 days. When a person is informed on 3rd that his name does not stand in the list of voters, how can he excercise his right of appeal ? Thus his right has been violated. Will the hon. Minister please intimate that the persons whose names were omitted from the list did not belong to backward classes, minority community or poor Jhugi dwlers who were removed by the Delhi Administration a few days prior to election, 30 to 40 miles away ? It has affected the election, especially of the areas where these people were residing. If that is the condition is the Government prepared to amend the Constitution so that no changes in the electrol are made within one month from the date of election. I want to know the reasons for the violation of the representation of People Act.

Shri Vidya Charan Shukla : I have told the reasons in my main answer that there are certain looppoles in the laws. The bye-election was being held and according to the existing law we could not prevent changes being made in the lists as the election did not pertain to Parliament on state legislature wherein changes cannot be effected after nominations. But that list was of Parliamentary constituency whereas the election was being held for conforation constituency. The changes were effected upto the last date and 1324 names were removed from the lists. How far it did effect or did not effect the elections is for the members to Judge. We are thinking of changing to election laws in order to remove defects therefrom.

Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Shukla is my friend. But I am sorry to say that he, as a Minister is conspiring with Congress in a calculated effort to defame Jan Sangha and the Delhi Administration. It can be proved with documentary evidences that this attack and also the attack in the Rajya Sabha was initiated at his instance. As India's Home Minister he should not entangle himself in such party matters.

Is it not a fact that 1300 voters removed from the list were given due notice for it in working for the Electoral Officer and the letters were not received back undeliverd. After that physical verification was held and when it was formed that these people were not residing there, their names were struck off.

Was not that decision of the Electoral Officer confirmed by the Election Commissioner and Law Ministry ? Also, is it not a fact that the persons whose names were removed from the list neither appealed agaisnt it nor they went to the court of law ?

Shri Vidya Charan Shukla : Hon. Member has come to a low level and has put certain charges against me...

Shri Kanwar Lal Gupta : I can prove it.

अध्यक्ष महोदय : आपको आरोप लगाने का अधिकार है तो उन्हें इसका खण्डन करने का अधिकार है। यदि आप समझते हैं कि आपको आरोप लगाने का तो अधिकार है परन्तु उन्हें उसका खण्डन करने का अधिकार नहीं, तो कार्य कैसे चलेगा ?

Shri Vidya Charan Shukla : The hon. Member has came to a low level and put certain charges against me I do not want to reply from that low level. I only want to say that it not only he who works honestly. He has said that I have insisted upon another member to put up this question. This allegation goes against that member who does not work according to his own will. Such allegation should not be made by any self respecting person.

Shri Kanwar Lal Gupta : You are a narrow-minded person.

Shri Vidya Charan Shukla : The question is whether the names were removed after the day of nominations and whether this was done in a just manner on otherwise. I have not commented on it. I said that in the case of Parliamentary Constitunencies on legislative constituencies the names cannot be removed after the day of nominations. But there is no such provision in the Corporation Act and so the names were removed even upto the last day. We are gonig to take action for the removal of flows in the laws.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, my question has not been answered. I wanted to know whether the persons whose names have been removed from the electrol rolls were not residing there for one year and secondly, whether the Election Commission and the Law Ministry had approved the action of the Electoral Officer.

Shri Vidya Charan Shukla : I said that no legal objection could be taken to the action he has taken, the action taken by him is in accordance with law. But the lacunae in law...

Shri Hukam Chand Kachwai : The law is made by you...

Shri Vidya Charan Shukla : The law is enacted by the Parliament and not by me. Efforts will be made to remove the lacunae in law.

श्री रंगा : कई एक अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये गये हैं पहला प्रश्न है, क्या यह सच है कि उस व्यक्ति के नाम को हटाया जा सकता था जो एक वर्ष से वहाँ नहीं रह रहा था। दूसरा प्रश्न था कि क्या कोई शिकायत की गई थी और क्या अधिकारी वास्तव में उस स्थान पर गया था और क्या इस बारे में जांच की गई थी कि वे वहाँ के निवासी थे अथवा नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ। दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने जो भी कार्यवाही की है वह कानून के अनुसार है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि वे किस तारीख से निवासी थे अथवा नहीं थे इसका ब्यौरा मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री रा० कृ० सिंह : क्या नामांकन की अन्तिम तिथि के पश्चात मतदाता सूची में परिवर्तन करना असंसदीय परम्परा नहीं है क्योंकि इससे चुनाव क्षेत्र की रचना में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है? क्या यह हमारे संविधान के विरुद्ध नहीं है? जिन व्यक्तियों के नाम बाद में दर्ज किये जाते हैं वे नामांकन के अधिकार से वंचित हो जाते हैं और जिनको रद्द कर दिया जाता है उनके नामों को सूची से निकाल दिया जाता है।

25 मार्च, 1969 के पश्चात चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने मतादाता सूची में परिवर्तन किया है जब कि दिल्ली नगर, निगम अधिनियम 1957 की धारा 31 के अन्तर्गत चुनावों के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण की शक्ति चुनाव आयोग को प्राप्त है।

दूसरी बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूँ यह है कि नामांकन पत्र दिये जाने की अंतिम तिथि के पश्चात आपत्तियों पर विचार किया गया था जो कि संसदीय परम्पराओं और चुनाव

पद्धति के विरुद्ध है । प्रभावित मतदाताओं को आपत्तियों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली और उनमें से कुछ को सूचना सुनवाई समाप्त होने पश्चात मिली । क्या मंत्री महोदय को पता है कि मतदाता सूची में परिवर्तन नामांकन की तिथि के पश्चात इस बयाने से किया गया था कि चुनाव अधिकारी एक वार्ड में तो ऐसा कर सकता था किन्तु सारे चुनाव क्षेत्र में नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच है कि हमारे देश में चुनाव कानून की सामान्य पद्धति यह है कि किसी भी चुनाव में नामांकन पत्र दिये जाने के पश्चात उस चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूचियों में परिवर्तन नहीं किया जाता किंतु इस मामले में परिवर्तन किया गया था । किसी कानून का उल्लंघन करके ऐसा नहीं किया गया था, किंतु इसलिए कि ऐसी चीज को रोकने के लिये कानून में कोई उपबन्ध नहीं था । यही कारण है मुख्य चुनाव आयुक्त जिसकी निगरानी में चुनाव होते हैं इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सका । मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम इस कानून में परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि नामांकन के पश्चात मतदाता सूची में कोई परिवर्तन न किया जा सके ।

Shri Balraj Madhok : May I know whether it is a fact that according to the Representation of the People Act for a person to become a voter it is necessary that he should be resident of that Constituency for six months. That at the time of every bye-election the electoral rolls are revised, that the election law of Delhi Municipal Corporation is different from the Representation of the People Act and that they revised that according to that, that the aggrieved persons had appealed to the Election Commissioner, but the later up held the decision of the Municipal Corporation to receive the list ? If all these things are true, how the hon. Mintster can say that this was because of the faulty law ? If everything was done according to the law which exists, how can he say that the law is wrong ? He is making an insinuation against the law. Is he not encouraging those people who are creating trouble at his instigation ? I repeat that charge. He is supposed to represent the Country. He is interfering in local matters in such a way as is neither good for him nor does it do any credit to the Party he belongs to nor to the Goveanment.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*]

श्री विद्याचरण शुक्ल : एक विशिष्ट चुनाव क्षेत्र में निवास सम्बन्धी शर्त तथा अन्य शर्तें जो कानून में दी गई है वे सही हैं । उनका पालन करना पड़ता है । यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट चुनावक्षेत्र का निवासी नहीं पाया जाता है तो उसका नाम हटाना पड़ता है । किन्तु जहाँ तक संसदीय तथा विधान सभा के चुनाव क्षेत्रों से चुनाव का सम्बन्ध है, उनके नाम नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले ही हटाये जा सकते हैं । यह विशिष्ट उपबंध दिल्ली नगर निगम अधिनियम में नहीं है । यही कारण है कि नामांकन की तिथि के पश्चात भी कुछ नाम हटा दिये गये थे । मैंने यह नहीं कहा है कि कानून का उल्लंघन करके नाम हटाये गये हैं । मैंने यह कहा था कि वर्तमान कानून के उपबंधों के अनुसार नाम हटाये गये थे । भारत सरकार की राय में वर्तमान कानून दोषपूर्ण हैं और हम इस संसदीय तथा विधान सभाओं के चुनावों जैसा बनाना चाहते हैं । मैं नहीं जानता कि किस आधार पर ये बिलकुल गलत आरोप मुझ पर लगाये गये हैं । इससे तो मेरे प्रति उनके द्वेष का ही पता चलता है ।

श्री धीरेश्वर कलिता : दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं कि सामान्यतः मुसलमान और हरिजन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाये जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाये गये हैं उनके नाम क्या हैं और उनमें से कितने मुसलमान और कितने हरिजन हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं इसे प्राप्त करके सभा पटल पर रख दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Situation of Tibet in Book on International Law

*1745. **Shri Ranjit Singh :**
Shri Atal Behari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Snri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the book on 'International Law' prescribed for Post-graduate classes by the Jammu and Kashmir University, the situation of Tibet has been described in conformity with the Chinese views ;

(b) whether it is also a fact that the Indian borders have also been wrongly marked in the books published recently by the Education Department of the State ;

(c) if so, the names of persons responsible for this mistake and the action taken in this connection ; and

(d) the number of times such mistakes have been committed by the Education Department of the State ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The Jammu and Kashmir University has not prescribed and book for the paper on International Law. Certain books have, however, been recommended for study but according to the University authorities none of them contains any description of the situation of Tibet according to the Chinese point of view.

(b) and (d). During 1968, four publications, brought out by the Jammu and Kashmir State Education Department for use in schools, containing such references came to the notice of the Government of India. The matter was taken up with the State Government which withdrew the maps in these publication and issued instructions to ensure that similar mistakes did not recur.

(c) The position in this regard is being ascertained from the State Government.

आचार्य विनोबा भावे द्वारा बनाई गई शिक्षा योजना

*1746. **श्री प्रेम चंद वर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-कुलपतियों तथा प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों की हाल ही में स्थापित की गई तदर्थ समिति में सभी उप-कुलपतियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आचार्य विनोबा भावे द्वारा तैयार की गई योजना का इसके अर्थों तथा शिक्षा की वर्तमान पद्धति पर इसके प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) क्या सरकार समझती है कि किसी ऐसी योजना का सरकार की शिक्षा नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और क्या इसके फलस्वरूप शिक्षा के स्तर में सुधार होगा ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को बढ़ावा देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरकार को ऐसी किसी समिति की जानकारी नहीं है।

(ख), (ग) और (घ). सम्भवतः सदस्य का उल्लेख 'आचार्य कुल' से है। आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रतिपादित 'आचार्य कुल' शैक्षिक विचारधारा का एक दर्शन है जिसमें अध्यापकों को उनके अपने शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए मार्गदर्शक रूपरेखा सुझाई गई है जिससे अध्यापक वर्ग के सामान्य कल्याण में सहायता मिलेगी। इस दर्शन के गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

चंडीगढ़ के लिये योजना-नियतन

*1747. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंच वर्षीय योजना में चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को विकास कार्यों हेतु कितनी राशि नियत करने का विचार है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपने साधनों से कितनी राशि जुटाई जायेगी, और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुपात निर्धारित किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चण्डीगढ़ की चौथी योजना (1969-74) के लिए अस्थायी रूप से 7.50 करोड़ रुपये का व्यय अनुमोदित किया गया है।

(ख) चण्डीगढ़ का बिना विधान मण्डल का संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र का सम्पूर्ण व्यय भारत की संचित निधि से पूरा किया जाता है और उसका आन्तरिक राजस्व भी उसी निधि में जमा किया जाता है। अतः उस क्षेत्र द्वारा अपने साधनों से योजनागत स्कीमों पर किसी व्यय को पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Expansion of Education Amongst Minorities

*1748. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state the special arrangements made so far for the expansion of education amongst the minorities and the progress likely to made during the Fourth Plan period ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : **Information is being collected and will be placed on the Table of the House.**

दिल्ली लाल किले में 'प्रकाश तथा ध्वनि' (सों-ए-लुमियेर) कार्यक्रम का दर्शाना

*1749. **श्री समर गुह** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान लोक सभा के प्रथम सत्र में दिल्ली के लाल किले में प्रत्येक दिन दिखाये जाने वाले 'प्रकाश तथा ध्वनि' (सों-ए-लुमियर) कार्यक्रम के पाठ में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की रिकार्ड की गई वाणी, आजाद हिन्द सेना के गीतों और वन्देमातरम् तथा भारत के स्वतन्त्रता संग्राम से सम्बंधित कुछ अन्य बातों को शामिल करने के बारे में आश्वासन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो वचन दिये गये परिवर्तन अब तक न करने के क्या कारण हैं और इन वचनों को कब तक पूरा किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). 7-7-1967 को लोक सभा में एक बहस के दौरान, मैंने एक आश्वासन दिया था कि जब लाल-किले के 'ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन' (सों-ए-लुमियेर शो) की स्क्रिप्ट का पुनरीक्षण किया जायेगा तो इसमें नेताजी की आवाज की रिकार्डिंग, यदि वह उपलब्ध हो गयी, सम्मिलित कर दी जायेगी और साथ ही 'कदम कदम बढ़ाये जा' गीत भी सम्मिलित कर दिया जायेगा; और 'वन्दे मातरम्' गीत को उपयुक्त रूप से इस संदर्भ में सम्मिलित किया जा सका तो उसका भी प्रयत्न किया जायेगा। स्क्रिप्ट का इस समय पुनरीक्षण किया जा रहा है तथा इन बातों को दृष्टि में रखा जा रहा है।

पुलिस द्वारा गोली चलाना

*1750. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़** :
श्री एस० एम० जोशी
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री गणेश घोष :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री के० रमानी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1964 से देश में पुलिस ने लोगों पर कितनी बार गोली चलायी ;

(ख) इन में से प्रत्येक घटना में कितने व्यक्ति मरे, और कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(ग) इन पुलिस गोलीकाण्डों में से किन विशेष मामलों में न्यायिक जाँच करायी गई ;

(घ) पुलिस की गोली का शिकार होने वालों को कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ङ) क्या सरकार निहत्थे लोगों पर पुलिस द्वारा गोली न चलाये जाने के लिये एक आचार संहिता बनायेगी ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) तक : राज्य सरकारों से प्रेषित सूचना पर आधारित एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1207/69] पुलिस तथा सार्वजनिक व्यवस्था मूलरूप से राज्य सरकारों का काम है।

नई दिल्ली में यातायात अभियान

*1751. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली यातायात पुलिस दिसम्बर से मार्च तक यातायात उल्लंघनों के लिए ड्राइवरों के विरुद्ध प्रति वर्ष अपनी कार्यवाही तेज कर देती है और उन पर भारी जुर्माना करती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं, और इसके लिए क्या उपाय किये गये हैं कि ड्राइवरों को मामूली और छोटे-छोटे उल्लंघनों के कारण तंग न किया जाये और प्रशासन के लिये राजस्व एकत्र करने के हेतु उन पर अधिक जुर्माना न किया जाये ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). दिल्ली पुलिस यातायात विनियमों को लागू करने के लिए वर्षभर समय-समय पर विशेष अभियान चलाती है । जो व्यक्ति यातायात नियमों /विनियमों को उल्लंघन करने के दोषी पाये जाते हैं, उनके साथ विधि अनुकूल कार्यवाही की जाती है । न्यायालय द्वारा जुर्माने किये जाते हैं ।

विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग

*1752. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पदोन्नति तथा स्थायीकरण की विभागीय परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों और उत्तरों में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिये अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

Republic Day Awards

*1753. Shri Bibhuti Mishra :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri N. R. Laskar :
Shri K. P. Singk Dev :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration did not recommend any name this year from for the Republic Day Awards ;

(b) whether it is also a fact that the award from Delhi were selected by Government without prior consulation with the Delhi Administration ;

(c) whether it is further a fact that the Chief Executive Councillor of the Delhi Metropolitan Council has criticised the procedure being followed : regarding conferment of titles like Padma Bhushan, Padma Shri etc. on the occasion of Republic Day ; and

(d) if so, the details of his critism and the reaction of Govesnment thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir. The Lt. Governor and Chief Executive Councillor, Delhi had recommended a few names for the Republic Day Awards, 1969 and some of them have figured in the Awards list.

(b) Recommendations for the awards are received from different sources such as the State Governments, Union Territories and Ministries and Departments of the Government of India. They are all examined together and final selections are made. The question of consulting Delhi Administration or any authority which recommended the names, at that stage does dot arise.

(c) No communications has been received either from the Delhi Administration or the Chief Executive Councillor.

(d) Does not arise.

डाकुओं के पास हथियार

*1754. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसका पता लगाया गया है कि मध्य प्रदेश तथा आसपास के राज्यों में सक्रिय डाकुओं के पास पाये गये पाकिस्तानी तथा अमरीकी हथियार उन्हें कहां से मिले हैं ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) क्या हथियार मिलने वाले स्त्रोतों को बन्द करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में अभी तक किसी डाकू के पास पाकिस्तानी अथवा अमरिकी शस्त्र नहीं पाये गये हैं । जहां तक मध्य प्रदेश और राजस्थान का संबंध है अपेक्षित सूचना अभी प्रतीक्षित है और प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सीमाओं पर सुरक्षा-प्रबन्ध कड़े कर दिये गये हैं और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाती है ।

Linguistic Minorities in Andhra Pradesh and Punjab

*1755. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact Urdu has been given the status of a second official language in Andhra Pradesh, whereas the number of linguistic minorities supporting Urdu language in the State is not more thau 15 percent ;

(b) whether it is also a fact that the Constitutional rights of linguistic minorities in Punjab, who are 40 percent of the entire population, are being denied to them by erasing Hindi words and numerals etc. from milestones and name-boards of Government offices ; and

(c) if so, the reasons for discrimination between different communities in the Republic ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Andhra Pradesh Official Language Act, 1966 empowers the State Government to direct, by notification, the use of Urdu or any other language or languages in addition to Telugu

Language in such areas and for such official purpose of the State, as may be specified. Accordingly the use of Urdu, Oriya, Tamil, Kannada and Marathi, in addition to Telugu has been authorised for specified official purposes in certain areas.

(b) As Punjabi in Gurumukhi script has been adopted as the sole official languages of the Government of Punjab, the distance indications on mile-stones and the name boards on offices, which were previously in English, have been ordered to be replaced by Punjabi.

(c) Article 345 of the Constitution empowers the Legislature of a State to adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

Return of Awards conferred by President of India

*1756. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of persons who have returned the Awards conferred on them by the President of India since the 1st January, 1962 ; and

(b) the number of persons who returned the aforesaid Awards during 1969 and the reasons therefore ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Seven including one in 1969.

(b) One, Shri M. Chalapathi Rau, Editor, National Herald, returned the decoration of Padma Bhushan in February, 1969 on personal grounds.

विभिन्न पत्तनों पर यातायात को शीघ्र मोड़ने के लिये पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करना

1757. **श्री सीताराम केसरी :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्तनों पर जहाजों को शीघ्र मोड़ने के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या इन अपर्याप्त सुविधाओं के कारण हमारे निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न पत्तनों पर जहाजों के शीघ्र आने जाने की व्यवस्था करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद कार्य और नौवहन परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क), और (ग). जी, नहीं। यातायात के आवश्यकता के अनुसार क्रमिक पंच वर्षीय योजनाओं के आधीन जहाजों के शीघ्रतर विशमकाल के लिए विभिन्न बड़े पत्तनों पर उपलब्ध सुविधाओं में समय समय सुधार किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे पतनों पर सुविधाओं के अभाव में हमारे निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिर भी क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे जहाजों का आकार बढ़ रहा है और समुद्री पोत परिवहन के सम्बन्ध में दूसरे तकनीकी परिवर्तन हुए है हमारे बड़े पत्तनों पर सुविधाओं को और सुधार करने के लिए योजनाओं पर कार्य हो रहा है और इन विकासों को मध्य दृष्टि रखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ नई योजनाओं की व्यवस्था की गई है।

B. H. U. Enquiry Committee Report

*1758. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of the Banaras Hindu University Enquiry Committee ;

(b) if so, the main points and recommendations thereof ; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

इन्डियन एयरलाइन्स के डकोटा विमान की जयपुर में दुर्घटना

*1759. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**　　　　**श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स का एक डकोटा जिसे एक पर्यटक दल ने किराये पर लिया था, 18 फरवरी, 1969 को जयपुर हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये जांच की गई है ; और

(ग) उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप इन्डियन एयरलाइन्स को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। इन्डियन एयर-लाइंस का डकोटा विमान वी० टी० सी० जे० एच०, 18 फरवरी, 1969 को 26 पर्यटक यात्रियों और 4 कर्मीदल के सदस्यों सहित जयपुर से एक चार्टर उड़ान पर रवाना होते समय धावन-पथ से बाहर चला गया तथा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 3 कर्मीदल के सदस्यों तथा एक यात्री को मामूली चोटें आईं।

(ख) दुर्घटना की नागर विमानन विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) विमान का अवह्रासित मूल्य केवल 120.00 रुपया है।

पालम धावन पथ (रनवे) का विस्तार

*1760. **श्री रा० बरुआ :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में विवाद के कारण पालम धावन पथ के विस्तार का कार्य रुक गया है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विवाद को हल करने और काम को फिर से आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा उड्डन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) नागर विमानन विभाग को पालम के मुख्य धावन-पथ के विस्तार के लिए रक्षा मन्त्रालय की कुछ भूमि की आवश्यकता थी। भूमि के हस्तांतरण की शर्तों के तै हो जाने तक, इस कार्य का ठेका दे दिया गया। स्थानीय सेना अधिकारियों ने ठेकेदार द्वारा बनाये गये अस्थायी निर्माणों एवं प्रतिष्ठानों को अनधिकृत समझ कर उनके निर्माण पर आपत्ति उठाई। स्थिति का स्पष्टीकरण करने के तुरन्त बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिये गये, और निर्माण-कार्य पुन: आरम्भ कर दिया गया।

मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था के लिये अपर्याप्त धन राशि

1761. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश का नया राज्य, जो चार विभिन्न प्रदेशों को विलय करके बनाया गया है, देश में संचार के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संचार व्यवस्था में लगातार सुधार करने का प्रयास करने के बावजूद भी, गत तीसरी पंच-वर्षीय योजना में अपर्याप्त धनराशि की व्यवस्था होने के कारण पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके लिये धनराशि की और व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जहाँ तक सड़कों का सम्बन्ध है, भारत मूल सड़क आंकड़े 1967 के अनुसार ऐसी स्थिति नहीं है।

(ख) नवम्बर, 1956 में नया मध्य प्रदेश राज्य बनने के बाद 31 मार्च, 1957 में 32,767 किलोमीटर से बढ़कर 31 मार्च, 1967 में 64,932 किलोमीटर मील दूरी हो गयी, मील दूरी 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में केरल के मुख्य मन्त्री द्वारा व्यक्त मत

1762. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के मुख्य मन्त्री श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद, ने हाल ही में, यह मत व्यक्त किया है कि एक अकेले दल द्वारा चलाई जाने वाली केन्द्रीय सरकार की बहु-दलीय व्यवस्था के अन्दर राज्यपाल नियुक्त करने की प्रथा पर पुन: विचार तथा परिवर्तन करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार केरल के मुख्य मन्त्री ने 27 फरवरी को अपने प्रैस वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मन्त्री से इस प्रश्न पर विचार करने का अनुरोध किया था कि क्या नये राजनैतिक ढांचे में राज्यपालों की नियुक्ति के तरीके का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं है ।

(ख) सरकार राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वर्तमान संवैधानिक उपबन्धों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती है ।

नया साम्यवादी दल

*1763. **श्री बेणी शंकर शर्मा** :   **श्री रामावतार शर्मा** :
श्री बलराज मधोक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्यवादी क्रांतिकारियों की, जिनमें नक्सलवादी तथा विभिन्न राज्यों के अन्य उग्रवादी तत्व शामिल हैं, एक अखिल भारतीय समन्वय समिति ने हाल ही में हुए एक गुप्त सम्मेलन में एक नया साम्ययादी दल बनाने का निर्णय किया है, जो प्रारम्भ से ही एक गुप्त दल होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिकिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार साम्यवादी क्रान्तिकारियों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक 8 फरवरी, 1969 को हुई और एक नया साम्यवादी दल बनाने का निश्चय किया ।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार उन उग्रवादियों की गतिविधियों की विवक्षा से पूर्णतः अवगत है जो सशस्त्र विद्रोह के सिद्धान्त पर आधारित एक नये दल के गठन से एक नई स्थिति पर पहुँच गई है । उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए की जानी वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में संसद में राजनीतिक दल क नेताओं के साथ विचार विमर्श किये जा रहे हैं ।

दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का पुनर्गठन

*1764. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय (बिहार) को आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में, जिसका वर्तमान संस्कृत विश्वविद्यालय अंग बना रहेगा, पुनर्गठित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या पुनर्गठित विश्वविद्यालय के लिए दो करोड़ रुपये की लागत की एक इमारत और एक पुस्तकालय की कथित पेशकश के सम्बन्ध में दरभंगा राज से बातचीत की गई है; और

(ग) क्या पेशकश स्वीकार करने और पुनर्गठित विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट के बारे में अभी राज्य सरकार की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में दरभंगा राज से सम्पर्क नहीं किया है। परन्तु राज्य सरकार से ऐसा पता चला है कि शिक्षा मंत्री, बिहार और दरभंगा राज के निष्पादक के बीच पत्र-व्यवहार हुआ है, जिसमें निष्पादक ने दरभंगा में एक नये मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक भवन और पुस्तकालय भेंट स्वरूप देने की पेशकश की है, बशर्ते कि कलकत्ता उच्च न्यायालय अपनी सहमति दे दे जैसा कि न्यास द्वारा अपेक्षित है।

पुनर्गठित मिथिला/दरभंगा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लक्कदीव द्वीपों में अज्ञात राष्ट्रीय वाले व्यक्तियों का बसना

*1765. श्री भारत सिंह चौहान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्कदीव द्वीपों में अज्ञात राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति बसते जा रहे हैं और यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है;

(ख) क्या पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि ये द्वीप उसके हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की भर्ती

*1766. श्री श्रद्धाकार सूपकार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में काम करने वाले उन भारतीयों की संख्या कितनी है जो 500 रुपये मासिक से अधिक उपलब्धियों वाले पदों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1967 और 1968 में भर्ती किये गये हैं ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए विदेशों में कितनी इन्टरव्यू की गई हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1967 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चार उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, किन्तु इनमें से किसी ने भी उन पदों का कार्यभार नहीं सम्भाला जिनके लिए उन्हें नियुक्ति पत्र भेजे गये थे।

(ख) 1967 में कोई इन्टरव्यू नहीं लिया गया। जिन उम्मीदवारों को 1967 में नियुक्त किया गया था, उनका चयन 1964-65 में विदेश में इन्टरव्यू की योजना के अधीन विदेश के 15 केन्द्रों में लिये गये इन्टरव्यू के आधार पर किया गया था।

1968 में, वास्तव में, किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की गई। तथापि, नवम्बर, दिसम्बर, 1968 तक जनवरी, 1969 के दौरान दो केन्द्रों पर इन्टरव्यू लिये गये तथा उम्मीदवारों में से 26 की अब तक विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है।

Translation of Forms, Manuals Etc. in Hindi by Various Ministries

*1767. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several forms, manuals etc, of the various Ministries of the Government of India have not been translated into Hindi as yet ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether this work is proposed to be attended to on a priority basis ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The codes, manuals and forms are sent by the various Ministries and Departments of the Government of India not in one lot but in different batches from time to time. The translation work is undertaken in accordance with the priorities fixed in consulation with the Departments concerned and every effort is made to adhere to the agreed time-schedule, subject to the limitations of the translating capacity of the Central Hindi Directorate, which handles this work. Some arrears are inevitable in the process.

(c) Yes, Sir. In order to expedite the translation work, it has been decided to farm out the work of non-secret nature to outside agencies on payment of agreed rates.

Parliament Session in the South

*1768. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 484 on the 20th February, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that the Committee has since submitted its report to Government regarding the proposal of holding a Session annually in the South ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) Government's decision thereon ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Yes Sir.

(b) A copy of the Report of the Committee of Members of Parliament Session in the South has been laid on the Table of the House on the 14th May, 1969.

(c) The Report is under consideration of the Government.

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु

*1769. **श्री पन्नालाल बारूपाल :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षाओं के लिये अधिकतम आयु को 24 से बढ़ाकर 30 वर्ष करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आयोग ने सुझाव दिया है कि गैर-तकनीकी उच्चतर सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 26 वर्ष कर दी जाये ।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिये पाठ्य पुस्तकें

*1770. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की पाठ्य पुस्तकों में सही राष्ट्रीय चरित्र प्रस्तुत नहीं किया जाता और ये पाठ्य पुस्तकें विदेशों में अंग्रेजी पुस्तकों का ही प्रतिरूप होती हैं और इनसे छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में सहायता नहीं मिलती;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये प्रकाशन उन व्यक्तियों द्वारा तैयार किये जाते हैं जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होते और जिनके ज्ञान में अनेक प्रकार की कमियाँ और दोष होते हैं; और

(ग) क्या बच्चों के लिये उत्तम पुस्तकों के प्रकाशन हेतु राज्य सरकारों को अपेक्षित तकनीकी परामर्श देने के लिये एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). उत्तर आमतौर पर नकारात्मक है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद के पास विभिन्न विषयों में स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए आदर्श पाठ्य पुस्तकों की तैयारी की एक योजना है और ये पुस्तकें राज्यों को उनके द्वारा स्थानीय परिस्थितियां तथा आवश्यकताओं के अनुसार अपनाये जाने के लिए दी जायेंगी ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

1771. **श्री मधु लिमये** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के 4200 कर्मचारियों में से 1500 से अधिक कर्मचारियों को, उनके द्वारा लिये गये ऋण की राशि की कटौती करने के बाद वेतन वाले दिन कुछ भी नहीं मिलता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी क्षय रोग से पीड़ित हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की किस प्रकार सहायता करने का विचार है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) :

विवरण

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में दिहाड़ी मजदूर जिनको जनवरी फरवरी और मार्च 1969 में मजदूरी नहीं मिली उनकी संख्या क्रम से 679, 589 और 711 है। उनको मजदूरी न मिलने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) अनुपस्थिति या बिना मजदूरी की छूट्टी;

(2) उपभोक्ता सहकारी गोदाम जो राशन और गैर राशन और गैर राशन वस्तुओं की पूर्ति करता है उसकी देयता की ओर और मजदूरों को ऋण देने वाली सहकारी साख सोसाइटी के देयता की ओर अधिकृत कटौतियां।

(3) मजदूरों के जीवन निर्वाह निधि से लिये ऋण की ओर कटौतियां

(4) जब प्रबन्धक मकान देते हैं तो ऐसे मकानों के किराया की कटौतियां

(5) जीवन निर्वाह निधि में अंशदान

(6) त्योहार ऋण

(7) जलपान गृह का ऋण

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

डकैती उन्मूलन कार्यक्रम

9834. **श्री बाबूराव पटेल :**　　**श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :　　**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने तीनों राज्यों में डकैती के उन्मूलन के लिये समन्वित योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन तीन राज्य सरकारों ने केन्द्र से कोई सहायता मांगी है;

(ग) क्या उनको कर्मचारियों और सामग्री के रूप में सहायता देने का निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो दी जाने वाली सहायता का ब्योरा क्या है और वह सहायता कब दिये जाने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि डकैती के उन्मूलन के लिये तीनों राज्यों की कोई समन्वित योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, 10 जनवरी, 1969 को आगरा में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और

मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक हुई थी जिसमें उन क्षेत्र में पुलिस द्वारा समन्वित नियन्त्रण रखे जा सकने के लिए रेडियो संचार इत्यादि को सुधारने जैसे कुछ उपायों का निर्णय किया गया था। उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों से सूचना प्रतीक्षित है।

(ग) और (घ). सरकार मामले पर अभी गौर कर रही है।

विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

9835. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में उच्च अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों के अलावा कितने व्यक्तियों के लिये सुरक्षा प्रबन्ध किये गये हैं;

(ख) इस व्यवस्था पर सरकार का प्रति वर्ष कितना वास्तविक व्यय आता है; और

(ग) उन तीस सबसे उच्च विशिष्ट व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो इस सुरक्षा के अन्तर्गत आते हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). इस समय ऐसे आठ व्यक्तियों के लिए सरकार के कहने या अनुमति से सुरक्षा के प्रबन्ध किये गये हैं। विशिष्ट व्यक्तियों तथा उच्च अधिकारियों की सुरक्षा के प्रबन्ध सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किये जाते हैं। अन्य व्यक्तियों के लिए भी सुरक्षा के प्रबन्ध जब सुरक्षा के विषय से सम्बन्धित उन अधिकारियों के विनिश्चय में आवश्यक समझा जाता है, किये जाते हैं। अधिकांश मामलों में सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबन्ध जहां तक व्यवहारिक ही पुलिस की सामान्य रक्षित व्यवस्था से किये जाते हैं और इन मामलों में कोई अतिरिक्त व्यय लगभग नहीं होता।

(ग) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा विशिष्ट अतिथियों के लिए केन्द्रीय सरकार निर्देश निर्धारित हैं।

रांची विश्वविद्यालय को केन्द्रीय अनुदान

9836. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची विश्वविद्यालय को उसकी स्थापना से अब तक वर्षवार कितनी राशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में दी गई है;

(ख) इसमें श्रम तथा समाज कल्याण विभाग स्थापित करने के लिए अब तक कितनी राशि का उपयोग हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि किसी भी अध्यापन विभाग की अनुपस्थिति में, यह सर्वविदित है कि इच्छुक परीक्षार्थी इस विश्वविद्यालय के श्रम तथा समाज सेवा की स्नातकोत्तर डिग्री विश्वविद्यालय के भीतर कार्य कर रहे गिरोह द्वारा तृतीय श्रेणी के लिये 500 रुपये द्वितीय श्रेणी के लिये 800 रुपये से 1000 रुपये और प्रथम श्रेणी के लिए 2000 रुपये देकर प्राप्त कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क)

वर्ष	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया गया अनुदान	शिक्षा मंत्रालय
	रुपये	रुपये
1960-61	5,600.00	—
1961-62	1,07,729.50	—
1962-63	4,37,993.63	—
1963-64	5,22,039.74	—
1964-65	5,61,479.01	46,310
1965-66	4,65,220.96	—
1966-67	9,28,217.47	—
1967-68	2,29,432.90	50,000
1968-69	8,४4,945.57	50,000

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उपर्युक्त स्वीकृत अनुदानों में से कोई भी अनुदान श्रम तथा समाज कल्याण विभाग की स्थापना के लिए नहीं दिया गया था।

(ग) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ;

(घ) यदि विशेष उदाहरण उपलब्ध कराये गये तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों से उनकी जांच करने की प्रार्थना की जायेगी।

नई दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जांच

9837. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:** क्या गृह-कार्य मंत्री नई दिल्ली के एक मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध जांच के बारे में 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उस मैजिस्ट्रट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिसने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के मामले में जेल की श्रेणी 'बी' क्लास को 'ए' में बदल दिया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार ने दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है। इसका मुख्य निष्कर्ष

था कि न्यायिक कार्यवाहियां पूरी हो जाने के पश्चात मंत्रियों और उनके साथियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है ।

(ग) मंत्रियों तथा विधान सभा सदस्यों को श्रेणी "बी" देने वाले वारंट मजिस्ट्रेट के कर्मचारीवृन्द द्वारा तैयार किये गये थे, किन्तु मजिस्ट्रेट ने माननीय मंत्रियों तथा विधान मंडल के सदस्यों को श्रेणी "ए" देने का आदेश दिया । इसलिए वारंट श्रेणी "बी" से श्रेणी "ए" में बदल दिये गये । इन परिस्थियों में मजिस्ट्रेट के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली के एक मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध आरोप

9838. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कोई पत्र या शिकायत मिली है जिसमें नई दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और जिसकी प्रतियां केन्द्रीय जांच विभाग तथा संसद् सदस्यों को भी भेजी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 1-5-1969 को एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया था कि नई दिल्ली के एक मैजिस्ट्रेट को एक न्यायिक मामले के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के लिए रिश्वत दी गई तथा उसका आतिथ्य-सत्कार किया गया । इसमें कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है, क्योंकि बिना साक्ष्य के आरोपों की सत्यनिष्ठा स्थापित नहीं की जा सकती है ।

युगोस्लाविया के एक शिपयार्ड में बना टैंकर

9839. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया में भारत के लिये बनाया गया टैंकर इस बीच समुद्र में उतार दिया गया है ; और

(ख) इस टैंकर को बनाने वाले शिप-बिल्डर्स का नाम क्या है और उसके लिये कितना मूल्य दिया गया है ?

संसद-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां । शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा आदेश दिया गया 88,000 डी०डब्लू०टी० के एम०टी० "जवाहरलाल नेहरू" तेल पोत को 29 मार्च, 1969 को मैडम ब्रोज टीटो द्वारा स्प्लिट युगोस्लाविया में जलावतरण किया गया ।

(ख) शिपयार्ड ब्रोडो ग्राडि लिस्टे, स्प्लिट, युगोस्लाविया तेल पोत का मूल्य 654 लाख रुपये है ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की समीक्षा समिति

9840. श्री पी० एन्थनी रेड्डी : श्रीमती बी० राधाबाई :
श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की समीक्षा समिति ने यह टिप्पणी की है कि (1) कुछ विभागों में कुछ व्यक्तियों की विषय वस्तु सम्बन्धी योग्यता निम्न स्तर की है (2) कुछ विभागों में उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की कमी है (3) कुछ विभागों में प्राथमिक क्रम निर्धारक उपलब्ध नहीं है ;

(ख) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने समीक्षा समिति को जो आंकड़े दिये हैं वे किस निष्कर्ष पर निकाले गये हैं ; और

(ग) समिति के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) पुनरीक्षण समिति ने कुछ विभागों के मौजूदा स्टाफ में कुछ अनुरूपताओं की ओर संकेत करने के लिए ये टीका टिप्पणियां की हैं । ये आलोचनाएं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा समिति को भेजी गई स्टाफ सम्बन्धी सूचना पर स्पष्ट रूप से आधारित हैं ।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०ई०आर०टी०), जहां तक व्यवहार्य हैं, सम्बन्धित विभागों के कर्मचारी-वर्ग में सुधार करेंगी ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की समीक्षा समिति

9841. श्री पी० एन्थनी रेड्डी : श्रीमती बी० राधाबाई :
श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की समीक्षा समिति ने टिप्पणी की है कि (1) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसंधान कार्य होते हुए भी अब तक इसे उचित प्राथमिकता नहीं दी गई है और (2) शिक्षा के प्रादेशिक कालेजों को एक अच्छी मार्गदर्शी प्रायोजना नहीं समझा जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद को सुचारू रूप से चलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) समीक्षा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) समीक्षा समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को कारगर ढंग से स्थापित हुए चूंकि केवल पांच वर्ष हुए हैं, इसलिए यह अवधि इसके अनुसंधान सम्बन्धी

कार्यकलापों के फलीभूत होने के लिए काफी नहीं है, किन्तु इसकी निहित संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय परिषद को अपने समग्र कार्यक्रम में अनुसंधान कार्य की महत्ता पर जोर देना चाहिए।

प्रादेशिक कालेजों के बारे में, समीक्षा समिति ने कालेजों द्वारा चार साला विषय-वस्तु तथा रीतिविधान पाठ्क्रमों को चलाने की सिफारिश नहीं की है, क्योंकि वे खर्चीले होते हैं और उनको अन्य प्रशिक्षरण कालेजों में लागू नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग). समीक्षा समिति की मुख्य सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के निर्णयों की व्याख्या लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5995 दिनांक 11 अप्रैल, 1969 के उत्तर में की गई थी और निर्णयों को कार्यान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

9842. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी :** **श्रीमती बी० राधाबाई :**
श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि परिषद के कम आय वाले कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिल सका है।

(घ) क्या यह भी सच है कि नीची श्रेणियों के कर्मचारियों ने अपने मामले का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(ङ) नीची श्रेणियों के कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में मकान किराया भत्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर दिया जाता है। किन्तु, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के विभिन्न विभाग हौज-खास ग्रीन-पार्क प्रांगण में चले गये हैं, जहां परिषद के अपने कोई मकान नहीं हैं, परिषद उक्त क्षेत्र में प्राईवेट मकानों को किराये पर ले रही है और सम्पदा निदेशालय द्वारा निर्धारित मकानों के अनुसार उनको अपने कर्मचारियों को आवंटित कर रही है तथा उनके वेतन से 10 प्रतिशत किराया काट रही है। उक्त क्षेत्र में प्राइवेट मकानों को किराये पर लेने की अधिकतम सीमा, राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा कर्मचारियों के वेतन का 35 प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है।

(ग) कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, इस सुविधा से वंचित नहीं रखा गया है, किन्तु हौज खास—ग्रीन पार्क क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए, निर्धारित मानकों के अनुसार, उपयुक्त प्राइवेट मकान उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) मामला, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा रिकार्डों को जलाना

9843. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी : श्रीमती बी० राधाबाई :**

श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने शैक्षणिक अधिकारियों को जानकारी दिये बिना, जो कि उन कार्यों से सम्बन्धित थे, कुछ रिकार्ड और प्रतिवेदनों को जला दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख) सामन्यतः प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार, संबद्ध विभागाध्यक्षों के प्राधिकार से केवल अवांछित अभिलेख और रिपोर्टें समाप्त की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मंगलौर पत्तन परियोजना द्वारा निर्मित लघुतलकर्षक

9844. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलौर पत्तन परियोजना के अधिकारियों ने लगभग 3 लाख रु० के मूल्य का एक लघु तलकर्षक निर्मित किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक आयातित तलकर्षक लगभग 12 लाख रु० का पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में तलकर्षकों का निर्माण करने और इसका आयात बन्द करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मंगलौर हार्बर प्रोजेक्ट ने 6,12,000 रुपये की लागत का एक छोटा निकर्षक बनाया है ।

(ख) ऐसी तुलना करना संभव नहीं है ।

(ग) देशी जहाज निर्माण फर्म कुछ निकर्षक पहले ही बना चुकी है और कुछ के लिए आदेश दिया है ।

बेरी आयोग का प्रतिवेदन

9845. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि क्या राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अथवा अन्य समिति ने राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश को लिखित अथवा मौखिक यह आश्वासन दिया है कि बेरी आयोग के प्रतिवेदन को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जायेगा ; और

(ख) राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश से इसकी पुष्टि करने के लिये अब तक सम्पर्क न स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार रिकार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे प्रकट हो कि सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को ऐसा कोई वचन दिया था और न कोई ऐसा वचन मांगा ही गया था।

(ख) राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है।

परीक्षा सुधार आन्दोलन में व्यय

9846. **श्री पी० एंथनी रेड्डी :** **श्रीमती बी० राधाबाई :**
श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने राज्यवार कर्मशालाएं चलाने के लिये "परीक्षा सुधार आंदोलन में" कितना धन व्यय किया है ;

(ख) कितने राज्यों ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की सहायता से पेपर सैटर्स के लिए कर्मशालाएं चलाई हैं ;

(ग) किन राज्यों ने स्कूलों के लिये प्रतिमान प्रश्न पत्रों को परिचालित किया है ; और

(घ) किन राज्यों ने प्रश्न पत्रों में प्रस्तावित परिवर्तनों को लागू करने के लिये दिनांकों की घोषणा की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) परीक्षा सुधार के लिए कर्मशालाएं 1958 में, परियोजना के प्रारंभ से ही चलाई जा चुकी हैं, और इन सब वर्षों के खर्च का ब्योरा तुरन्त तैयार नहीं किया जा सकता। 1968-69 के दौरान इन कर्मशालाओं पर किये गये खर्च का राज्यवार ब्योरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ). जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०1028/69]

Incentives for Study of Various Indian Languages

9847. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to start a programme under which incentives would be given for the study of various Indian languages and a compaign would be launched for **the study of these languages ;**

(b) if so, the action taken so far in this direction ;

(c) whether incentives would be given to Hindi-writers for writing articles, books etc. in languages other than Hindi and also for having them published, under the aforesaid programme ; and

(d) if so, the details in regard thereto and the nature and number of awards proposed to be given thereunder ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d).

STATEMENT

1. Government has already a scheme for financially assisting voluntary organisations towards their expenditure on approved items for teaching of Indian languages other than Hindi in areas where these are not the official or State languages. Government has also a scheme to financially assist voluntary organisations for teaching of Hindi in areas where Hindi is not the regional language. Government attaches importance to these schemes and have made it known that they would encourage voluntary organisations to take up teaching of the languages in right earnest.

2. The Ministry of Education and Youth Services has under consideration a proposal for awarding prizes to scholars of Hindi states for writing books in regional languages other than Hindi. The details are yet to be finalised.

अमेरिका की केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसी द्वारा पी० आर० एस० आई० और फ्री न्युज एंड फीचर सर्विस को वित्तीय सहायता देना

9848. **श्री जुगल मंडल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमेरिका की केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसी ने दो नये संगठनों तथा (1) राजनीतिक सूचनाएं करने के लिये ए ! 9ए, ग्रीनपार्क. नई दिल्ली स्थित पी० आर० एस० आई० और (2) 50 जोरबाग, नई दिल्ली स्थित "फ्री न्यूज एण्ड फीचर सर्विस" को वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन दो संगठनों में विभिन्न छद्म नामों से कार्य कर रहे व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि स्वार्थ निहित ब्रिटिश तथा अमेरिकन व्यक्ति पहले संगठन को तथा कोरिया, वियतनाम, तेवान और इसरायल दूसरे संगठन को वित्तीय सहायता दे रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) ; (क) और (ग). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लड़कियों की शिक्षा पर अपव्यय

9849. **श्री अदिचन : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष के 16 अप्रैल, 1969 को एक प्रेस सम्मेलन में दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर कम से कम अपव्यय करने के लिये विभिन्न उपाय करने की सिफारिश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् ने, लड़कियों की शिक्षा, विशेषतः प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समस्याओं पर, 15 16 अप्रैल 1969 को हुई अपनी ग्यारहवीं बैठक में विचार विमर्श किया।

(ख) अध्यक्ष से बैठक के कार्य वृत्त की प्राधिकृत प्रति के प्राप्त होते ही उन सिफारिशों पर ध्यान दिया जायेगा।

दिल्ली के न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

9850. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में दिल्ली के न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 6 (2) की धाराएं 217, 218 और219 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कितनी शिकायतें थीं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1968 में दिल्ली में न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) उनमें से कोई शिकायत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 217, 218 तथा 219 के साथ पठित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5 (2) के अन्तर्गत नहीं थीं।

(ग) प्रारम्भिक जांच के पश्चात् यह पाया गया कि शिकायतें गुमनाम थीं और इसलिए उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

शंकराचार्य के बारे में टिप्पणियां

9851. **श्री ओंकार सिंह** : **श्री शारदानन्द**
श्री जि०ब० सिंह : **श्री कंवर लाल गुप्त** :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 दिसम्बर, 1968 को तारांकित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में शंकराचार्य के बारे में लोक-सभा में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के विरुद्ध सरकार को कुछ विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के पास कितने विरोध-पत्र आये हैं और इन विरोध-पत्रों में क्या लिखा है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार को शंकराचार्य के बारे में लोक सभा में गृह मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों के विरुद्ध भिन्न भिन्न व्यक्तियों तथा संगठनों से विरोध प्रकट करने वाले अनेक पत्र और तार प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरकार के विचार में सदन में पहले ही बताये गये दृष्टिकोण में संशोधन करने का कोई कारण नहीं है ।

National Emblem of India

9852. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Singh :
Shri Ram Swarup Vidyarathi :
Shri Ranjit Singh :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Kao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Emblem containing three lions and chakra prescribed by Government is the National Emblem of India ;

(b) if so, whether Government are aware that the Madhya Pradesh High Court, while deciding upon an election appeal, have not admitted that this three lion State emblem is our National Emblem ;

(c) whether it is also a fact that Government have not put the word 'National' before the word 'Emblem' as required in Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 (Act XII of 1950) ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) the reaction of Government on the judgement of the Madhya Pradesh High Court ?

The Deputy Minister in the Minister of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (e). The emblem containing the three lions and dharamchakra has been adopted as the State Emblem and Seal of the Government of India. It has not been declared as a National Emblem of India under any law or by any order. There is no requirement in the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 (Act XII of 1950) to put the word 'National' before the word 'Emblem'.

Appointment of Commissions to Solve Problems of Education System

9853. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Commissions appointed by Govrrnment so far to solve the problems of education system and related matters ;

(b) the main recommendations of the Commissions and the recommendations out of them Which have been implemented ; and

(c) the time by which the remaining recommendations are likely to be implemented ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The Government of India has appointed six Education Commissions since 1882 :

(1) The Indian Education Commission, 1882 ;

(2) The Universities Commission, 1902 ;

(3) The Calcutta University Commission, 1917-19 ;

(4) The University Education Commission, 1948-49 ;

(5) The Secondary Education Commission, 1952 ;

(6) The Education Commission, 1964-66.

(b) The recommendations made by these Commissions number a few thousands. But the recommendations of the Education Commission (1964-66) include almost all the main

recommendations of the earlier Commissions which have not been implemented so far or have not become obsolete. These may. therefore, be taken has superseding those of the earlier Commissions. The report of the Education Commission 1964-66 has already been laid on the Table of the House.

(c) It is not possible to indicate the time required to implement these recommendations, as it depends upon the availability of resources, the action taken by State Governments, the response shown by the people concerned and other relevant factors.

लक्कदीव में करानियों को छुट्टी

9854. **श्री प० मु० सईद** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1969 की अवधि में लक्कदीव में कितने करानियों ने छुट्टी के लिए आवेदन-पत्र दिये और क्या ऐसा भी कोई मामला हुआ है जिसमें न तो छुट्टी मंजूर की गई और न ही अस्वीकार की गई हो ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या लक्कदीव के अमीनदीव समूह में ऐसा कोई करान है जिसमें 1967-68 और 1969 में अब तक त्यागपत्र दिया है ;

(घ) क्या अभी तक अनिर्णीत ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). 1967 से 1969 की अवधि में तीन करानियों ने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दिये थे । एक अवस्था में आरम्भ में छुट्टी आवश्यक डाक्टरी सर्टीफिकेट प्रस्तुत न करने के कारण नामंजूर कर दी गई । किन्तु बाद में अनुपस्थिति की अवधि की छुट्टी के रूप में नियमित कर दिया । वह विशिष्ट करानी अपनी ड्यूटी से समय-समय पर अनुपस्थिति रहा, कभी छुट्टी की उचित स्वीकृति से और कभी अनधिकृत रूप से । जहाँ तक सम्भव हुआ उसके मामले में अनधिकृत अनुपस्थिति को छुट्टी के रूप में नियमित किया गया । तत्पश्चात जब कि वह फिर छुट्टी पर था उसने 6-6-68 से नौकरी से अपना त्याग पत्र दे दिया । किन्तु त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि उससे कुछ सरकारी देय रकमें वसूल करनी थी । उससे देय रकमें वसूल करने के लिए कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है, उसके पश्चात् उसका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया जायगा ।

Pay Scales of Personal Staff Attached to Ministers

9855. **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 5221 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the scales prescribed in regard to the personal staff of Ministers and the Ministers of State ;

(b) the date from which the said scales have been introduced ;

(c) the number of posts sanctioned during the last one year as an exception to the scale ; and

(d) the names of Ministries in which such posts were sanctioned ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement showing the normal entitlement of Ministers and Ministers of State in respect of their Personal Staff is attached Statement I. [*Placed in Library. See* No. LT/1029/69].

(b) 16-5-1957.

(c) and (d). The information as available in regard to the personal staff in excess of the prescribed scale is given in the attached Statement II. [*Placed in Library. See* No. LT/1029/69].

Ayodhya Temple

9856. **Kumari Kamla Kumari :** **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Swarup Vidyrathi :**

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5268 on the 20th December 1968 and state :

(a) whether the fifth and garbage have since been removed from in front of the ancient Temple of Ayodhya ; and

(b) the measures adopted to keep the ancient temples neat and clean in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). The fifth and garbage accumulated in front of the ancient temples had been removed, but as this is a continuous process, this problem can be solved permanently only when the work of raising the low lying portion and laying under ground sewer lines is completed. A revised estimate to cover the increased cost of these works, received recently from the State Government, is under consideration of the Government of India.

Development of Prominent Places in Ayodhya City

9857. **Kumari Kamala Kumari :** **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Swarup Vidvarthi :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop the prominent places in Ayodhya City as places of tourist interest ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). In view of the limited resources for tourism in the Fourth Plan, it is not possible for the Central Government to take up the development of Ayodhaya City as a tourist centre.

Pak Nationals

9858. **Kumari Kamala Kumari :** **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri B. K. Das Chowdhary :** **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Bharat Singh Chavhan :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Pakistani Nationals residing in various States and Union territories in the country at present ;

(b) their number, State-wise ;

(c) the number of those Pakistani nationals whose time-limit for stay in India has expired ; and

(d) the nature of action taken by Government to send them back to Pakistan during the past six months and the number of such persons as have been sent back ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). A statement giving the information as on 28th February, 1969, in respect of Pakistani nationals excluding infiltrators, residing in various States and Union territories, other than the States of Kerala, Rajasthan, West Bengal, Tripura and Nagaland, is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT/1210/69].

Information in respect of Pakistani nationals in the States of Kerala, Rajasthan, West Bengal, Tripura and Nagaland is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Joint Consultative Machinery in Ministry of Education

9859. **Kumari Kamala Kumari :** **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the composition of the Joint Consultative Machinery and Compulsory Arbitration Machinery set up in his Ministry and the names of Chairmen, members and other office-bearers of these bodies ;

(b) the number of sittings of these bodies held so far and the decisions taken in these sittings ; and

(c) if no sitting has been held so far, the reasons therefore and whether any sitting is proposed to be held in the near future ?

The Minister of Education and Youth Servicces (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT/1211/69].

(c) Does no. arise.

Promotion of Personnel in the C. S. T. T.

*9860. **Shri Ranjit Singh :** **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Suraj Bhan :** **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Scientific and Technical Terminology Commission first promoted some persons and sought the approval of the U. P. S. C. later ;

(b) whether the approval of the U. P. S. C. would be sought for promoting the persons working in the Hindi Department also ; and

(c) the details of the recommendations of the "Inspection Team" of the Ministry of Finance regarding the Terminology Commission and the action taken thereon ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The Commission for Scientific and Technical Terminology promoted 9 Research Assistants from among the eligible Technical Assistants purely on an *ad-hoc* basis and sent necessary intimation to this effect to the U. P. S. C., as required under the rules.

(b) There is no separate Hindi Department in the Commission for Scientific and Technical Terminology.

(c) Presumably the Member is referring to the report of Staff Inspection Unit. A statement showing the recommendations made by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance and the action taken thereon is attached. [*Placed in Library. See* No. LT/1212/69].

Christian Population

9861. **Shri Ranjit Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the population of Christians in Hill areas of Assam including Nagaland and Mizo District and in Bihar, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan in 1947 and 1967, separately ;

(b) whether it is a fact that the Christian population has increased by 16 per cent in Bihar, by 67 per cent in Assam and other Hill areas, by 100 per cent in Rajasthan, more than 107 per cent in Madhya Pradesh during 1951-61 ;

(c) if so, whether Government have found out or would find out the causes of this extraordinary increase ; and

(d) the percentage increase or decrease in population of these States during the aforesaid period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (d). As the Censuses are taken decennially, desired figures for 1947 and 1967 are not available. However, the requisite information, on the total population and that relating to the Christians according to the 1951 and 1961 Censuses, in the desired areas, are given in the attached statement. [*Placed in Library. See* No. LT/1213/69].

(c) No such study has been made nor one is contemplated.

विदेशों को भेजी गई भारतीय लड़कियां

9862. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सूरज भान :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृजभूषण लाल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और इसके आसपास के क्षेत्रों मे भारतीय लड़कियों को नौकरानियों के रूप में रोजगार देने के बहाने विदेशों को भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस गैर कानूनी व्यवसाय के रूप में गत तीन वर्षों में कितनी लड़कियां विदेशों को भेजी गई हैं और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसे समाचार मिले हैं ;

(घ) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सभी राज्य सरकारों (आसाम और महाराष्ट्र सरकार को छोड़कर) और संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है

कि उनके ध्यान में भारतीय लड़कियों को नौकरानियों के रूप में रोजगार देने के बहाने विदेशों को भेजे जाने की कोई घटना नहीं आई है। आसाम और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से सूचना जब प्राप्त होगी, सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शिवाजी को तलवार

9863. **श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री क० लकप्पा :**
श्री काशीनाथ पाण्डेय : श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री 13 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 721 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिवाजी की तलवार का पता लगाने में भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को कहां तक सफलता मिली है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में किन-किन सरकारों अथवा लोगों से बातचीत की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) शिवाजी की तलवार का अता-पता मालूम करना सम्भव नहीं हो सका है।

(ख) ब्रिटिश संग्रहालय लन्दन और महाराष्ट्र सरकार से इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया गया था।

Indian Police Service

9864. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that the Indian Police lags behind in the sprit of service as compared to the Police of countries like England, etc ;

(b) whether it is due to the fact that the training is given to them on the pattern set up during the British regime ;

(c) if so, whether Government propose to make improvements in the present system of police training ; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) The Indian Police have by and large worked with a sense of service and devotion to duty. Their training programme is reviewed from time to time and changes effected to suit the requirements of the service.

Expansion of Indian Merchant Navy

9865. **Shri Om Prakash Tyagi : Kumari Kamala Kumari :**
Shri Narain Swarup Sharma : Shri Ram Swarup Vidyrathi ;

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of West Germany have offered financial help for the expansion of Indian Merchant Navy ;

(b) if so, the terms and conditions of the said offer ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghu Ramaiah) : (a) For purchase of ships, during 1968-69 West Germany has extended a total credit of DM 100.78 millions of which DM 30 millions is to be inter Governmental credit and DM 70.78 millions is to be Suppliers' credit.

(b) and (c). The Governmental credit is repayable by the Government of India in 25 years including an initial grace period of 7 years and carries interest at the rate of 3% per annum. In the case of the Suppliers' credit, the average period of repayment is 8 years after delivery of the ships and the rate of interest is 5½% per annum.

The above credit is proposed to be utilised for the purchase of 6 ships. Out of these 2 ships have already been firmly ordered and 4 more ships are under negotiation.

Embezzlement by Shri Bans Pradeep Singh of Rajasthan

9866. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma :**

Will ihe Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5379 on the 20th December, 1968 regarding embezzlement by Shri Bans Pradeep Singh of Rajasthan and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ; and

(b) if so, the further action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India have considered the matter and accorded the sanction required under section 197A(2) of the Code of Criminal Procedure, 1898 for the institution of proceding to prosecute Shri Bans Pradeep Singh, Ruler of Lawa.

U. P. Candidates Placed at Disadvantage in U. P. S. C. Examinations

9867. **Shri Narain Swarup Sharma : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of Home Affairs pleased to state :

(a) the number of candidates from U. P. who appeared in I. A. S., I. P. S. and other competitive examinations conducted by the U. P. S. C. during the last two years and the number of candidates selected out of them and the number of candidates, out of them, belonging to the Scheduled Caste ;

(b) whether it is a fact that the medium of education in U. P. being Hindi, mostly candidates appearing in the examinations conducted by the U. P. S. C. are put to disadvantage ; and

(c) if so, the steps taken to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The collection of the requisite information in regard to the number of candidates from U. P., who appeared at the Combined Competitive Examination held during 1967 and 1968 as also of those among them who were appointed to Services other than IAS/IPS will involve labour and expenses which may not be commensurate with the results to be achieved.

The number of candidates from U. P. who were selected for I. A. S. and I. P. S.

during 1967 and 1968 and the number of Scheduled Castes among them is as shown below :—

	1967		1968	
	Total number selected	No. of S. Cs. selected	Total number selected	No. of S. Cs. selected.
I. A. S.	27	2	30	4
I. P. S.	30	2	23	5

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Shanker's International Childern's Competition

9868. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the replay given to Unstarred Question No. 5334 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the amount given by the Government of India for the organisation of Shankar's International Childern's Competitions during the last three years.

(b) whether Government propose to request the organisers of these competitions to provide a sufficient number of prizes from the Government money with a view to encourage Indian Children ; and

(c) the number of prizes awarded to the Indian Children in the said competitions during the last two years ?

The Minister for Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a)

	Rs.
1966-67	1,25,000
1967-68	1,50,000
1968-69	1,50,000

(b) Under the auspices of Shankar's International Children's Competition an 'on-the-spot' Competition is held every-year in Delhi where almost all participants are Indian Children and more than 200 prizes are given. In the International Competition, prizes are awarded according to merit. A Committee consisting of about 20 people act as the Jury for giving prizes. Special favour cannot be shown to any one country.

(c) 417 prizes have been awarded to Indian children for 1968 and 1969 'On-the-Spot' Competitions.

चण्डीगढ़ में प्लाट

9869. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि कला अकादमी तथा सांस्कृतिक संगठनों के सदस्यों को चंडीगढ़ में रियायती दरों पर रिहायशी प्लाट आवंटित किये गये थे,

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनकी योग्यताएं क्या है जिनके आधार पर मे कला अकादमी तथा सांस्कृतिक संगठनों की सदस्यता के पात्र बने हैं, और

(ग) क्या यह सच है कि कला अकादमी तथा सांस्कृतिक संगठनों के सभी सदस्य जाली थे जिन्होंने केवल प्लाट प्राप्त करने के अधिकार को उचित ठहराने के लिए सदस्यता ग्रहण की थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पहले के दो नीलामों के औसत पर आधारित मूल्य पर साहित्य, ललित कला तथा संगीत अकादमियों के सदस्यों को प्लाट आवंटित किये गये थे ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 1214/69]

(ग) चण्डीगढ़ के प्रशासक, जिन्होंने इस मामले में पूंजी नियंत्रण बोर्ड, चण्डीगढ़ से परामर्श किया, द्वारा तैयार की गई योजना के अन्तर्गत उन्हें पात्र समझा गया था । किन्तु यह पता लगाना सम्भव नहीं रहा है कि क्या अकादमी इत्यादि के सदस्यों ने योजना के अन्तर्गत केवल पात्र होने के लिये सदस्यता ग्रहण की है ।

चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

9870. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो पंजाब तथा हरियाणा के बिजली बोर्डों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब तथा हरियाणा के बिजली बोर्डों के कर्मचारियों के वेतन मान तथा भत्ते समय-समय पर बढ़ाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वे संशोधित वेतनमान चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर अपने आप लागू हो जाते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । 307 पंजाब से और 189 हरियाणा से ।

(ख) जी हां, श्रीमान्

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । इन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति की शर्तों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है अतः मूल बोर्डों में श्रेणियों का संशोधन स्वतः लागू नहीं होता है ।

Central Inland Water Transport Committee's Report

9871. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the report of Central Inland Water Transport Committee has been received by Government ;

(b) if so, the main recommendations thereof and the reaction of Government thereto ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : Presumably the Hon'ble Member is referring to the Inland Water transport Committee set up by the Government of India in 1968 to examine the inland water Transport system in the country. If this is so, the replies are as under :

(a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) The reasons for the delay in submission of the report are as follows :—

(i) The Committee issued a questionnaire to the State Governments and other bodies in December 1968 for collecting information on inland water transport. Replies to the questionnaire have not been received from some of the State Government so far. They have been reminded.

(ii) Owing to the mid-term poll in a few States, the Committee's programme of visits to those States had to be postponed. It was also considered necessary to consult the State Governments after the popular Governments were formed following the mid-term poll.

विदर्भ में स्थिति

9872. **श्री जार्ज फारनेन्डीज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विदर्भ में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में साप्ताहिक पत्र "चवहाता" के सम्पादक से दिनांक 27 नवम्बर, 1968 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस मामले में उन्होंने क्या कार्यवाही की हैं ;

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ;

(ख) आम तौर पर यह आरोप लगाया गया था कि विदर्भ में कानून और व्यवस्था की मशीनरी का राजनैतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) मामला राज्य सरकार को भेजा गया था जिन्होंने आरोप गलत बताया है। विदर्भ में विभिन्न राजनैतिक दल स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर रहे है।

सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसुचित आदिम जातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

9873. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की वास्तविक संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संख्या में इन पिछड़ी जातियों के लोग बहुत कम संख्या में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनको पर्याप्त संख्या में लेने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) मंत्रालयों के बारे में (उनके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित) उपलब्ध नवीनतम जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है, शेष मन्त्रालयों के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है। इसको एकत्र किया जा रहा है और एकत्र होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी। [पुस्तकालय में रखा। गया। देखिये संख्या एल० टी० 1215/69]

(ख) सरकार के अन्तर्गत पदों। सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार रिक्त स्थान रक्षित किये जाते हैं। रिक्त स्थानों में आरक्षण के तत्व को सीधी भर्ती द्वारा भरना पड़ जाता है और कुछ मामलों में पदों को, आरक्षण की सीमा तक, पदोन्नति द्वारा भी भरा जाता है। अतः इस बात की आशा करना ठीक नहीं है कि मंत्रालय विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या का उस मंत्रालय विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात उतना ही होगा जितना कि समय-समय पर होने वाले रिक्त स्थानों को भरने के लिए निर्धारित है। तीसरी तथा चौथी श्रेणी में कुल कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ग) ऐसे आदेश पहले से ही विद्यमान हैं जिनमें तीसरी तथा चौथी श्रेणी में पदोन्नति तथा सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को भी अनेक रियायतें दी गई हैं। सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए आयु में पाँच वर्ष की छूट, भर्ती सम्बन्धी परीक्षाओं के आवेदन पत्रों तथा पद अथवा सेवा पर चयन हेतु के लिए घटी दर शुल्क का लिया जाना, तीसरी तथा चौथी श्रेणी के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षातकार के लिए बुलाये जाने पर यात्रा भत्ते का दिया जाना और सेवाओं। पदों आदि पर भर्ती के मामले में मानकों में ढील का दिया जाना आदि जैसी रियायतें सरकार द्वारा इन जातियों के सदस्यों का केन्द्र के अधीन प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि में दी जाती है। इन रियायतों के अलावा तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों/सेवाओं के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को हाल में निम्नलिखित दो रियायतें दी गई हैं।

(i) 11 जुलाई 1968 से पूर्व अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए तीसरी तथा चौथी श्रेणी के केवल उन वर्गों के लिए आरक्षण किया जाता था जिनमें पदों को पदोन्नति अथवा सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाता है और जिनमें सीधी भर्ती नहीं होती थी। 11 जुलाई 1968 से इन आरक्षणों का विस्तार कर दिया गया है और अब तीसरी तथा चौथी श्रेणी में चयन द्वारा पदोन्नति अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षा तथा उन वर्गों में भी आरक्षण किया जाता है जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक पद सीधी भर्ती से नहीं भरे जाते है।

(ii) सीधी भर्ती द्वारा सभी सेवाओं पदों में आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए ढीले किये गये मानकों का प्रयोग किये जाने के साथ इस बात की व्यवस्था भी कर दी गई है कि जिन

मामलों में गैर-तकनीकी तथा अर्ध-तकनीकी में सीधी भर्ती की जाती है, तीसरी तथा चौथी श्रेणी में लिखित परीक्षाओं को छोड़कर, परन्तु जिनमें ढीले किये गये मानकों के बावजूद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं होते, उनमें इन जातियों के जो सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे उनको रिक्त स्थानों को भरने के लिए चुना जायेगा यदि वे ऐसे उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हों ; इस प्रकार चुने गये उम्मीदवारों को सेवा में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे वे अपेक्षित न्यूनतम दक्षता प्राप्त कर सके।

27 जून 1968 को गृह-कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है जो भारत सरकार संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सरकारी उपक्रमों में सेवाओं/पदों पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती के मामले का पुनर्विलोकन करेगी।

Recovery of Obscene Literature in Delhi

9874. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of obscene literature was recovered in Delhi in January, 1969 ; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action which has since been taken against them ?

The Minister of State in the Ministy of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) One hundred and ninety two copies of 9 different books and ten photographs were seized in January 1969 in Delhi.

(b) Ten persons were arrested in seven cases. Three cases are under investigation and four have been sent to Court.

Pak Citizens Arrested in Madhya Pradesh

9875. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani citizens arrested in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) the number of persons prosecuted and convicted ;

(c) the number of Pakistani citizens living as underground in Indore, Dhar, Devas, Shajapur Ujjain and Sihor districts of Madhya Pradesh ; and

(d) the action being taken by Government to deport them.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 39

(b) Prosecuted	16
Convicted	12

(c) According to the information available, the number of such Pakistanis is as under :—

Indore	18
Dhar	Nil
Devas	2
Shajapur	Nil
Ujjain	10
Sihor	5

(d) The State Government have issued look-out notices and are making efforts to trace them.

Kidnapping by Pakistanis

9876. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2648 on the 29th November, 1968 and state :

(a) whether the seven Indian citizens kidnapped by Pakistan have since been returned to India ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) if so, how many of them have since been returned and how many are still in the judicial custody of Pakistan ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Of the seven Indian nationals kidnapped by Pakistan from across the border, two have come back to India and the remaining five are still in Pak custody. Efforts to secure their early return are continuing.

Escape of Pak Spies

9877. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3548 on the 6th December, 1968 and state :

(a) whether 19 persons of Rajasthan, who had helped the enemy during the Indo-Pakistani conflict and were absconding have since been arrested by the State Government.

(b) if so, the number of persons arrested out of them so far and the award declared by the State or Central Government for their arrest ;

(c) whether Government propose to declare awards for arresting the absconding persons ;

(d) the number of pending cases decided by the courts so far ; and

(e) the details of the information collected regarding Jammu and Kashmir ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Nineteen absconders referred to in the reply given to unstarred question No. 3548 on 6th December 1968 have not yet been arrested. No award for their arrests was announced, as the State Government are of the view that the existing provisions of law are adequate. State Government have also reported that action under section 512, Criminal Procedure Code, has been completed in respect of the absconders.

(d) Information is being collected from the State Government.

(e) 72 Indians were arrested in Jammu and Kashmir on charges of helping or on suspicion of helping the enemy during 1965 Indo-Pak conflict. All of them were detained under Defence of India Rules/Preventive Detention Act. One case was filed in the court of law which ended in conviction.

उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ कर्मचारियों को अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धियां देना

9878. **श्री शशि भूषण** : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रत्येक संवर्ग यथा क्लर्कों, सहायकों आदि के संवर्गों में वरिष्ठ कर्मचारियों को दो अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धियाँ दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में इन्हीं संवर्गों के कर्मचारियों को ऐसी वेतन वृद्धियां न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ख). मूल नियम 27 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन, कोई प्राधिकारी किसी समय-वेतनमान में किसी सरकारी कर्मचारी को समय पूर्व वेतनवृद्धि प्रदान कर सकता है, यदि उस प्राधिकारी को उसी वेतनमान में उसी संवर्ग में एक पद सृजन करने की शक्ति हो । इस नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के कर्मचारी वृन्द के कुछ कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी गई हैं । जब कभी ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है, केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के सदस्यों के मामले में भी इस नियम में निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है ।

दीघा समुद्री पतन का समुद्री रमणीय स्थल में के रूप विकास

9879. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में दीघा समुद्री पतन, जो सारे पूर्वी भारत में अपनी तरह का एकमात्र पर्यटन केन्द्र है, संचार की कठिनाइयों के कारण अनाकर्षक बना हुआ है ;

(ख) खड़गपुर-दीघा सड़क के वर्ष में अधिक समय तक खराब रहने के कारण क्या कलकत्ता और अन्य क्षेत्रों से पर्यटक वहां जाना पसन्द नहीं करते ;

(ग) क्या कलकत्ता से बरास्ता तामलुक दीघा जाने वाला अन्य छोटा मार्ग दो पुलो का निर्माण कार्य कई वर्षों में भी पूर्ण न होने के कारण प्रयोग में नहीं लाया जा सका है ;

(घ) क्या राज्य सरकार की सहायता से खड़गपुर-दीघा सड़क की हालत को सुधारने और प्रस्तावित दो पुलों को जल्दी से जल्दी पूरा करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ; और

(ङ) क्या इसे एक लोकप्रिय समुद्री रमणीय स्थल बनाने के लिये अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, नहीं । राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार खड़गपुर से दीघा तक की सारी सड़क का हाल के वर्षों में सुधार किया जा चुका है और विभिन्न केन्द्रीय स्थानों से दीघा के लिये परिवहन सेवाओं में भी सुधार कर दिया गया है ।

(ख) जब कभी भारी बाढ़ों के कारण सड़क के कुछ भाग पानी में डूब जाते हैं अथवा किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाते है तो तुरन्त उनकी मरम्मत का काम प्रारम्भ कर दिया जाता है।

(ग) जी, हाँ। राज्य सरकार के अनुसार इनमें से रसूलपुर के पुल का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है। दूसरा पुन, अर्थात हल्दी ब्रिज 1967 में शुरू किया था और इसके पूरा होने में दो से तीन वर्ष तक लग जायेंगे।

(घ) जी, नहीं। चौथी योजना में भाग-II की स्कीमों के बन्द कर दिये जाने के कारण राज्य सरकारों के साथ व्यय के संविभाजन का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकार ने दीघा में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है और उसे एक लोकप्रिय समुद्री विहार स्थल बना दिया है।

नये प्रकाश स्तम्भ

9880. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में नए प्रकाश-स्तम्भ बनाने की सरकार की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आएगी ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) 862.25 लाख रुपये।

भारत के लिये कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम

9881. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम की शासी परिषद् ने हाल ही में भारत के लिए एक कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कार्यात्मक सारक्षता कार्यक्रम के लिए कुछ वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गया है।

(ख) कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार तथा सूचना और प्रसारण तथा संचार (3) शिक्षा तथा युवक सेवा तीनों में चालकों द्वारा संयुक्तरूप से क्रियान्वित किया जाने वाला किसानों को प्रशिक्षण तथा कार्यात्मक साक्षरता को परियोजना का एक अभिन्न अंग है। कार्यात्मक साक्षरता कार्य म में अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्रों में प्रौढ़ किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शिक्षा देने की व्यवस्था है। केन्द्रीय शिक्षा तथा

युवक सेवा मंत्रालय मुख्य रूप से वित्तीय बोध वहन करता है और राज्य सरकारें चुने क्षेत्रों में साक्षारता कक्षाएं संगठित कर इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करती हैं।

कार्यक्रम के उचित समन्वय के लिए केन्द्रीय स्तर पर तीनों मन्त्रालयों की एक समन्वय समिति गठित की गई है। समानता बनाये रखने की दृष्टि से शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण का राष्ट्रीय परिषद्, नई दिल्ली द्वारा के प्रौढ़ शिक्षा विभाग द्वारा साक्षरता कक्षाओं के लिए पर्यविक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ; इस प्रकार प्रशिक्षित पर्यविक्षक बाद में अपने-अपने राज्यों में साक्षरता समम्बन्धी अध्यापकों को प्रशिक्षण देते हैं। कार्यक्रम के लिए विशेषरूप से उपयुक्त पढ़ने का सामान तैयार करने में प्रौढ़ शिक्षा विभाग राज्यों की सहायता करता है।

इस कार्यक्रम को चुने गये तीन जिलों अर्थात मैसूर में रायचूर जिला, उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिला और पंजाब में लुधियाना के जिले में 1967-68 में प्रयोगात्मकरूप से शुरू किया गया था और इसके बाद इसका विस्तार सात अन्य जिलों अर्थात आंध्र प्रदेश में महबूब नगर, गुजरात में जामनगर, हरियाणा में रोहतक, मध्य प्रदेश में रायपुर, उड़ीसा में सम्भलपुर, तमिल नाडु में कोयम्बतूर और पश्चिमी बंगाल में बदर्वान में दिया गया। इनमें से प्रत्येक जिले में 60 केन्द्र खोल गये हैं और प्रत्येक केन्द्र में लगभग 30 प्रौढ़ शिक्षा लेते हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दो विशेषज्ञ—एक मूल्यांकन के लिए तथा दूसरा पढ़ने का सामान तैयार करने के लिए देने पर सहमत हो गया है। कुछ फैलोशिप तथा मुद्रित उपकरण भी उपलब्ध होंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने फिलहाल दो वर्ष तथा छः महीनों की अवधि के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए इस परियोजना का अनुमोदन कर दिया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के 100 जिलों के लिए 200 लाख रुपयों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। 1969-70 के बजट में 12.10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ;

केन्द्रीय परिरक्षण प्रयोगशाला

9882. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में एक केन्द्रीय परिरक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) प्रयोगशाला कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की परिरक्षण प्रयोगशाला को देश के सभी संग्रहालयों के लाभ के लिये, केन्द्रीय प्ररिरक्षण प्रयोगशाला के रूप में विकसित

करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित केन्द्रीय परिरक्षण प्रयोगशाला के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित होंगे :—

(i) सभी प्रकार की सांस्कृतिक सम्पत्ति के परिरक्षण से सम्बंधित बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के केन्द्र के रूप में कार्य करना,

(ii) कला वस्तुओं के परिरक्षण के मामले में देश के संग्रहालयों को तकनीकी सहायता तथा सलाह देना ;

(iii) भारत तथा विदेशों की इसी प्रकार अन्य प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं से नियमित सम्पक स्थापित करना, और

(iv) कर्मचारियों कला वस्तुओं के परिरक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रशिक्षण देना ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है ।

Taking Over of Temples in Kerala

9883. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Kerala Government have taken possession of some of the temples there :

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by the Central Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Viddy Charan Shukla) : (a) According to information furnished by the State Government, they have not taken possession of any temple.

(b) and (c). Do not arise.

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज भूपाल, डिग्रियों और डिप्लोमाओं को मान्यता

9884. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल की डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं को मान्यता नहीं दी गई है,

(ख) ऐसा न करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कारण बताये हैं, और

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को निदेश दिये हैं कि वह शीघ्र निर्णय करे और सभी क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों के बारे में अन्य राज्य सरकारों जैसी ही नीति अपनाएं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). भारत के अन्तर-विश्वविद्यालय मंडल ने यह सिफारिश की है कि उच्चतर अध्ययनों में प्रवेश और नियुक्ति के उद्देश्य से रीजनल कालेज आफ एजूकेशन, भोपाल द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के लिये

विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री और डिप्लोमाओं को भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्सम डिग्रियों और डिप्लोमाओं के समक्ष माना जाना चाहिये। इसके अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे भोपाल कालेज की डिग्रियों और डिप्लोमाओं को मान्यता दे दें। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों से सम्पर्क करने के लिये सुझाव दिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्य सरकार और राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के साथ इस सम्बंध में कार्रवाई कर रही है।

कलकत्ता में पाये गये बम

9885. **श्री बे० कु० दास चौधरी :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 फरवरी, 1969 को उत्तर कलकत्ता के जोराबगान क्षेत्र में बिना फटे बम तथा रसायन पकड़े गये थे ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है तथा गिरफ्तारियां की गई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या पकड़े बम पर किसी देश का चिह्न था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित सूचना इस प्रकार है :—

(क), (ख) और (ग). 8-2 1969 को जोराबगान थाने के अधिकार क्षेत्र में एक टूटे-फूटे खाली मकान से एक स्वदेशी बम पकड़ा गया और कलकत्ता के उसी थाने के अधिकार-क्षेत्र के भीतर एक खुले भू-खंड से उसी दिन एक और स्वदेशी बम पकड़ा गया। कोई रसायन नहीं पकड़े गये।

इस सम्बन्ध में पूछताछ की गई और चूंकि अभी तक कोई निश्चित सूचना ध्यान में नहीं आई है अतः कोई गिफ्तारी नहीं की गई है।

(घ) बम स्वदेशी मूल के पाये गये थे।

भारतीय जहाजों द्वारा विदेश व्यापार का माल ढोया जाना

9886. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारतीय जहाजों द्वारा विदेश व्यापार का कार्य करने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ख) वर्ष 1968-69 में भारतीय जहाजों द्वारा देश के विदेश व्यापार का कितना कार्य किया गया था ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में पत्तनों के विकास पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) भारतीय जहाजों को भारत के समुद्रपार का व्यापार के बड़े भाग को ले जाने के लिए प्रमुख कदम जो लिया गया वह भारत के समुद्रपार के पोत परिवहन के टन भार का विस्तार करना है। इस विस्तार की गति संतोषजनक रही है जैसे कि तीसरी योजना के प्रारम्भ में समुद्रपार के टन भार 5.65 लाख जी० आर० टी० था जबकि अब यह 8.05 लाख जी० आर० टी० है। इस दिशा में सरकार द्वारा कुछ अन्य लिये गए कदम इस प्रकार हैं :—

(1) विदेशी लाइनर सम्मेलन और दर समझौते के निष्पादन के लिए भारतीय पोत-परिवहन कंपनियों की मदद करना।

(2) यू० एस० एस० आर०, पोलैंड, यू० ए० आर० और जी० डी० आर० जैसे विदेशों से द्विपक्षीय पोत परिवहन समझौता करना।

(3) सरकारी माल और सरकार नियंत्रित माल को प्राप्त करने में भारतीय जहाजों को सहायता देना।

(4) भारतीय पोत-परिवहन कम्पनियों को नये पोत-परिवहन भागों में प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहन देना।

(ख) 1968-69 जो अभी समाप्त हुआ है उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1967-68 में भारतीय जहाजों द्वारा भारत के समुद्रपार के व्यापार के टन भार की 49,791,000 कुल मात्रा में से 7,728,000 टन था।

(ग) चौथी योजना में छोटे पत्तनों सहित, पत्तनों के विकास पर समस्त निवेश 280 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है जिसमें 180 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सरकार से और 100 करोड़ रुपये पत्तन के अपने साधनों से प्राप्त राशि शामिल है।

रंग पहाड़ स्टेशन के निकट विस्फोट

9887. **श्री सीताराम केसरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9/10 फरवरी 1969 को नागालैंड—आसाम सीमा पर रंग-पहाड़ स्टेशन के निकट एक विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कुल कितनी सम्पति की क्षति हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 8 फरवरी 1969 को रंगपहाड़ साइडिंग और रंगपहाड़ क्रासिंग रेलवे स्टेशनों के बीच रेल पटरी पर एक विस्फोट हुआ था।

(ख) पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। चार व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया है।

(ग) विस्फोट के कारण डेढ़ फुट रेल का टुकड़ा उड़ गया है। 9 फरवरी को 4 बजकर 30 मिनट पर यातायात आरम्भ हो गया था।

Majlise-Mushawarat

9888. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Majlise-Mushawarat and Jamati-e-Islami are busy in setting at nought Government's aim of national integration ;

(b) whether Government have set up a Commission to look into the anti-national separation activities of such communal organisations ; and

(c) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Jamait-e-Islami is in a basic sense against the principle of secularism and to that extent hinders the processes of national integration. No prejudicial activities of Majlis-e-Mushawarat have come to the notice of State Governments.

(b) Government have not set up any Commission to inquire into the activities of any communal organisation.

(c) Does not arise.

आसाम में अग्निकांड

9889. **श्री चेंगलराया नायडू : श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 फरवरी, 1969 को गोहाटी के गारोबोंडा में बड़ा अग्निकांड हो गया था जिसके परिणामस्वरूप पांच सौ परिवार बेकार हो गये थे तथा 10 लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई थी ;

(ख) क्या इस वर्ष अब तक यह दूसरा अग्निकांड था ;

(ग) क्या इस समय पाकिस्तानी एजेन्ट राज्य में सक्रिय हैं ; और

(घ) यदि हां, तो आसाम में पाकिस्तानी तत्वों को नष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जैसा कि असम सरकार द्वारा सूचित किया गया है गारबोंडा नाम कोई स्थान नहीं है, किंतु गारो पर्वतीय जिले में गारो बघू नामक एक स्थान है जहाँ 18 फरवरी, 1968 को आग लगी थी जिससे 54 परिवार बेघर हो गये थे। आग से लगभग 150 बाजार शैंड तथा कुछ सरकारी भवन भी नष्ट हो गए कुल हानि लगभग दस लाख रुपये आंकी गई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । आग कुछ बाजार जाने वालों की असावधानी के कारण लगी थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रसाशन द्वारा स्कूलों की इमारतों के लिये अर्जित की गई भूमि

9890. **श्री के० कृ० दास चौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा स्कूल की इमारत का निर्माण करने के लिए 1961 में अर्जित की गई भूमि का अधिकांश भाग गत वर्ष फरवरी तक अप्रयुक्त पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्लाटों पर काम आरम्भ करने के लिए दिल्ली प्रशासन पर जोर देने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी की दिल्ली प्रशासन से प्रतीक्षा की जा रही है और उसे यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Plan for Armed Revolt by Orissa Farmers

9891. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Orissa Police has unearthed a plan of the farmers of that State contemplating to launch an armed revolt and to start guerilla war ;

(b) whether it is also a fact that some arrests have been made there in this connection but the leaders have fled away and could not be apprehended ;

(c) whether it is also a fact that large quantity of arms and ammunition was recovered from them ; and

(d) if so, the full details thereof and the number of persons arrested and the efforts being made to arrest the accused who are absconding ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information received from the State Government documents seized in the Police raids at Parlakhemundi in Ganjam district and Gunupur in Koraput Distt. indicate preparations for goerilla war-fare.

(b) 79 persons from Parlakhemundi and Gunupur areas have so far been arrested. However, the leaders of the movement are still untraced.

(c) and (d). Police have seized considerable quantities of explosives and bombs etc. from Parlakhemundi and Gunupur. About 13 kilograms of explosive material with glass pieces, 18 ml. guns, ammunition, instruments for manufacturing M. L. Guns, 2 DBBL guns, 10 barrels, 19 live cartridges, 12 empty cartridges, cases of 12 bore guns pellets, gun powder etc. have been seized. Police are vigorously pursuing the absconding persons and have submitted preliminary charge sheets under section 120-B/399 IPC/3 explosives substance Act/28(A) arms act pending further investigation in the case.

मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण मार्गों पर पुलों की कमी

9892. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरम्भ में 1969-70 के लिए वार्षिक योजना की अधिकतम सीमा 470.00 लाख रुपये की मंजूर की गई थी परन्तु अब उसे घटा कर 300.00 लाख रुपये कर दिया गया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि महत्वपूर्ण मार्गों पर पुलों की कमी के कारण मध्य प्रदेश की संचार व्यवस्था में बहुत रुकावट पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 5 करोड़ रुपये की राशि देने का है जिसकी चौथी योजना के प्रथम वर्ष 1969-70 के लिए सड़कों सम्बन्धी कार्यवाही दल ने सिफारिश की है ;

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी 1969-70 के लिए वार्षिक योजना प्रस्तावों में सड़कों के विकास के लिए 4.37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की मांग की है जिसके लिए कार्यकारी दल ने 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की सिफारिश की है। फिर भी साधनों की समस्त परिसीमा को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने अंतिमतौर पर 320 लाख रुपये की व्यवस्था की सिफारिश की है।

(ख) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि इस व्यवस्था को 5 करोड़ तक बढ़ाया जाय।

All India Educational Services

9893. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have revoked their earlier decision to establish an All India Educational Service on account of Opposition by some of the State Governments ;

(b) if so, the reaction of Government in the matter ?

The Minister of Stete in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Some of the State Governments reviewed their earlier stand on the need for creating the Indian Educational Service. Taking note of the further views of the State Governments, the Central Government reviewed the whole question in May, 1968 and decided that steps may not be taken for the present to constitute new All India Services for which provision was yet to be made in the All India Services Act, 1951. Accordingly, steps are taken at present to constitute the Indian Educational Service.

Free-Life of Air-Strip of Khandwa

9894. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme under consideration to face-lift the air-strip o·

Khandwa (Madhya Pradesh) during 1969-70, which is a Central place in the East Nimad District ;

(b) if so, the broad outlines thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor and the additions and alterations, if any, made during the last five years ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) This aerodrome is being used at present only as an enroute emergency aerodrome on the Bombay-Nagpur night airmail route. Its further development is not considered necessary at the moment and no additions and alterations except normal maintenance have been found necessary during the last five years.

Retired High Court Judges

9895. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names and dates of retirement of the judges of High Court of Madhya Pradesh who retired from service during the last three years and the particulars of their monthly salaries ; and

(b) the names of those who were given assignments on Committees or Commission with starting and ending dates of such assignments ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) During the last three years i. e. 1-5-66 to 30-4-69 three Judges of the Madhya Pradesh High Court, namely, Shri Abdul Hakim Khan, Shri V. R. Newaskar and Shri P. V. Dixit. retired fram service. Shri Abdul Hakim Khan retired on 27th March, 1967, Shri V. R. Newaskar on 20th, March, 1968 and Shri P. V. Dixit on 19th March 1969. Prior to retirement Shri Abdul Hakim Khan and Shri V. R. Newaskar were in receipt of monthly salary of Rs. 3,500/- and Shri P. V. Dixit Rs. 4,000/-.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विमान यातायात को नियंत्रित करने के लिये विमान मार्ग प्रणाली का लागू किया जाना

9896. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री वी० चं० शर्मा : **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान मार्ग प्रणाली को, जो विमान यातायात को नियंत्रित करने की आधुनिक पद्धति है, भारत के चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों - बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास पर लागू किया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है और यह प्रणाली कब से लागू कर दी जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाने के बाद 'एयरवेज सिस्टम' (हवाई मार्ग प्रणाली) को एक क्रमिक कार्यक्रम

के अनुसार चालू करने का प्रस्ताव है। इस बीच में भारतीय क्षेत्र के ऊपर हो कर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर एयरवेज सिस्टम के अन्तर्गत एकान्तिक नियंत्रण के मुकाबले में पूर्व-निर्धारित मार्ग प्रणाली (सिस्टम ओफ प्रिडटर्मिन्ड रूट्स) जो कि एक परामर्शदात्री सेवा के रूप में कार्य करती है, चालू की जा चुकी है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Post of a Lecturer in Government Degree College, Port Blair

9897. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in an advertisement published recently in the various newspapers and magazines for the post of a lecturer in the Government Degree College, Port Blair (Andaman and Nicobar Islands), the minimum essential qualification was prescribed as Second Class ;

(b) whether it is also a fact that a large number of applications were sent by candidates holding Second Class M. A. (English) degree but one lady holding a Third Class M. A. (English) degree was selected for the post without any interview ;

(c) the reasons for neglecting candidates having prescribed qualifications and selecting this lady ; and

(d) the steps being taken to remove the said discrepancy ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). The requisite information has been called from the Andaman and Nicobar Administration and will be laid on the table of the Sabha as early as possible.

प्रधान मंत्री से मुलाकात के लिये पूरन सिंह की प्रार्थना

9898. **श्री किंकर सिंह :** **श्री देवेन सेन :**
श्री द० रा० परमार : **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता निवासी श्रीमान सिंह का पुत्र सरदार पूरन सिंह कलकत्ता में सरकारी कर्मचारियों की ज्यादतियों के विरुद्ध अपनी शिकायतों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से मिलने के लिये गत 5/7 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है परन्तु प्रधान मंत्री से भेंट का अवसर प्राप्त करने की बजाये उसे दिल्ली में अनेक बार जेल जाना पड़ा है ;

(ख) उसकी शिकायतों तथा प्रधान मंत्री से भेंट सम्बन्धी उसके अनुरोध का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उसे कितनी बार जेल भेजा गया ; और

(घ) इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). चोक बाजार, हुगली में रहते समय श्री पूरन सिंह में स्थानीय निवासी के पारिवारिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त हो गया था और जून 1954 में किसी समय स्थानीय लोगों द्वारा उसकी मारपीट की गई थी। यद्यपि

उसकी मारपीट करने वाले दस में से दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि हो गई थी तथापि उसने राज्य सरकार के अधिकारीगण के प्रति शिकायत वाला रवैया अपनाया और विभिन्न प्राधिकारियों को यचिकाएं भेजनी आरम्भ कर दी। यह मामला पश्चिमी बंगाल सरकार को भेजा गया था और उनके द्वारा भेजे गये विस्तृत प्रतिवेदन से पता लगता है कि उसकी शिकायतें वास्तविक नही थी। बाद में उसे 31.3.1960 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु से मिलने की अनुमति दी गई थी जिन्होंने उसकी बात को सावधानी से सुना और उसे बताया राज्य सरकार ने उसकी शिकायतों की जांच की है और दिल्ली से इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता। फिर भी श्री पूरन सिह, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति तथा अन्य लोगों को अपनी शिकायतों सम्बन्धी पत्र भेजता रहा। उसको 1959 से लेकर 1968 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुलिस संहिता तथा पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक शांति भंग करने आदि जैसे विभिन्न अपराधों के लिए सात बार जेल भेजा गया है।

Movable and Immovable Properties Belonging to R. S. S.

9899. **Shri Shashi Bhushan :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the entire property belonging to Rashtriya Swayam Sewak Sangh in the country and in particular that of their movable and immovable property in Jhandewalan area in Delhi and in Nagpur ; and

(b) whether any assessment of their property has been made by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b). A statement based on information furnished by the State Gevernment is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1216/69].

Private Senas

9900. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the benefits accured from properties to such private Senas as Shiv Sena, Lachit Sena, Bhim Sena, Gopal Sena and Hindi Sena since the time of their having been set up till now and the extent of total damage caused by them to the national property during this period ;

(b) whether Government consider the existence of these Senas beneficial for the country ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Facts are being ascertained.

(b) No Sir.

(c) Government have introduced the Criminal and Election Law (Amendment) Bill, which *inter alia* makes punishable promotion of disharmony or feelings of enmity, hatred or illwill between different regional groups. The Central Government have also forwarded to the State Governments for appropriate action the recommendation of the National Integration Council that stern and effective measures should be taken against organisations like Senas that are provoking disturbances by appealing to the regional sentiments of the people.

मध्य प्रदेश में एक ट्रांसमीटर का पड़का जाना

9901. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मन्त्री 7 मार्च, 969 के तारांकित प्रश्न संख्या 355 के उत्तर के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश में एक ट्रांसमिटर के पकड़े जाने के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मामले में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह पता लगा लिया गया है कि यह वस्तुएं गिराने वाला विमान किस देश का था ; और

(घ) यदि (क) से (ग). भागों का उत्तर नकारात्मक है तो कहां तक जांच पूरी की जा सकेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). जब तक की गई जांच पड़ताल से यह पुष्टि हो गई है कि 21 सितम्बर, 1968 को शहदोल जिले के एक गांव में पाई गई वस्तु न तो रेडियो रिसीवर था और न ट्रांसमीटर। वह के० एम० टी० साहित्य के प्रसार के लिये प्रयोग में लाया जाने वाला एक मौसम विज्ञान-संबंधी गुब्बारा था जो, ऐसा मालूम पड़ता है कि हवाओं के तेज बहाव के कारण भारत उड़ा चला आया था। पुस्तिकायें के० एम० टी० प्रकाशन थे जिनमें फारमूसा के राजनैतिक तथा आर्थिक विकास के बारे में बतलाया गया था। साहित्य में माओ-त्से-तुंग का कोई चित्र नहीं था। रंगीन कार्टून च्यांग-काई-शेक के बारे में था।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Home Affairs Ministry

9902. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the Department-wise. Section-wise and category-wise number of officers and other employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them upto the 15 March, 1969 in and under his Ministry, according to the provisions contained in his Ministry office Memorandum No. 1/12/67-Establishment (C), dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the names and designations of such employees and the names of the Deparments where they are working ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Promotions are made generally according to cadres which may cover more than one Section and in some cases more than one Department. It is, therefore, not possible to supply the requisite information Section-wise.

During the period from 11-7-1968 to 15-3-69, only one person namely, Shri I. Tirkey was promoted as Senior Reception Officer against a reserved post in the Ministry of Home Affairs.

As regards officers under the Ministry (excepting the State Census Offices and the field units of the Border Security Force, information in respect of whom is being collected). there was no such case of promotion during the said period.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Tourism and Civil Aviation Ministry

9903. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the Department-wise, Section-wise and Category-wise number of Officers and other employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them up to the 15th March, 1969 in and under his Ministry according to the Provisions contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/12/67-Establishment (C), dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the names and designations of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There has been no occasion in the period referred to where a reserved promotion vacancy was required to be filled up by a member of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. One such post was filled by a member of the Scheduled Castes on 17th March, 1969.

(b) Does not arise.

Scheduled Caste and Scheduled Tribes Employees in Shipping and Transport Ministry

9904. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the Department-wise, Section-wise and category-wise number of officers and other employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them up to the 15th March, 1969 in and under his Ministry, according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/12/67-Establishment (C), dated the 11th July, 1968 ; and

the names and designations of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghuramiah) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

नव पाषाण कालीन स्थान की खोज

9905. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के गारो नामक पहाड़ी जिले में थेन्नोगिरी पर एक नवपाषाण कालीन उच्च स्तर के विकसित सांस्कृतिक स्थान की खोज की गई है ;

(ख) क्या इस खोज से कोई महत्वपूर्ण संकेत मिलता है जिससे नव पाषाण युग के मनुष्यों की संस्कृति का दक्षिण पूर्व एशिया, आसाम तथा शेष भारत में सम्पर्क की विद्यमानता सिद्ध हो सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले हुई प्रगति और उसका विवरण क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क)

जी हां। गोहाटी विश्वविद्यालय के मानवविज्ञान विभाग के एक दल ने असम के गारो नामक पहाड़ी जिले में इस स्थान की नवम्बर, 1998 में खोज की थी।

(ख) और (ग). आगे जांच किये बिना स्पष्टरूप से यह कहना असामयिक होगा कि यह खोज दक्षिण-पूर्व एशिया, असम तथा भारत की नवपाषाण युग की संस्कृतियों के बीच के सम्पर्क को प्रमाणित करती है या नहीं। फिर भी, अब तक की इकटठी की गयी सामग्री से पूर्वी एशिया से सम्बन्ध का पता चलता है।

Promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in Education Ministry

*9906. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Education and Youth Services be plesed to state :

(a) the Deparment-wise, Section-wise and Category-wise number of Officers and other employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against the reserved posts upto the 15th March, 1969 in and under his Ministry, according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs' Office Memorandum No. 1/12/67-Establishment (C), dated the 11th July, 1969 ; and

(b) the names and designations of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) According to available information, one Lower Division Clerk has been promoted as Upper Division Clerk.

(b) Shri Mangat Ram Lower Division Clerk in the National Fitness Corps Directorate has been promoted as Upper Division Clerk in the same office.

Alleged Insult of a Member of Parliament by a Public Prosecutor in Delhi

9907. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that when a Member of Lok Sabha went to stand surety for a gentlemen in the Court of Shri N. L. Kakkar in Tis Hazari Courts, Delhi, on the 18th March, 1969, the Public Prosecutor made certain derogatory remarks against the Member of Parliament and said that Members of Parliament cannot stand surety for anybody because their value is not even some paise, what to speak of some rupees ;

(b) whether it is also a fact that when the said Member of Parliament furnished details of his standing in public life, his financial position and property, the public Prosecutor refused to accept them and continued to insult the former ; and

(c) if so, the action which Government have taken or propose to take in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). A statement is attached.

STATEMENT

Delhi Administration have informed that a number of persons are being prosecuted in a case under Foreign exchange Regulation Act. Since considerable foreign exchange is involved in the case, accused persons were allowed bail on furnishing two sureties of Rs. 50,000/- each with a personal bond of a like amount. On the 18th March 1969, Shri Dhanpat Singh filed the bail bonds. One of the surety bonds was executed by Shri P. L. Barupal, M. P. The Public Prosecutor objected to it and argued before the Court that Shri P. L. Barupal does not

have sufficient financial status as he had already stood surety for Rs. 50,000/- in another case. He also argued that as even a poor man can be elected as a Member of Parliament that fact alone does not ensure financial capability to stand surety in a Court for heavy amounts. For furnishing surety, financial and other requirements are to be satisfied. The Court, however, having regard to the political status of Shri P. L. Barupal accepted his surety bond provisionally and directed him to get his financial status verified by the 22nd March 1969. The Member of Parliament concerned appeared again before the Court on 22-3-69 and filled the certificate of solvency signed by Additional District Magistrate, Bikaner, which mentioned that he was solvent to the extent of Rs. 1 lakh. The certificate of solvency was placed on file and the bail bond was finally accepted. This will indicate that the Public Prosecutor did not make or intend to make derogatory remarks either against the Member of Parliament or against Members of Parliament in general. However, Delhi Administration have been asked to instruct their employees to be more careful and tactful in such matters in future.

फरवरी, 1969 में शाहदरा की फैक्टरी में विस्फोट

9908. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट शाहदरा की एक फैक्टरी में 22 फरवरी, 1969 को एक विस्फोट हुआ था, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति हताहत हुआ ;

(ख) यदि हां, तो क्या घटना की जाँच की गई है ; और

(ग) उस जांच के क्या परिणाम थे तथा उस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसा बताया गया है कि 22-2-1969 को शाहदरे में एक फैक्टरी की भट्टी से गर्म हवा के आकस्मिक निकास के परिणामस्वरूप 10 व्यक्ति घायल हो गये थे । उनमें से चार की घावों के कारण मृत्यु हो गई ।

(ख) तथा (ग). इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304क/285 के अन्तर्गत दर्ज एक मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

आवेदकों से पोस्टल आर्डरों की मांग

9909. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश सरकारी निकायों, सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में आवेदकों से पोस्टल आर्डरों का (एक रुपये से लेकर 8 रुपया तक) मांगी जाना आम व्यवहार की बात हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रेष्ठतम आवेदकों में से कुछ ही को 'इन्टरव्यू' के लिये बुलाया जाता है और अन्यों को खेद पत्र भी नहीं भेजा जाता ;

(ग) क्या सरकार इसे नौकरी-रहित व्यक्तियों पर भार नहीं समझती ; और

(घ) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जहाँ तक सरकारी संगठनों का संबंध है उत्तर स्वीकारात्मक है । सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में कम्पनियों आदि के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जब कि सभी आवेदकों को इन्टरव्यू के लिये नहीं बुलाया जा सकता, तो सरकारी संगठनों में सामान्य प्रथा उन व्यक्तियों को सूचित करने की है जो इन्टरव्यू के लिये नहीं बुलाये जाते हैं कि पद के लिये उनका चयन नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गांधी हत्या जांच

9910. श्री भारत सिंह चौहान :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी की हत्या की जांच कर रहे कपूर आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के लिए जिन गवाहों को बुलाया गया था उनके नाम क्या है ;

(ख) उनमें से कितने आयोग के सामने आये ;

(ग) क्या किन्हीं गवाहों को आयोग के सामने आने में हिचकिचाहट थी ;

(घ) यदि हां, तो उन गवाहों के क्या नाम हैं ; और

(ङ) आयोग सरकार को अपना प्रतिवेदन कब देगा और क्या प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). कपूर आयोग द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार आयोग ने अभी तक 101 गवाहों के बयान लिए। कुछ गवाहों के बयान बन्द कमरे में दर्ज किये गये। आयोग द्वारा बुलाये गये किसी भी व्यक्ति ने उसके समक्ष आने से इन्कार नहीं किया। इस स्थिति में गवाहों के नाम बताना आयोग वान्छनीय नहीं समझता।

(ङ) सम्भावना है कि आयोग अपनी जांच 31 जुलाई, 1969 तक पूरी कर लेगा। प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद उसे सदन के सभा पटल पर रखे जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

इन्दौर विश्वविद्यालय को अनुदान

9911. श्री भारत सिंह चौहान : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन्दौर विश्वविद्यालय की इसके प्रारम्भ से ही अनुदान की कितनी धन राशि स्वीकृत की तथा अनुदान स्वीकार करने का उद्देश्य क्या था ;

(ख) क्या आयोग ने इन्दौर विश्वविद्यालय में हिन्दी तथा संस्कृत में उच्च शिक्षा के लिये कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) क्या इन्दौर विश्वविद्यालय के लिये शिक्षण विभागों की स्वीकृति दे दी गई हैं, यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विवरण संलग्न है (विवरण I), जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इंदौर विश्वविद्यालय को उसकी स्थापना से आजतक दिये गये अनुदानों का उल्लेख है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 1217/69]

(ख) आयोग को विश्वविद्यालय से इस सम्बंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) चौथी आयोजना निरीक्षण समिति की सिफारिशों पर, भौतकी गणित। सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, आधुनिक यूरोपीय और भारतीय भाषाओं के अध्यापन विभाग करने तथा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के विकास करने में इंदौर विश्वविद्यालय की सहायता के लिए आयोग सहमत हो गया है। स्टाफ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1966-67 से 1970-71 तक की अवधि के लिए स्वीकृत अन्य मदों के लिए व्यवस्था सम्बंधी व्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। (विवरण-II) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 1217/69]

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी आदि पर नियंत्रण

9912. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी आदि पर सरकार के नियंत्रण की सीमा कहाँ तक है ;

(ख) नियुक्तियों, पदोन्नतियों, मुअत्तिलि अग्रिम वृद्धि अनुदान आदि विषयों को लेकर क्या इन संस्थाओं के सचिवों के विरुद्ध पक्षपात, बन्धुपोषण तथा कुप्रशासन आदि के अभियोगों के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिवेदन मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इनके व्यौरे क्या हैं, तथा इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) तरीनों राष्ट्रीय अकादमियों और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् स्वायत्तशासी संगठन हैं, यद्यपि इनका पूरा खर्च सरकारी अनुदानों द्वारा किया जाता है। शासी निकाय। कार्यकारी बोर्ड और आम सभा। परिषदों द्वारा इन निकायों पर अकादमिक और प्रशासकीय दोनों प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है। इन संगठनों में से प्रत्येक की आम परिषद्। आम सभा, कार्यकारी बोर्ड। शासी निकाय और वित्त समिति जैसी विभिन्न निकायों में अपने प्रतिनिधियों के जरिये, भारत सरकार इनसे सम्बंधित हैं। इन संगठनों में वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति भी, भारत सरकार द्वारा की जाती है। इन संगठनों के संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, सरकार संगीत नाटक अकादमी और भारतीय सांस्कृतिक परिषद् को नीति संबंधी आदेश जारी कर सकती है।

(ख) और (ग). सरकार को तीनों अकादमियों के सचित्रों के विरुद्ध इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जनवरी, 1968 में श्री विमल कुमार मन्नालाल चौरडिया, संसद संदस्य से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् के विरुद्ध अनेक

आरोप लगाये गये थे। उक्त पत्र तथा उससे सम्बन्धित कागज, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के अध्यक्ष को भेज दिये गये थे। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के शासी निकाय ने इन आरोपों की जांच करने के लिये, एक जांच समिति नियुक्त की थी। जाँच समिति के निष्कर्ष। रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा है।

Lenin Peace Award to Shri Romesh Chandra

9913. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Lenin Peace Award was awarded to Shri Romesh Chandra, General Secretary of the World Peace Council on tLe 26th March, 1969 in Delhi ;

(b) if so, the names of dignitaries who participated in the function ;

(c) whether speaches were also made by some persons at the function ;

(d) if so, the names of the persons who made speeches and the names of parties to which they belong ; and

(e) the salient features of the speeches ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e). According to information available with Government, the International Lenin Peace Prize was presented to Shri Romesh Chandra at a special function held in New Delhi on March 26, 1969. Sarvashri A. B. Chakovsky, Member of the U. S. S. R. Supreme Soviet, V. K. Boldirev, Soviet Charged' Affairs, S. A. Dange, G. Ramachandran, Arjun Arora, Hiren Mukherjee, Joachim Alva, Bhupesh Gupta, Akbar Ali Khan, Bhogendra Jha, Members of Parliament, Shri R. K. Khadilkar, Deputy Speaker, Lok Sabha and Shri K. P. S Menon, former Ambassador of India in U. S. S. R. attended the function, Shri A. B. Chakovsky, Shri V. K. Boldirev, Shri S. A. Dange (CPI), Shri S. M. Joshi (SSP), Shri G Ramachandran, Shri R. K. Khadilkar and Shri K. P. S. Menon spoke at the function. The speakers paid tributes to Shri Romesh Chandra for his services to the cause of peace.

Theft in Nehru Museum, New Delhi

9914. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the clue of the theft that had taken place in the Nehru Museum some years ago has since been found ;

(b) if so, the number of the culprits arrested in that connection ; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No theft has taken place in the Nehru Museum.

(b) and (c) Do not arise.

इम्फाल में भूमि का आबंटन

9915. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह कार्य मंत्री 21-3-1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3961 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल के "प्रजातन्त्र" दैनिक के सम्पादक श्री जय चन्द्र को समझौते में दी गई भूमि का कितना क्षेत्र फल है ;

(ख) समझौते के समय कितना प्राप्य अधिमूल्य वसूल किया गया ;

(ग) क्या मनीपुर के मुख्य कमिश्नर ने भूमि देने के एक वर्ष पश्चात ही 1962 में अधिमूल्य की नई दरों की घोषणा की ;

(घ) यदि हां, तो प्रथम श्रेणी की व्यापारिक भूमि के संबंध में प्रति एकड़ भूमि पर क्या अधिमूल्य दर निर्धारित किया गया ।

(ङ) 1968-69 में भूमि की बाजार दर ;

(च) क्या उपरोक्त अतारांकित प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर 26 फरवरी 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1275 के भाग (क) के उत्तर के प्रतिकूल है ; और

(छ) यदि हां, तो कौन सूचना सही है ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि 10800 वर्ग फीट भूमि का प्लाट इम्फाल के "प्रजातंत्र" दैनिक के सम्पादक श्री जयचन्द्र सिंह को केवल 5,400 रुपये का अधिमूल्य वसूल करने पर आवंटित किया गया था। 27 दिसम्बर, 1962 को अर्थात प्रजातंत्र के सम्पादक के साथ समझौते की तारीख से एक वर्ष और दस महीने के पश्चात, मुख्य कमिश्नर ने नगर-पालिका क्षेत्र में भूमि के लिए अधिमूल्य की नई दरें नियत करते हुए एक अधिसूचना जारी की । यूनिट एक की संबंधित भूमि के लिये अधिमूल्य की नई दर 1,30,680 रुपया प्रति एकड़ या तीन रुपया प्रति वर्ग फुट है । इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र में यूनिट एक की भूमि एकमात्र बिक्री कार्य के आधार पर, जिसके अनुसार मूल्य लगभग तीन लाख प्रति एकड़ आता है, वर्ष 1968-69 में बाजार मूल्य सही रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

(च) और (छ). सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1275 के भाग (क) के उत्तर में यह बताया गया था कि प्रजातन्त्र दैनिक के लिये मनीपुर सरकार द्वारा दो लाख रुपये के एक ऋण की सिफारिश की गई थी । गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर दिये गये लोक सभा प्रश्न संख्या 3961 के भाग (घ) के उत्तर में यह बताया गया था कि मनीपुर सरकार ने नियत भागी के लिये किसी अनुदान की सिफारिश नहीं की थी । चूंकि अनुदान और ऋण वित्तीय सहायता की भिन्न-भिन्न किस्में हैं अतः उत्तरों में कोई विषमता नहीं है ।

Proposal to Double Agra-Bombay Road

9916. **Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Government's proposal in regard to doubling of Agra-Bombay road between Indore and Sendhwa, where the area of Madhya Pradesh ends, and the arrangements made by Government for plantation etc. on road sides ;

(b) whether Government propose to provide any rest houses, restaurants etc. on the Agra-Bombay road for truck drivers and other persons carrying vehicles on long journeys ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Excepting short stretches, the national Highway between Indore and Sendhwa is already a double lane B. T. surfaced road. The proposal to include in the 4th Plan the work of widening/providing shoulders to the rest of the single lane stretch of National Highway No. 3 for 2 lane traffic is under consideration along with others. Detailed arrangements made for plantation of trees are being ascertained from the State Public Works Department and will be laid on the table of the Sabba on receipt.

(b) and (c). A Study Group has recently been constituted under the Chairmanship of the Director General (Road Development) to suggest a concrete programme for provision of various amenities on National and State Highways.

Widening of Khalghat Bridge on Agra-Bombay Highway

9917. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether any suggestion has been made by the Transport Wing to the Public Works Department to the effect that the Khalghat bridge on Agra-Bombay Highway be broadened in view of the flood waters of Narmada over flowing the bridge ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) if so, the time likely to be taken to complete such work and reaction of Government in regard to preventing Narmada waters from coming over the bridge ?

The Dequty Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). The Member is presumably referring to the Roads Wing of the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport. No suggestion has been made by the Transport Ministry to the State P. W. D. for broadening the Khalghat bridge. However, a proposal for a high level bridge at Khalghat on National Highway No. 3 along with other projects is under consideration for sanction during the Fourth Five Year Plan period.

इम्फाल स्थित विश्वविद्यालल केन्द्र

9918. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इम्फाल में प्रस्तावित विश्वविद्यालय केन्द्र के सम्बन्ध में अप्रैल, के प्रथम सप्ताह में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक प्रतिनिधि मण्डल ने इम्फाल का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल के निष्कर्ष क्या हैं तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय केन्द्र विश्वविद्यालय के लिये लोगों की मांगों को कहा तक पूरा करने में समर्थ हो सकेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इम्फाल में स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिये एक विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना हेतु मणिपुर प्रशासन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति 4, 5 और 6 अप्रैल, 1969 को इम्फाल गई थी।

(ख) और (ग). समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

केन्द्रीय सेवाओं के लिये पूर्वगत परिस्थितियों का सत्यापन

991०. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में घोषणा की है कि केन्द्रीय सेवाओं में पदार्पण करने वाले व्यक्तियों के चरित्र तथा पूर्वगत परिस्थितियों के सत्यापन के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय के नियमों से परिकल्पित घातक क्रियाओं की परिभाषा से वह सहमत नहीं थे ;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचना दे दी है कि राज्य सरकार अपनी ही नीति के अनुसार उन सत्यापनों को नियुक्त करेगी ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत के सत्यापन के लिये माप-दण्ड का सितम्बर 1967 में पुनरीक्षण किया गया था और 22-11-67 को श्री ए० श्रीधरन के तारांकित प्रश्न के उत्तर में एक पूरक प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में 16 फरवरी 1968 को लोक सभा में एक विवरण रखा गया है जिसमें ये मापदण्ड बताये गये हैं। राज्य सरकारों से भी इन मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन करने के लिए जिला प्राधिकारियों को हिदायतें जारी करने के लिए अनुरोध भी किया था। केरल सरकार के इस सम्बन्ध में अभी तक ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है कि उन्होंने ऐसी हिदायतें जारी की थीं। चरित्र और पूर्ववृत के सत्यापन के मापदण्ड जो देश भर में एक समान है, बिलकुल न्यायसंगत तथा वस्तुगत है तथा जहां तक केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति का सम्बन्ध है ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्तता की जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा न कि राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

श्रेणी एक के अधिकारियों का गतिरोध

9920. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) जो अधिकारी पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से अधिकतम वेतन पर पहुँच गये हैं उनकी संख्या कितनी है ?

(ख) अन्य केन्द्रीय सेवाओं के श्रेणी एक उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो तदनुवर्ती वेतन क्रमों में अधिकतम वेतन पर पहुंच चुके हैं ;

(ग) सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में उपसचिवों के रूप में या समान पदों पर काम कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा और श्रेणी एक की अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की संख्या श्रेणीवार कितनी है ; और

(घ) अन्य सेवाओं की तुलना में सचिवालय सेवा के अधिकारियों का अनुपात क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

के ग्रेड-1 के उन अधिकारियों की संख्या 90 है जो पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे हैं ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-1 के अनुरूपी ग्रेडों में अधिकतम वेतन प्राप्त करने वाले अन्य केन्द्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह एकत्रित की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

	आई०ए० एस०	आई०ए० एण्ड ए०एस०	आई० डी० ए०एस०	आई० आर० एस०	आई० आर० ए०एस०	भारतीय डाक सेवा	अन्य	केन्द्रीय सचिवालय सेवा
ऐसे पदों पर आसीन अधिकारियों की संख्या	90	26	9	28	1	6	20	108

(घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा अफिकारियों का अनुपात अन्य सेवाओं (आई० ए० एस० समेत) की तुलना मे 3 : 5 है ।

दिल्ली पुलिस की हिरासत से विचाराधीन बन्दियों का बच निकलना

9921. **श्री मुहम्मद शरीफ :** **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की हवालात से 28 मार्च, 1969 को चार विचाराधीन बन्दी बचकर निकल भागे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जाँच की गई है ;

(ग) उनके बच कर निकलने के क्या कारण थे ; और

(घ) उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनकी असावधानी से ऐसा हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) यह बताया गया है कि 28-3-69 को तीस हजारी न्यायिक हवालात से चार विचाराधीन बन्दी निकल भागे थे। इस सम्बन्ध में जाँच पड़ताल के लिए स्थानीय पुलिस भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था । उनमें से अब तक तीन बन्दी बनाये जा चुके हैं और डेढ़ वर्ष का कठोर कारावास काटने के लिए दण्डित किये गये हैं । चौथे व्यक्ति को बन्दी बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(घ) इन घटनाओं की जांच समाप्त होने तक दो पुलिस कर्मचारी कर्तव्यों की अवहेलना के लिए निलम्बित किये गये हैं ।

Police Contingents in Delhi

9922. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police contingents requisitioned from various States during Delhi Policemen's Strike in April, 1967 are still in Delhi ;

(b) if so, the strength thereof and the annual expenditure being incurred thereon ;

(c) the total number of Policemen under suspension and the amount being spent by Government by way of subsistence allowance to them ;

(d) the number of those against whom prosecutions have been launched ;

(e) the amount already spent by Government on such prosecutions so far since April, 1967 ; and

(f) the propriety of such action ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A sum of approximately Rs. 1,01,900/- per month is spent on the subsistence allowance of 752 policemen under suspension.

(d) Prosecutions have been launched against 960 persons, which include 752 policemen under suspension and 208 ex-policemen of the Delhi Police.

(e) Rs. 1,38,926·05 approximately has been spent on the pay and allowances of Trying Magistrates, Court staff and prosecuting staff.

(f) Police personnel are members of disciplined force entrusted with the task of maintenance of law and order. The law is being allowed to take its normal course.

Jodhpur Boundary Commission Maps Sent to Pakistan

9923. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported despatch of some maps belonging to the Jodhpur Boundary Commission to Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that Pak spies are active in border areas of Jodhpur and that some important registers and maps of the Indo-Pak boundary in Ganganagar, which were sent by parcel to the District Magistrate, were found missing from his office ; and

(c) if so, the persons responsible therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). According to information furnished by the Government of Rajasthan a print showing the inter-State boundary between Rajasthan and Punjab was received by the State Government for authentication from the Survey of India in July, 1968. The print was forwarded to the Collector, Ganganagar, for verification and return. On being reminded by the State Government, the Collector, Ganganagar, intimated in January, 1969 that the print and other relevant correspondence had not reached him. The Collector was directed to inquire into the matter further and in the course of his inquiries he has suspended a clerk in his office.

Action Against Editor of Moplaland

9924. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri P. P. Kammo, Editor of the 'Moplaland' has been arrested at Mallapuram ; and

(b) if so, the nature of charges against him and whether this paper had been publishing such material earlier also ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) According to information furnished by the State Government of Kerala, Shri Kammo has been arrested by the State authorities on charges under Section 295-A I. P. C. The State Government have also intimated that no such materials has been published in the paper earlier as would have been actionable under the provisions of law.

शंकराचार्य के विरुद्ध कार्यवाही

9925. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री देवराव पाटिल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) नियम 377 के अधीन इस मामले के संदर्भ में 30 अप्रैल, 1969 को सदन में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

अस्पृश्यता पर शंकराचार्य के विचार

9926. **श्री वी० नरसिम्हा राव :**

श्री सिद्धय्या :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वामी करपात्री जी और गुरु गोलवलकर सहित कुछ अन्य हिन्दू धार्मिक तथा सामाजिक नेताओं ने अस्पृश्यता के सम्बन्ध में पुरी के शंकराचार्य के विचारों का समर्थन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके विरुद्ध उसी प्रकार की कार्यवाही करने का है ; और

(ग) क्या शास्त्रों में अस्पृश्यता के बारे में सचाई का पता लगाने और हिन्दुओं के मन से शंकाओं को दूर करने के लिये सरकार का विचार सर्वोपरि हिन्दू विद्वानों और धर्मशास्त्रियों का एक आयोग नियुक्त करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

उप-सचिवों के तथा उनसे उच्च दर्जे के बिना कार्य वाले अधिकारी

9927. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार से उप सचिवों के तथा उनसे उच्च दर्जे के ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं जो वेतन तो नियमित रूप से ले रहे हैं किन्तु जिन्हें गत छः महीने अथवा इससे भी अधिक समय से कोई कार्य नहीं सौंपा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : ऐसा केवल एक ही अधिकारी, श्री प्रेम कृष्ण, गृह मन्त्रालय को ज्ञात हैं।

उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा राजनैतिक नेताओं के समान में स्वागत समारोह

9928. **श्री कंवरलाल गुप्त** :　　**श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री रा० की० अमीन :　　**श्री मुहम्मद शरीफ** :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के सम्मान में स्वागत समारोह किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई वकीलों ने इसका विरोध किया था ;

(ग) क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ये हिदायत दी है कि वे भविष्य में किसी राजनैतिक नेता के सम्मान में ऐसे स्वागत समारोह न किया करें ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण) : (क) और (ख). सरकार के पास कोई सरकारी सूचना नहीं है। किन्तु 12 अप्रैल, 1969 के एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में इस सम्बंध में एक समाचार था।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए औपचारिक आचरण-संहिता नहीं है। इस मामले में सुपरिचित, स्वस्थ तथा श्रेयस्कर परम्पराओं का सख्ती से पालन करना प्रत्येक न्यायाधीश पर छोड़ दिया गया है। न्यायाधीशों के लिए सामाजिक समारोहों तथा अन्य सभाओं में भाग लेने के लिए कोई रोक नहीं हो सकती है। किन्तु उनसे आशा की जाती है कि वे वर्तमान सार्वजनिक विवादों से दूर रहें और सामान्यतः ऐसा व्यवहार करें ताकि उनकी न्यायिक निर्लिप्तता के बारे में कोई न्यायसंगत रूप में संदेह न कर सकें।

Dacoit-Infested Areas in U. P., M. P. and Rajasthan

9929. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the areas and names of places in Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh which are decoit-infested ;

(b) the extent to which the above State Governments have been incurring expenditure annually for the last 20 years in order to solve this decoity problem ;

(c) whether the Central Government and the concerned State Governments have, after serious consideration adopted any measures to solve this problem ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (a) to (d). The requisite information is being ascertained from the concerned State Governments and will be laid on the Table of the Sabha when received.

दिल्ली में जेब कतरों तथा समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध अभियान

9930. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने राजधानी में जेबकतरों और अन्य समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कोई अभियान चलाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार का अन्य राज्य सरकारों से राज्यों में इसी प्रकार का अभियान चलाने को कहने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। इस संबंध में विशेष अभियान समय-समय पर चलाए जाते हैं।

(ख) 1-1-1969 से 19-4-1969 तक की अवधि में 2057 गिरफ्तारियां की गई।

(ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में जेबकतरी जाने और छुरेबाजी की घटनायें

9931. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में जेबकतरी जाने छुरेबाजी की घटनायें हाल में ही बहुत अधिक हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की जान और माल की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 15-1-1960 से 14-4-1969 की अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में जेब कतरी जाने की 100 घटनाएं और छुरेबाजी की एक घटना दिल्ली पुलिस को सूचित की गई थी जबकि इससे पहले

के तीन महीनों में जेब कतरी जाने की 90 घटनायें और छूरेबाजी की एक घटना सूचित की गई है।

(ख) बस-स्टापों। बसों तथा भीड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस के सिपाही नियुक्त किये जाते हैं। वे सादे कपड़ों में भी फिरते हैं और कानून तोड़ने वाले ज्ञात अपराधियों पर निगरानी रखते हैं।

अध्यापकों तथा छात्रों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विधि बनाना

9932. **श्री रा० की० अमीन** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि उनकी सरकार विश्वविद्यालयों के मामलों को विनियमित करने और अध्यापकों तथा छात्रों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विधि बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार बनाई जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

राजस्थान में नर बली

9933. **श्री रा० की० अमीन** :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री मीठालाल मीना :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टोंक जिला (राजस्थान) के अकोसिया गांव में एक 50 वर्षीय बढ़ई को जिसका नाम बजरंग था, 'चनमुण्डी माता' को प्रसन्न करके छिपे हुए खजाने को प्राप्त करने हेतु मार्च, 1969 में बलि चढ़ा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अधीन शीघ्र जांच-पड़ताल को सुनिश्चित करें ताकि ऐसे अमानवीय अपराधों के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों पर शीघ्र ही मुकदमे चलाये जायें। उन्हें ऐसे अपराधों के मूल कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया हैं।

इस संबंध में पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है और इस अपराध के करने में ग्रस्त तीन संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

पहली मई को सार्वजनिक छुट्टी का रखा जाना

9934. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री वेंगलराया नायडू : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहली मई की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी इस दिन छुट्टी की घोषणा की है;

(ग) क्या इस दिन की छुट्टी केवल साम्यवादी देशों में ही की जाती है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की है ; और

(ङ) यदि नहीं तो, इसका क्या कारण है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों ने पहली मई को सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया था।

(ग) कुछ गैर-साम्यवादी देशों में भी पहली मई के दिन छुट्टी मनाई जाती है।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा स्थापनाओं के लिए मई दिवस को छुट्टी घोषित करने के एक सुझाव पर कुछ समय पूर्व विचार किया गया था। इस हेतु एक अतिरिक्त छुट्टी घोषित करने का सुझाव स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

9935. **श्री जुल्फिकार अली खाँ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं ने श्रेणी-वार (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी समेत कुल कितने अधिकारी हैं; और

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में मुसलमान कितने हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). 1 मई, 1968 को स्थिति बताने वाली उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :

सेवा का नाम	पदासीन व्यक्तियों की संख्या	मुसलमान कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा :		
(1) सैलेक्शन ग्रेड	120	1

1	2	3
(2) ग्रेड 1	392	2
(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड	1599	11
(4) सहायक ग्रेड	4582	19
केन्द्रीय सचिवालय		
आशुलिपिक सेवा :		
(1) ग्रेड-1	129	—
(2) ग्रेड-2	2089	5
केन्द्रीय सचिवालय		
लिपिक सेवा :		
(1) उच्च श्रेणी ग्रेड	2708	11
(2) निम्न श्रेणी ग्रेड	7961	33

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सम्बन्ध किसी केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं से नहीं है। इस वर्ग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना सहज उपलब्ध नहीं है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी

9936. **श्री जुल्फिकार अली खां :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पुरालेख शास्त्र, वैज्ञानिक तथा उद्यानकला शाखाओं को छोड़कर प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने (I) भारतीय प्राचीन इतिहास तथा (II) मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में विशेषज्ञ हो चुके हैं; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को (I) संस्कृत, प्राकृति की पाली तथा (II) अरबी या फारसी भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) 31

(ख) (i) 15
(ii) 2

(ग) (i) 19
(ii) 3

प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षा के माध्यम के रूप में

9937. **श्री जुल्फिकार अली खां :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कितने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उर्दू है; और

(ख) उपरोक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कितने सरकारी सहायता-प्राप्त माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उर्दू को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना संबंधित राज्यों तथा संघीय क्षेत्र से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों में सिगरेटों के बारे में घोषणा

9938. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों में किन-किन सिगरेटों के बारे में घोषणा की जाती है; और

(ख) इस प्रकार की घोषणा के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते अपने विमानों पर बिक्री के लिए 'इंडिया किंग्स' मोमक फिल्टर टिप वाले सिगरेटों का एक छोटा सा स्टाक रखते हैं तथा सिगरेटों की उपलब्धि के बारे में घोनणा यात्रियों की सुविधा के लिए की जाती है ।

यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को सहायता

9939. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को यूनेस्को से प्राप्त होने वाली सहायता का स्वरूप क्या है;

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के साथ किसी भी समय सम्बद्ध यूनेस्को के विशेषज्ञों की संख्या क्या है; और

(ग) यूनेस्को के सलाहकारों के कार्य का स्वरूप क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए यूनेस्को से सहायता मिल रही है :—

(1) स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार ।

(2) श्रमिक विद्यापीठों की स्थापना—कामगारों की शिक्षा के लिए एक प्रायोगिक परियोजना ।

सहायता निम्न रूपों में दी जा रही है :—

(i) विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं;

(ii) भारतीय कार्मिकों के लिए विदेशों में उच्च प्रशिक्षण;

(iii) वैज्ञानिक और तकनीकी साज-सामान।

(ख) और (ग). इस समय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में दस यूनेस्को विशेषज्ञ काम कर रहे हैं—नौ विज्ञान शिक्षा परियोजना और एक कामगार शिक्षा परियोजना में। विज्ञान शिक्षा परियोजना के लिये यूनेस्को विशेषज्ञ पाठ्यचर्या के विकास, पाठ्य-पुस्तकों सहित शिक्षण सामग्रियों की तैयारी, प्रयोगशाला उपकरणों की डिजाइन बनाने और उनके निर्माण, और अध्यापकों के प्रशिक्षण के काम में मदद कर रहे हैं। कामगारों की शिक्षा के लिए जो यूनेस्को विशेषज्ञ है, वह परियोजना की योजना तैयार करने और उसके विकास तथा भारतीय कार्मिकों के प्रशिक्षण के काम में मदद कर रहा है।

स्कूल पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के बीच संबंध

9940. **श्री नि० रं० लास्कर : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये स्थापित हुए स्कूल पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड का राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के बीच वास्तविक संकल्पित सम्बन्ध क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय बोर्ड पुस्तक बनाने का कार्य स्वयं सम्भालेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् पुस्तकें बनाने का कार्य अब नहीं करेगा जैसा कि अब तक होता था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर स्कूली पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देने के लिए राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य पुस्तक बोर्ड की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, बोर्ड के लिए आवश्यक अकादमिक सेवा की व्यवस्था करेगी, विचार-विमर्श के लिए समस्याएं प्रस्तुत करने तथा साथ ही बोर्ड द्वारा लिये गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए पाठ्यपुस्तकों की छानबीन, अनुमोदन तथा उत्पादन में लगे राज्य स्तर के तथा राष्ट्रीय संगठनों की मदद करने दोनों के लिए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम जर्मनी को जहाजों के निर्माण का आर्डर

9941. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी जर्मनी को जहाजों का निर्माण करने के लिये एक तुरन्त आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है; और

(ग) क्या आदेश देने से पहले विश्व दर प्राप्त कर ली गई थी ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). पश्चिम जर्मनी में जहाजों के निर्माण के लिए सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है। तथापि 1968-69 में उन्होंने पश्चिम जर्मनी से ऋण सुविधायें प्राप्त की हैं ताकि भारतीय पोत-परिवहन कंपनियां पश्चिम जर्मनी में 1007.8 लाख डी एम तक के मूल्य के जहाजों को बनाने का आदेश दे सकें।

(ग) भारतीय पोत परिवहन कंपनियों का विश्व निविदायें प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि उपरोक्त ऋण सुविधायें केवल पश्चिम जर्मनी में जहाजों के निर्माण के लिये उपलब्ध है।

राष्ट्रीय राजपथों पर लगे मील दर्शाने वाले पत्थरों पर उर्दू में चिह्न

9942. **श्री जुल्फिकार अली खां :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो राष्ट्रीय राजपथ ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं जहां के अधिकतर व्यक्ति उर्दू जानते हैं, क्या उन राजपथों पर लगे मील दर्शाने वाले पत्थरों और सड़क-चिन्हों पर उर्दू में भी संकेत या सूचना अंकित; और

(ख) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए धन प्रयोग में लाना

9943. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी उतनी खर्च नहीं की गई; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा उपयोग में न लाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है और कम खर्च करने के कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय के अधीन अनुसंधान संगठनों के बारे में ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के लिए बजट अनुदान तथा उनका वापस किया जाना

अनुसंधान संगठन	1966-67 बजट अनुदान	1966-67 लौटाई गई राशि	1967-68 बजट अनुदान	1967-68 लौटाई गई राशि	1968-69 बजट अनुदान	1968-69 लौटाई गई राशि
		लाखों में	लाखों में		लाखों में	
1. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	शून्य		1860.64	56.00	1997,00	173.38
2. भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण	• 14.93.0.03		17.83	3.04	19.64	3.12
3. भारत का प्राणि सर्वेक्षण विभाग	शून्य		29.92	3.43	32.90	3.08

2. निधियों का प्रयोग न किये जाने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :

(i) सीमेंट अनुसंधान संस्था के स्टाफ के मकानों तथा इमारतों, राष्ट्रीय भुगर्भीय अनुसंधान संस्था की मुख्य वैद्यशाला, हैदराबाद, केन्द्रीय खाद्य औद्योगीकीय अनुसंधान संस्था के अन्तर्राष्ट्रीय होस्टल, प्रादेशिक अनुसंधान वैद्यशाला, जम्मू वा श्रीनगर की ब्रांच प्रयोगशाला, और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्था के लाइब्रेरी ब्लाक के स्टाफ के मकानों तथा इमारतों के निर्माण में धीमी प्रगति का होना ।

(ii) प्रयोगशालाओं में विकसित प्रक्रिया को बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में पायलट प्लाटों की स्थापना के लिए विदेशों से उपकरणों की प्राप्ति में विलम्ब

(iii) पूल में अधिकारियों की संख्या कम हो जाने से वैज्ञानिकों संबंधी पूल के लिए की गई व्यवस्था में बचत ।

(iv) मन्दी के कारण सहकारी औद्योगिक अनुसंधान संस्थाओं में अनुसंधान गतिविधियों में सुस्ती ।

(v) विदेशों से उपकरणों की वसूली में विलम्ब के कारण जमशेदपुर स्थित, नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी में मेगनैशियम परियोजना में धीमी प्रगति ।

(vi) मितव्यता लाने के कारण भारतीय भूतत्वीय और प्राणि सर्वेक्षण विभागों में रिक्त पदों के भरने पर रोक और स्थान के न मिलाने के कारण ऊंचे स्थान पर प्राणि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना में विलम्ब ।

पेट्रोल तथा स्नेहक तेलों पर कर लगाने के कारण परिवहन उद्योग पर प्रभाव

9944. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल तथा स्नेहक तेलों पर नये कर लगाये जाने के परिणाम-स्वरूप जिसके कारण परिवहन पर संचालन लागत 25 प्रतिशत बढ़ गई है, सड़क परिवहन उद्योग की स्थिति बहुत खराब हो गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सड़क परिवहन उद्योग के हित में नये कर वापिस लेने पर सरकार विचार करेगी ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं। पेट्रोल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में वृद्धि से सड़क परिवहन उद्योग को किसी सार्थक सीमा तक प्रभावित करने की संभावना नहीं है क्योंकि अधिकांश बसे और ट्रक डीजल पर चलते है।

जहाँ तक स्नेहक तेल पर आयात शुल्क में वृद्धि का सम्बन्ध है इस कदम से देशी उद्योग को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। यह वृद्धि सड़क परिवहन उद्योग को सारवानरूप से प्रभावित करने की संभावना नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

मोटर-साइकल तथा स्कूटर चलाने वालों द्वारा सुरक्षा टोपियो का उपयोग

9945. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोटर-साइकिल तथा स्कूटर चलाने वालों के लिए इन वाहनों के चलाते समय सुरक्षा टोपियो का पहनना अनिवार्य करना चाहती है जिससे कि दुःखद दुर्घटनाओं से बचा जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ख). मोटर साइकल या स्कूटर चलाने वाले या उन वाहनों में ले जाये जाने वाले व्यक्ति द्वारा अनिवार्यरूप से 'क्रैश हेलमेट" प्रयोग करने से संबद्ध प्रश्न पर राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों के परामर्श में जाँच की गई थी यह अनुभव किया गया कि "क्रैश हेलमेटों" के अनिवार्य प्रयोग करने के लिए इस अवस्था पर कानून न बनाया जा सके परन्तु सड़क सुरक्षा कार्य में लगी हुई संस्थायें मोटर साइकल सवारों और स्कूटर सवारों द्वारा ऐच्छिक आधार पर जैसा यू० के०, यू० एस० ए०, जापान और पश्चिम जर्मनी जैसे अन्य देशों में होता है, ऐसे हेमलेट प्रयुक्त करने की वांछनीयता का प्रचार किया जाना चाहिए और उसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

होटल परियोजनाओं के लिये दिये गये ऋण

9946. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होटल विकास ऋण योजना के अंतर्गत अब तक होटल परियोजनाओं के लिये कोई ऋण दिये गये है ;

(ख) किन होटल परियोजनाओं के लिये ऋण दिये गये है ;

(ग) यह होटल कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) प्रत्येक होटल की कुल लागत कितनी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग). जी, हां। मैसर्स एस० पी० जायसवाल, एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, को मार्च 1969 में उनके प्रोजेक्ट-होटल हिन्दुस्तान इन्टरनेशनल, कलकत्ता के लिये 20 लाख रुपये का एक ऋण दिया गया है।

(घ) भूमि की कीमत को निकाल कर प्रोजेक्ट की कुल लागत का 90.88 लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है ।

पंजाब के राज्यपाल का वापस बुलाना

9947. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के राज्यपाल को वापस बुलाने के बारे में पंजाब विधान मण्डलीय कांग्रेस दल की माँग का पता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पंजाब विधान मण्डलीय कांग्रेस दल से, राज्यपाल को वापस बुलाने की माँग का कोई पत्र सरकार को प्राप्त नही हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तामिलनाडु में राष्ट्रीय राजपथ

9948. **श्री किरूतिनन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में तामिलनाडु में राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत आदि के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई थी ;

(ख) इस अवधि में आरम्भ किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) 1969-70 में तामिलनाडु में राष्टीय राजपथों की मरम्मत आदि के लिये कितनी धनराशि नियत करने का विचार है ; और

(घ) इस अवधि में आरम्भ किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 68.47 लाख रुपये ।

	मील	फर्लान्ग
(ख) रखरखाव के अंतर्गत पुनः कोलतार बिछाना	133	2
रखरखाव विशिष्ट मरम्मत अन्तर्गत पुनः तारकौल बिछाना	16	2

उपर्युक्त के अलावा, भराव काम और दुसरे मरम्मत तथा छोटे मोटे काम किये गये थे ।

(ग) और (घ). 1969-70 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए आवश्यकताओं को अन्तिमरूप दिया जाने के बाद कार्य के ब्यौरे तैयार किये जायेंगे और आवंटन किये जायेंगे ।

पम्बन में सड़क पुल

9949. **श्री किरूतिनन :** क्या नौहवन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरैधनुषकोटि राष्ट्रीय राजपथ पर मण्डपम और रामेश्वरम् द्वीप को मिलाने के लिये पम्बन पर एक सड़क पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, और

(ग) क्या कार्य चतुर्थ योजनावधि में आरम्भ किया जायेगा ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है किन्तु वर्तमान दरों के हिसाब से पुल पर स्थूलरूप से 5 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल करना साधनों की प्राप्यता और ऐसे साधनों के विरुद्ध मांगों की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है ।

Declaration of Ganga and Ghagghar Rivers as National Waterways

9950. **Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of Shipping and Transport be** pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Estimates Committee had, in their report regarding Inland Water Transport, recommended that Ganga and Ghagghar rivers be declared as national water ways ; and

(b) if so, the reasons for not doing so far and when an announcement would be made in this regard ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). The Estimates Committee in their Sixty First Report (1956-57) recommended that the question of declaring important waterways as National Waterways should be taken up and that a beginning may be made with the Ganga and Brahmaputra waterways. The matter was considered by the Inland Water Transport Committee (1959) and subsequently by the Transport Development Council (1965). The Council recommended that with the completion of the Farakka Barrage, the question of declaring the Ganga and the Bhagirathi from Allahabad to Calcutta as a National Waterway may be considered. The matter is under examination.

देश में हिप्पियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध

9951. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युवकों और युवतियों को चरस तथा गांजा जैसे मादक पदार्थ पीने की आदत लग रही है, जो उन्हें विश्वविद्यालय क्षेत्र में हिप्पियों से प्राप्त होते हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में हिप्पियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बारे में समाचार पत्र में छपे समाचार पर ही सरकार का ध्यान दिलाया गया है। परन्तु विश्वविद्यालय के अनुसार यह सच नहीं है कि युवक और युवतियों को विश्वविद्यालय के आहते में चरस तथा गांजे जैसे मादक पदार्थ पीने की आदत है।

(ख) से (ग) गैर-परम्परागत कपड़े पहनने वालों तथा तौर तरीकों वाले विदेशियों के जिनको आम तौर पर हिप्पी कहा जाता है, प्रवेश पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी उन पर सतर्कता तेज कर दी गई है और जबकि ऐसे विदेशियों द्वारा अवांछनीय गतिविधियों का पता लगता है तो उचित कानून के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

Kohli Commission Report

9952. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand has been made to the Central Government to publish the report of the Kohli Commission which enquired into the police firing and excess in Kashmir in connection with the Pandits' agitation ; and

(b) if so, the steps being taken to fulfil this demand ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A demand was made that the report should be placed on the Table of this House. The Government of Jammu and Kashmir had appointed Shri D. P. Kohli to make this inquiry and he had submitted his report to that Government who are examining it. It is for them to consider the question of publishing the report.

Bomb Explosion in Barauni-Teghra Industrial Area

9953. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of incidents of bomb-explosion in Barauni-Teghra Industrial area during the past two years and the main causes thereof ; and

(b) the elements behind such incidents and the steps taken to avoid recurrence thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received from the Government of Bihar.

जयपुर तथा भोपाल के बीच राजकीय राजपथ

9951. **श्री बृजराज सिंह** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर से भोपाल के वर्तमान राजकीय राजपथ को कोटा और अलवर रास्ते से ले जाकर उसका दर्जा बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). भोपाल और कियावोरा के बीच की सड़क का खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 का एक अंग है और प्राप्त निधियों में से ही इस खंड के सुधार के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। वियावोरा और जयपुर के बीच की सड़क एक मौजूदा राज्य राजपथ है और उसका आगे विकास करना सम्बधित राज्य सरकारों की जुम्मेवारी है।

सैन्ट्रल इण्डियन मैडिसिनल हर्ब्स आर्गनाइजेशन में निदेशक का पद

9955. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : **श्री रणजीत सिंह** :
श्री सूरज भान : **श्री ब्रज भूषण लाल** :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 नवम्बर, 1968 "दी आर्गेनाइजर" में प्रकाशित यह समाचार ठीक है कि सैंट्रल इण्डियन मैडिसिनल हर्ब्स आर्गनाइजेशन में निदेशक का पद गत तीन वर्षों से खाली पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसके मुख्यालय की स्थापना के लिये किस स्थान का निश्चय किया गया है और निर्णय करने के लिये यह मामला कितनी अवधि तक विचाराधीन पड़ा रहा है ;

(घ) क्या प्रादेशिक अनुसंधान, प्रयोगशाला, जम्मू में कथित कदाचारों के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सेन्ट्रल इंडियन मेडिसिनल हर्ब्स आर्गेनाइजेशन (केन्द्रीय भारतीय जड़ी-बूटी संगठन) के निदेशक का पद 10 सितम्बर, 1965 से खाली पड़ा।

(ख) और (ग). निदेशक के पद की सूचना पहली बार फरवरी, 1965 में निकाली गई थी। चुने गए प्रत्याशी ने पेशकश मंजूर नहीं की। फरवरी, 1966 में पद का फिर से विज्ञापन दिया गया। चुनाव समिति ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से सिफारिश की कि संगठन के निदेशक की नियुक्ति से पहले संगठन के कार्य क्षेत्र और कृत्यों के सम्बन्ध में विचार कर लेना अच्छा होगा। केन्द्रीय भारतीय जड़ी-बूटी संगठन के कार्य क्षेत्र और कृत्यों की समीक्षा के लिए नियुक्त समिति ने संगठन के प्रधान कार्यालय को फिलहाल जम्मू में स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव पर विचार किया, जिससे कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू के निदेशक, जिनसे सितम्बर, 1965 से संगठन का कार्यभार भी संभालने के लिए कहा गया था, इससे कार्यकलापों का प्रभावी ढंग से समन्वय और पर्यवेक्षण कर सकें। समिति का यह विचार था कि मुख्यालय कहां स्थापित किया जाए इस प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय लेने का काम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान महानिदेशालय पर छोड़ देना चाहिए। मामले पर विचार हो रहा है।

(घ) और (ङ) हाल में, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू में कदाचार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हां, वर्तमान निदेशक की नियुक्ति से पहले, 1963 में, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू में पुस्तकालय लेखा और पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद के बारे में हुई कुछ अनियमितताएं केन्द्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जानकारी में लाई गई थीं। पुस्तकाध्यक्ष के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई थी और उसे नौकरी से हटा दिया गया था। मामला बाद में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था और उनके जांच परिणामों के आधार पर, तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से निम्नलिखित कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

(i) इन लोगों के पक्षों के खिलाफ विशेष पुलिस संघटन तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा न्यायालयों में क्रमश: फौजदारी और दीवानी मुकदमें दायर कर दिए हैं।

(ii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर कुछ मामलों में विभागीय कार्यवाई की का रही है और कुछ अन्य लोगों के बारे फौजदारी मामलों के पूरे होने तक के लिए कार्रवाई उठा रखी गई है।

झांसी से कोटा और अजमेर तक सड़क सम्पर्क

9956. **श्री बृजराज सिंह** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान झांसी कोटा-अजमेर सड़क के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, उसका दर्जा बढ़ाने के लिये उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) यदि कोई प्रस्ताव है, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि उक्त भाग का उतर नहीं में है, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) झांसी को अजमेर से मिलाने वाली सड़क कोटा से होती हुई झांसी, शिवपुरी, परोरा, कोटा दिवोली, अजमेर मार्ग से होकर जाती है जो 319 मील लम्बी है। इस सड़क का झांसी, शिवपुरी खंड, जो 59 मील लम्बा है, पहले ही से मौजूदा राष्ट्रीय-राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25) है। शिवपुरी से परोरा तक 10 मील की लम्बाई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 का एक भाग है। शेष परोरा से अजमेर तक की सम्पूर्ण 250 मील लम्बी सड़क राज्य सड़क है और इसके विकास की जुम्मेवारी मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकार की है। फिलहाल इस सड़क को अपग्रेड करने का विचार नहीं है।

अण्डमान की कोशीय जेल के ढाये जाने के विरुद्ध शिष्टमण्डल

9957. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व अण्ड़मान राजनीतिक बंदी भ्रातृत्व सर्किल के सदस्यों ने हाल ही में प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री से भेंट की तथा उनसे अनुरोध किया कि वे उन परिस्थितियों की जांच करायें जिनके अन्तर्गत अण्डमान की ऐतिहासिक कोशीय जेल को तोड़ने के आदेश दिये गये थे ;

(ख) क्या शिष्टमण्डल ने प्रधान मंत्री से यह भी कहा था कि इस ऐतिहासिक जेल को तोड़ने के कार्य से यह विदित होता है कि कुछ व्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्ति के कार्य में भाग लेने वाले भारतीय क्रांतिकारियों के सभी साक्ष्यों को मिटाने में तत्पर हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या है तथा इस मामले की जांच कब कराई जाएगी ;

(घ) क्या शिष्टमण्डल ने यह भी सुझाव दिया था कि भूतपूर्व राजनीतिक बन्दियों को जिन्होंने अण्डमान की जेल में वर्षों पीड़ा सही उन स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके त्याग के अनुरूप मानदेय देना चाहिए ;

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है तथा क्या इस मामले में उसने कोई निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) भूतपूर्व अण्डमान राजनैतिक बन्दी भ्रातृत्व सर्कल कलकत्ता का एक शिष्टमण्डल ने अप्रैल 1969 में प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से भेंट की थी और उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मांग की थी कि अणमान कोशीय जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाय। इन ज्ञापनों में ऐसी कोई जांच कराने के लिए माँग नहीं की गई थी।

(ग) पोर्ट ब्लेयर में कोशीय जेल, जो कि 1903 में पूर्ण की गई थी, सेन्ट्रल मीनार से फैले हुए सात तीन मंजिल कक्षों सहित एक तारे के आकार की थी। इसके 2 कक्ष, अर्थात कक्ष

नम्बर 3 और 4 जापानियों द्वारा द्वीप पर अधिकार करने के दौरान ध्वस्त कर दिये गये थे। कक्ष नम्बर 5 भी उसी समय के दौरान अंशतः गिरा दिया गया था। इस द्वीप पर पुनः कब्जा करने के पश्चात इंजीनियरों द्वारा इस भवन का निरीक्षण किया गया और इसका मुख्य भाग असुरक्षित घोषित कर दिया। इसलिए इस भवन को केवल बीच में स्थित मीनार को एक स्मारक के रूप में रखते हुए शेष भवन को गिराने का निर्णय किया गया। यह निर्णय इस सदन को भी 7 मार्च, 1961 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1175 तथा 31 मई, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1082 के दिये गये उत्तरों में बता दिया गया था। कक्ष नम्बर 5 को गिराने का निर्णय मार्च 1960 में किया गया था और उसे जोलाई 1960 तक गिरा दिया गया था। कक्ष नम्बर 2 भी जीर्ण-शीर्ण दशा में था और किसी भी समय इसके गिर जाने की सम्भावना थी। इसको गिराने की स्वीकृति मार्च, 1963 में दी गई थी और इसे 1968 तक गिरा दिया गया था। अतः मूल निर्णय केवल बीच में स्थित मीनार को रखने तथा कक्षों को गिरा देने का था। अतएव इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, अब यह निर्णय किया गया है कि बीच में स्थित मीनार तथा जेल के वर्तमान तीनों कक्षों को सुरक्षित रखा जाय।

(घ) और (ङ) सुझाव की जाँच-पड़ताल की जा रही है।

दोहरे करों के कारण सड़क परिवहन के विकास में बाधा

9958. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों द्वारा दोहरे कर लगाये जाने के कारण देश में सड़क परिवहन प्रणाली के विकास में भारी बाधा पड़ रही है ;

(ख) क्या नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में परिवहन चालकों द्वारा ऐसे करों के युक्ति संगत बनाये जाने तथा एक स्थान पर दो कर लगाने की प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया पूछी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) सड़क परिवहन कराधान जाँच समिति के अनुसार सड़क परिवहन की कठिनाइयों को न्यूनतम करने की दिशा में यह एक अच्छा कदम होगा यदि मोटर गाड़ियों के करों की संख्या घटा कर न्यूनतम कर दी जाय और कर एक ही एजन्सी द्वारा एकत्रित किये जायें।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यीय रास्तों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों पर एकल बिन्दु कर लागू करने के प्रश्न के बारे में समय समय पर राज्य सरकारों के साथ लिखापढ़ी की क्योंकि मोटर गाड़ियों पर कराधान राज्य क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार सामान्य तौर पर दो से अधिक राज्यों के बीच गुजरने वाले रास्तों पर चलने वाली परिवहन मोटर गाड़ियों पर एकल बिन्दु कराधान के पक्ष में नहीं है क्योंकि इसके फलस्वरूप उनके राजस्व में कमी होगी।

अन्तर्राज्जीय रास्तों पर परिवहन मोटर गाड़ियों के परिचालन को विनियमित, विकसित और समन्वित करने के लिए मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 63 ए के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग की स्थापना की गयी है। अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग नियम 1960 के आधीन आयोग मोटर गाड़ियों के कराधान के मामलों में राज्य सरकारों को सलाह दे सकता है और अन्तर्राज्यीय मोटर परिवहन सेवाओं के निर्विघ्न और कुशल परिचालन के लिए राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक प्रबन्धों को करने में उनकी सहायता कर सकता है। तदनुसार आयोग पड़ौसी राज्यों में पड़ने वाले अन्तर्राज्यीय रास्तों के परिवहन मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए एकल विन्दु कराधान सिद्धान्त के आधार पर राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक समझौते करने के लिए अनुनय विनय के तरीकों का प्रयोग करते आ रहा है।

आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, महाराष्ट्र और तामिलनाडू राज्यों ने एक समझौता किया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की दो सौ माल गाड़ियों "ग्रह" राज्य में देय करों के अलावा प्रत्येक राज्य के लिए 500 रुपये वार्षिक करों के रूप में "ग्रह" राज्य में ही भुगतान करने के बाद इस क्षेत्र में विशिष्ट रास्तों पर निर्बाध रूप से चल सकती है।

उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के राज्य इसी प्रकार के समझौते करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है।

दिल्ली में अपराध स्थिति का अध्ययन

9959. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अपराधों में वृद्धि का एक कारण यह है कि राजनीतिज्ञ लोग राजधानी में अपराधियों को गुप्त रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप ने बहुत समर्थन करते हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजनाबद्ध अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रकार का अध्ययन कब आरम्भ किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). यह सिद्ध करने के लिये कोई साक्ष्य ध्यान में नहीं आया है कि राजनीतिज्ञ लोग राजधानी में अपराधियों का समर्थन करते हैं। राजधानी में अपराध की स्थिति का दिल्ली प्रशासन द्वारा नियतकालिक पुनरीक्षण किया जाता है और समय समय पर उपयुक्त उपचारीय उपाय किये जाते हैं।

काण्डला पत्तन को वृहत भीतरी प्रदेश के साथ जोड़ने का प्रस्ताव

9960. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन (1) बड़ी रेलवे लाइन द्वारा वृहत् भीतरी प्रदेश के साथ अवाध व्यापार क्षेत्र और काण्डला पत्तन को जोड़ने (2) पत्तन पर भारी मालवाहकों के आने को प्रोत्साहन देने तथा अधिक सामान उतारने की वर्तमान दर में वृद्धि लाने के लिए पत्तन को यंत्रीकृत तथा अर्ध-यंत्रीकृत सुविधाओं से सुसज्जित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार काण्डला पत्तन पर इन सुविधाओं को देने की व्यवहार्यता पर विचार करेगी ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). बड़ी रेलवे लाइन द्वारा कांडला पत्तन और भुन्ड से अहमदाबाद होकर भीतरी प्रदेश के साथ अवाध क्षेत्र को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है और पूरा होने वाला है। कांडला पत्तन के पास पर्याप्त शोर क्रेन, मोवाइल क्रेन, जिप्ट, ट्रेक्टर और ऐसे ही अन्य उपस्कर हैं। इसके अलावा पत्तन जहाजों के जल्दी निपटान करने के लिए खाद्यान्न उन्मुक्त मशीनों को चला रही है।

नौवहन विकास निधि तथा भारतीय पत्तनों का आधुनिकीकरण

9961. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1969 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित भारतीय पत्तनों के आधुनिकीकरण और नौवहन विकास के माध्यम से चलाई गई ऋण योजनाओं के सम्बन्ध में उदार नीति के लिए गोआ मिनरल और एक्सपोर्ट्स एसोसियेशन के अध्यक्ष तथा डेम्पो स्टीम लिमिटेड के सभापति द्वारा आकाशवाणी पर दिये गए भाषण की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रामैया) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान शर्तें जिन पर पोत परिवहन विकास निधि से ऋण दिया जाता है वे पहले ही बहुत उदार हैं और इसलिए इस शर्तों के उदार किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। पत्तनों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में पत्तनों के विकास के लिए बहुत सी परियोजनाओं पर पहले ही कार्य हो रहा है और बहुत सी दूसरी परियोजनाएं आयोजना की विभिन्न अवस्थाधीन हैं।

निरक्षरता का उन्मूलन

9962. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**　　**श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री अविचन :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986 तक जन साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या भारत के विकसित राज्यों के साथ समता प्राप्त कराने के लिए तुलनात्मक रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष अनुदान दिये जायेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जन साक्षरता के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए सभी बच्चों को कारगर ढंग से प्राथमिक शिक्षा देने की यथाशीघ्र व्यवस्था करना तथा साथ ही साथ बड़े पैमाने पर प्रौढ़ साक्षरता आन्दोलनों का आयोजन करना आवश्यक है। ये दोनों जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की हैं। राज्य सरकारें, अपनी-अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की व्यवस्था कर रही है और चौथी पंचवर्षीय आयोजना अवधि में, प्राथमिक स्तर पर 124 लाख अतिरिक्त बच्चों को दाखिल करने का प्रस्ताव है तथा 6-11 आयु वर्ग के बच्चों के दाखिले की प्रतिशतता 1968-69 में 78 प्रतिशत के मुकाबले 1973-74 में बढ़ा कर 85 प्रतिशत करने का विचार है। प्रौढ़ व्यक्तियों में साक्षरता का प्रसार करने के लिये चौथी आयोजना के दौरान, निम्नलिखित कार्यक्रमों को विकसित करने का प्रस्ताव है :

(1) स्वैच्छिक प्रयत्नों और स्थानीय समुदाय के साधनों को गतिशील बनाना ;

(2) चुने हुए जिलों में प्रायोगिक प्रायोजनाओं का संचालन करना तथा प्राप्त अनुभव के आधार पर अन्य क्षेत्रों में उनका विस्तार ;

(3) 10 लाख किसानों के लिए कृषक शिक्षा तथा कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम ;

(4) राष्ट्रीय सेवा योजना के एक भाग के रूप में विद्यार्थियों की सहायता से साक्षरता कक्षाओं का आयोजन करना ;

(5) कार्यक्रमों के विकास पर सरकार को सलाह देने और सभी संबंधित व्यक्तियों तथा विभिन्न अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना।

समस्या की अत्यधिक विशालता को देखते हुए तथा साधनों के निग्रह के कारण, चौथी आयोजना में जो भी प्रस्तावित है, उसके बावजूद, यह कहना कठिन है कि जन शिक्षा का लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जाएगा ;

(ख) शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय के, फिलहाल, ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 पर जमसूलाघाट पर जांच गेट

6963. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री महेन्द्र मांझी :

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उड़ीसा की सीमा पर राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 पर जमसूलाघाट के स्थान पर एक जांच गेट है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जांच गेट 10 बजे रात्रि से प्रातः तक यातायात के लिए बन्द कर दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नेफा में गिरजाघरों के जलाये जाने के समाचार

9964. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें नेफा के सुबानसिरी जिले में डीड तथा अन्त निकटवर्ती गांवों में स्थानीय ईसाई सम्प्रदाय के दस गिरजाघरों के जलाये जाने के समाचार मिले हैं ;

(ख) क्या इस आरोप में कुछ सच्चाई है कि होम गार्डों की यूनिटों के जवानों ने आग लगाने की इस वारदात में सक्रिय रूप से भाग लिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या यह सच है कि नेफा के सियांग जिले के एलांग नामक स्थान में उस क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार करने के आरोप में कुछ आदिमजातीय लड़कों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमन्। उपलब्ध सूचना के अनुसार सुबनसिरी जिले के दीद, दाम और नीलम गांवों में तीन अस्थायी छप्पर वाली झोपड़ियां गांव वालों द्वारा जो बताया जाता है कि कुछ धर्मप्रचारकों के कुछ वेतन-भोगी कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध हो गये थे, नष्ट कर दी गई । यह भी बताया जाता है कि ये झोपड़ियां कभी-कभी ईसाई धर्म प्रचार के लिए प्रयोग में लाई जाती थी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिसम्बर, 1968 में चार कबीलों को, जो सियांग जिले के नहीं थे और जो धर्म-परिवर्तन करने की गतिविधियों में लगे थे, गांव के प्राधिकारियों ने सन्देशास्पद परिस्थितियों में पकड़ा उन्हें उप-आयुक्त के समक्ष उपस्थित किया गया और उन्हें उस जिला को छोड़ देने का निर्देश दिया गया ।

नेफा में आदिम जाति के लोगों के लिये स्कूल

9965. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा क्षेत्र की कुल कितनी जनसंख्या है ;

(ख) आदिम जातियों के शिक्षण के लिए क्षेत्र में कितने स्कूल हैं ;

(ग) इन स्कूलों में कितनी उपस्थिति रहती है ;

(घ) इन स्कूलों को चलाने वाली एजेंसियों और मिशनों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) सरकार इन संस्थाओं में से प्रत्येक को कितनी अनुदान/सहायता देती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1961 की जनगणना के अनुसार 3.20 लाख।

(ख) 466 में 7 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 8 हाई स्कूल, 36 मिडिल स्कूल, 415 जूनियर बेसिक स्कूल हैं।

(ग) 24606 ; आयुवर्ग :—छः से ग्यारह वर्ष
18430 ; ग्यारह से चौदह वर्ष 3580 और चौदह से सत्तरह 2596।

(घ) एलांग में रामकृष्ण मिशन स्कूल द्वारा चलाये जाने वाले एक स्कूल को छोड़कर सभी स्कूल नेफा प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं।

(ङ) पिछले चार वर्षों में 1,74819 रुपये।

'विजयनगर काल' के संग्रहालय का निर्माण

9966. **श्री स० अ० अगड़ी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के बेलारी जिले में हेम्पी के निकट 'विजयनगर काल' संग्रहालय का निर्माण शुरू हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) निर्माण पर कितनी लागत होने का अनुमान है, इसकी स्वीकृति किस वर्ष दी गई थी तथा भूमि कब अर्जित की गई थी ;

(घ) क्या निर्माण के लिये कोई एजेंसी निर्धारित की गई है ; और

(ङ) क्या देश में चालुक्य तथा होयसलन काल के संग्रहालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्माण की अनुमानित लागत 4,52,[illegible]82 रु० है और यह 1967 में स्वीकृत की गई थी। भूमि 1960 में अर्जित की गई थी।

(घ) जी हां, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की मार्फत कार्य कराया जा रहा है।

(ङ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से शिकायतें

9967. **श्री रा० बरुआ :**
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल में रेलवे तथा केन्द्रीय सीमा शुल्क दुर्गापुर आदि अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं ;

(ग) क्या इन शिकायतों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से विचार-विमर्श किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा संस्थानों से उनमें घेराव तथा काम आदि को रोकने के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (घ). दुर्गापुर में घटी घटनाओं तथा 10 अप्रैल को पश्चिमी बंगाल में हुई हड़ताल से उत्पन्न होने वाले मामलों को पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उप मुख्य मन्त्री की प्रधान मन्त्री तथा गृह कार्य मन्त्री से हुई भेंट में उठाया गया था । पश्चिमी बंगाल के मंत्रियों ने बताया था कि उनका केन्द्रीय सरकार के साथ मुकाबला करने का कोई ईरादा नहीं है ।

गैर-सरकारी कालेजों के प्रबन्ध निकायों में त्रुटियों को दूर करना

9968. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-सरकारी कालेजों के प्रबन्ध निकायों में त्रुटियों को दूर करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की सलाह से एक उपसमिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). 21-23 अप्रैल,, 1969 को हुए कुलपतियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय के संचालन की समस्या का अन्य बातों के साथ-साथ, विशेषरूप से निम्नांकित के सम्बन्ध में, विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक कार्यकारी दल नियुक्त कर सकता है :

सम्बद्ध कालेजों के साथ विश्वविद्यालयों का संबंध, जिसमें सम्बद्धन की शर्तें शासी निकायों का गठन, विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व आदि शामिल हैं ।

सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिश आयोग के विचाराधीन है ।

गुरु नानक की पांचवी शताब्दी मनाना

9969. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरु नानक साहिब की पांचवीं शताब्दी मनाने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं ; और

(ग) क्या उनके संदेशों से प्रचार के लिए कोई पुस्तिकाएं प्रकाशित करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी के० ग्रार० वी० राव) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है ।

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

9970. **श्री दी० च० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने 18 और 19 अप्रैल, 1969 को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में कोई बातचीत की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) देश के हित में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय तथा में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). प्रधान मन्त्री ने 18 अप्रैल, 1969 को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से अपनी अनौपचारिक बात-चीत में केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया था। इस प्रकार 19 अप्रैल, 196) को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर कोई चर्चा नहीं हुई थी।

(ग) जैसा कि बार-बार स्पष्ट कर दिया गया है भारत सरकार अपनी ओर से सभी राज्यों सरकारों के साथ सहयोग करने की नीति में विश्वास करती है । हम आशा करते हैं कि पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा किन्हीं ऐसे प्रश्नों का हल सम्भव होगा जो भविश्य में केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न हो ।

मद्रास में तमिल अध्ययन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना

9971. **श्री बेणीशंकर शर्मा :**
श्री कंडप्पन :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को से मद्रास में तमिल अध्ययन के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना में भारत सरकार की सहायता करने को सहमत हो गयी है ;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव की कार्यान्विति के लिए केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार से सलाह की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समय यह विषय किस प्रक्रम पर है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) से (ग). विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) तमिल अनुसन्धान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान मद्रास का विचार है 'यूनेस्को' तथा अन्य रूचिकर सदस्य देशों के सहयोग से मद्रास में तमिल अध्ययन की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने का है। अक्तूबर-नवम्बर, 1968 पेरिस में हुए यूनेस्को के 15वें सम्मेलन में एक संकल्प पास किया गया गया था जिसके अन्तर्गत यूनेस्को के महानिदेशक को ऐसे तरीकों की जांच तथा अध्ययन करने को कहा गया था। जिनसे भारत में मद्रास के स्थान पर तमिल अध्ययन सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के संवर्धन की सम्भावना हो। मद्रास स्थित तमिल अनुसन्धान सम्बन्धी अंतराष्ट्रीय संस्था को 1969-74 के इन वर्षों में 'यूनेस्को' से फैलोशिप, विशेषज्ञ सेवा तथा उपकरणों के रूप में 115,000 डालर मिलने की सम्भावना है, हाल में यूनेस्को परियोजना के लिये 8000 डालर तथा 1969-70 में सदस्य राज्यों की गतिविधियों में भाग लेने के कार्यक्रम में विदेशों में प्रशिक्षण के लिए एक फैलोशिप देने पर सहमत हो गई है। यूनेस्को ने अन्य किसी प्रकार का और कोई वचन नहीं दिया है।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने इस परियोजना के बारे में तमिल नाडु सरकार से कोई विचार विमर्श नहीं किया है। तमिल अध्ययन की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की प्रबन्धक समिति के सचिव ने हाल में यह सुझाव दिया है कि रुपये में होने वाले अनुवर्ती तथा अननुवर्ती व्यय को भारत सरकार तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा बांटा जाना चाहिए। भारत सरकार ने वित्त सम्बन्धी कोई वचन नहीं दिया है और न ही भारत सरकार को तमिल नाडु सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव ही प्राप्त हुए हैं।

बरौनी उर्वरक कारखाने के अतिथि गृह में लूटपाट

9972. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1969 के प्रथम सप्ताह में एक प्राइवेट फिल्म के प्रदर्शन के समय हातीडाह में बरौनी उर्वरक कारखाने के अतिथि गृह में लगभग 1000 व्यक्तियों ने लूटपाट की थी ;

(ख) क्या उक्त कारखाने के अन्दर अन्य घटनायें भी हुई थी ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह बताया जाता है कि 30-3-1969 को एक भीड़ जो हतीडाह में बरौनी उर्वरक कारखाने के अतिथिगृह में आयोजित एक प्राइवेट फिल्म के प्रदर्शन को देखने के लिये एकत्रित हुई थी, उपद्रवी हो गई और उसने पत्थर इत्यादि से अतिथिगृह को कुछ क्षति पहुँचाई। मामले की जांच-पड़ताल स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

(ख), (ग) और (घ). बिहार सरकार से सूचना प्रतीक्षित है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

भारतीय ग्रामों के मानवीय परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन

9973. श्री शिवचन्द्र झा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय ग्रामों के मानवीय परिस्थिति विज्ञान के बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन ग्रामों का और उसकी मुख्य मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अनुदान

9974. श्री लोबो प्रभु : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुदानों में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या संगठन द्वारा किये गये कार्य के रिकार्ड के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1218/69]

(ख) जी हां, संगठन को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी है और उसने 1966-67, अर्थात, अपने स्थापना काल से दो वर्षों की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है ।

वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग

9975. श्री लोबो प्रभु : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग की स्थायी समिति अपना कार्य कब पूरा करेंगी ; और

(ख) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं से लिये गये नये शब्दों का अनुपात क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन): (क) माननीय सदस्य का आशय सम्भवतः वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग से है । शब्दावली के निर्माण का कार्य 1-1-1970 तक पूरा करने के लिए आयोग द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ख) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं से लिये गये नये शब्दों की सही प्रतिशतता बताना संभव नहीं है । इसके साथ ही, यह सूचना एकत्र करने में कितना समय व श्रम लगेगा वह उसके परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । फिर भी, विभिन्न स्रोतों से तैयार किये गये शब्दों की प्रतिशतता नीचे दी जा रही है ।

लिप्यंतरित—10 प्रतिशत, संस्कृत -80 प्रतिशत, अन्य भारतीय भाषाएं —10 प्रतिशत।

दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ कार्यकारी सेवा

9976. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियम, 1967 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन ने एक अधीनस्थ कार्यकारी सेवा गठित की है ;

(ख) क्या निरीक्षक सिविल सप्लाइज के पद पर नियुक्त । पदोन्नति सम्बन्धी 1964 के भर्ती नियमों में यह व्यवस्था है कि दिल्ली प्रशासन के अन्य विभागों में 210-320 रुपये के वेतन-क्रम में काम करने वाले निरीक्षक अपने कनिष्ठ वेतन-क्रम में तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद हा निरीक्षक सिविल सप्लाईज के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(ग) क्या उपरोक्त सेवा नियम, 1967 के खंड 5 के अंतिम परन्तुक का उल्लंघन करने सिविल सप्लाइज विभाग के कुछ निरीक्षकों की उपेक्षा करके 210-320 रुपये के वेतन-क्रम में काम कर रहे निरीक्षकों को अब उपरोक्त सेवा में नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है ;

(घ) क्या उपरोक्त सेवा में नियुक्ति/पदोन्नति में इस प्रकार के भेद भाव के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और इस भेद-भाव के क्या कारण हैं और प्रभावित व्यक्तियों के प्रति न्याय करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एफ० 18 (93)/63-आर० एण्ड० एस० दिनांक 15-1-64 द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार निरीक्षक, सिविल सप्लाईज के 25 प्रतिशत पद खाद्य तथा सिविल सप्लाइज निदेशालय के उच्च श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा तथा 25 प्रतिशत पद प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर विभागीय पदोन्नति द्वारा दिल्ली प्रशासन के अधीन 130-300 रुपये के वेतनमान वाले उच्च श्रेणी लिपिकों, आशुलिपिकों, उप-निरीक्षकों 168-300 रु० व 210-320 रु० के वेतनमान वाले उप-निरीक्षकों तथा निरीक्षकों से जिनकी उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिसमें परीक्षा होनी है, अपने अपने ग्रेडों में 3 वर्ष की सेवा पूरी की गई हो तथा आयु 40 वर्ष से कम हो, भरे जाने थे । शेष 50 प्रतिशत पद सीधा भर्ती द्वारा भरे जाने थे ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है ।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

तेलंगाना आंदोलन तथा बंगाल बंद के कारण हुई वित्तीय हानि

9977. **श्री हेम बरुआ :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (एक) तेलेंगाना आन्दोलन और (दो) 10 अप्रैल, 1969 को बंगाल बन्द के कारण केन्द्रीय और राज्य सरकारों को हुई वित्तीय हानि का हिसाब लगा लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस हानि का संक्षित ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) और (ख). इन तथ्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है ।

आसाम से कलकत्ता तक भारतीय राष्ट्रिकों के जहाजों के लाने के लिये पाकिस्तानी जलमार्गों का प्रयोग

9978. **श्री म० कु० सांघी** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकों के उन जहाजों को जो सितम्बर, 1965 के आक्रमण के फलस्वरूप आसाम में रुक गये थे उन्हें कलकत्ता आने के लिये पाकिस्तानी जलमार्ग का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी ; और

(ख) इस बारे में मालिकों को जहाज दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद कार्य नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). आसाम में रुके जहाजों के बेड़े को कलकत्ता लाने के लिये पाकिस्तानी जलमार्गों का प्रयोग करने में सहायता के लिये अन्तर्देशीय जल परिवहन परिचालकों की एक फर्म से भारत सरकार को एक प्रार्थना प्राप्त हुई । मामला पाकिस्तान सरकार के साथ लिया गया था और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

हिमाचल प्रदेश को दिए गए पी० सी० एस० अधिकारियों (न्यायिक) की वरिष्ठता का नियतम

9979. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब से हिमाचल प्रदेश को दिये पी० सी० एस० (न्यायिक) अधिकारियों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश पी० सी० एस० (न्यायिक) में वरिष्ठता उनकी शीघ्र निश्चित की जाये क्योंकि यह मामला ढाई वर्षों अधिक समय से विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से कनिष्ट पी० सी० एस० (न्यायिक) अधिकारियों के साथ पक्षपात करके उन्हें तदर्थ आधार पर जिला तथा सब न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है जिससे वरिष्ट अधिकारियों के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में जांच की जायेगी ; और

(ङ) पंजाब से दिये गये इन अधिकारियों की पुराने हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के साथ वरिष्ठता सूची पर कब तक निर्णय किया जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). दिल्ली उच्च न्यायालय की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यायिक सेवा के दो अधिकारियों को जिला व सत्र न्यायाधीशों के पदों में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया है तथा दो और अधिकारियों को अतिरिक्त जिला व सब न्यायाधीशों के पदों में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई पदोन्नतियों के विरुद्ध पंजाब से हिमाचल प्रदेश को आवंटित कुछ पी० सी० एस० (न्यायिक) अधिकारियों ने अभ्यावेदन दिया था। ये अभ्यावेदन दिल्ली उच्च न्यायालय को ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए भेजा गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि ये अभ्यावेदन अब भी लम्बित हैं। यह भी बताया गया है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पदों पर पदोन्नतियों के विरुद्ध शिमला स्थित उच्च न्यायालय के क्षेत्र पीठ में संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत एक लेख्य याचिका दायर की गई है और इस समय मामला न्यायाधीन है। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने यह भी सूचित किया है कि पंजाब से हिमाचल प्रदेश को आवंटित न्यायिक अधिकारियों की तथा पुराने हिमाचल प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता नियत करने के लिए कोई निश्चित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि न्यायिक अधिकारियों का एक संयुक्त संवर्ग बनाने के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है और उस संवर्ग के बनने तक न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता को अन्तिम रूप देने का प्रश्न आस्थगित कर दिया जाय।

पंजाब तथा हरियाणा के लिये उच्च न्यायालय

9980. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा राज्यों के उच्च न्यायालय को विभक्त करने के लिए किसी राज्य सरकार ने प्रस्ताव रखा है,

(ख) यदि हां, तो किस राज्य सरकार ने और कब, और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात् पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने पंजाब और हरियाणा के लिए अलग उच्च-न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्री फिलहाल उस प्रस्ताव को त्यागने के लिए सहमत हो गये

थे। हाल में 3 अप्रैल 1969 को प्रधान मन्त्री के साथ अपनी बैठक में पंजाब के मुख्य मन्त्री ने यह इच्छा व्यस्त की थी कि इस विषय में शीघ्र निर्णय किया जाए किन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी सरकार से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय सरकार के नियम दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू होना

9981. **प० मु० सईद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सब नियम दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के वेतन के साथ महंगाई भत्ते को न मिलाये जाने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में ऐसा किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वेतनमान, महंगाई भत्ते तथा दूसरे भत्तों को छोड़कर अन्य सभी बातों में दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी उन्हीं नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो अन्य उनके समान केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू हैं।

(ख) से (घ). मामले की जांच की जा रही है।

बिहार के अध्यापकों द्वारा हड़ताल

9982. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों के 2000 अध्यापकों ने 8 अप्रैल, 1969 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या उन्होंने अपनी मांगों के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को लिखा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (ग). बिहार में विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध कालेजों और स्नातकोत्तर विभागों ने 8 अप्रैल, 1969 से हड़ताल की थी। एक विवरण संलग्न है, जिसमें अध्यापकों की मांगें प्रदर्शित की गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1219/69] इन मांगों का सम्बन्ध राज्य सरकार से जिसने उनकी जांच कर ली है और अध्यापकों के साथ समझौता हो गया है। हड़ताल भी समाप्त कर दी गयी है।

बिहार के विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध कालेजों तथा स्नातकोत्तर विभागों के अध्यापकों की संयुक्त कार्रवाई परिषद के सचिव से एक पत्र मिलने पर शिक्षा मन्त्री ने उनसे हड़ताल समाप्त करने की अपील की थी। उन्होंने बिहार के मुख्य मन्त्री को भी लिखा था और अनुरोध किया था

कि अध्यापकों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और उनको पूरा करने का भरसक प्रयत्न करें।

पाठ्य पुस्तक बोर्ड

9983. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसा कोई बोर्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए विद्वान लेखकों को प्रोत्साहन दें, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा इसके कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री(डा० वी० के० आर वी० राव) : (क) और (ख). प्रश्न में उल्लिखित प्रयोजन के लिए बोर्ड स्थापित करने के बारे में, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य-पुस्तक बोर्ड ने, जो एक सलाहकार निकास है, और 6 अप्रैल, 1969 को हुई, अपनी पहली बैठक में सरकार से सिफारिश की थी कि पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए, सर्वोत्तम उपलब्ध व्यक्तियों के चयन करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और जबकि लेखकों के आकर्षित करने के लिए, अच्छा पारिश्रमिक एक प्रोत्साहन हो सकता है, स्कूल की पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों को तैयार करने की दृष्टि से अनुनय जैसे अन्य तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। उत्कृष्ट पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने वाले व्यक्तियों का समाज में सम्मान या हैसियत देने की पद्धति बहुत सहायक सिद्ध होगी, इस बात पर भी जोर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जलपान गृह

9984. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त होटल पुनर्विलोकन और सर्वेक्षण समिति ने यह बताया है कि देश में चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थित जलपान गृहों में से कोई भी उचित जलपान गृह स्तर का नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त जलपान-गृहों के स्तर को सुधारने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

संसदीय प्रतिनिधिमंडल का लद्दाख का प्रस्तावित दौरा

9985. श्री तुलसीदास दासप्पा : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ : श्री नि० रं० लास्कर :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस सुझाव से सहमत हो गई है कि लद्दाख की स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल को वहां का दौरा करना चाहिये ;

(ख) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने उक्त सुझाव का समर्थन नहीं किया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) यह सुझाव कि कुछ संसद सदस्य लद्दाख जायें और वहाँ की स्थिति स्वयं देखें, जम्मू व कश्मीर सरकार को भेजा गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

गोवा में बजरों तथा लांचों की मरम्मत तथा निर्माण करने वाले शिपयार्ड

9986. श्री शिंकरे : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोग्रा में अनेक छोटे शिपयार्ड बजरों और लांचों के मरम्मत तथा निर्माण कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि गोग्रा से प्रतिवर्ष 75 लाख मीटरी टन लोह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया जाता है और इस अयस्क को लांचों से मारमागोआ बन्दरगाह तक बजरों द्वारा लाया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन गैर सरकारी शिपयार्डों को पर्याप्त धन देने का है, जिससे कि वे अपने कारखानों का विस्तार कर सकें और वे खान मालिकों के बारे में आवश्यकताओं को पूरा कर सके : और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार केवल खनन उद्योग के लिये बजरों का निर्माण करने लिये सरकारी क्षेत्र में गोआ में बड़े पैमाने में एक शिपयार्ड स्थापित करने का है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) बजरों और लांचों के निर्माण और मरम्मत के काम में लगे गोआ के छोटे शिपयार्डों की क्षमता के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ख) जी हाँ।

(ग) ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) गोआ में पहले ही सरकारी क्षेत्र में एक शिपयार्ड है अर्थात गोआ शिपयार्ड लिमिटेड जो मझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का उपसंगी है। बजरे, लांच, मत्स्य नौकाओं और इसी प्रकार के जलयानों के निर्माण की और जहाज मरम्मत की क्षमता को परिवर्धित करने का विचार है।

वर्ष 1967 में पुलिस आन्दोलन

9987. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री ए० श्रीधरण :
श्री देवेन सेन :
श्री किंकर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री सूरज भान :
श्री गुनानन्द ठाकुर :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को वर्ष 1967 में पुलिस आन्दोलन के बारे में कुछ संसद सदस्यों से कोई पत्र मिला है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस पत्र में दो संसद सदस्यों तथा अन्य कार्मिक संघ के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के सामने धरना देने की धमकी दी है ;

(ग) यदि हां, तो पत्र का ब्योरा क्या है और धरना देने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनका स्तर क्या है ;

(घ) इस संकट को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा यह घोषणा किये जाने की संभावना है कि दिल्ली पुलिस के प्रति उसी प्रकार का उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए जिस प्रकार का दृष्टिकोण सरकार ने ऐसे आन्दोलनों के प्रति अपनाया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक पत्र में एक संसद सदस्य ने लिखा था कि वह अन्य संसद सदस्य तथा एक मजदूर संघो। समाज सेवा के साथ सांकेतिक धरना देंगे।

(ग) पत्र में, पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में लम्बित पड़े मुकदमों को वापिस लेने के लिये और दिल्ली के उन पुलिस कर्मचारियों को जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है या जिन की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं ; बहाल करने के लिये, मांग की गई थी। धरना, सर्वश्री गुणानन्द ठाकुर तथा किंकर सिंह, संसद सदस्यों और एक संयुक्त समाजवादी दल के कार्यकर्त्ता श्री मुकन्द परेख द्वारा दिया गया था।

(घ) तथा (ङ). पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित पड़े मुकदमों को न तो वापिस लेने का कोई प्रस्ताव है और न उन पुलिस कर्मचारियों को बहाल करने का ही कोई प्रस्ताव है तो बरखास्त कर दिये गये थे या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी।

भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियां

9988. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत

में अमरीकी सी० आई० ए० की गतिविधियों की इस समय क्या स्थिति है तथा देश में सी० आई० ए० के बढ़ते हुए कार्यकलापों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : गत आम चुनावों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी धन के प्रयोग पर आसूचना विभाग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में 14 मई, 1969 को सदन में एक वक्तव्य दिया जा चुका है। सरकार विदेशी एजेंसियों की तोड़-फोड़ की कार्यवाही के बारे में सतर्क है।

शिक्षकों के व्यवसायिक निकाय की स्थापना

9989. **श्री रा० बरुआ : श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री वेंगलराया नायडू :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में शिक्षक व्यावसायिक निकाय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इसके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में छात्र असंतोष की समस्या

9990. **श्री रा० बरुआ: श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में छात्र असंतोष के बारे में अनुसन्धान के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा सामान्य कार्य ढांचा निर्धारित करने का निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जायेगा ; और

(ग) देश में छात्र असंतोष की समस्या हल करने में यह कहां तक सहायक होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्र असंतोष से सम्बधित अध्ययन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा सामान्य कार्य ढांचा निर्धारित करने की दृष्टि से एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की है। जनवरी, 1969 को हुई अपनी बैठक में, दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, आयोग ने

छात्र असंतोष की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये है। अब तक पांच अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। आशा है कि इन अध्ययनों से देश में छात्र असंतोष उसके अन्तनिहित कारणों और उसके सम्मानित निदानों के बारे में पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा।

दिल्ली में अग्निकांड

9991. **श्री रा० बरुआ :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मार्च और अप्रैल के महीनों में आग लगने की बहुत घटनायें हुई थी ;

(ख) क्या इन सब,मामलों की जांच करने के आदेश दिये गये थे;

(ग) क्या आग लगने की ये घटनायें पाकिस्तान में असंतोष के कारण दिल्ली में पाकिस्तानी तत्वो के सक्रिय होने के परिणामस्वरूप हुई थी; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली अग्नि शमन सेवा के अनुसार मार्च और अप्रैल, 1969 की अवधि में 569 घटनायें हुई थी।

(ख) 248 मामले पुलिस द्वारा दर्ज किये गये और जांच पड़ताल की गई।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) छः मामलों में छः व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

हिमाचल प्रदेश को दिये गये कर्मचारी

9992. **श्री हेम राज :** क्या गृह-कार्य मंत्री 21 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पंजाब राज्य के उन कर्मचारियों के मामलों में, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा में रखे जाने की इच्छा व्यक्त की थी; अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) उन कर्मचारियों की विभागवार संख्या कितनी है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अभी तक 57 विभागों में से 53 विभागों के सम्बन्ध में बटवारे को अन्तिम रूप दिया गया है।

(ख) हिमाचल प्रदेश से पंजाब व हरियाणा को अन्तिम रूप से बांटे गये कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में विभाग-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1220/69**]

Separate Police Forces Organised by Corporations in Madras and Calcutta and Other States

9993. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Calcutta Corporation and the Municipal Corporations in Madras and other States in the country have decided to organise their own separate Police forces ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The State Governments of Andhra Pradesh, West Bengal, Gujrat and Maharashtra have reported that Municipal Corporations in their States have not decided to organise any police force. The Government of Tamil Nadu have reported that no separate police force is maintained by the Municipal Corporation of Madras. No such decision has been taken by Delhi Municipal Corporation.

The information from the remaining States where there are Municipal Corporations is being ascertained and will be laid on the Table of the Sabha when received.

भारत में विदेशी पर्यटकों द्वारा भारतीय व्यंजन और भारतीय ढंग के मनोरंजन को पसन्द करना

9994. **श्री बलराज मधोक : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में आने वाले अधिकांश विदेशी पर्यटक भारत में यात्रा की अवधि में भारतीय व्यंजनों और भारतीय ढंग के मनोरंजन की आशा करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय होटलों के अर्द्ध पश्चिमी वातावरण से उनका मन आकर्षित होने के स्थान पर अरुचि से भर जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं कि खाद्य पदार्थों आदि के मामले में पर्यटक भारत को यथार्थ रूप में देख सकें ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). स्वभाविक है कि विदेशी पर्यटक यात्रा के देश के व्यंजन और मनोरंजन के ढंग की आशा करेंगे परन्तु अधिकांश अपने ही देश के व्यंजन पसन्द करते हैं। भारत में अधिकांश प्रमुख होटलों में सभी देशों के विरोधीकृत व्यंजनों की व्यवस्था वाले रैस्टोरेंटेट हैं।

(ग) भारतीय स्वाद तथा वातावरण को बनाये रखते हुए भारतीय खाद्य तथा मनोरंजन के ढंग को पश्चिमी के अनुकूल बनाने के लिये भारत की होटल तथा रेस्टोरेंट संस्था के साथ प्रायः बातचीत की गई है। पर्यटक विकास परिषद की हाल की बैठक में इस मामले पर विचार किया गया है और भारत की होटल तथा रैस्टेरेंट संस्था को कहा गया है कि वह अपने सदस्यों से उपयुक्त रूप में परिवर्तित, विशिष्ट भारतीय भोजन तथा मनोरंजन के ढंग को, व्यवस्था करने का आग्रह करे।

इंडियन एयरलाइन्स की डीमापुर को उड़ानें

9995. **श्री बलराज मधोक :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीमापुर हवाई अड्डे पर उड्डयन संबंधी सुविधायें न होने के कारण इंडियन एयरलाइन्स अपनी उड़ान डीमापुर तक करने में सफल नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो डीमापुर को भारत के हवाई नक्शे में शामिल करने के बारे में आई उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). 1968 में दीमापुर के लिए एक प्रयोगात्मक उड़ान की गई थी। वहां के लिए विमान सेवा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से और अधिक जांच पड़ताल का कार्य चल रहा है।

Adverse Observations Against Former Chief Justice of India

9996. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1177 on the 18th April, 1969 regarding adverse observations made against a former Chief Justice of India and state :

(a) whether it is a fact that Shri B. P. Sinha, ex-Chief Justice, is not a paid officer or employee of M/s Turner Morrisson but is only a Director of it and like other Directors he does not get anything extra than the Director's fee and travelling allowances for attending the meetings of the Board of Directors and he also does not have more powers or responsibility than other Directors ;

(b) the details of the case, which has been referred to, the facts which are required to be investigated by and the issues on which the Department of Company Law has to give its opinion ; and

(c) the observations made by Justice P. B. Mukherjee in regard to the conduct of Shri B. P. Sinha ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The Department of Company Affairs are examining the affairs of M/s Turner Morrison and Co. Ltd. in the light of the judgement for such action as may be considered necessary under the Companies Act, 1956.

(c) Attention is invited to the judgement of Shri Justice P. B. Mukherjee, delivered on 11th to 13th November, 1968 in suit number 2005 of 1965—Turner Morrission and Co. *versus* Hungerford Investment Trust Ltd. (in voluntary liquidation).

अलीगढ़ में मराठा किला

9997. **श्री जुल्फिकार अली खां :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय अलीगढ़ के मराठा किले को, जो कि केन्द्र द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक है बेचने जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्मारक की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय का विचार अन्य किलों को बेचने का है जो संरक्षित पुरातत्वीय स्मारक है और जो इसके नियन्त्रण में हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का है कि हमारे पुरातत्वीय स्मारकों को बेचा न जाये ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख) अलीगढ़ स्थित दुर्ग जिसको रामगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है 1962 से केन्द्रीय सुरक्षित स्मारक नहीं है। प्रतिरक्षा मंत्रालय इस दुर्ग के समूचे क्षेत्र को (9. एकड़) बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है क्योंकि उस को इसकी आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकार द्वारा एलाट किये गये प्लाटों की बिक्री पर मुनाफा कमाने के लिए दिल्ली के मुख्यायुक्त के कार्यालय अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

9998. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह कार्य मंत्री दिल्ली में अधिकारियों द्वारा प्लाटों की बिक्री के बारे में 23 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5518 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिसने सरकार द्वारा एलाट किये गये प्लाटों में अपने मकान बनाने के बजाय अपना प्लाट बेच कर तीस हजार रुपये से अधिक मुनाफा कमाया था ;

(ख) क्या सरकार ने प्लाटों की बिक्री के बारे में 17 अप्रैल, 1769 के नेशनल हेरल्ड' में "ह्वाट डज़ सी० सी० स्टैंड फार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार देखा है; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों से मुनाफे की राशि वापिस लेने और उसे सरकारी खजाने में जमा करने के लिए क्या अन्य कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार ने उस प्रकाशित समाचार को देखा है। इस मामले में पूछताछ की जा रही है।

इन्द्रा मार्केट, दिल्ली

9999. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6585 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले उत्तर में दिये गये आश्वासन के अनुसार चार दीवारी के निर्माण का कार्य 15 अक्तूबर, 1968 तक पूरा हो गया था;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारी तथा सफाई, भवन और इंजीनियरिंग विभागों के निरीक्षक चार दीवारी पूरी करने के इच्छुक नहीं है;

(ग) सफाई निरीक्षक के कार्यालय के निकट दिल्ली नगर निगम के निरीक्षकों की सक्रिया सहायता से बनाई गई खाद्य पदार्थों की दुकानें तथा चाय की दुकानें आदि को गिराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) मार्केट में ट्रकों के प्रवेश को, जो कि वर्जित है, रोकने के लिए लोहे का रेलिंग से इस्पातित प्रवेश द्वारों की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण है क्योंकि इसके बिना सरकार के आदेश प्रभावहीन हो जाते हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अहाते की दीवार को उन झुग्गियों की दीवार के साथ-साथ रेलिंग लगाकर 22-4-69 को पूरा कर दिया था जिन्हें उनके मालिकों को वैकल्पिक स्थान देने के बाद हटाया जाना है। उनके वैकल्पिक स्थान का प्रबन्ध करने के प्रयास किये जा रहे हैं और हटाये जाने के बाद दीवार पुनः मिला दी जायेगी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली नगर निगम ने सरकार को सूचित किया है कि अहाते की सीधी दीवार को पूरा करने के मार्ग में ये झुग्गियां ही बाधा हैं जिनके लिए वैकल्पिक स्थान खोजना है।

(ग) सफाई निरीक्षक के कार्यालय के समीप भोजनालय के मालिक पर दो बार मुकदमा चलाया जा चुका है। कुम्हार और चाय की दुकानें वही हैं जो अहाते की दीवार की सीध में पड़ती हैं और ये काफी समय से विद्यमान हैं।

(घ) दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने इंदिरा मार्केट के उत्तर की ओर केवल 6 बजे पूर्वाह्न से 10 बजे अपराह्न तक गाड़ियां खड़ी करना निषिद्ध घोषित किया है। चूंकि इस समय के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर रोक नहीं लगाई गई है इसलिए दिल्ली नगर निगम द्वारों पर लोहों की रेलिंग लगाना आवश्यक नहीं समझती है।

Beating of a Child Studying in Central School, Anisabad, Patna City

10000. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a six and half year old child studying in the Central School, Anisabad, Patna City sustained serious jnjuries as a result of merciless beating by a teacher on the 21st February, 1969 and the child is still in dazed condition ;

(b) if so, the reasons for such severe beating ;

(c) whether it is also a fact that after a preliminary enquiry, the Chairman of the Managing Committee had suspended the teacher and appointed a Committee for a detailed enquiry ;

(d) whether it is also a fact that this Committee has since submitted its report to the Chairman, who has forwarded it to the Commissioner, Central School Organisation ; and

(e) if so, the action taken by the Commissioner thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir, such a child studying in the Kendriya Vidyalaya at Anisabad Patna had sustained injuries as a result of beating by a teacher on 21st February, 1969. The child is not now in a dazed condition ; as he had recovered in a week from is injuries.

(b) On 20th February, 1969, the boy and a son of the teacher fought with each other and the son of the teacher suffered an injury in his arm. As a result of this, the teacher is said to have got enrarged and beat the said student next morning.

(c) Yes, Sir.

(d) Yes, Sir.

(e) The concerned officer in the Kendriya Vidyalaya Sangathan obtained a preliminary report, called for the explanation of the teacher, and, after examining his explanation, served him with a charge sheet, and then ordered a departmental enquiry. After scrutinising the

report of the Enquiry Officer, a show cause notice has been issued as to why a severe punishment should not be awarded to aim. In the meantime, he has also been transferred from the present Kendriya Vidyalaya.

विदेशी गुप्तचरों की गिरफ्तारियां

10001. श्री शिव चन्द्र झा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी-मार्च 1969 में भारत में कुछ विदेशी गुप्तचर गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या थी और वे किन-किन देशों के थे; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार सन्देहात्मक जासूसी गतिविधियों के लिए जनवरी, से मार्च 1969 की अवधि में 11 पाकिस्तानी राष्ट्रिक गिरफ्तार किये गये।

केरल, महाराष्ट्र तथा जम्मू व कश्मीर सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ;

(ग) प्रत्येक मामले में, मामले को दर्ज करने और उसकी जांच करने समेत कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कारंवाई की गई है ।

Admission in Colleges of Delhi University

10002. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a shortage of seats in the Colleges affiliated to the University of Delhi as compared to the increasing demands of students for admission during the year 1969-70 ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard and the date by which such an action would be taken ?

The Minisler of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir : the number of seats available are likely to fall short of the requirements.

(b) In order to meet the increased demand for admission, the Delhi Administration has tentatively decided already to open two new college during 1969-70. Some of the existing colleges are also being impressed upon to come under the purview of the scheme of exteneded colleges as far as possible.

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम द्वारा मैसर्स ऐस्कोर्टस लिमिटेड समुन्द्री डीजल इंजन की खरीद

1000?. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के निदेशक बोर्ड के एक सदस्य श्री एच० पी० नन्दा मैसर्स ऐस्टकार्टस लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं;

(ख) क्या निदेशक बोर्ड के ऐसे निर्माता से जिसके एक वितरक एजेंट मैसर्स ऐस्कोर्ट

लिमिटेड हैं, समुद्री डीजल इंजन खरीदने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे रहा है और क्या इसके परिणामस्वरूप शिपयार्ड की सप्लाई किये जाने वाले प्रत्येक इंजन की कीमत 11.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष अधिक पड़ेगी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बोर्ड का 8 लाख रुपये के स्थान पर लगभग 50 लाख रुपये की एक प्लेट बैंडिंग मशीन खरीदने का प्रस्ताव है जिसके लिए सरकार ने विदेशी मुद्रा देने से इंकार कर दिया है।

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, देश में बने समुद्री इंजिन विशाखापत्तनम गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता, से मंगाता है जो जर्मनी के एम० ए० एन० के सहयोग से उन्हें निर्मित कर रहा है। ऐसे एक इंजिन का मूल्य आयातित किये गये इंजिन से 7.7 लाख रुपया अधिक है। मैसर्स एसकार्ट्स एम० ए० एन० के आयातित इंजनों का एजेंट है। इन्हें शिपयार्ड प्राप्त नहीं करता है।

(ग) जी नहीं।

Text-Books Prescribed During British Days

10004. **Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that the text-books prescribed during the British days are still being continued as such in the courses of Indian education and, if so, the amount of money that goes to British authors and publishers annually by way of commission and royalty for those books ;

(b) whether Government are contemplating certain measures to check the outflow of the large amounts of money from India to the British authors and publishers in the form of commission and royalty and, if so, the nature thereof ; and

(c) whether Government propose to prescribe Indian text-books in our educational courses and, if so, when and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) There are hardly any books written by foreign authors in use at the school level. At the university stage, however, some standard British books do continue to be in use. The amounts in Pound Sterling allowed to be remitted as royalty/copyright fees in respect of all types of British books republished in India during 1966 and 1967, for which figures are available, are £ 7884-3-1 and £ 7200-13-5 respectively.

(b) The Government has placed at the disposal of each State Government a sum of Rupees one crore for the production of books by Indian authors in the regional languages for the use of University students. There is also a proposal to subsidise the publication of books by Indian authors written in English.

(c) Selection of books for higher education is the concern of the Universities, which are autonomous organizations.

आपातकालीन स्थितियों में संगठित छात्रों को हथियार

10005. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**   **श्री रामावतार शर्मा :**

श्री हेम बरुग्रा : श्री समर गुह :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के सूचना मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राज्य सरकार का विचार आपातकालीन स्थितियों में संगठित छात्रों को हथियार देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का, यदि कोई हो, तो ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार की अनुमति ली है; और

(घ) यदि हां, तो किन शर्तों पर अनुमति ली गई थी तथा क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके परिणामों पर विचार किया है तथा इस बारे में विपक्षी दलों से परामर्श लिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रैस रिपोर्ट देखी है। फिर भी, राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार ना तो कोई ऐसी योजना बनाई गई है और न पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दी का प्रयोग

10006. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 से अब तक केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मन्त्रालय के अलग-अलग कितने अहिन्दी भाषा भाषी कर्मचारियों ने हिन्दी परीक्षाएं पास की ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को पुरस्कार दिये गये थे ;

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों ने हिन्दी में टिप्पण लिखना आरम्भ कर दिया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने अथवा उनको निर्देश देने का है जिन्होंने हिन्दी परीक्षाएं पास की हैं लेकिन अभी तक हिन्दी में टिप्पण लिखना आरम्भ नहीं किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह मन्त्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक, 1 अप्रैल, 1967 से 27,766 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने हिन्दी माध्यम (प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ) परीक्षाएं पास की हैं। मन्त्रालयवार सूचना नहीं रखी जाती है ।

(ख) उपरोक्त में से लगभग 1,000 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिये गये हैं ; जो

प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर दिये जाते हैं, किन्तु प्रबोध परीक्षा के लिए नहीं जो कि एक स्थानीय (गृह) परीक्षा है।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी टिप्पण और मसौदा लेखन के प्रयोजन के लिए हिन्दी या अंग्रेजी, किसी भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। हिन्दी उनको मूलतः इसलिये सिखाई जा रही है कि वे हिन्दी में पत्र या टिप्पणी, अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद की अपेक्षा किये बिना, समझ सकें। जैसे-जैसे हिन्दी के कार्य की मात्रा बढ़ेगी, उनको जिन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी सीखी है, टिप्पण और मसौदा-लेखन के प्रयोजन के लिए हिन्दी का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त विश्वास प्राप्त होगा। इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी करने का विचार नहीं है।

जबलपुर और कान्हा तक विमान सेवा का विस्तार

10007. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कान्हा नेशनल पार्क में अधिक संख्या में पर्यटक आने लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या खजुराहो के लिए विमान सेवा को जबलपुर तथा कान्हा तक बढ़ाये जाने का विचार है ताकि पर्यटक संगमरमर की चट्टानें और कान्हा नेशनल पार्क देख सकें ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). खजुराहो के लिए विमान सेवा वाइकाउण्ट विमानों से चलाई जा रही है। जबलपुर का हवाई अड्डा अच्छी हालत में नहीं है तथा इस विमान के लिए उपयुक्त भी नहीं है। इसलिए, वाइकाउण्ट सेवा दिल्ली-आगरा-खजुराहो-बनारस-कलकत्ता जबलपुर से होकर नहीं चलाई जा सकती है।

कान्हा नेशनल पार्क जबलपुर से लगभग 108 मील दूर है और ऐसी हालत में कान्हा के लिए जबलपुर एक आदर्श हवाई अड्डे रूप में कार्य नहीं कर सकता चाहे उसे वाइकाउण्ट विमानों के लिए उपयुक्त बना भी दिया जाय। कान्हा के निकट, मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा नियंत्रित, एक अच्छे मौसम की हवाई पट्टी है, लेकिन यह अनुसूचित परिचालनों के लिए उपयुक्त नहीं है।

भारतीय ऋतुविज्ञान विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

10008. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**

श्री सिद्दय्या :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यावसायिक सहायक के अगले संवर्ग में पदोन्नति करने के

लिए भारतीय ऋतुविज्ञान विभाग/वेधशाला महानिदेशालय में वैज्ञानिक सहायक की पदाली तथा समकक्ष पदों पर स्थायी व्यक्तियों को एक सूची हाल ही में तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो सूची में कुल कितने व्यक्तियों के नाम शामिल किये गये हैं और उनके चुनाव का आधार क्या है ;

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या ऐसी पदोन्नति के लिए पात्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सभी कर्मचारियों के नामों पर एक पृथक चयन सूची बनाने के लिये विचार किया गया था ताकि इस सम्बन्ध में विद्यमान नियमों के अनुसार पदोन्नति की स्थायी सूची में उनके नाम अन्तिम रूप से शामिल किये जा सकें ;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सूची को अन्तिम रूप देने तथा उसके क्रियान्वित करने से तुरन्त पूर्व सूची में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) हाल ही में ऐसा कोई पैनेल नहीं बनाया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) और (ङ). चूंकि व्यावसायिक सहायक के संवर्ग में पदोन्नति चुनाव द्वारा नहीं अपितु प्रवरता-व-योग्यता के आधार पर की जाती है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की पृथक् चयन सूचियां बनाना आवश्यक नहीं है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

10009. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री सिद्दय्या :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेधशालाओं के महानिदेशक को गत पांच वर्षों में वैज्ञानिक सहायकों के संवर्ग तथा समान पदों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि विशेष प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आदेशों के अनुसार उनके समुचित स्थायीकरण के आधार पर उनकी वरिष्ठता पुन: निर्धारित की जाये ;

(ख) यदि हां, तो ये अभ्यावेदन किन किन तिथियों को प्राप्त हुए और ऐसे प्रत्येक मामले में अब तक क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि ऐसा कोई अभ्यावेदन अभी तक अनिर्णीत पड़ा है तो उसके क्या कारण हैं और कब तक इनको अन्तिम रूप में निपटा दिया जायेगा ; और

(घ) क्या सम्बद्ध व्यक्तियों को अपनी वरिष्ठता प्राप्त कर लेने पर भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति आदि के सभी लाभ प्राप्त करने का हक प्राप्त होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, हां । अनुसूचित जाति के एक वैज्ञानिक सहायक ने दो अवसरों पर अर्थात 26.4.1965 और 19.8.1966 को अभ्यावेदन दिये थे । उसे स्थिति स्पष्ट करते हुए 6.9.1965 को एक उत्तर दे दिया गया था ऐसे व्यक्तियों की न केवल वैज्ञानिक सहायकों के संवर्ग में अपितु उच्च वर्ग लिपिकों के संवग में भी वरिष्ठता पुनर्निर्धारित करने के प्रश्न पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त एवं गृह मन्त्रालय से परामर्श करके विचार किया जा रहा है । इस विषय में किया गया अन्तिम निर्णय अनुसूचित जाति के सम्बन्धित वैज्ञानिक सहायक समेत सभी प्रभावित व्यक्तियों को समान रूप से लागू किया जायेगा ।

(घ) यदि इस व्यक्ति को वरिष्ठता सूची में और अधिक ऊंचा स्थान भी प्राप्त हो जाता तो भी वह अगले ऊपर के ग्रेड में पदोन्नति का पात्र नहीं हुआ होता क्योंकि इस से पहले की गई पुष्टि के आधार पर उस से ऊपर रखे गये व्यक्ति की भी अभी पदोन्नति नहीं की गई है ।

भारतीय ऋतुविज्ञान विभाग में कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

10010. **श्री सूरज भान :**

श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग/वेधशाला महानिदेशालय में वैज्ञानिक सहायकों तथा समकक्ष पदों पर कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों पर समय समय पर पदाली के लिये जारी की जाने वाली वरियता सूची में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ;

(ग) क्या नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत वेतनक्रम में बाद में स्थायी किये गये व्यक्ति को स्पष्ट स्थायी रक्षित पद में पहले से स्थायी व्यक्ति से इस आधार पर वरिष्ठ किया जा सकता है कि वह स्थायी किये जाने से पहले उससे वरिष्ठ था तथा दोनों को एक ही तिथि से स्थायी किया गया था यद्यपि स्थायीकरण के वास्तविक आदेश बाद में जारी किये गये हों ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे आदेशों/हिदायतों का ब्यौरा क्या है तथा वे किस तिथि को लागू हुए थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). समय समय पर स्थायी बनाये जाने के फलस्वरूप सहायकों के ग्रेड में वरिष्ठता के बारे में अनुसूचित जाति के

वैज्ञानिक सहायक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और मामला विचाराधीन है। इसका 16.5.1969 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न 10009 से सम्बन्ध है जिसका निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :—

अनुसूचित जाति के वैज्ञानिक सहायक ने दो अवसरों पर अर्थात 26.4.65 और 19.8.66 को अभ्यावेदन दिये थे। उसको 6.9.1965 को उत्तर दे दिया गया था जिसमें स्थिति स्पष्ट करके बता दी गई थी। वैज्ञानिक सहायकों के संवर्ग में न केवल ऐसे व्यक्तियों बल्कि अपर डिवीजन क्लर्कों की वरिष्ठता को भी पुनः निर्धारित करने के प्रश्न पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त बल्कि गृह-कार्य मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इस मामले में जो भी निर्णय लिया जायेगा वह सम्बन्धित अनुसूचित जाति को वैज्ञानिक सहायक सहित सभी पर समान रूप से लागू होगा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/वेधशालाओं के महा निदेशालय में वैज्ञानिक सहायक

10011. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री सूरज भान :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/वेधशालाओं के महानिदेशालय में इस समय कुल कितने व्यक्ति (स्थायी, अर्धस्थायी, अस्थायी, कार्यवाहक) वैज्ञानिक सहायक संवर्ग और उसके समकक्ष पदों पर काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से पृथक्-पृथक् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ;

(ग) उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी आरक्षित रिक्त स्थानों पर जिनकी सीधे नियुक्ति की गई थी और पदोन्नति की गई थी ; और

(घ) क्या संवर्ग के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की इस ग्रेड में प्रथम नियुक्ति की तिथि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय रिक्त स्थान के स्वरूप सीधी नियुक्ति अथवा पदोन्नति तथा ग्रेड में स्थायी किये जाने की तिथि आदि के पूर्ण विवरण सहित ऐसे कर्मचारियों की एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 793.

(ख) अनुसूचित जाति : 51.

अनुसूचित जन जाति : 4.

(ग) आरक्षित रिक्त स्थानों पर 43 व्यक्ति (40 अनुसूचित जाति के और 3 अनुसूचित जन जाति के) सीधे नियुक्त किये गये। पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिये कोई आरक्षण नहीं है।

पदोन्नति प्रवरता-व-योग्यता के आधार पर की जाती है। प्रवरता-व-योग्यता के आधार पर 15 व्यक्तियों (14 अनुसूचित जाति के तथा 1 अनुसूचित जन जाति का) की पदोन्नति की गयी।

(घ) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1221/69]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पदों पर कर्मचारियों का स्थायीकरण

10012. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**

श्री सूरज भान :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रूप में रिक्त स्थानों पर सीधे भर्ती तथा पदोन्नति किये गये व्यक्तियों के स्थायीकरण का सही और उचित दिन निर्धारित करने के कोई विशेष आदेश/अनुदेश हैं विशेषकर जबकि परिवीक्षा के लिये निश्चित शर्तें होती हैं और जब सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति के लिये परिवीक्षा की कोई शर्त नहीं होती है ;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विशेष प्रतिवेदन आदेशों के अनुसार ऐसे मामलों में स्थायीकरण की तिथि निर्धारित करने के लिये क्या निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अस्थायी रूप में मूल नियुक्ति के समय तथा स्थायीकरण के समय आरक्षण करना आवश्यक है। पदोन्नति द्वारा भरे गये पदों में स्थायीकरण के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए को आरक्षण नहीं है।

उन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए, जो सीधे भर्ती किये गये हैं, स्थायीकरण की प्रक्रिया वही है जो अन्य कर्मचारियों के लिए हैं। उन सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के जो परिवीक्षा की निश्चित शर्तों के साथ नियुक्त किये गये हैं स्थायीकरण की तिथि समेत स्थायीकरण के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा नियमों के व्यौरे 20 दिसम्बर, 1968 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5370 के दिये गये उत्तर में बनाये गये हैं। जहां तक ऐसे सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों का संबंध है, जो प्रारम्भिक नियुक्ति के समय परिवीक्षा पर नहीं रखे जाते, उनका स्थायीकरण और स्थायीकरण की तिथि बहुत-कुछ हद तक निम्नलिखित बातों पर निर्भर हैं :—

1. स्थायी पदों की उपलब्धता ;
2. संबंधित व्यक्तियों के स्थायीकरण के लिये पात्रता ;
3. वरिष्ठता, और
4. विचारणीय क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों के स्थायीकरण के लिए उपयुक्तता।

सहायकों की पदोन्नति

100 3. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**

श्री सूरज भान :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सहायक काम कर रहे हैं जिनकी सेवाएं उसी ग्रेड में 20-25 वर्ष से अधिक हो गई है और जो वर्तमान वेतनमान अर्थात 210 रुपये से 530 रुपये प्रतिमास अधिकतम सीमा तक पहुंच गये हैं।

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है और क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनमें से कुछ कर्मचारियों ने 10 से 15 वर्ष की सेवा और करनी है उनको पदोन्नत करने के अवसर ढूंढने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि निकट भविष्य में उनकी पदोन्नति के अवसर बनाने की संभावना नहीं है तो उनको अपने कर्त्तव्यों को परिश्रम और दक्षतापूर्वक करने के लिये क्या प्रोत्साहन रह जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 1.1.1968 को लगभग 5000 सहायकों में से, 856 सहायकों ने 20 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा कर ली थी तथा उनमें से 355 सहायक 1968 में अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच गये थे।

समन्वय समिति ने, जिसे सरकार द्वारा इस सेवाओं के कर्मचारियों की शिकायतों पर गौर करने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया गया था, सहायकों की शिकायतों की जांच की तथा विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद, ग्रेड में लम्बी अवधि की सेवा वाले सहायकों के संबंध में कुछ सिफारिशें कीं। ये सिफारिशें इस समय विचाराधीन हैं।

दिल्ली की एक महिला वकील का अपहरण

10014. **श्री देवेन सेन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की एक कुमारी सन्तोष गुप्ता के पिता ने 26 जनवरी, 1969 को मध्यान्ह पश्चात पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी लड़की का अपहरण किये जाने का उन्हें सन्देह है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि थाने में लिखाई गई रपट में कुमारी गुप्ता के पिता ने जिन व्यक्तियों पर सन्देह व्यक्त किया था उनमें भारत सरकार के कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल हैं ;

(ग) क्या हस्ताक्षर किये एक सौ रुपये के नोट तथा कुछ पत्रों सहित कुमारी गुप्ता की एक डायरी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में एक बैरिस्टर द्वारा पेश की गई थी जिनसे पता चलता है कि उसके अपहरण में भारत सरकार के उच्च अधिकारियों का हाथ था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले के वास्तविक तथ्य क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) शिकायत कर्ता ने कुछ व्यक्तियों के नाम बताये थे जिनमें भारत सरकार का एक अधिकारी सम्मिलित है।

ग) एक वकील ने पुलिस को एक सौ रुपये का नोट, कुछ पत्र, महिला एडवोकेट की एक डायरी तथा अपनी एक अन्य डायरी सौंपी थी। उसने कुछ नाम भी बताये थे।

(घ) दिल्ली पुलिस ने मामले की जाच की थी। मामले की परिस्थितियों तथा तथ्यों के आधार पर, कोई अपराध नहीं बनता था।

ए० एफ० एल-सी० आई० ओ० द्वारा भारत में कार्मिक संघों को वित्तीय सहायता के बारे में समाचार

10015. **देवेन सेन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अप्रैल, 1969 को "पेट्रियट" में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरींका सरकार अल्प विकसित देशों में क्रान्ति विरोधी शक्तियों का आन्दोलन कराने हेतु अपनी विश्वव्यापी कार्यवाही को शक्तिशाली बनाने के लिये जैसा कि वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हुआ है, अब ए०एफ०एल-सी०आई०ओ० (अमरीकी केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन) को प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ए०एफ०एल-सी०आई०ओ० द्वारा भारत के किन-किन कार्मिक संघों कों वित्तीय सहायता की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याधरण शुक्ल) (क) और (ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

मनीपुर में गैर-सरकारी कालेजों को भूमि देना

10016. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के किन-किन गैर-सरकारी कालेजों ने अपने भवनों का निर्माण करने के लिये भूमि के आवंटन के लिये आवेदन किया है ;

(ख) सरकार से आज तक किन-किन कालेजों को भूमि मिली है और उनके लिये कालेज वार कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक कालेज को $7\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि देने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या गोहाटी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक कालेज तथा उसके विद्यार्थियों को खेलकूद समेत विविध गतिविधियों के लिये इतनी कम भूमि दी जाने की अनुमती दी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) मणीपुर प्रशासन से अपेक्षित सूचना की प्राप्ति का इन्तजार किया जा रहा है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता-अगरतला-सिल्वर विमान सेवाओं के समय में परिवर्तन

10017. **देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालक (पायलट) वर्षा ऋतु में संध्या के समय कलकत्ता-अगरतला-सिलवर विमान सेवा के बारे में शिकायत करते रहे हैं और उड़ानों के समय में परिवर्तन करने के लिये कहते रहे हैं क्योंकि वहां मौसम के कारण खतरा होता है, जो वर्षा ऋतु में और भी बढ़ जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में इंडियन एयरलाइन्स की दो उड़ानें रद्द कर दी गई थीं क्योंकि विमान चालक उड़ान के लिए तैयार नहीं थे ;

(ग) यदि हां, तो सरकार के लिये इन उड़ानों का समय बदलना सम्भव क्यों नहीं है जिससे विमानों की उड़ान में खतरे की सम्भावनाओं को दूर किया जा सके जैसी कि विमान-चालकों द्वारा मांग की जा रही है ; और

(घ) क्या इस बीच कलकत्ता-सिल्वर के बीच नियमित रूप से विमान सेवायें आरम्भ कर दी गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संस्था ने यह सुझाव दिया था कि कलकत्ता-अगरतला- सिल्चर सेवा का रवानगी का समय 14-30 बजे के बाद का निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र में सेवाओं के परिचालन के एक सर्वथा विभिन्न ढांचे के अंश के रूप में इस सेवा का कलकत्ता से छूटने का समय 11.45 बजे करने का सुझाव भी दिया था। इस ढाँचे का परिचालन की समस्त योजना के साथ मेल नहीं बैठता था और यह यातायात की आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं करता था। बहरहाल, इस सेवा का कलकत्ता से छूटने का समय 13-50 बजे निश्चित किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). इंडियन एयरलाइन्स कलकत्ता-सिल्चर सेवा को पिछले कई वर्षों से परिचालित कर रही है। खराब मौसम की हालत में, सेवायें कई बार बन्द की गयीं। समस्त विभान बेड़े की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उस क्षेत्र में समस्त सेवाओं की समय-अनुसूची को बदल कर पुन: तैयार करना व्यवहार्य नहीं है। लेकिन कलकत्ता-अगरतला-सिल्चर सेवा फ्रेंडशिप विमान के बजाय जो कि कलकत्ता से 13-50 बजे रवाना होता था अब डकोटा विमान से चलाई जा रहीं है जो कि कलकत्ता से 09-00 बजे रवाना होता है।

भारत में गैर-सरकारी होटलों का राष्ट्रीयकरण

10018. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़े गैर-सरकारी होटलों (50 लाख रुपये से अधिक लागत से बने) की संख्या तथा नाम क्या हैं और वे कहां-कहां हैं ;

(ख) क्या उनका राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब सौर यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) निजी होटलों के मूल्यांकन के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) निजी क्षेत्र के होटलों का एक अपना ही महत्व है, इसलिए उनका राष्ट्रीयकरण करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा । लेकिन, सरकारी क्षेत्र में भी होटल-निर्माण का एक कार्यक्रम है ।

जहाज निर्माण उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

10019. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी बोर्ड ने जहाज निर्माण उद्योग के बारे में कोई सिफारिशें की हैं ;

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में इसने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ख) इन्जीनियरी उद्योग के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड जिसमें जहाज निर्माण उद्योग भी शामिल है अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है । रिपोर्ट जांच के आधीन है और बोर्ड की सिफारिश की सरकारी निर्णयों के साथ यथाशीघ्र घोषणा की जायेगी ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कार्मिक संघ का समयोपरि कार्य के बारे में अभ्यावेदन

10020. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कार्मिक संघ ने समयोपरि कार्य के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या उसने अधिक समयोपरि कार्य से मजदूरों में खून की उल्टी और क्षय रोग जैसे भयानक रोग उत्पन्न हो जाने की शिकायत की है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (ग) इस सम्बन्ध में शिपयार्ड प्रबन्धकों ने पूछताछ की और सूचित किया है कि प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित बिमारियों की किस्म को यदाकदा समयोपरि कार्य करने के कारण नहीं हो सकता है ।

छम्ब क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैंठ

10021. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अप्रैल, 1969 को कुछ सशस्त्र पाकिस्तानी घुसपैठियों ने छम्ब क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा के इस ओर गोली चलाई थी और कुछ किसानों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा इस प्रकार की घुसपैंठ किये जाने के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बताया गया है कि तीन अज्ञात बदमाशों ने 15 अप्रैल, 1969 को तुतान वाला के एक उजाड़े गांव के समीप एक भारतीय नागरिक पर गोली चलाई जब वह ऊंट पर गेहूं लाद रहा था और एक कुल्हाड़ी से उस पर आक्रमण करके घायल कर दिया और ऊंट लेकर भाग गये। हमारी गश्ती टुकड़ी जब घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां से उसने पाकिस्तान के बने दो 12-बोर के खाली कारतूस बरामद किये। घायल व्यक्ति जम्मू अस्पताल में पहुचा दिया गया गया था।

(ख) इस मामले में सरकार सतर्क है।

हरियाणा में जासूसों की गिरफ्तारी

10022. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या गृहकार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा पुलिस द्वारा हिसार जिले में मण्डी उबवालों में एक महिला समेत छः जासूसों के एक ग्रुप को गिरफ्तार किया गया है।

(ख) उनके पास के किस प्रकार के नक्शे तथा दस्तावेज पकड़े गये थे और उनका ब्योरा क्या है।

(ग) क्या ये अपराधी नाम बदलकर एक लम्बी अवधि से भारत में रह रहे थे और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या है।

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की जांच का कार्य अपने हाथ में ले लिया है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस इस मामले में क्या कार्यवाही की है क्योंकि इस मामले में देश की सुरक्षा का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है,

(ङ) क्या इस गिरोह के किसी व्यक्ति अथवा सभी व्यक्तियों का पाकिस्तान से सम्बन्ध है जैसा कि मुबारिक अली उर्फ जगदीश राय ने 1966-67 में एक न्यायालय में स्वीकार किया था कि उसका पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध है जिसका समाचार 4 फरवरी, 1969 को "परदीप" में प्रकाशित हुआ है, और

(च) यदि हाँ, तो क्या उनमें से कोई पाकिस्तान गये है, और कितनी बार और किन आधारों पर ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) हरियाणा सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार डबवाली मण्डी में सरकारी रहस्य अधिनियम, 1923 की

धारा 3 के अन्तर्गत दर्ज किये गये एक मामले में तीन व्यक्ति, न कि छः व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। जांच प्रगति पर है और इस स्थिति में अधिक ब्यौरे प्रकट नहीं किये जा सकते हैं।

(घ) हरियाणा पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है जो इसकी जाँच भी कर रही है। सरकारी रहस्य अधिनियम से सम्बन्धित ऐसे सभी मामलों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकरण देश की सुरक्षा के लिए निकट सहयोग में काम करते हैं।

विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश

100023. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की है कि अपने विकास कार्यक्रमों के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को अखिल भारतीय आधार पर छात्रों को दाखिला देना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में हाल ही में हुए उपकुलपतियों के सम्मेलन में इस सिफारिश पर भी विचार किया गया था ; और

(ग) इस सिफारिश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिये क्षेत्रीय प्रतिबन्दों को हटाने के प्रश्न पर विचार करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह विचार किया है कि जिन मामलों में विकास कार्यक्रमो के लिए विश्वविद्यालयों को कमोपेश शतप्रतिशत सहायता दी जाती है उनमें अनुदान की यह शर्त होनी चाहिए कि दाखिला अखिल भारतीय आधार पर होगा। 21-23 अप्रैल, 1969 को उपकुलपतियों के सम्मेलन में इस सुझाव पर विचार किया गया था। सम्मेलन में इस बात पर सहमति थी कि क्षेत्रीय प्रतिबन्ध राष्ट्रीय एकता के हितों के विरुद्ध है और उनको हटाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन हैं और आयोग की सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया जायेगा ?

पारादीप पत्तन पर तल साफ करने का काम रोकना

10024. **श्री गु० च० नायक :**　**श्री न० कु० सोमानी :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :　**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री महेन्द्र माझी :　**श्री प्र० के० देव :**
श्री बि० नरसिम्हा राव :　**श्री स० कु० तापड़िया :**
श्री चिंतामणी पाणिग्रही :

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप पत्तन पर तल की सफाई करने का सारा काम बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या तल की सफाई का काम बन्द करने से पहले किया गया ऐसा सारा काम बेकार हो जायेगा और इससे सरकारी धन की भारी हानि होगी ;

(घ) तल की सफाई का काम अविलम्ब आरम्भ करने के लिए यदि सरकार कोई कार्यवाही कर रही है, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) क्या एम स्थायी कैपिटल ड्रेजर की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की गई है ताकि इस कारण तल की सफाई के काम में कोई बाधा न पड़े ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ). पोत के निकर्षक नियमित रूप से निकर्षण कार्य कर रहा है लेकिन मौसम खराबी से टूट-फूट के कारण ठेकेदार का विशेष कार्य में लगे निष्कर्ष को निकर्षण कार्य कुछ समय के लिए बंद किया था। फिर भी पोत निकर्षक और ठेकेदार के निकर्षक से अधिकतम सम्भव निकर्षण कार्य करने के लिए मौसम खराबी के बावजूद प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिकतम सम्भव डुबाव रखा जा सके।

दिल्ली परिवहन को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना

10025. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री देवेन सेन :
श्री किंकर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन कर्मचारी संघ ने दिल्ली परिवहन को तत्काल अपने नियंत्रण में लेने के लिए और उसे भली भांति चलाने के लिए एक सांविधिक बोर्ड की स्थापना का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ ने दिल्ली परिवहन को हुई हानि के कारणों की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच आयोग नियुक्त करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्यों के नाम क्या है और उसके निर्देश पद क्या है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली नगर निगम और नयी दिल्ली नगर पालिका के वित्तीय मामलों की जाँच करने के लिए श्री आर० आर० मोरारका भूतपूर्व संसद सदस्य, की अध्यक्षता में गृह मन्त्रालय

द्वारा नियुक्त जांच आयोग निगम के अन्तर्गत के विभिन्न उपक्रमों, जिनमें दिल्ली परिवहन उपक्रम भी शामिल है, की वित्तीय मामलों की भी जांच करेगा ।

लंदन स्थित संग्रहालय में 'गीत गोविन्द' की पाण्डुलिपि

10026. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** **श्री महेन्द्र माझी :**
श्री गु० च० नायक :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि कवि जयदेव द्वारा लिखित 'गीत गोविन्द' की मूल प्रति लंदन स्थित संग्रहालय में सुरक्षित है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समकार ने उसे वापिस लेने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीतती जहां आरा जयपाल सिंह) :
(क) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि ब्रिटिश संग्रहालय में कवि जयदेव के "गीत गोविन्द" की मूल प्रति नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विद्या सागर कालेज, बीरभूम, पश्चिम बंगाल को भवन निर्माण के लिए अनुदान

10027. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री विद्यासागर कालेज वीरभूम, पश्चिम बंगाल ने भवन निर्माण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन पत्र दिया है ।

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस राशि की मंजूरी प्रदान की गई है तथा राशि दे दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां । कालेज के प्रयोगशाला की सुविधाओं में सुधार के लिए, 1,41,096 रुपये को अनुमानित लागत का 66 2/3 प्रतिशत का अभिवेदन करते हुए 94,064 रुपये के अनुदान के लिए आवेदन किया है ।

(ग) और (घ). इस प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय भाषा संस्था

10028. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय भाषा संस्था की स्थापना की योजना स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो कब और यह संस्था कहाँ पर स्थापित की जायेगी;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है;

(घ) इस संस्था में कौन-कौन सी भाषायें पढ़ाई जायेंगी; और

(ङ) क्या इस संस्था का स्तर विश्वविद्यालय के स्तर के बराबर होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) इस वर्ष के बजट में 5 लाख रुपये की व्यवस्था है।

(घ) इस संस्था का सम्बन्ध संविधान की आठवी अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं से होगा।

(ङ) जी नहीं।

Muslim Sena in Delhi

10029. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri N. R. Deoghare :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported formation of a Muslim Sena in Delhi ;

(d) the functions and objectives of such sena ; and

(c) the reaction of Government keeping national and communal harmony in view ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to information furnished by the Delhi Administration Dr. Z. Abbas Malik, Municipal Councillor, Delhi announced at public meeting on February 25, 1969 that he proposed to set up a volunteer corps to provide protection to the religious places of Muslims and to safeguard generally the community's interest in Delhi. On 19th April, 1969, Dr. Malik said that the organisation would be known as 'Muslim Sena'. About 20/22 volunteers are reported to have appeared in public for the first time on the evening of April 24, 1969, when a public meeting was held in Urdu Bazar.

(c) Action under the law will be taken in case any unlawful activities come to notice.

कारवाड़ पत्तन के विकास के बारे में जापान की एक फर्म के साथ वार्ता

10030. **श्री दिनकर देसाई :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बल्लारी-होस्पेट क्षेत्र से लौह अयस्क के निर्यात के लिए कारवाड़ पत्तन को एक आधुनिक ढंग के पत्तन के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव के बारे में एक जापानी फर्म के प्रतिनिधियों ने हाल ही में मैसूर सरकार से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का ब्योरा क्या है और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से यह अभिनिश्चित किया जा चुका है कि चर्चा कारवाड़ पत्तन के विकास के संबंध में शक्यता रिपोर्ट तैयार करने के कार्य को सौंपने के प्रश्न से संबंधित है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव के ब्यौरे की प्रतीक्षा है।

शरावती और काली नदियों पर पुलों का निर्माण

10031. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम घाट सड़क पर मैसूर राज्य में उत्तर कनारा जिला में शरावती तथा काली नदियों पर पुलों के निर्माण के लिये किस-किस तारीख को ठेके दिये गये थे;

(ख) ठेकों के अनुसार इन पुलों का काम कब तक पूर्ण हो जाना था;

(ग) क्या निर्धारित समय में पुल बन कर तैयार हो गये थे;

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में विलम्ब होने के कारण क्या और इनके अब कब तक बन कर तैयार होने की सम्भावना है; और

(ङ) प्रत्येक पुल के निर्माण में कितनी लागत आयेगी ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बरेली-गोहाटी पार्श्व सड़क पर काम

10032. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरेली गोहाटी पार्श्व सड़क पर धन की कमी के कारण एक वर्ष से बहुत धीरे-धीरे काम हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सड़क के लिये मूल अनुमान में कटौती कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस कटौती से इस महत्वपूर्ण सीमावर्ती सड़क पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). अगस्त 1966 के बाद काम में कुछ शिथिलता आ गई थी। फिर भी मामूली विशिष्टियों और घटाये गये कार्य-क्षेत्र के आधार पर काम परिशोधित कार्य-क्रम और लक्ष्य के अनुसार प्रगति पर है। इन घटायी गई विशिष्टियों के आधार पर जब सड़क पूरी बन जायेगी,

यातायात के लिये पर्याप्त रूप से चालू हो जायेगी। किन्तु उच्चतर मानकों और मूल रूप से सोची गई विशिष्टियों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करना

10033. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिये योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय स्तर तक प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार 1968-69 से शुरू होने वाले छः वर्षों में अधिक से अधिक एक करोड़ रुपये की सहायता देगी। प्रथम वर्ष में सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय को केन्द्र द्वारा 75 प्रतिशत तथा राज्य द्वारा 25 प्रतिशत के आधार पर इस सहायता को बांटा जायेगा। शेष वर्षों में राष्ट्रीय विकास परिषद की इस सिफारिश पर कि 1969-70 से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शत प्रतिशत आधार पर होगी केन्द्रीय सरकार शत प्रतिशत सहायता देगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकों के प्रकाशन की राज्य योजनाओं की तैयारी के लिए मंत्रालय ने मार्गदर्शन सिद्धान्त बनाये हैं और उनको राज्य सरकारो में परिचालित किया गया है ताकि वे इस उद्देश्य हेतु उपयुक्त व्यवस्था कर सकें और सम्बन्धित राज्यों में विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को शामिल कर और अपनी योजनाओं का ब्यौरा तैयार कर सकें जिसमें संगठनात्मक ढांचे, शुरू की गई परियोजना और उनको क्रियान्वित करने का ढंग बताया गया हो। पुस्तकों के प्रकाशन की योजनाओं को मंत्रालय द्वारा मंजूर किये जाने के बाद ही राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 644

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : महोदय, एयर इंडिया द्वारा होटल उद्योग में शामिल होने के बारे में श्री जार्ज फरनेंडीज तथा अन्य सदस्यों के लिखित प्रश्न संख्या 644 के भाग (क) और (ग) के जवाब में 21 फरवरी, 1969 को मैंने कहा था कि "एयर इंडिया का बम्बई में 3 करोड़ रुपये की लागत से एक होटल सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर तथा 1 करोड़ रुपये की लागत से एक होटल जुहू बीच पर बनाने का प्रस्ताव है।" परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि सान्ताक्रूज हवाई अडे पर प्रस्तावित होटल की लागत 1 करोय रुपये तथा जुहू बीच पर प्रस्तावित होटल की लागत 3 करोड़ रुपये होने कीं सम्भावना है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1969 और वित्त, लेखे तथा लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर किये गये निर्णयों का विवरण

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) संविधान अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1969, की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या** एल० टी० 1187/69]

(2) "वित्त, लेखे तथा लेखापरीक्षा" के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में की गई कतिपय सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों का विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल० टी० 1188/69]

खाद्य पदार्थ विधायन उद्योगों की विकास परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए खाद्य पदार्थ विधायन उद्योगों की विकास परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या** एल० टी० 1189/69]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास के प्रमाणित लेखे

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रौद्योगिकी संस्था अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास, के वर्ष 1967-68 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 1191/69]

इण्डिया टूरिज्म डवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के कार्य की समीक्षा तथा उसकी वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इंडिया टूरिज्म डवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष

1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने विवरण । [पुस्कालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1190/69]

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (पहला संशोधन) आदेश और अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (पहला संशोधन) आदेश, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 20 फरवरी, 1959 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 735 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 736 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1192/69]

विभिन्न आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं चौथी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले छः विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

1.	अनुपूरक	विवरण	संख्या 1	सातवां सत्र, 1969
2.	,,	,,	संख्या 4	छठा सत्र, 1968
3.	,,	,,	संख्या 11	पाचवां सत्र, 1968
4.		,,	संख्या 17	चौथा सत्र, 1968
5.	,,	,,	संख्या 12	तीसरा सत्र, 1967
6.	,,	,,	संख्या 19	दूसरा सत्र, 1967

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1193/69]

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The hon. Home Minister has given another assurance yesterday that he will look into the matter of unemployed youngmen who held demonstration here and will gave a detailed statement.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अध्यक्ष महोदय को लिखा था और अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया था कि उन्हें 6 बजे बुलाया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : 6 बजे तो सभी को बोलने का अवसर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने गृह-कार्य मंत्री को श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में 6 बजे शाम को वक्तव्य देने को कहा है।

Shri Madhu Limaye : The unemployment problem is becoming serious day by day. The students who held demonstration yesterday were ill-treated. I want to know whether the police officers responsible for conducting this ill-treatment will be punished ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के स्थगन होने से पूर्व उनका वक्तव्य हो जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब तक हम बतायेंगे नहीं कि हमने क्या देखा है तब तक वह क्या वक्तव्य देंगे। अतः हमें बोलने का अवसर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का पत्र गृह-कार्य मंत्री जी को दे दिया गया है। आपको शाम को बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जिन लड़कों की मारपीट की गई है उनको तेहाड़ जेल में रखा गया है। उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है। उनको राजनैतिक बन्दी नहीं समझा गया है। महिलाओं से भी दुर्व्यवहार किया गया है। मेरा निवेदन यह है कि जेल में उनकी स्थिति की जांच करने के लिए आदेश दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री शाम को इस बारे में वक्तव्य देने वाले हैं। उस समय आप लोग कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Sheo Narain (Basti) It is the responsibility of the Government to see that all are treated well and ladies are not man-handled. The hon. Minister should make a statement.

Shri Shashi Bhushan (Khargaon) : The ladies should be given 'B' class. The other arrested youths should also be granted 'B' class and they should be treated well.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The hon. Minister should asked to make an early statement. The students were ill-treated while ladies demonstrators were dragged by the constables.

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) :**

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा मैंने पहले कहा कि उनको कन्नड़ में प्रश्न पूछने का अधिकार है परन्तु गृह-कार्य मन्त्री इसका उत्तर किस प्रकार देंगे।

श्री एस० कन्डप्पन (मेट्टूर) : हमें यह आश्वासन दिया गया था कि व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उपकरण मंगाये जा रहे तथा कुछ महीनों में सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में बोलने के लिए सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा कब तक हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि इस मामले का वर्तमान विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**कन्नड़ में बोले।

Shri Madhu Limaye : How the equipment will come if Shri Morarji will not sanction the necessary amount.

उपाध्यक्ष महोदय : धन का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। माननीय वित्त मन्त्री इस बारे में कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 968 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 970 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 969 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 971 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 1065 जो दिनांक 3 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 1082 से 1097 तक जो दिनांक 29 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [पुस्तकाल में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1195/69]

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1969, की एक प्रति जो दिनांक 3 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1066 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1196/69]

निवारक निरोध अधिनियम के कार्य के बारे में सांख्यिकीय जानकारी

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पर रखता हूँ ;—

(1) 30 सितम्बर, 1967 से 30 सितम्बर, 1968 तक की अवधि के लिए निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के कार्य के बारे में सांख्यिकीय जानकारी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त जानकारी को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1197/69]

(3) उनके द्वारा 7 मार्च, 1969 को दिये गये आश्वासन के अनुसरण में, प्रतिरक्षा मन्त्रालय के दिनांक 17 अगस्त, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 7 (3)/65/8902/ डी (एयर-दो) की एक प्रति जिसमें अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भारतीय वायु सेना को अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए उड़ान के प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति के आदेश दिए गए हैं। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1198/69]

अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री मुहम्मद यूनस सलीम की ओर से अधिवक्ता अधिनियम, 1961, की धारा 49—क की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिवक्ता के रूप में प्रवेश (प्रशिक्षण तथा परीक्षा) संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे जो दिनांक 23 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1560 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1199/69]

हिन्दुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेंजी संस्करण)

(2) हिंदुस्तान शिपयार्ड, लिमिटेड, विशाखपत्तनम का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1200/69]

चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से चलचित्र अधिनियम, 1958 की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे जो दिनांक 19 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 977 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर 978 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1201/69]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ —

(1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 26 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1017 में प्रकाशित हुई थी।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1018 की एक प्रति जो दिनांक 26 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में फैरो-मैंगनीज उद्योग जोड़ा गया। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1202/69]**

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं श्री अन्नासाहिब शिंदे की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) जी० एस० आर० 1056 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1057 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 3 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) दिल्ली बेलन मिले गेहूँ उत्पाद (मिल पर तथा फूटकर) मूल्य नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1969 जो दिनांक 3 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1102 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) बेलन मिले गेहूँ उत्पाद (मिल पर) मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1969 जो दिनांक 3 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1103 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1203/69]**

भारतीय तारयंत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं भारतीय तारयन्त्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन भारतीय तारयन्त्र (आठवाँ संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 28 अप्रैल, 1969 के भारत राजपत्र में अधिसूचना जी० एस० आर० 1080 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकाकालय में रखी गयी। देखिये संख्या 1204/69]**

———

नर्मदा जल विवाद के बारे में दिये गये वक्तव्य को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

STATEMENT CANNECTING STATEMENT RE. NARMADA WATER DISPUTE

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (श्री० कु० ल० राव) : मैंने 12 मई, 1969 को नर्मदा जल विवाद के बारे में एक वक्तव्य दिया था जिसमें अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विवाद के न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने के भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की गई थी। उस वक्तव्य में मैंने यह बताया था कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भारत सिंह चौहान द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर मैंने स्थिति की पुनः जांच की है। मैं बड़े खेद के साथ इस बात को स्वीकार करता हूँ कि राज्य सरकार की नीति के बारे में कुछ गलत फहमी के कारण मेरे पहले वक्तव्य में गलती हो गई थी। मेरा वक्तव्य केबिनट सचिवालय से प्राप्त सूचना पर आधारित था कि जहाँ कि गलतफहमी उत्पन्न हुई थी, मुझे इस गलती के लिए खेद है। मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इससे सभा में गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था जानबूझकर गलत जानकारी देने का इरादा नहीं था।

मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 19:6 के अन्तर्गत यदि कोई एक राज्य भी न्यायाधिकरण की स्थापना के लिये प्रार्थना करता है और यदि केन्द्रीय सरकार की राय में बातचीत द्वारा बिवाद हल नहीं हो सकता तो न्यायाधिकरण की स्थापना अनिवार्य है। इस मामले विशेष में भारत सरकार ने नर्मदा विवाद को हल करने के लिए अनेक वर्षों तक गम्भीर प्रयत्न किये हैं परन्तु इसके कोई परिणाम नहीं निकले और केन्द्रीय सरकार की राय में और आगे बातचीत से यह मामला हल नहीं हो सकता और उचित मार्ग इसको न्यायाधिकरण को सौंपने का ही है। अतः महाराष्ट्र सरकार की नीति के बारे में हुई गलती से भारत सरकार के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

तैंतालीसवीं तथा पचासवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश

श्री भालजी भाई परमार (दोहद) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकोंतथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र में हुई 43वीं से 50वीं बठकों के कार्यवाही-सारांश को सभा-पटल पर रखता हूं।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा अनुमति प्राप्त तीन विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1969
(2) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1969
(3) वित्त विधेयक, 1969

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

90वां प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (कालिनाग) : पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय—पर्यटन—विभाग के बारे में प्राक्कलन समिति का 90वां प्रतिवेदन पेश करता हूँ ।

मालेगांव तथा धूलिया में रंगदार साड़ियों के उत्पादन पर रोक लगाने के बारे में याचिका

PETITION RE. BAN ON PRODUCTION OF COLOURED SAREES AT MALEGAON AND DHULIA

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरमपुर) : मैं मालेगांव तथा धूलिया में विद्युत करधों पर रंगदार साड़ियों के उत्पादन पर रोक के बारे में मालेगांव (नासिक) के श्री शब्बिर हकीम तथा अन्य व्यक्तियों की एक याचिका पेश करता हूँ ।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डा० रा० चव्हाण) : श्रीमान, मैं अलोह धातुओं के उत्पादन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1203 पर सर्वश्री पट्टियम गोपालन तथा एस० आर० दामानी के अनुपूरक प्रश्नों के 21 अप्रैल, 1969 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने के लिए वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ ।

अलोह धातुओं के उत्पादन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1203 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 1203 RE. PRODUCTION OF NON-FERROUS METALS

संसद सदस्यों के लिए वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी तदर्थ संयुक्त समिति की कुछ सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING GOVERNMENT'S REACTION TO RECOMMENDATIONS OF AD HOC JOINT COMMITTEE ON SALARY, ALLOWANCES AND OTHER AMENITIES TO MEMBERS OF PARLIAMENT

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : श्रीमान, मैं संसद सदस्यों के लिए वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी तदर्थ संयुक्त समिति की कुछ सिफारिशों पर पर संसद की प्रतिक्रिया के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूँ ।

पैट्रोलियम (संशोधन) विधेयक

PETROLEUM (AMENDMENT) BILL

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। इसकी धारा 14 के अन्तर्गत 500 रुपये जुर्माने का दन्ड बड़ाकर एक महीने का कारावास और 1000 रुपये दंड किया जा रहा है। ऐसा मामूली मामलों में किया जा रहा है। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। विधेयक से बहुत लोगों को हानि होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

[**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**]

The motion was adopted

डा० त्रिगुण सेन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : संसद सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के बारे में जो कुछ कहा है, वह मुझे सुनाई नहीं दिया है। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है तथा माननीय सदस्यों में परिचालित किया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It appears that all the items on the agenda will not be disposed of by today evening. If necessary, the session may kindly be extended by a day so that all the items put in the agenda may be disposed of.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका सुझाव भेज दूंगा।

स्थपति विधेयक

ARCHITECTS BILL

संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 15 मई, 1969 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 15 मई, 1969 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा स्थपतियों के रजिस्ट्रीकरण का और उससे संसक्त प्रयोजनों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित तीस सदस्य नाम निर्देषित किये जायें, अर्थात् :—

श्री रामचन्द्र जे० अमीन, श्री जे० बी० एस० विष्ट, श्री अनिल के० चन्दा, श्री तुलसीदास दासप्पा, श्री कंसारी हाल्दर, श्री जे० एन० हजारिका, श्री हेम बरुआ, श्री एस० एम० जोशी, श्री धीरेश्वर कलिता, कुमारी कमला कुमारी, श्री सीताराम केसरी, श्री बलराज मधोक, श्री विजय मोडक, श्री पीलू मोदी, श्रीमती शकुन्तला नायर, श्री चिन्तामणि पाणिग्रही, श्री अनन्तराव पाटिल, श्री वी० नरसिम्हा राव, श्री पी० एंथनी रेड्डी, श्री वी० माम्बसिवम, श्रीमती तारा सप्रे, श्री इरास्मो डि० सेक्विरा, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री नवल किशोर शर्मा, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री पी० शिवशंकरन, श्री एस० डी० सोमसुन्दरम, श्री एम० जी० उइके, श्री जी० वेंकटस्वामी, डा० वी० के० आर० वी राव।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा द्वारा 15 मई, 1969 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 15 मई, 1969 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा स्थपतियों के रजिस्ट्रीकरण का और उससे संसक्त प्रयोजनों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित तीस सदस्य नाम निर्देशित किये जायें, अर्थात् :—

श्री रामचन्द्र जे० अमीन, श्री जे० बी० एस० बिष्ट, श्री अनिल के० चन्दा, श्री तुलसीदास दासप्पा, श्री कंसारी हाल्दर, श्री जे० एन० हजारिका, श्री हेम बरुआ, श्री एस० एम० जोशी, श्री धीरेश्वर कलिता, कुमारी कमला कुमारी, श्री सीताराम केसरी, श्री बलराज मधोक, श्री विजय मोडक, श्री पीलू मोदी, श्रीमती शकुन्तला नायर, श्री चिन्तामणी पाणिग्रही, श्री अनन्तराव पाटिल, श्री वी० नरसिम्हा राव, श्री पी एंथनी रेड्डी, श्री वी० साम्बसिवम, श्रीमती तारा सप्रे, श्री इरास्मो डि० सेक्विरा, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री नवल किशोर शर्मा, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री पी० शिवशंकरन, श्री एस० डी० सोमसुन्दरम, श्री एम० जी० उइके, श्री जी० वेंकटस्वामी, डा० वी० के० आर० वी० राव ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

CODE OF CIVIL BROADCAST (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समित्ति में सम्मिलित होने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रस्ताव

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 15 मई, 1969 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 15 मई, 1969 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित तीस सदस्य नाम-निर्देशित किये जायें, अर्थात् : –

श्री डी० बलराम राजू, श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ, श्री आर० डी० भण्डारे' श्री कृष्ण कुमार चटर्जी, श्री नयन तारा दास, श्री शिवाजीराव एस० देशमुख, श्री श्रीचन्द गोयल, श्री रामकृष्ण गुप्ता, श्री हीरजी भाई, श्री जे० एम० इमाम, श्री कामेश्वर सिंह, श्री मुशीर अहमद खाँ, श्री थान्डवन किरुतिनन, श्री के० लकप्पा, श्री बृज भूषण लाल, श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई, श्री महेन्द्र मांझी, श्री बी० पी० मण्डल, श्री एम० मेघचन्द्र, श्री विश्वनाथ मेनन, श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार, श्री एस० बी० पाटिल, श्री झारखण्डे राय, चौधरी रणधीर सिंह, श्रीमती सावित्री श्याम, श्री पी० एन० सोलंकी,

श्री के० सुब्रावेलू, पंडित द्वारिका नाथ तिवारी, श्री तेन्नेटि विश्वनाथम, श्री पी० गोविन्द मेनन।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 15 मई, 1969 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 15 मई, 1969 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में आगे संशोधन करने विधेयकैवाले सम्बन्धी दनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मलित हो और संकलप करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित तीस सदस्य नाम निर्देशित किये जायें, अर्थात:

श्री डी० बलराम राजू, श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ, श्री आर० डी० भण्डारे, श्री कृष्ण कुमार चटर्जी, श्री नयन तारा दास, श्री शिवाजीराव एस० देशमुख, श्री श्रीचन्द गोयल, श्री रामकृष्ण गुप्ता, श्री हीरजी भाई, श्री जे० एम० एमाम, श्री कामेश्वर सिंह, श्री मुशीर अहमद खां, श्री थान्डवन किरुतिनन, श्री के० लकप्पा, श्री बृजभूषण लाल, श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई, श्री महेन्द्र मांझी, श्री बी० पी० मण्डल, श्री एम० मेघचन्द्र, श्री विश्वनाथ मेनन, श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार, श्री एस० बी० पाटिल, श्री झारखण्डे राय, चौधरी रणधीर सिंह, श्रीमती सवित्री श्याम, श्री पी० एन० सोलंकी श्री के० सुब्राभेलू, पंडित द्वारिका नाथ तिवारी, श्री तेन्नेटि विश्वनाथम, श्री पी० गोविन्द मेनन।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अवक्रय विधेयक

HIRE PURCHASE BILL

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 15 मई, 1969 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 15 मई, 1969 को इस सभा को भेजी गई इस सिफरिश से सहमत है कि यह सभा अवक्रय-करारों के पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित और विनियमित करने के लिए तथा तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों के लिये विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये, लोक-सभा के निम्नलिखित तीस सदस्य नामनिर्देषित किये जायें, अर्थात् :—

श्री नाथूराम अहिरवार, श्री अंबुचेजियान, श्री के० अनिरुद्धन, श्री मंगनी अंकिनाडु, श्री बी० एन० भार्गव, श्री विभूति मिश्र, श्री आर० के० बिड़ला, श्री सी० दास, श्री देवीन्दर सिंह, श्री वाई० गार्डिलिंगन गौड, श्री वी० एन० जाधव, श्री सी० जनार्दनन, श्री धरणी धर जेना, श्री लीलाधर कटकी, श्री कुचेलर, हाजी लुत्फल हक, श्री यमुना प्रसाद मण्डल, श्री निहाल सिंह, श्री देवकी नन्दन पाटोदिया, श्री राजदेव सिंह, श्री राम चरण, श्री शम्भु नाथ, श्री वेणी शंकर शर्मा, श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे, श्री चन्द्र शेखर सिंह, श्री एस० एम० सोलंकी, श्री ए० एस० सईद, श्री ओम प्रकाश त्यागी, श्री प्रेम चन्द वर्मा, श्री पी० गोविन्द मेनन।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 15 मई, 1969 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 15 मई, 1969 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा अवक्रय-करारों के पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित और विनियमित करने के लिए तथा तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों के लिये विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये, लोक-सभा के निम्नलिखित तीस सदस्य नामनिर्देशित किये जायें, अर्थात् :—

श्री नाथूराम अहिरवार, श्री अंबुचेजियान, श्री के० अनिरुद्धन, श्री मंगनी अंबिनाडु, श्री बी० एन० भार्गव, श्री विभूति मिश्र, श्री आर० के० बिड़ला, श्री सी० दास, श्री देवीन्दर सिंह, श्री वाई० गाडिलिंगन गौड, श्री वी० एन० जाधव, श्री सी० जनार्दनन, श्री धरणी धर जेना, श्री लीलाधर कटकी, श्री कुचेलर, हाजी लुत्फल हक, श्री यमुना प्रसाद मंडल, श्री निहाल सिंह, श्री देवकी नन्दन पाटोदिया, श्री राजदेव सिंह, श्री राम चरण, श्री शम्भु नाथ, श्री वेणी शंकर शर्मा, श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे श्री चन्द्र शेखर सिंह, श्री एस० एम० सोलंकी, श्री ए० एस० सईद, श्री ओम प्रकाश त्यागी श्री प्रेम चन्द वर्मा, श्री पी० गोविन्द मेनन ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

संसद् सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं के बारे में तदर्थ संयुक्त समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार को प्रतिक्रिया

GOVERNMENT REACTION TO RECOMMENDATIONS OF AD-HOC JOINT COMMITTEE ON SALARY, ALLOWANCES AND OTHER AMENITIES TO MEMBERS OF PARLIAMENT

संसद-कार्य तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : 26 अप्रैल, 1968 को संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954 में संशोधन करने वाले गैर-सरकारी विधेयक पर विचार करने के पश्चात सभा में संसद सदस्यों को और अधिक सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को जांच करने और उस पर अपना प्रतिवेदन देने के लिये सौंप दिया था। इस समिति का प्रतिवेदन 7 अगस्त, 1968 को सभा में प्रस्तुत किया गया।

इसके पश्चात इस प्रतिवेदन पर सामान्य प्रयोजन समिति ने विचार किया जिसने कहा कि चूंकि संयुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन संसद को दे दिया है इसलिए, अब सरकार को प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव तैयार करने चाहियें।

इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और इस प्रकार निर्णय किये हैं :—

टेलीफोन सुविधायें : अब कोई सदस्य अपने स्थायी निवास स्थान पर अथवा निर्वाचन

क्षेत्र में एक टेलीफोन लगवा सकेंगे। दिल्ली में अथवा नई दिल्ली में उनके लिए लगवाये टेलीफोनों पर एक वर्ष में 3600 की बजाये 5400 स्थानीय काल मुफ्त कर सकेंगे।

चिकित्सा सुविधाएं : कोई भी सदस्य अब केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के अथवा उनसे सहायता प्राप्त किसी भी अस्पताल में चिकित्सा करा सकते हैं। ऐसी चिकित्सा के बिलों का भुगतान वर्तमान नियमों के अनुसार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य सेवा के महा निदेशक अथवा अन्य अधिकारी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

हवाई यात्रा सुविधायें : हवाई यात्रा की वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त अब सदस्य प्रथम श्रेणी के रेल भाड़े और हवाई जहाज के किराये के अन्तर को देकर देश में कहीं भी विमान से यात्रा कर सकेंगे। इस प्रयोजन के लिये एक विधेयक तैयार कर लिया गया है तथा संसद में प्रस्तुत किया जायेगा।

विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा : विदेशी मुद्रा की वर्तमान सीमा को छः हजार रुपये से बढ़ाकर नौ हजार रुपये करने सम्बन्धी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

आय-कर : संसद भवन में आय-कर कक्ष खोलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तथा इसे क्रियान्वित कर दिया गया है।

संसद सदस्यों के मृत शरीरों को हवाई जहाज द्वारा पहुंचाया जाना : वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त अब यह निर्णय किया गया है कि सदस्यों के मृत शरीरों को अब रेल, सड़क या समुद्री मार्ग से भी उनके निवास स्थान पर सरकारी खर्चे से पहुंचाया जायेगा। विशेष आर्डर के लिए सरकार सामान्य वाणिज्य दरों पर खर्चे वहन करेगी तथा दिवंगत सदस्य के रिश्तेदारों को केवल किराये के अन्तर ही का भुगतान करना पड़ेगा।

दैनिक भत्ता : सदस्नों के दैनिक भत्ते में तदर्थ वृद्धि करके उसे 31 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये कर देने का सरकार ने निर्णय किया है।

यह वृद्धि 16 मई, 1969 से लागू होगी।

इसके लिए संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1954 में संशोधन की आवश्यकता होगी।

———

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at five minutes past fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*]

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : मुझे गत दो तीन दिन से श्रीनगर में टेलीफोन पर संदेश प्राप्त होते रहे हैं जिनमें बताया गया है कि वहाँ प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज में राष्ट्रीय उतार दी गई है । उसके विरोध में कुछ विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल कर रखी है । मैं इस मामले की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान राष्ट्रीय शोक के दिनों में श्री पाटिल को एक पार्टी दी गई जिसमें लगभग 200 संसद सदस्य शामिल हुए । मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच कराई जाये । (**अन्तर्बाधायें**)।

श्री विक्रम चन्द महाजन : यह निजी भोजन था ।

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय शोक के दिनों में भोजन देना उचित नहीं था ।

———

(नागरिकता सँशोधन) नियमों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"यह सभा संकल्प करती है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा की उपधारा (4) के अनुसरण में नागरिकता (संशोधन) नियम, 1968 में जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2029 द्वारा भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 6 दिसम्बर, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूपभेद किया जाय ; अर्थात—

(एक) नियम 2 में फार्म XIII में "निष्ठा की शपथ" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी हों ;

"संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ" शब्द रखे जायें ; और

(दो) नियम 2 में फार्म XIII में "स्थापित" शब्द के पश्चात "भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता की मर्यादा बनाये रखना" शब्द रखे जायें।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो ।"

I am raising this discussion on the question of nationality. Our citizenship is now based on berth and inhebitance. I would like to know whether the Minister will consider the question of bestow ng nationality of India on any person who has love for this land. I would like to know whether the Minister will consider the question of making necessary amendments in the law of citizenship ?

Our attitude towards Stalins' daughter, Svetlana was against the Indian traditions. The Minister should declare that ours is a country whose doors are open to any person who loves this land. I think the Minister will have no objection in making suitable amendments in this direction.

I have been raising the question of citizenship of a person named Shri B. C. Bhowal, who was born in East Bengal and has been living in England since 1933. He made numerous attempts to return to India but Indian High Commissioner in London asked him to acquire British Nationality. He does not have a passport and without a passport he cannot

leave that country. The Minister should evolve a way by which such persons could acquire Indian nationality.

The Congress has committed a great sin by accepting the partition of the country. It has resulted in division of thousands of families. Will the Minister ever consider the question of such persons ?

The Government should make a change in its foreign policy towards Pakistan. It should try to establish friendly relation with Pakistan. It should establish such a policy whereby there would be a common citizenship for the two Countries. Government should have such a policy that any person in India can travel to any country of the world without passport and visa, as was the dream of Dr. Lohia. The Government should carefully consider on the aspects of Citizenship.

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय पहले उत्तर दे दें उसके बाद आप स्पष्टीकरण के लिये कह सकते हैं।

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Certain amendment have been moved in respect of Citizenship Rules and attention has also been drawn to certain individual cases. So far as those individual cases are concerned, it is difficult to say anything authoratively about those cases because we have not got the facts. But will certainly look into the matter and try to solve the difficulties.

There is no difference of opinions with regard to the views expressed about Indo-Pak relations. These views are praiseworthy and we will see how far we can implement them in the present circumstances. But taking into consideration the present relations between the two countries, it is not possible to achieve those ideals on the near future.

It is not possible to make the amendment in the form of oath because it cannot be done unless amendment in the law is made. However, I assure the House that Government will try to make necessary amendment at the appropriate time. Therefore, the hon. member should withdraw his amendments.

श्री एस कुण्डू (बालसोर) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पाकिस्तान से हमें मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे बहुत से मामले सामने आये है जिनमें पाकिस्तानियों को भारत में बहुत से वर्ष रहने के बाद यहाँ बसने में कठिनाइयां हुई हैं। अतः माननीय मन्त्री के दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित करना चाहिये। माननीय मन्त्री को इन मामलों की जांच करनी चाहिये। सरकार को उन देशों के नागरिकों को बीसा लेने पर जोर नहीं देना चाहिये जो देश भारतीय बीसे की मांग नहीं करते। हम यह घोषित कर सकते कि किसी व्यक्ति के लिये जो भारत में छः महीने ठहरेगा बीसे की आवश्यकता नहीं होगी। माननीय मन्त्री को इस बारे में आवश्यक कानून बनाना चाहिये।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) ; Some Indians in East Africa are in difficulty. They were told that they would be gainers by accepting British Citizenship. But after independence of that country they are facing trouble there. They are not regarded as citizens of any country and so they want to come back to India. Therefore, our citizenship rules should suitably be amended so that those people may get Indian Citizenship without being required to came to India.

As regards oath of allegiance, it should be so wonded that the faith in sovereignty and integrity of the country is ensured. It is necessary because at present various disrupting forces are working in the country and its integrity is in danger.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : There are some people who have been residening in India for quite a long time and it has been decided by the courts that they are not

Pakistani. Their names have also been included in the Voter's list. Even then they are being harassed. I want to know the difficulty of the Government in remaining in India of those Pakistanis whose integrity is not doubtful ?

Shri Vidya Charan Shukla : Before granting citizenships to any person we have to ensure whether the person concern will be faithful to the Country or not. In testing it we use different types of machineries provided for this purpose. We gather information by various sources. We take our decision according to the information received by our sources.

श्री जुल्फिकार अली खाँ (रामपुर) : यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिता चाहता है तो क्या होता है ? सरकार उसके मामले को गृह-मन्त्रालय को भेज देती है जो उसे राज्य के मुख्य सचिव को भेज देता है। इसके बाद सब कागजात राज्य के गृह सचिव जिला मैजिस्ट्रेट, सुपरेन्टेडेन्ट आफ पुलिस और अन्त में पुलिस के सब-इंस्पेक्टर को भेज दिये जाते हैं। उस पर वह जो लिखं देता है उसका डी० एस० पी०, एस० पी० जिला मैजिस्ट्रेट और गृह-कार्य सचिव द्वारा पालन किया जाता है।

Shri Vidya Charan Shukla : Such types of informatións can be collected by the local Officers. High Officials cannot be sent to collect such type of informations.

श्री कन्डप्पन : क्या इसके लिए पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य एजेंसी से भी काम लिया जाता है या इस मामले में केवल पुलिस की रिपोर्ट पर ही निर्भर रहा जाता है।

Shri Vidya Charan Shukla : Information is also collected through other agencies also. Information is also given by various Officials. Police Officers also make investigations. But generally the Officials of the Intelligence Department make investigations.

श्री जुल्फिकार अली खाँ : यदि कोई जांच विभाग का अधिकारी गलत रिपोर्ट देता है और सरकार इसकी जाँच करवाती है तो वह अधिकारी अपनी रिपोर्ट में परिवर्तन नहीं कर सकता ; यदि वह अपनी रिपोर्ट में परिवर्तन करेगा तो उसे निकाल दिया जायेगा।

Shri Vidya Charan Shukla : Some solid suggestions should be put forward to remove those wrongs. We should try to inprove our procedure. It is true that sometimes wrong reports may be given but generally it is not so. Whenever, it so happens they are looked into it. We are going to make an agreement with some countries whereby people from both the countries will be allowed entry without Visas.

The negotiations are almost in the final stop and we hope to make an announcement in this regard very soon.

Shri Madhu Limaye : On giving assurance by the hon. Minister by leave of the House, I, withdraw the motion.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि सभा ने उन्हें प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दे दी है।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The Motion was, by leave, withdrawn

अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, 1968 के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बतूल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"यह सभा संकल्प करती है कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, 1968 में जो दिनांक 4 जनवरी, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 3 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा 21 फरवरी, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये, निम्नलिखित रूप भेद किया जाय, अर्थात् :—

(एक) नियम 2 के खंड (ख) में उप-खंड (तीन) हटा दिया जाये :

(दो) नियम 3 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाये : —

व्याख्या—इस प्रश्न का निर्णय कि कौन सा कार्य 'सेवा के किसी सदस्य के लिये अशोभनीय समझा जाये, उस विभाग के प्रमुख अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसमें कि सेवा का सदस्य उस समय कार्य कर रहा होगा।';

(तीन) नियम 4 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाये :—

'व्याख्या—इस प्रश्न का निर्णय कि क्या सेवा के सदस्य ने 'अपने प्रभाव अथवा पद का प्रयोग किया है', उस विभाग के प्रमुख अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसमें कि सेवा का सदस्य उस समय कार्य कर रहा होगा।';

(चार) नियम 5 में, उप-नियम (1) के स्थान पर यह रखा जाये :—

'(1) सेवा का कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक दल का अथवा किसी अन्य संगठन का, जो राजनीति में भाग लेता हो, अथवा केवल मात्र धार्मिक समुदाय के हितों की वृद्धि में संलग्न हो, अथवा अपने घोषित उद्देश्यों में मूल रूप से साम्प्रदायिक हो, सदस्य नहीं होगा अथवा उसके साथ अन्य सम्पर्क नहीं रखेगा और न ही किसी राजनीतिक आन्दोलन अथवा राजनीतिक क्रिया-कलाप अथवा पूर्णतया साम्प्रदायिक क्रियाकलाप में भाग लेगा, अथवा उसकी सहायना के लिए चन्दा देगा, अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता देगा।';

(पांच) नियम 7 में, 'सेवा का कोई भी सदस्य आकाशवाणी के किसी प्रसारण में अथवा किसी ऐसे दस्तावेज में जो, गुमनाम, कृत्रिम नाम से अथवा उसके अपने नाम अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित हुआ हो अथवा समाचार-पत्रों में पत्र लिख कर अथवा सार्वजनिक भाषण के किसी तथ्य अथवा अपनी राय सम्बन्धी कोई वक्तव्य नहीं देगा, के स्थान पर यह रखा जाय :—

'सेवा का प्रत्येक सदस्य आकाशवाणी द्वारा कोई प्रसारण करने के लिए अथवा

किसी दस्तावेज को प्रकाशित करने के लिए अथवा समाचार-पत्रों या किसी सार्वजनिक सभा में वक्तव्य देने के लिए सरकार को अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी प्राधिकारी से पूर्वानुमति लेगा परन्तु सेवा का कोई भी सदस्य आकाशवाणी के किसी प्रसारण में अथवा किसी ऐसे दस्तावेज में जो गुमनाम, कृत्रिम नाम से अथवा किसी अन्य नाम से प्रकाशित हुआ हो अथवा समाचारपत्रों में पत्र लिख कर अथवा किसी सार्वजनिक भाषण में कोई तथ्यात्मक वक्तव्य नहीं देगा या अपनी राय नहीं देगा।';

(छ:) नियम 13 में,—

(क) उप-नियम (1) में, "सिवाये सरकार की पूर्वानुमति के" शब्द हटा दिये जाये ;

(ख) उप-नियम (1) के परन्तुक में, "बिना ऐसी अनुमति के" शब्द हटा दिये जायें ; और

(ग) उप-नियम (1) में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ा जाये :—

'परन्तु यह भी कि जब सेवा का कोई सदस्य किसी ऐसे संगठन में जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किसी अन्य देश द्वारा अथवा किसी विदेशी संस्था या व्यक्ति द्वारा आयोजित हो अथवा, जिसमें उनके द्वारा धन लगाया गया हो अथवा उनके द्वारा व्यवस्था की जा रही हो, कोई साहित्यक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक किस्म का ऐसा अवैतनिक कार्य क ना चाहता हो तो सेवा का वह सदस्य ऐसा काय करने से पहले सरकार को उस संगठन का पूरा ब्यौरा भेजेगा और सरकार की पूर्वानुमति लेगा।';

(सात) नियम 16 में—

(क) उप-नियम (2) के खण्ड (क) के अंत में यह जोड़ा जाये--

'और सेवा में नियुक्त होने की तारीख से पहले पांच वर्ष की अवधि में अपने परिकार के किसी सदस्य के नाम अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम उसके द्वारा दान के रूप में अथवा बेच कर हस्तांतरित की गई ऐसी सम्पत्ति';

(ख) उप नियम (2) के खण्ड (ग) के स्थान पर यह रखा जाये

(ग) स्थावर सम्पत्ति जैसे सोना, अथवा सोने के जेवर, मूल्यवान धातुएं अथवा ऐसी मूल्यवान धातु के जेवर, हीरे जवाहरात सहित जेवरात, मोटर-कारें, मोटर साइकिलें, रेफ्रीजिरेटर, रेडियो, रेडियोग्राम, मूल्यवान वस्त्र, सोने और चांदी के वर्तन, 1,000 रुपये से अधिक मूल्य की बीमे की पालिसियां और उसके द्वारा दिये गये ऋण'; और

(ग) व्याख्या हटा दिया जाये ; और

(आठ) नियम 21 के स्थान पर यह रखा जाये—

'21. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई सन्देह उत्पन्न

हो तो उसे एक बोर्ड को सौंपा जायेगा जिससे गृह कार्य, विधि और वित्त मन्त्रालयों में भारत सरकार के सचिव होंगे।'

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

मैंने प्रस्ताव इसलिए प्रस्तुत किया है कि मैंने अनुभव किया कि ये नियम कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों में अपर्याप्त हैं।

इंगलैंड में जब एक अंग्रेज को यह विदित हुआ कि तानाशाही में वृद्धि हो रही है तो उसने बताया की हमारे देश में 'पार्किन्सन' का सिद्धान्त तानाशाही पर लागू नहीं होता।

भारत में डिग्री से अधिक महत्व वंशावली का है। आप जो जानते हैं आप जिसे जानते हैं वह अधिक महत्वपूर्ण है। एक काम को करने के दो तरीके हैं। ठीक तरीका और सरकारी तरीका। हमारे देश में तानाशाही और सरकार के कार्य की यही मुख्य बातें हैं।

जब ब्रिटिश सत्ता 1947 में भारत से गई तो जाते समय भारतीय जनता के सिर कुछ बुरी परम्पराएं छोड़ गई। उस समय एक वर्ग ऐसा था जिसने ब्रिटिश शासन काल में भारी मात्रा में आर्थिक शक्ति और व्यापक राजनीतिक प्राधिकार अपने हाथों में ले लिये। अतः यह आवश्यक हो गया है कि ऐसा व्यक्तियों का संवर्ग तैयार किया जाना चाहिये जो कि एक निष्ठता तथा सेवा के लिये प्रख्यात है। परन्तु ऐसा न करने के परिणामस्वरूप आज हमारे यहां ऐसे अधिकारी हैं जो न केवल भारतीय राष्ट्रीयता के विरुद्ध हैं बल्कि अपने साथी भारतीयों को निम्न श्रेणी के दास के रूप में घृणा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। हमने जो नियम बनाये हैं वे नियम अपर्याप्त तथा अव्यवहारिक हैं। अधिकारी वर्ग की प्रवृति यह है कि वे शासन में, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा पूर्णतया धर्मार्थ संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि उन पर निगरानी रखी जाये ये नियम उनके लिये पर्याप्त नहीं हैं और वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। नियमों में संशोधन कर हम अपनी कठिनाइयों को कम से कम कर सकते हैं।

अभी हाल ही में एक मंत्रालय के सचिव ने बहुत विवादास्पद राजनीतिक मामलों पर भाषण दिया था। विधि मंत्रालय के सचिव ने कहा था कि बंगाल में संयुक्त मोर्चा मंत्रालय को समाप्त करना संवैधानिक था।

मेरा पहला संशोधन सरकारी कर्मचारियों के ऐसे आश्रितों के सम्बन्ध में है जिनके द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने का अर्थ यह होगा कि सरकारी कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया है। परन्तु 'आश्रित' की परिभाषा करते हुए इस खण्ड में कहा गया है कि उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहिये। यदि वह 99.9 प्रतिशत आश्रित है, तो वह इस कोटि में नहीं आयेगा। अतः इस खण्ड को निकाल दिया जाना चाहिये।

मैंने अपने दूसरे संशोधन में सुझाव दिया है कि यदि किसी सदस्य का व्यवहार अनुचित है तो उस विभाग के सचिव को यह निश्चित करने के लिए विवश करना चाहिये कि उस अधिकारी का अमुक कार्य अनुचित है या नहीं। यदि वह कार्य अनुचित है तो तत्सम्बन्धी घोषणा की जायेगी और उसपर आगे कार्यवाही की जायेगी। अब चाहे संसद में भी इस प्रकार के किसी

मामले की चर्चा की जाये तो भी हमें कोई इस बात की कोई जानकारी नहीं कि उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई है या नहीं। अतः मैं चाहता हूँ कि विभागाध्यक्ष पर यह उत्तरदायित्व होना चाहिये कि वह अनिवार्य रूप से इस बात का निर्णय करे कि अमुक अधिकारी का वह कार्य अनुचित है या नहीं है।

मेरा तीसरा संशोधन यह है कि हमारे दफतरशाहों द्वारा किसी ऐसी सामाजिक संस्था का सदस्य बनने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये जिसका उद्देश्य साम्प्रदायिकता की भावना पैदा करना हो। वर्तमान नियमों के अनुसार अधिकारी राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं बन सकते परन्तु यह पर्याप्त नहीं जबतक उनको ऐसे दलों में सम्मिलित होने से न रोका जाये जो साम्प्रदायिक भावनाएं पैदा करती हैं।

मेरा अगला सुझाव यह है कि सरकारी कर्मचारी कोई वक्तव्य प्रसारित करना चाहता है तो उसे ऐसा करने से पहले सरकार की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये। यदि वह कोई पुस्तक प्रकाशित करना चाहता है तो भी उसे सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रकाशित किया जाना चाहिये।

वर्तमान नियमों के अनुसार सरकार अधिकारियों को व्यापार करने की अनुमति दे सकती है। मेरे विचार में यह बात अनुचित है, मेरे संशोधन के अनुसार इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

मेरे अगले संशोधन में सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसे संगठनों में काम करने पर रोक लगाने के लिये कहा गया है जिनमें विदेशी धन नियोजित हो। इस प्रकार के कार्य के लिये सरकार की पूर्वानुमति अपेक्षित है। यदि सरकार की बिना पूर्वानुमति के वह कोई ऐसी विदेशी सहायता प्राप्त करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये, मेरा अगला संशोधन अधिकारियों की सम्पति बताये जाने के बारे में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिये एक घण्टे का समय बाकी है। परन्तु जब तक मंत्री महोदय उत्तर न दें, इस प्रस्ताव को आगामी सत्र के लिये नहीं रखा जा सकता।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) । प्रस्तुत प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर ब्यौरेवार चर्चा करने के लिये आगामी सत्र में इसे जारी रखना चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार यह प्रस्ताव केवल व्यपगत ही नहीं हो जायेगा बल्कि इसे सभा में पुनः लाने की भी कोई सम्भावना नहीं है।

श्री एस० कन्डपन्न : यह सम्भव है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की सहमति से हम मंत्री महोदय का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु हमारे पास केवल पांच मिनट हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत है। यदि सभा यह प्रस्ताव पारित करती है कि इस चर्चा को आगामी सत्र तक स्थगित कर दिया जाये तो मेरे विचार में इस में नियम बाधक नहीं बनेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अधिनियम में कहा गया है कि भर्ती को विनियमित करने वाला अधिनियम......" आदि (व्यवधान) इस सम्बन्ध में नियमों में कुछ व्यवस्था है। यदि आप नियम बदलना चाहते हैं तो आपत्ति ठीक है। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It can be done in case House passes a Motion to the effect that the rest of non-official business included in the Agenda will continue in the ensuing session.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा चाहे तो हम आध घण्टे तक इस विषय पर और चर्चा कर सकते हैं। परन्तु इससे गैर सरकारी सदस्यों के समय का अतिक्रमण होगा।

Shri Rabi Ray (Puri) : What is the rule in this connection ?

उपाध्यक्ष महोदय : अधिनियम की एक धारा में कहा गया है कि इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियम यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत किये जायेंगे और केवल संसद में संशोधन आदि प्रस्तुत करके उनमें संशोधित किया जायेगा तथा इस प्रकार के संशोधन उसी सत्र में रखे जायेंगे जिसमें यह ये नियम प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि हम आगामी सत्र तक स्थगित करते हैं तो आप इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकेंगे।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : आप अखिल भारतीय सेवा अधिनियम में से पढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर नियम रखने के बाद जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना है, वह लिखी हुई है।

श्री राममूर्ति : मैं यह स्वीकार करता हूँ कि अधिनियम में कहा गया है कि यदि इस सत्र में संशोधन पारित न किये गये तो वे मान्य नहीं होंगे। परन्तु इस से उस विषय पर चर्चा करने पर तो कोई रोक नहीं लगती और यदि आवश्यक हो तो अधिनियम की उस धारा में संशोधन किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है।

श्री राममूर्ति : यदि इस विषय पर चर्चा समाप्त नहीं हुई तो हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिये कि इस अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है।

श्री हुमायून कबीर (बसिरहाट) : अधिनियम में कहा गया है कि सत्र की अवधि में ही संशोधन पारित किये जाने चाहिये परन्तु इस विषय का समय समाप्त हो जाने पर भी ये संशोधन पारित नहीं हो सके। अतः सरकार को ये नियम आगामी सत्र में सभा-पटल पर रखने चाहिये जिससे हम पुनः चर्चा कर सकें।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : हम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, अधिनियम पर नहीं। यदि नियम पारित किये जाने हो तो उन्हें एक निश्चित समय के भीतर पारित किया जाना चाहिये जिससे वे अधिनियम का अंग बन सकें। परन्तु हम तो प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं अतः इसे आगामी सत्र तक स्थगित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों में परिवर्तन करने के लिये अधिनियम में एक प्रक्रिया का उल्लेख है और हम उसी के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री रा० ढो० भण्डारे : हमें लोक सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी है, अधिनियम की प्रक्रिया के अनुसार नहीं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : जब तक सभा इसे पारित नहीं करती तब तक इसको अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता। अभी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जब तक चर्चा पूरी नहीं हो जाती तब तक वे संशोधन नियमों का अंग नहीं बन सकते।

उपाध्य महोदय : अधिनियम में समय सीमा निर्धारित है।

श्री एस० कन्डप्पन : सरकार आगामी सत्र में इन नियमों को सभा-पटल पर पुनः रखे।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हमें उसी सत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करना है परन्तु यह आवश्यक नहीं की उस प्रस्ताव को उसी सत्र में पारित भी किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु उसी अवधि में ये परिवर्तन हो जाने चाहिये।

श्री राममूर्ति : परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि आगामी सत्र में हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते, यदि सभा उन नियमों के बारे अपनी राय व्यक्त करती है तो अधिनियम में संशोधन करने की प्रक्रिया बनाना सरकार का काम है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राममूर्ति ने ठीक कहा है। परन्तु यदि प्रस्ताव को हम अब पारित करते हैं तो सरकार को उसे स्वीकार करना ही होगा। परन्तु यदि इसे आगामी सत्र तक स्थगित किया जाता है तो उस सम्बन्ध में सरकार अपना निर्णय कर सकती है। फिर सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं कि वे नियमों में अवश्य संशोधन करे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। यदि यह प्रस्ताव आगामी सत्र में पारित किया जाता है और सरकार कहती है कि यह केवल सिफारिश है और अनिवार्य नहीं है तो यह ठीक है। इस पर पर्याप्त चर्चा हो जानी चाहिये क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह इससे सहमत हैं तो देखना यह है कि आगामी सत्र में इस विषय पर उपयुक्त समय पर चर्चा की जानी चाहिए। परन्तु अधिनियम के अन्तर्गत यह बाध्य नहीं होगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It is true that if motion is passed in next session then rules will not be modified automatically. But once the motion is adopted, it will be binding on Government.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं श्री मधु लिमये के विचार से सहमत हूं। यदि यह स्थिति ठीक है तो मैं उससे संतुष्ट हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर विचार करेंगे।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यदि सभा सहमत हो तो हम अगले सरकारी विधेयक पर विचार कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की विधान सभा ने सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया है कि परिषद् को समाप्त कर दिया जाये। मेरे विचार में सभा में इसका विरोध नहीं किया जायेगा।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्र दुर्ग) : मेरा दल इसका विरोध करता है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हम एक घन्टा समय बढ़ाकर गैर-सरकारी कार्य पर विचार कर सकते हैं। इतनी अवधि में हम विधेयक पारित कर सकेंगे ;

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं कि सभा इससे सहमत है या नहीं।

Shri Rabi Ray : We want that the Bill should be passed to-day.

उपाध्यक्ष महोदय : स्वतंत्र दल विरोध कर रहा है। वे तीन घण्टे का समय चाहते है और कुछ माननीय सदस्य 6 बजे के बाद नहीं रुकना चाहते। कुछ गैर-सरकारी विधेयक भी हैं और वे अपने अधिकार को खोना नहीं चाहते।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : कार्यमंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिये तीन घण्टे का समय निर्धारित किया है।

Shri Prakash Vir Shastri : There are three non-official Bills. We could not take any decision on the Bill of Shri Kameshwar Singh due to back of corum. So he would have no objection. Shri D. C. Sharma is indisposed and if we give a minute to Shri Humyun Kabir and continue it, we can take up West Bengal Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक नहीं है। श्री शर्मा ने श्री विश्वनाथम् को विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार दिया है। हम एक घण्टे का समय बढ़ा सकते हैं और उसकी कमी गैर-सरकारी सदस्यों के लिये निर्धारित समय से पूरी की जा सकती है।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : सरकार चाहती है कि यह विधेयक पारित हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विचार से इस विधेयक पर चर्चा करते हैं कि यह कार्य एक घण्टे के अन्दर समाप्त हो जाये।

पश्चिमी बंगाल विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक

WEST BENGAL LEGISLATIVE COUNCIL (ABOLITION) BILL

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि पश्चिमी बंगाल राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक तथा परिणामी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस वर्ष 21 मार्च को पश्चिम बंगाल की विधान सभा ने सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित किया था कि विधान परिषद् के उत्सादन कर दिया जाये। जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई थी, बहुत माननीय सदस्यों ने यह पूछना आरम्भ कर दिया था कि क्या सरकार इस सत्र में विधेयक प्रस्तुत करेगी या नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 169 में उल्लिखित है कि यदि विधान सभा इस आशय का संकल्प पारित कर दे तो इस सम्बन्ध में संसद एक विधेयक पारित कर सकती है। संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी विचार से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे आशा है कि समस्त सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी।

[श्री गाडिलिंगन गौड़ पीठासीन हुए]

[Shri Gadilingana Gowd *in the Chair*]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि पश्चिमी बंगाल राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक तथा परिणामी विषयों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी तथा साम्यवादी दलों में कोई समझौता हो गया है और वे पश्चिम बंगाल विधान परिषद् का उत्सादन करने के लिये सहमत हो गये हैं। संसद संविधान के अन्तर्गत गठित विधान परिषद् को पहली बार उत्सादन कर रही है। मेरे विचार में इस के परिणाम हानिकारक होंगे।

संविधान निर्माताओं ने काफी सोच समझकर केन्द्र तथा राज्यों में दूसरे सदन की व्यवस्था की थी। उनका उद्देश्य यह था कि संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में एक पुनरीक्षण संस्था होनी चाहिए। इसीलिये उन्होंने द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की थी। अनुच्छेद 72 में लिखा है एक उपरि सदन होगा जिसका नाम राज्य परिषद् होगा। अनुच्छेद 162 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य परिषद् होगी। हालांकि कुछ मामलों में इस परिषद् का उत्सादन किया जा सकता है। अब तक विधान परिषदों का कार्य राज्यों में ठीक चल रहा था। संसदीय लोकतंत्र पद्धति में द्विसदनी विधानमंडल अनिवार्य है। राष्ट्रमंडल के सभी देशों में द्विसदनी विधानमंडल है। इंग्लैंड में एकबार उपरि सदन का उत्सादन करने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु सारे देश ने उसका विरोध किया था। उनका कहना था कि उपरि सदन के बिना देश में अधिनायकतंत्र स्थापित हो जायेगा। अतः लोकतंत्र में उपरि सदन अनिवार्य है।

उपरि सदन में अनुभवी और विशेषज्ञ लोग होते हैं। वे अवसर सदन को निष्पक्ष राय देते हैं। यदि उपरि सदन का उत्सादन किया गया तो अवर सदन उन्मुक्त रूप से कार्य कर सकता है। बिना विधान परिषद् के विधान सभा तानाशाही का रूप धारण कर सकती है। यह भी संभव है कि अवर सचिव बहुमत के कारण अधिक अत्याचार करने लगे। एक व्यक्ति के अत्याचार से बहुमत का अत्याचार अधिक दुखदायी हो सकता है। वे कह सकते हैं कि हम बहुमत में हैं, अतः हम जो चाहें कर सकते हैं। इसलिये तानाशाही को रोकने के लिए तथा अवर सचिव को सही मार्ग दिखाने के लिये संविधान निर्माताओं ने सोचा कि उपरि सदन लोकतंत्र के हित में बताया गया है।

केन्द्रीय सरकार का कहना है कि उपरि सदन के उत्सादन के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने उन पर दबाव डाला है। शायद उन्होंने इसके लाभ और हानि पर विचार नहीं किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार उस संस्था को समाप्त करना चाहती है जो गत 20 वर्षों से चल रही है। इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा बहुमत प्राप्त दल लोकतंत्र अथवा संसदीय प्रणाली की सरकार में विश्वास नहीं रखता है। वह दल तानाशाही चलाना चाहता है और उपरि सदन को वह बाधक समझता है।

श्री स० मो० बनर्जी : नियम 376 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा सरकार में कोई दल लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है।

मैं किसी सरकार पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिसमें विधान मंडल के दो सदनों अर्थात विधान सभा और विधान परिषद् में भिन्न-भिन्न दलों को बहुमत प्राप्त हैं। उच्च सदन में ऐसे सदस्य हैं, जो विधान सभा के सदस्यों की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। इसी लिए विधान सभा उच्च सदन को असुविधाजनक समझती है और वह उसे समाप्त करना चाहती है। परन्तु यदि उच्च सदन का उत्पादन कर दिया जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे ? ऐसी स्थिति में विधान सभा, जिसकी विचाराधारा से हम में से बहुत से सहमत नहीं है, एक तानाशाही संस्थान बन जायेगा। बहुमत अपने मनमाने ढंग से काम करेगा तथा उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकेगी। विधान सभा उच्च सदन को केवल इस लिए समाप्त करना चाहती है, क्योंकि वह उसे अपने रास्ते में रुकावट समझती है। मान लो अपनी इस चाल में सफल होने के छः महीने बाद पुनः विधान सभा यह संकल्प पारित करती है कि विधान परिषद् का गठन किया जाये, तो उस समय केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी। संविधान के अन्तर्गत यदि किसी राज्य की विधान सभा विधान परिषद् का उत्सादन करने का संकल्प पारित करती हैं, तो संसद आवश्यक विधान के द्वारा उसे उत्पादित कर सकता है। यदि फिर छः महीने बाद वही विधान सभा यह संकल्प पारित करती है कि विधान सभा का गठन किया जाये तो आपको उस संकल्प को स्वीकार करना होगा। अतः इन सब महत्वपूर्ण बातों पर सविस्तार विचार किया जाना चाहिए।

भारत सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार के दबाव में आकर इस संकल्प को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सरकार इस बात के लिए वाध्य नहीं है कि वह इस संकल्प को स्वीकार करे। संविधान में कहा गया है कि विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किया जायेगा और भारत सरकार यदि चाहे तो विधान परिषद का उत्सादन करेगी अतः संविधान के अन्तर्गत इस संकल्प को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है। हमें खेद है कि इस समय राजनीतिक ढांचे और देश के सामने खतरों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने साम्यवादी सरकार के संकल्प को स्वीकार करने में बहुत शीघ्रता की है। हम उसकी चाल में आ गये हैं।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : Sir, first of all I would congratulate the Law Minister for up holding the wishes of the people of West Bengal by bringing forth this legislation. I have myself been the member of a Legislature Council for two terms and I do not subscribe to the view that this institution had been useless. In my personal opinion this institution has some utility and in the past it had served many useful purpose by effecting reasonable and required amendments in the bills at numberous occasion. But I do not place my personal opinion above the opinion of my party. So far as my party is concerned it has always been in the favour of abolishing Legislative Councils and the Rajya Sabha. A huge amount of money is being spent over these institutions which can be ill afforded keeping in

view their little utility. It is very creditable for the non-Congress Governments of West Bengal and Punjab that they had taken this hold step for abolishing the Legislative Councils. The Congress Governments had failed to do so during their last seventeen years rule. The non-Congress Governments have now shown the way and the Legislative Assemblies of other states should follow them.

Secondly, I would like to point out that no uniform policy is being followed in the matter of Legislative Councils. In Madhya Pradesh and some other States there are no Legislative Councils, which in Punjab which is a smaller State than Madhya Pradesh there is a Legislative Council. My hon. friend Shri Imam has observed the main aim of the upper House is to have a check over the Legislative Assembly, because the Members of the Legislative Councils are supposed to be elder in age, experienced and experts. But actually what had happened during the last seventeen years. Mostly the defected Congressmen have been nominated in the Legislative Councils.

I would also like to say that the Punjab Legislative Assembly has passed a unanimous Resolution for the abolition of the Legislative Council there. That Resolution has been said there by a special messenger. So my suggestion that instead of passing a separate Bill for West Bengal a combined bill for West Bengal and Punjab should be passed.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं पश्चिम बंगाल सरकार को संकल्प पास करने और उसे केन्द्रीय सरकार के पास भेजने के लिए बधाई देता हूँ।

मेरे माननीय मित्र श्री इमाम ने पश्चिम बंगाल की संयुक्त सरकार पर कुछ आरोप लगाये हैं। उन्होंने कहा है कि वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन की विचारधारा पर किसी विदेशी शक्ति का प्रभाव है और इसीलिए वे उच्च सदन को समाप्त करना चाहते हैं। ये सब बातें निराधार हैं। मैं महसूस करता हूं कि देश में कुल लोगों के राजनीतिक पुनर्वास के लिये उच्च सदन बनाये गये थे। इनसे भ्रष्टाचार बढ़ा है। इनमें केवल बड़े बड़े व्यापार गृहों की प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

केन्द्र में कांग्रेस सरकार को अन्य राज्यों से भी कहना चाहिए कि वे पश्चिम बंगाल का अनुकरण करें। तथा विधान परिषदों का उत्सादन करें अन्ततः उच्च सदन रोजगार दिलाऊं दफ्तर तो नहीं है। मैं चाहता हूं कि राज्य सभा का भी उत्सादन किया जाना चाहिए।

मैंने इस विधेयक में एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि विधेयक में पृष्ठ 1 पंक्ति 6 के अन्त में "पश्चिम बंगाल राज्य की सलाह से" शब्दों के स्थान पर "पश्चिम बंगाल सरकार की सलाह से" शब्द होने चाहिए। चूंकि यह प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया है इस लिए मैं चाहता हूँ कि जो तारीख तय की जाये, वह पश्चिम बंगाल सरकार की सलाह से की जानी चाहिये।

मैं पश्चिम बंगाल सरकार को यह संकल्प पारित करने के लिए एक बार फिर बधाई देता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पश्चिम बंगाल सरकार को इस कार्य के लिये बधाई देता हूँ। पश्चिम बंगाल की जन सरकार उन वचनों को पूरा कर रही है, जो उन्होंने निर्वाचनों के दौरान दिये थे। सत्ता में आते ही उन्होंने सही दशा में कदम उठाया है जिसके परिणामस्वरूप यह विधेयक यहां पेश हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि इस विधेयक को तुरन्त पारित कर दिया जायेगा।

पश्चिम बंगाल विधान परिषद के उन सदस्यों ने जिन्हें कई वर्ष पहले चुना गया था, अब

जनता का विश्वास नहीं रहा है, इसलिये अब उनका सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पंजाब की जनता तथा पंजाब सरकार को भी ऐसे ही निर्णय करने के लिए बधाई देता हूँ। हमें आशा है कि उनका विधेयक भी शिघ्र ही पेश किया जायेगा।

श्री समर गुह (कटनाई) : मैं पश्चिम बंगाल सरकार को तो इस विधेयक की पुरःस्थापना के समय ही बधाई दे चुका हूँ। इस समय तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कार्यवाही गाँधी जी की सलाह पर की है। महात्मा गांधी दो सदनों के पक्ष में नहीं थे। वर्ष 1930 में गोल मेज सम्मेलन में उन्होने कहा था कि हम एक ही सदन से काम चला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि हम एक ही सदन से काम चलायें तो हम काफी खर्च बचा सकते हैं। इस दृष्टिकोण को देखते हुए पश्चिम बंगाल का संकल्प महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप है।

महात्मा गांधी की सलाह के आधार पर ही प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने वर्ष 1962 में चीनी हमले के समय यह प्रस्ताव पेश किया था कि सब द्वितीय सदनों का उत्सादन किया जाना चाहिए तथा उन्होंने यह सुझाव भी किया था कि कई कई राज्यों को मिलाकर एक-एक ग्रुप बना देना चाहिए और उन का एक राज्यपाल होना चाहिये। उन्होंने मंत्रियों की संख्या को कम करने का सुझाव भी दिया था। उस समय बचत की अत्यधिक आवश्यकता थी। परन्तु खेद की बात है कि उनके सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया था।

मैं पश्चिम बंगाल सरकार को बधाई देता हूँ। उन्होंने गांधी जी के विचारों को कार्यरूप दिया है। इससे लोकतंत्र को बल मिलेगा।

इस विधेयक से यह आभास मिलता है कि यह विधेयक कांग्रेस दल द्वारा लाया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि इस विधेयक को पहले पश्चिम बंगाल विधान सभा में पेश किया गया था तथा पारित किया गया था। इसी कारण से मैं चाहता हूं कि इसमें इस आशय का उल्लेख किया जाये कि यह विधेयक पहले पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। मैंने इस आशय का संशोधन भी पेश किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने लोकतंत्र का एक उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। यदि पश्चिम बंगाल के वे मंत्री जो विधान परिषद के सदस्य हैं स्वेच्छा से त्याग पत्र देते हैं तो वे एक अन्य उच्च आदर्श स्थापित करेंगे।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं उन सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। श्री मुहम्मद इमाम को छोड़ कर जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है, अन्य सब सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि संसद पश्चिम बंगाल सरकार अथवा विधान सभा के दबाव में निर्णय ले रही है। दो तिहाई बहुमत के साथ, इस मामले में सर्व सम्मत्ति से केवल एक ऐसी शर्त थी जिससे अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत हम एक संसदीय विधेयक ला सकते थे। यदि ऐसा न किया जाता तो यह संवैधानिक संशोधन होता। इस संकल्प के कारण इस सभा को विधेयक पास करने का अधिकार मिल गया है। अतः हमें इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। श्री इमाम ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के दबाव से यह विधेयक पास किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से मेरे साथ सहमत होगी कि हम पश्चिम बंगाल सरकार के दबाव से ऐसा नहीं कर रहे हैं। सभा में जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल विधान सभा की सराहना की है। अतः दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं है।

अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे विचार में भारत के राज्यों में दूसरे सदन अनावश्यक हैं।

एक माननीय सदस्य : राज्य सभा के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री गोविन्द मेनन : राज्य सभा का मामला दूसरा है, क्योंकि संघीय संविधान में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की जरूरत होती है और उसके लिए उच्च सदन चाहिए। लोक सभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि लोक सभा प्रतिनिधित्व राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में है, राज्य सभा में प्रतिनिधित्व छोटे राज्यों के पक्ष में अधिक है। राज्य सभा में केन्द्र में संघीय प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त सम्बद्ध है। अतः राज्यों के दूसरे सदनों के बारे में जो तर्क पेश किये गये हैं, वे राज्य सभा पर लागू नहीं हैं।

चूंकि पश्चिम बंगाल विधान सभा ने संकल्प को सर्वसम्मत्ति से पास किया है, भारत सरकार ने यह सोचा है कि उनकी इच्छाओं का आदर करते हुए यथासंभव शीघ्र विधान पास किया जाना चाहिये। कल मैंने यह भी कहा था कि अब यह विधान पास किया गया तो इससे पश्चिम बंगाल के लोगों तथा सरकार को असुविधा होगी। चूंकि कानून के अनुसार अगले एक अथवा दो महीनों में परिषद के लिए निर्वाचन होना था। इसलिए पश्चिम बंगाल के उच्च सदन के लिए लोगों को निर्वाचित करके फिर उन्हें बाहर निकलने के लिए कहना एक ऐसी असुविधा थी जो उन पर लादी नहीं जानी चाहिये।

मैं एक बार फिर सभा से निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक को सर्व सम्मत्ति से पास किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पश्चिमी बंगाल राज्य की विधान परिषद के उत्सादन तथा उसके अनुपूरक आनुषंगिक तथा परिणामी विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

सभापति महोदय : अब इस विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा। प्रश्न

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 2 WAS ADDED TO THE BILL

खण्ड 3 से 6 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

CLAUSES 3 TO 6 WERE ADDED TO THE BILL

खण्ड 7 से 9 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

CLAUSES 7 TO 9 WERE ADDED TO THE BILL

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

CLAUSE 1, THE ENACTING FORMULA AND THE TITLE WERE ADDED TO THE BILL

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि विधेयक को पारित किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

श्री सुरेन्द्र नाथ दिवेद्वी (केन्द्रपाड़ा) : आज का दिन हमारे देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण दिन हैं। मैं आशा करता हूं कि अन्य सब राज्यों की विधान सभायें भी दूसरे सदन के उत्सादन के लिये ऐसे ही संकल्प पारित करेंगी और उन्हें ससंद का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त होगा ।

श्री पी० राम मूर्ति (मदुरै) : स्वतंत्र दल के मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि द्वितीय सदन का उत्सादन करने का कारण कुछ लोगों पर विदेशी विचारधारा का प्रभाव होना है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या दूसरा सदन भारतीय विचारधारा के अनुकूल है ? क्या पुराणों, वेदों, शास्त्रों अथवा इतिहास अथवा कुरान में द्वितीय सदन का उल्लेख किया गया है ? यह भी तो ब्रिटिश की नकल ही है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सभा का मामला राज्यों के उच्चसदनों से भिन्न है। उनका यह कहना सही है । परन्तु यदि राज्य सभा को राज्यों का सदन बनाना है तो सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । इस प्रयोजनार्थ संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये ।

हम यह आशा करते है कि विधान परिषदों का उत्सादन करने के बारे में अन्य राज्य पश्चिम बंगाल का अनुकरण करेंगे । यदि अन्य राज्य ऐसा नहीं करते हैं तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये और सभी राज्यों में उच्च सदनों का उत्सादन किया जाना चाहिये ।

श्री एस० कन्डप्पन (मैट्टूर) : मैं स्वतंत्र दल की विचारधारा को नहीं समझ सका हूं। एक ओर वे कहते हैं कि राज्यों को अधिक स्वायत्ता दी जानी चाहिये और दूसरी ओर वे पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा सर्व सम्मत्ति से पारित किये गये इस संकल्प को स्वीकार करने का विरोध कर रहे हैं । आज देश में हम एक नया विचार देख रहे हैं । अब यह प्रवृत्ति पैदा हो रही

है कि राज्यों की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिये । अतः पश्चिम बंगाल सरकार के सर्वसम्मत संकल्प को स्वीकार करके सरकार ने उचित काम किया है ।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि राज्य सभा को वास्तव में राज्यों का प्रतिनिधि बनाना है तो सभी राज्यों को इस में समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करें ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : I rise to Congratulate the Legislative Assembly for passing this historic Resolution. They have taken a very bold and far reaching decision. It is a real letter day in our history.

Our's is a poor country and we must spend every paisa with great care. Economy is the demand of the day. So we must welcome the decision of West Bengal State for abolishing Legislative Council, because a large amount of money will be saved by abolishing the Legislative Council. I hope that all other Legislative Assemblies will pass similar resolutions to abolish the Lagislative Councils and if the other States do not do so, we should bring forward an amendment in the Constitution for abolishing the upper Chambers in all the States.

श्री स० कुण्डू : प्रस्तुत विधेयक भारतीय लोकतंत्र के अध्याय में एक सराहनीय कदम है।

अंग्रेजी हुकूमत द्वारा छोड़ी गई दूसरे सदन (चैम्बर) की परम्परा से हम जितनी जल्दी मुक्त हो सकें, लोगों के हक में उतनी ही अधिक भलाई है । देश में केवल जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधान सभाओं तथा इस संसद की जरूरत है, जहां वे जन इच्छा व्यक्त कर सकें और न की किसी अन्य फोरम की ।

पश्चिम बंगाल की सरकार इस सराहनीय कार्यवाही के लिये बधाई की पात्र है और साथ ही साथ इस विधेयक को लाने के लिये विधि मंत्री भी बधाई के पात्र हैं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Chairman, Sir, this Bill has historical importance in the Chapter of Indian democracy. As it deserved, it has recieved almost unanimous support from all sections of the House with the exception of the Swatantra Party which is always in the habit of opposing good things.

Steps should be taken to eliminate the Rajya Sabha and all the Legislative Councils in the States which are undue and a heavy burden on the exchequer. The sooner they are done away with the better for the people with these words, I congratulate the Government on this measure as also the West Bengal Government for this action.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The action taken by the West Bengal Government is a commendable step in the Chapter of our democracy. The Law Minister also deserves congratulation for bringing this Bill. I hope he will take steps to eliminate all the Legislative Councils in the States so that this heavy and unnecessary burden on the exchequer could be removed.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : The conditions prevailing in the country differ from those in other countries. Although the Members of the Rajya Sabha and Legislative Councils are not the elected representatives of the people, they are representatives of the different communities and minorities. Before, eliminating the upper Houses, we should take steps to see that the interests of minorities and other Communities are safeguarded and they are not discriminated against.

श्री गोविन्द मेनन : मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नही कहना है मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए सभा का आभारी हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि****

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

देश में तोड़-फोड़ की तथा हिंसात्मक गतिविधियों को दिये जा रहे प्रोत्साहन के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING ENCOURAGEMENT TO SUBVERSIVE AND VIOLENT ACTIVITIES IN THE COUNTRY

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I beg to move :

"that the situation arising out of the encouragement being given to the subversive and violent activities in the country by certain political parties and by some foreign powers be taken into consideration."

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण आगामी अवसर पर जारी रखें ।

विधियों की भाषा विषयक विधेयक

LANGUAGE OF LAWS BILL

Shri Prakash Vir Shastri : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill to provide for Simultaneous Legislation in Hindu and English."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ विधान बनाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

Shri Prakash Vir Shastri : I introduce the Bill.

****सभापति महोदय के आदेश से कार्यवाही-वृतांत से निकाला गया ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक

(धारा 2, 4 आदि का संशोधन)

ALL-INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Sections 2, 4, etc.)

Shri Goerge Fernandese (Bombay-South): I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill to amend the All India Institute of Medical Sciences Act. 1956."

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था चिकित्सा अनुसंधान की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था है जिसमें शिक्षण, अनुसंधान तथा चिकित्सा कार्य होता है। ऐसी आशा थी कि सरकार मुदालियर समिति की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए एक व्यापक विधेयक लायेगी, प्रस्तुत विधेयक से समस्या का हल नहीं होगा इस दिशा में यह केवल एक आंशिक प्रयास है। मेरा विरोध यह है कि मुदालियर समिति की सिफारिशों को इस विधेयक में कोई स्थान नहीं मिला है और इससे वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में व्यापक विधान लाना चाहिये जिसमें मुदालियर समिति की सभी सिफारिशों को स्थान प्राप्त हो और उसमें ऐसी व्यवस्था भी की जाये जिससे कि शासी निकाय में कर्मचारियों के सदस्यों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

THE LOK SABHA DIVIDED

पक्ष में	विपक्ष में
25	125

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS NEGATIVED

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I want to raise a point of order. There is a connection or a Practice that Private Members Bill should not be opposed at the introduction stage. This practice is in vague and is followed in this Houses for a pretty long time. But unfortunately, it has been violated today. I am sorry that it should have taken place here.

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : वास्तव में इस सभा में ऐसी

प्रथा थी कि विधेयक को पुर:स्थापित करते समय उसका विरोध न किया जाये। किन्तु इस प्रथा को तोड़ने के दोषी केवल प्रतिपक्षी सदस्य ही हैं जिन्होंने वित्त विधेयक तक का पुर:स्थापित करते समय विरोध किया है। इसलिए, यदि कोई विधेयक खराब अथवा दोषपूर्ण है, तो उसका जरूर विरोध होगा जब तक कि ऐसा समझौता न हो कि पुर:स्थापित करते समय किसी भी विधेयक का विरोध नहीं किया जायेगा।

सभापति महोदय : उपप्रधान मंत्री ने इसका उत्तर दे दिया है, मेरा भी यही विनिर्णय है।

संसद सदस्यों का वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक

(धारा 3, 4 आदि का संशोधन)

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Sections 3, 4, etc.)

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954."

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं नैतिक तथा तकनीकी दोनों ही के आधार पर इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

इस आशय का एक विधेयक जिसे श्री पन्नालाल बारुपाल ने पेश किया था और जिसमें संसद सदस्यों को कुछ विशेष सुविधायें देने की व्यवस्था है, सभा के समक्ष विचाराधीन पड़ा है। इस विधेयक के कुछ खण्ड पहले विधेयक के खण्डों के समान ही हैं। इसलिए इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा में मतदान के लिए रख रहा हूँ। प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

THE LOK SABHA DIVIDED

पक्ष में	विपक्ष में
124	18

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

Shri Yashwant Singh Kushwah : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक--(अनुच्छेद 75, 164 आदि का संशोधन)--जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL--(AMENDMENT OF ARTICLES 75, 164 etc.)—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में संविधान (संशोधन) विधेयक पर और आगे विचार होगा।

Shri Madhu Limaye : Sir, I do not want speak.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : विधेयक में तीन बातें हैं जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या राज्यों तथा केन्द्र में मुख्य मंत्रियों तथा प्रधान मंत्रियों को निचले सदनों का सदस्य होना चाहिये। यह उस सिद्धान्त के विरोध का प्रश्न नहीं है जिससे इस समय मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। क्योंकि दल-बदल सम्बन्धी समिति में जिसे इस सभा की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, इस प्रश्न पर विचार किया गया था और गृह-कार्य मंत्री द्वारा एक विवरण के साथ उस प्रतिवेदन को इस सत्र में सभा-पटल पर रखा गया है और इस समिति की सिफारिश पर इस सभा में विचार-विमर्श का वह स्वागत करेंगे।

चूंकि उस समिति की सिफारिश पर इस सभा में जरूर विचार-विमर्श किया जाना है, इसलिए मेरी राय में एक सिफारिश को संविधान के एक अंश में परिणित करना उचित नहीं होगा। केवल इस कारण ही मैं संविधान के अनुच्छेद 75 तथा 164 संशोधन करने वाले उपबंधों का विरोध करूंगा क्योंकि हम इस मामले पर निकट भविष्य में विचार-विमर्श करने वाले हैं।

जहां तक वयस्क मताधिकार का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 326 उसके लिये 21 वर्ष की आयु निर्धारित है लेकिन प्रस्तुत विधेयक में उसे घटाकर 18 वर्ष करने की व्यवस्था है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर चर्चा होनी जरूरी है। इस मामले में राज्यों से विचार-विमर्श करना पड़ेगा। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग से भी हमें केवल कानूनी तौर पर ही नहीं अपितु सिद्धान्त के तौर पर भी विचार-विमर्श करना पड़ेगा। इसलिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु निर्धारित करने के लिये संविधान में संशोधन करने से पहले ऐसे मामले पर सभी सम्बन्धित पक्षों से विचार विमर्श करना अच्छा होगा। यह एक ऐसा मामला है जिस पर काफी अधिक विचार करने की आवश्यकता है।

इन कारणों को देखते हुए मुझे आशा है कि प्रस्तावक सदस्य महोदय इस विधेयक को वापस लेने के लिए सहमत होंगे।

Shri Kameshwar Singh : The hon. Law Minister has expressed his inability to agree to the proposal on the plea that it would be premature to accept any amendment of the constitution before a discussion on the recommendation of the Committee on Defections took place in the House. But so far as the proposal that Chief Ministers and Prime Minister should be the Members of the Lower Houses in the States and at the Centre is Concerned, I fail to understand why he has sought debate on the matter in House. In every matter we task of various practices prevalent in England, but we do not follow their good practices. In England, after 1903, that is after Lord Salisbury, no Prime Minister belonged to the House of Lords.

According to Article 75 (3), the Council of Ministers is Collectively responsible to the House of the people at the Centre and the Legislative Assemblies in the States. If the Prime Minister of the Chief Minister is not a Member of the Lower House, it will be very anomatons position.

The Second part of my Bill seeks to reduce the age of adult suffrage from 21 years to 18 years. The Government should have no objection in agreeing to this proposal. Their refusal simply shows that they have no faith in the Youth of the Country. They are not even prepared to accept the Motion for Circulation.

I have already stated that the hon. Minister has nothing to support his argument Moreover I do not understand the dialectic affroach of Shri Prakash Vir Shastri that Young Women should be given right to note even at the age of 18 years.

Shri Prakash Vir Shastri : I may again tell the hon. member that it is a natural phenomenon that women folk become matured at the age 16 or 18 years, whereas men become at the age of 25 years.

Therefore, I would have no objection if the girls are given right to vote at the age of 18 years.

Shri Kameshwar Singh : It seems the Law Minister is afraid of giving the right of vote to those who attain the age of 18 years, for his party will get lesser votes from this age group. There is an awareness amongst the Young men and Women of present generation that this Government has rendered them unemployed all over the Country, Government do not even care for the development of the country. The Government is not sympathetic with the unemployed Government has not provided for proper education. Therefore the hon. Minister is afraid of the fact that lakhs of unemployed youths who are less than 21 years of age will not support his party. 5 crore youths will attain the age of 18 years in 1972 and these people will be deprived of the right of vote on the protext that these young men have no experience of life. I may say that we are living in the technological age and the standard of our inteligence quotient has raised. Therefore, Government should adopt this amendment. At this stage there is no question of immature political climate and that of inexperience. Most of the hon. members have supported this bill. But the hon. Minister is afraid of the educated unemployed when he regards as his enemies, he knows that these youths will never for give this Government because of their corruption and mal-practices of the last 20 years.

I therefore, urge Government to adopt this bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथम तो में श्री मधु लिमये के संशोधन को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा । प्रश्न यह है :

"कि 25 नवम्बर 1969 तक इस विधेयक पर अपने विचारों के प्रकाशन के उद्देश्य से इस विधेयक का प्रचारित किया जाए ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में
37	106

Ayes 37 ; Noes 106.

संशोधन अस्वीकृत हुआ

The amendment was negatived

जैसा कि आप जानते हैं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः हमें एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है । माननीय सदस्य गण स्थिति को भली प्रकार से जान ले । मैं मत विभाजन के लिए बुलाता हूँ प्रश्न है :

"कि भारतीय संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में
32	103

Ayes : 32 ; Noes 103.

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 292 293 आदि का संशोधन)

INDIAN PANAL CODE (AMENDMENT) BILL

(Amendment Sections 292, 293, etc.)

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैं श्री दी० चं० शर्मा की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में भारतीय दण्ड संहिता का और आगे संशोधन करने तथा उसमें प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए इस विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक राज्य सभा ने पारित कर दिया है और तत्पश्चात यह इस सभा में आया है एवं इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था । प्रवर समिति ने यह प्रमाण लिया था और समाज की विभिन्न संस्थाओं जैसे प्रोफेसर, कलाकार, वकीलों की सस्थाओं, प्रकाशकों, महिला वकीलों की संस्थाओं एवं छात्र प्रतिनिधि आदि विभिन्न वर्गों से ज्ञापन प्राप्त हुए । इस सम्बन्ध में आम राय थी कि अश्लीलता संबंधी कानून को और अधिक व्यापक तथा इस पर और कठोर नियन्त्रण किया जाए एवं कठोर दण्ड दिया जाए । इसके लिए एक आयोग की भी व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है यद्यपि इसे विधेयक में नहीं मिलाया गया है । इसमें कोई संशोधन नहीं है और मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाए ।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : Sir, long awaited provision has been brought by this Bill. There was no such legal provision that could stop abscenity from the society. It is a matter of joy that the Selected Committee and all quarters of the society, in order to stop spread of obscene film and obscene literature in the society, have moved this bill in this House.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : This Bill will improve build the character, and moral standard of the people. It will not only serve the society, but it will serve the Country also. The people have supported the amendments in this Bill. People have start-

ed a business to publish obscene literature and books ; periodicals and newspapers. Even in Delhi this going on. Such literature is leading the society to the ruins.

A person who is held under sections 292 and 293 of the Indian Panal Code will be convicted for five year's imprisionment and a fine of Rs. 2 thousands. I feel it would prove to home a deterent effect. Therefore, in the interest of the country this bill should be passed unanimously.

It may also be ensured that the justice is not delayed and the attender is not allowed to evade the law.

The amendment proposed to be made in sections 292 and 293 of the Indian Panal Code are justifiable. I land my support.

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक की चिरकाल से आवश्यकता थी और मुझे आशा है कि इससे देश में अश्लील साहित्य कम होगा।

श्री रणधीर सिंह ने एक आयोग की बात कही है। किन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उसके लिए इसमें किसी भी आयोग की व्यवस्था नहीं है।

मुझे आशा है इस सामाजिक बुराई का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने के लिए सभा सर्व-सम्मति से इस विधेयक के लिए अनुमति देगी। मैं इस विधेयक को सभा की स्वीकृति के लिए सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन करने तथा तदानुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये में तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब इस विधेयक पर खण्डवार विचार होगा। चूंकि कोई संशोधन नहीं है अत: मैं सभी खण्डों को एक साथ रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 1, 2, 3, the Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : जैसा कि सभा को पता है, राज्य सभा ने 15 दिसम्बर 1967 को भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967, पारित किया था। यह विधेयक लोक सभा के पास 19 दिसम्बर, 1967 को भेजा गया था।

लोक सभा ने इस विधेयक को 11 अप्रैल, 1968 को प्रवर समिति को भेजा था तथा प्रवर समिति ने 1 मई 1969 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रवर समिति ने अधिनियमन सूत्र तथा खण्ड 1 और 3 में कुछ संशोधन किये थे तथा सभा ने उन सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था। वे इस प्रकार हैं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"Eighteenth" [अठारहवें] के स्थान पर "Twentieth"[बीसवां] रखिये [1]

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1967" के स्थान पर "1969" रखिये [2]

पृष्ठ 3,—

(एक) पंक्ति 21 के पश्चात निम्नलिखित शब्द रखिये—

"(b) in Section 108,—

(1) after the words "who, within or without such limits," the brakets and figure "(i)" shall be inserted ;

(2) after clause (c), the following shall be inserted, namely :

"(ii) makes, produces, publisher or keeps for sale, imports, exports, conveys, seels, lets to hire, distributes, publicity exhibits or in any other manner puts into circulation any abscene matter such as is referred to in section 292 of the Indian Panal Code" ;

(ख) धारा 108 में

(1) शब्द "जो इन सीमाओं के अन्तर्गत अथवा बाहर" के बाद कोष्ठन तथा अंक "(i)" सनिविष्ट होंगे ;

(2) खण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट होंगे :—

"(ii) किसी भी ऐसे अश्लील विषय को, जिसका उल्लेख भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 में किया गया है, बनाता है, उत्पादन करता है, प्रकाशित करता है, या बिक्री के लिए रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, सूचित करता है, बेचता है, किराये पर देता है, वितरण करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से प्रचालित करता है।"

(दो) पंक्ति 22,—

"b" ["(ख)"] के स्थान पर "(c)" "[(ग)] रखिये [3]

पृष्ठ 3, खण्ड 3, के दाखिले के शीर्षक में,—

"section 99A and schedule II"[धारा 99क तथा अनुसूची 2 के स्थान पर "Section

99A,108 and Schedule II of Act 5 of 1898" [धारा 99 क, 108 तथा 1898 के अधिनियम 5 की अनुसूची 2] रखिये [4]

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

व्यय विनियमन तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन विधेयक

REGULATION OF EXPENDITURE AND ERADICATION OF CORRUPTION BILL

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : मैं प्रस्ताव पास करता हूँ :

कि केन्द्रीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के, उनके उपक्रमों, कम्पनियों और संस्थाओं तथा उनके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्येक्ष नियंत्रणाधीन सभी सिविल निकायों के आन्तरिक तथा बाह्य व्यय और अदायगी का विनियमन करने ; व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संगठनों के समूचे व्यापारिक लेन-देन पर निगरानी रखने ; आय-कर, बिक्री-कर तथा अन्य करों की चोरी को रोकने और अन्य कुरीतियों पर नियंत्रण रखने, तथा भ्रष्टाचार, चोर बाजारी तथा तस्करी का उन्मूलन करने वाले विधेयक पर 30 अगस्त, 1969 तक राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाये।

इस बात से सब पुरिचित हैं कि आज हमारे सम्पूर्ण जीवन में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक, व्यापारिक तथा अन्य कोई भी क्षेत्र हो, भ्रष्टाचार ने डेरा जमा लिया है।

इस भ्रष्टाचार द्वारा उग्र रूप धारण करने का एक प्रमुख कारण यह है कि भारी मात्रा में लेखा बाह्य धन पड़ा है। युद्ध काल ने जीवन के सभी मूल्यों का ह्रास करदिया था किन्तु आश्चर्य हैं कि हम अभी तक उसी प्रकार के दोषों से ग्रस्त हैं। जैसा कि मैंने अभी संकेत किया था, इस भ्रष्टाचार के फैलने का एक मुख्य कारण यह भी है कि बहुत सा धन लेखा बाह्य पड़ा है। इसी धन को हम काला धन भी कहते हैं।

इसका दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि सरकार ने सभी आर्थिक शक्तियों को अपने अधीन कर रखा है। सरकार की लाइसेंस प्रणाली, परमिट तथा अन्य प्रकार से प्रतिबन्ध रखने की प्रक्रिया के कारण जो सामर्थ्य वाले व्यक्ति हैं लाभ के लिये अवसर निकाल लेते हैं। पहले सरकार केवल राजनीतिक शक्ति ही अपने पास रखती थी।

वास्तव में सरकार को विदित नहीं है कि कितना धन इस प्रकार छिपाया हुआ है, क्योंकि यदि सरकार को ऐसा ज्ञान होता तो उसे यह भी ज्ञान हो जाता कि यह धन आता कहां से है।

तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा चोर बाजारी आदि अनेक ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा यह पैसा कमाया जाता है। आयकर की चोरी तथा उत्पादन शुल्क आदि की चोरी से न जाने कितने सौ करोड़ रुपये बचा लिये जाते हैं। एक प्रतिष्ठित अर्थ शास्त्री के मत अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपयों की चोरी की जाती है। अगले तस्कर व्यापार से प्रतिवर्ष

लगभग 1000 करोड़ रुपयों की चोरी होती है। जमाखोरी, काला बाजार तथा अन्य साधनों से जमा किये जाने वाले धन को यदि एकत्रित किया जाये तो एक बड़ी भारी राशि हो जायेगी।

यदि इसी गति से छिपे हुए धन की मात्रा बढ़ती रही तथा उसको उत्पादक कार्यों में नहीं लगाया गया तो देश का अहित ही होगा। तस्कर व्यापार के कारण वस्तुओं का क्रय विक्रय खुले बाजार में नहीं होता, अतः उसमें लगा हुआ धन भी छिपा ही रहता है तथा उस धन को उद्योग आदि में भी नहीं लगाया जाता। इसी कारण देश में भारी भ्रष्टाचार पनप रहा है।

विदेशी धन का प्रयोग सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार फैलाने के लिए किया जा रहा है। माननीय गृह मन्त्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि देश में काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा विद्यमान है।

इस विधेयक के दो भाग हैं। एक के द्वारा इस प्रकार के व्यय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा चोर बाजारी, मुनाफाखोरी पर भी रोक लगायी गई हैं। दूसरे के द्वारा काले धन को बाहर लाने के लिए उपबन्ध किया गया है।

मैं सभा का ध्यान विधेयक के खंड 3 और 5 की ओर दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगले अवसर पर अपना वक्तव्य जारी रखेंगे। अब आधे घण्टे की चर्चा होगी।

चाय के निर्यात के लिए भारत तथा श्री लंका के संयुक्त प्रयास **

Indo-Ceylon Venture for the export of Tea

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : 2 अप्रैल, 1969 को निम्नलिखित प्रश्न पूछा गया था कि :

(क) चाय के निर्यात के लिए भारत तथा श्रीलंका के संयुक्त प्रयास कहां तक कारगर सिद्ध हुआ है ;

(ख) क्या इसमें और सुधार की संभावना है ;

(ग) क्या इस बारे में दोनों देशों के बीच कुछ शर्तों पर समझौता हुआ है ? इसका यह उत्तर दिया गया था कि "भारत और श्रीलंका" के कार्यकारी दल ने भारत-श्रीलंका चाय संघ की स्थापना के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है। प्रतिवेदन पर सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है।

चाय उद्योग भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है। इस वार्तालाप में बहुत सुझाव दिये गये हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि उन सिफारिशों का क्या किया गया, जो कि वार्तालाप में दी गई हैं।

इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भारतीय चाय को पुड़ियों में बन्द करके बिक्री के लिए भेजी जाएं। मैं जानना चाहती हूँ कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है। इस वार्तालाप

** आधे घण्टे की चर्चा।

Half-an-hour discussion.

में एक मसौदा भी तैयार करने की बात कही गई, जिसमें इसके उद्देश्यों का ब्यौरा दिया गया है। इस प्रकार और भी कई बातों पर चर्चा हुई है। मन्त्री महोदय कृपया इसे स्पष्ट करेंगे।

चाय के निर्यात और मूल्य ह्रास के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। क्या इस समस्या का अध्ययन किया गया है।

जहां तक चाय के निर्यात के मामले में भारत-श्रीलंका संघ का प्रश्न है, इसको कई देश पसन्द नहीं करते हैं, कई देशों का कहना है कि यदि भारत श्रीलंका संघ अस्तित्व में आयेगा तो वे चाय का आयात बन्द कर देंगे तथा भारी कर लगाने आरम्भ कर देंगे। हमें इन सब पहलुओं पर विचार करना है।

हम इस उद्योग को तथा इसकी आय को अर्जित करने की क्षमता को कायम रखना चाहते हैं। हमारे देश में चाय का निर्यात उत्तरोत्तर गिरता जा रहा है। 1951 में भारत ने चाय का 45 प्रतिशत निर्यात किया। 1966 में यह 33 प्रतिशत तक गिरा और 1967 में यह 35·40 प्रतिशत तक गिर गया। इस प्रकार भारत का निर्यात उत्तरोत्तर गिरता जा रहा है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्वी अफ्रीका का निर्यात उतरोत्तर बढ़ता जा रहा है। हम श्रीलंका के साथ सहयोग स्थापित कर रहे हैं। हमें ऐसा करते हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं को देखना पड़ेगा। समाचार पत्रों के अनुसार भारत श्रीलंका से समान श्रेणी की चाय का आयात करेगा। यदि ऐसा प्रस्ताव है तो यह भारत के लिए लाभप्रद नहीं रहेगा। श्रीलंका निम्न श्रेणी की चाय हमारे बाजारों में भेजना चाहता है। हम इसके बदले में क्या निर्यात कर रहे हैं?

भूतकाल में यात्री तथा विद्यार्थी यहां आये और उन्होंने पहाड़ों में चाय के पौधों को देखा। उन्होंने पत्तों को तोड़कर सुखाया तथा उसे चबाया। इससे एक प्रकार की उत्तेजना पैदा हुई। इस प्रकार से चाय बनाने की प्रक्रिया आरम्भ हुई। चाय उद्योग में लाखों व्यक्ति काम कर रहे हैं। इसके साथ ही चाय बनाने की मशीनों का भी यहां निर्माण होता है। हमें न ही विदेशी मुद्रा की और न विदेशी मशीनों की ही आवश्यकता है। इन सबके बावजूद यदि हमें विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती तो कहीं न कहीं गड़बड़ी अवश्य है।

अतः इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

हमें कर आदि के बारे में विचार करना होगा। 1969-70 के बजट में चाय का निर्यात शुल्क घटाया गया है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

चाय पर बहुत से कर लगाये गये हैं। उद्योग के लाभ के 40% पर आय कर तथा अन्य कर लगाये गये हैं तथा शेष 60% पर कृषि कर लगाया जाता है। उर्वरकों पर, जो चाय बागानों में प्रयुक्त होता है, 10% उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। सरकार उर्वरकों पर इस कर की छूट दे सकती है क्योंकि उर्वरकों का प्रत्यक्षतः प्रयोग चाय उत्पादन के लिए होता है।

चाय को विदेशों में लोक प्रिय बनाने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं किये गये। विश्व के देशों को हमारी चाय के बारे में बहुत कम जानकारी है। श्रीलंका अपनी चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत प्रभावी कार्यवाही कर रहा है। हमें भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए।

भारत तथा श्रीलंका का चाय के निर्यात के मामले में जो संघ बना है, उस पर हमें विचार करना है। हमें यह भी देखना है कि इसमें नियोजित पूंजी का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। हमारे यहां चाय गोदामों में ऐसी ही पड़ी रहती है, इससे उसकी सुगन्ध जाती रहती है, अतएव इसके बदले में उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

हमें अनुसंधान की ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि तैयार चाय के लिए हमें मंडियां मिल सकें। आज तैयार चाय काफी लोकप्रिय हो रही है। यदि हमें प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे आना है तो हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

यह अच्छी बात है कि चाय बोर्ड पुनः चाय के पौधे लगाने के लिए धन दे रहा है। परन्तु इसके साथ ही यह शर्त भी लगा रखी है कि केवल 50 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले पौधों को ही पुनः लगाया जा सकता है, यह शर्त ठीक नहीं है, क्योंकि पुन. रोपण का कार्य 35 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वाले पौधों पर करने की भी आवश्यकता होती है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि वे चाय के प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं? चाय के निर्यात के मामले में भारत और श्री लंका के बीच जो संघ बना है, उसको अन्य देशों के विरोध का सामना करने के लिए सक्षम बनाने हेतु क्या किया जा रहा है? घेराव और कुप्रबन्ध ने चाय उद्योग को हानि पहुंचाई है। यदि इस उद्योग की ओर समुचित ध्यान दिया जाये तो इससे काफी आय हो सकती है।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : माननीय सदस्या ने चाय उद्योग की कठिनाइयों पर अच्छा प्रकाश डाला है, उन्होंने कहा है कि चाय के निर्यात से विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है, उन्होंने कहा है कि नई पीढ़ी की मांग को देखते हुए चाय की नई-नई किस्मों का आविष्कार करना चाहिए तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलना चाहिए, मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिला दूं कि हम इन मामलों पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं, हम विदेशों में चाय की बिक्री के लिए प्रयास कर रहे हैं तथा पुड़ियों में चाय बंद करने के अन्य तरीके भी प्रयोग में ला रहे हैं। इसके लिए हम अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहायता ले रहे हैं, हम अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में चाय की मांग बढ़ाने के लिए इसको विभिन्न रूपों में बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

इंगलैण्ड में भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए हमने 10 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति दी है। इसी प्रकार अमेरिका और जापान में भी इसे लोकप्रिय बनाया जा रहा है। द्विपक्षीय करार वाले देश भी काफी मात्रा में चाय खरीद रहे हैं, इस प्रकार नई-नई मंडियों का भी पता लगा रहे हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[Mr. Speaker *in the Chair*]

हमने चाय के पौधों के पुनः रोपण के लिए आर्थिक सहायता भी दी है। इस सम्बन्ध में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया था जो समय के अभाव के कारण पारित नहीं हो सका था।

फिर भी हम अपेक्षित धन अनुदान के रूप में चाय बोर्ड को दे रहे हैं ताकि पुनःरोपण का काम जोरों से किया जा सके और हम विश्व प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें ।

माननीय सदस्या ने कहा है कि सरकार श्री लंका से निम्न श्रेणी की चाय का आयात करना चाहती है, ताकि उसे भारतीय चाय के साथ मिलाकर आन्तरिक मंडियों में बेचा जाये । सितम्बर 1967 में श्रीलंका की सरकार के साथ इस विषय पर बातचीत हुई थी परन्तु हमने उन्हें बताया था कि यह व्यावहारिक नहीं है और यह मामला वहीं रुका रह गया । अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हमने बजट में यथा सम्भव प्रचार किया है कि निर्यात की जाने वाली चाय पर से शुल्क कम किया जाये, हम अन्य देशों की तुलना में निरन्तर इस स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं ।

चाय के उत्पादन पर हमारा अधिकार अवश्य है, परन्तु आज श्री लंका तथा पूर्वी अफ्रीका में भी चाय का उत्पादन काफी हो रहा है और वे हमारे प्रतिस्पर्धी हो गये हैं । अतः हमें भी संसार की मंडियों में धाक जमाए रखने के लिए प्रतियोगिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा । गत दो या तीन वर्षों से हमारी चाय के निर्यात से होने वाली आय में काफी कमी हुई है ।

श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों में यह समस्या काफी बढ़ी हुई है और उन्हें हमसे कम एकक मूल्य प्राप्त होता है । यह एक कमजोरी भी है तथा एक शक्ति भी है क्योंकि जहां निर्यात से हमें कम धन मिलता है वहां अन्य देशों को हम से भी कम धन मिलता है । हमारे माल का एकक मूल्य कम होने पर भी हमारे दाम अधिक हैं और इसीलिये वे देश अधिक चाय की कुछ किस्मों का विशेष रूप से निर्यात अधिक कर रहे हैं ।

हम इस बारे में बड़े प्रयत्नशील हैं कि भारत में चाय-उद्योग निरन्तर बढ़े और इसकी उन्नति हो, ताकि हम अन्य देशों का विश्व बाजार में मुकाबला कर सकें । विश्व में नये प्रकार के पेयों की बड़ी मांग है ।

हम इन सभी समस्याओं को पूरे प्रयास के साथ हल करने में संलग्न हैं ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Export of tea is a very significant measure to earn foreign exchange, and we can increase our export only when we maintain a good quality of tea. I want to know what concrete steps have been contemplated by Government to raise the quality of tea so as to compete, and also to attract purchasers in the world market. What measures the Government is adopting to increase its export and what sort of publicity is being done in this regard ?

Whether the Government proposes to nationalise tea-industry in case the working of Tea Board is found unsatisfactory.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : विश्व-बाजार में भारतीय चाय की मांग घटती जा रही है और स्टर्लिंग तथा श्रीलंका की मुद्रा के अवमूल्यन ने हमारी चाय के मूल्यों को बड़ा आघात पहुंचाया है । श्रीलंका हमारे प्रचार की कमी से या चाय के मूल्यों को स्तर पर लाकर लाभ उठा रहा है ।

असम प्रदेश देश में चाय के कुल उत्पादन का आधे से अधिक भाग पैदा करता है और श्रीलंका की भांति ही उस राज्य की अर्थव्यवस्था भी चाय-उद्योग पर निर्भर करती है । श्रीलंका

चाय-उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और विश्व-बाजार पर छाता जा रहा है। पाकिस्तान भी चीन से चाय खरीदता है भारत से नहीं। अतः श्रीलंका तथा अन्य देशों से आगे बढ़ने के लिये चाय के निर्यात को बढ़ाने के बारे में तथा उसका प्रचार करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिये चाय-उद्योग को आप क्या राहत दे रहे हैं ? बजट में दी गई राहतें पर्याप्त नहीं हैं।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : विदेशों में हमें यह देखकर दुःख होता है कि आज अनेक देश भारतीय चाय का उपयोग छोड़कर अन्य देशों से चाय खरीदने लगे हैं। इसका कारण केवल यही है कि सरकार की नीति अनिश्चियात्मक नीति है तथा चाय के बारे में व्यापार-नीति ढीली है।

आज सारे संसार में चाय पर अनुसन्धान करने के तरीकों में बहुत परिवर्तन हुआ है। नई नई खोजें हुई हैं; परन्तु इन दोनों बातों में भारत सरकार और चाय बोर्ड बुरी तरह असफल रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि अमरीका और जापान जैसे देश भारी मात्रा में चाय खरीदते हैं और वे अच्छे मानक की चाय चाहते हैं। परन्तु हमारे चाय विक्रेता उनकी माँग पूरी नहीं करते। वास्तव में हमारे चाय-बाग विदेशियों के हाथों में हैं और वे लोग चाहते हैं कि विश्व बाजार में हमारी चाय की बिक्री बिल्कुल ही समाप्त हो जाये।

अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि वह इस समस्या को हल करने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं। किस प्रकार अनुसंधान कार्य का विकास कर रहे हैं। किस प्रकार मानक-नियंत्रण कर रहे हैं तथा प्रचार और सप्लाई का समुचित प्रबन्ध कैसे कर रहे हैं ?

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly) : Tea-industry is the most important industry in our country and it has given employment to lakhs of people. We should, therefore, check the decline in the export, unit-value and quality of our tea. All the discrepancies in this regard should be removed. Tea-industry is our second in the largest foreign exchange earner.

Ceylon has, by now, increased its tea-export from 30 per cent to 36 per cent whereas we have come down from 45 per cent to 33 pen cent. How can we export tea jointly with Ceylon while protecting our own interests ?

श्री ब० रा० भगत : उत्पादकता और अनुसंधान तथा विश्व-बाजार में अपनी स्थिति बनाये रखने की ओर हमारा पूरा ध्यान है। अनुसन्धान कार्य पर हम सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं। घुलनशील चाय का उत्पादन करने की ओर में भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार साधन बढ़ाने तथा प्रशासनिक और अनुसंधान सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये हमने एक समिति भी नियुक्त की है। अनुसंधान कार्य में एक दम तो कोई उपलब्धि नहीं हो जाती। इसके लिये वैज्ञानिक तरीकों आँकड़ों तथा जांच को एक साथ जोड़ना पड़ता है।

उत्पादकता बढ़ाने के लिये हम पुनरारोपण की योजना को लागू करने का भी प्रयत्न कर रहे है, क्योंकि विश्व-बाजार में प्रतियोगिता के कारण चाय के मूल्य घट रहे हैं। यह भी सच है कि श्रीलंका की मुद्रा तथा स्टर्लिंग का अवमूल्यन होने के कारण भी चाय उद्योग पर कुप्रभाव पड़ा है। यद्यपि हमारे चाय-निर्यात में कुछ कमी आई है, परन्तु फिर भी हम अपनी स्थिति बनाये हुए हैं और मुझे आशा है कि उपरोक्त उपायों से हम अपना निर्यात बढ़ा सकेंगे।

कम्पाला के स्थान पर सभी चाय उत्पादकों ने मिलकर इन समस्याओं पर विचार-विमर्श किया था और हम अन्य देशों के साथ मिलकर भी इस सम्बन्ध में प्रयत्न कर रहे हैं अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य संस्था भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में प्रयत्न कर रही है। श्रीलंका और भारत विश्व को 70 प्रतिशत से अधिक चाय की सप्लाई करते हैं और इसलिये हम उससे मिलकर कोई उपाय ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को भली भांति समझता हूं वास्तव में ही यह एक गम्भीर मामला है। हम चाय के निर्यात में क्रांति लाना चाहते हैं।

संसद भवन के निकट पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : ARRESTS MADE BY POLICE NEAR PARLIAMENT HOUSE

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों के बारे में गृह-कार्य मन्त्री ने कल सायं इस सभा में एक वक्तव्य दिया था। इस सम्बन्ध में सरकार को दिल्ली प्रशासन से प्राप्त अन्य जानकारी के अनुसार, अपराह्न 1-30 बजे से 2-30 बजे के मध्य संसद भवन के इर्द-गिर्द गिरफ्तारियां की गई थीं और प्रदर्शनकारियों को सायं चार बजे तक पुलिस स्टेशन रखा गया था मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन पर 118 बन्दियों को दो बार चाय पिलाई गई और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर ले जाये गये बन्दियों को भी चाय-बिस्कुट दिये गये। बंदियों की संख्या 200 से अधिक होने के कारण जांच करने हेतु दो न्यायाधीश नियुक्त किये गये तथा जांच के दौरान बन्दियों को मांगने पर पानी भी दिया गया। यह कहना गलत है कि प्रदर्शन कारियों को शौचालय नहीं जाने दिया गया। फिर भी सरकार किसी भी विशिष्ट शिकायत की जांच करेगी।

दंडित हुए लोगों के साथ जेल में राजनैतिक बन्दियों जैसा व्यवहार किया जायेगा तथा नियमानुसार उन्हें उचित सुविधायें दी जायेंगी।

कल के वक्तव्य में सभा को सूचना दी गई थी कि प्रायः 190 व्यक्ति जिनमें 11 स्त्रियां तथा 8 अल्प-व्यस्क सम्मिलित हैं बन्दी बनाये गये थे। तब से और आगे सूचना मिलने तक यह संख्या 202 हो गई है जिनमें 12 स्त्रियां तथा 7 बच्चे शामिल हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जाये।

मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन पर औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र देने पर भी बंदियों को चिकित्सा की सहायता नहीं दी गई। अपराह्न 1-30 बजे से देर रात्रि तक जेल में रखे गये बन्दियों को सिवाय एक कप चाय के कुछ नहीं दिया गया। फिर इन्हें 30 पुलिस मैनों के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट कचहरी में रखा गया। वहां सब के लिए खड़े होने तक के लिये जगह नहीं थी फिर उन्हें वहां कई घण्टे तक रखा गया तथा पानी पीने तथा शौचालय जाने तक की अनुमति नहीं दी गई।

जांच के बाद रात्रि 9 बजे 18 व्यक्तियों को 15 केन्द्रीय आरक्षित पुलिस कर्मचारियों

के साथ जेल-गाड़ी में भर दिया गया और कागज तैयार होने तक उन्हें उस घुटन में आधा घण्टा खड़ा रखा गया। वहां उन्हें गन्दी-गन्दी गालियां दी गई क्योंकि उन्होंने ताजा हवा के लिए थोड़ा सा द्वार खोलने की प्रार्थना की थी। रात को 10 बजे कई संसद सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने तथा श्री चव्हाण से सम्बन्ध स्थापित करने पर ही एक बड़ी गाड़ी वहां मंगाई गई। ये सभी आरोप हैं। एक विशिष्ट अधिकारी ने गन्दी-गन्दी गालियां दीं—उन शब्दों को मैं यहां कहना नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त इस कानून के अधीन उन्हें अधिकतम दण्ड दिया गया है। अतः मेरी मांग है कि गन्दी गालियां देने वाले उस अधिकारी को तुरन्त निलम्बित किया जाये।

आप याद रखिये कि जहां आज किसी राजनैतिक दल में विश्वास या उससे सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थियों को गन्दी गालियां दी जाती हैं तो कल आप के दल के लोग जब भुखमरी आदि के कारण स्वयं को बन्दी बनायेंगे तो उनके साथ भी यही व्यवहार होगा। यह सिद्धान्त की बात है। मुझे बड़ा खेद है कि यहां राजधानी में ही एक ऐसा खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। महिलाओं को पुरुष कास्टेबलों ने उठाया। हम सब जानते हैं कि कुछ कांस्टेबल महिलाओं के साथ बड़ा अशिष्ट व्यवहार करते हैं। फिर भी आपने महिला-कास्टेबलों की नियुक्त नहीं की।

अतः मैं माँग करता हूँ कि सारे मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच कराई जाये या फिर एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये। उनको एक महीने की सजा दी गई है वह गलत है। उन सब को किया जाये।

Shri Ranadhir Singh (Rohtak) : We have full sympathy with those persons since they are unemployed and have raised their demand in a lawful manner. The Government and the Planning Commission are also doing something in this regard. These students are our own blood and a part of our body and the whole country is aware of their problems.

But they are being made tools by certain people who want to make political Capital out of it. For the sake of political gains and to run their Trade Unicn, some leaders are making an instrument of these students and thus spoiling their entire career. As a result of provocation by these leaders, the students are ultimately put into jails etc. and their future becomes dark. So. I demand that not these students but those leaders only should be arrested and put to Jails. These leaders are the real culprits. On the other hand. Government should issue directions that these students should released after admonition so that their career is not spoiled on account of going to jail. They may be given a warning to the effect that if they again indulged in such activities their leaders will be arrested.

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : देश में पिछले बीस वर्षों से व्याप्त आर्थिक कठिनाइयों के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है तथा युवकों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने में वह बुरी तरह असफल रही है। ऐसी सरकार को कायम रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग भी यहां जीवन-निर्वाह के साधनों की मांग लेकर आये थे।

यह लोक सभा है, परन्तु यहां कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। चारो ओर धारा 144 लगी हुई है। हो सकता है लोग भारी संख्या में आ कर अपनी शिकायत आपके द्वार पर रखना चाहें। परन्तु धारा 144 उन्हें नहीं आने देती।

मैं जानता हूँ कि तिहाड़ जेल में कितने मच्छर हैं और वहां बन्दी सैकड़ों छात्रों को कोई मच्छहरी भी नहीं मिली होगी। मेरी प्रार्थना है कि जब तक इन लोगों को रिहा न किया जाये

तब तक उनको किसी प्रकार का कष्ट न होने दिया जाए तथा उन्हें शीघ्रातिशीघ्र रिहा किया जाये।

श्री हेम बरुग्रा (मंगलदायी) : यह संसद लोगों का मन्दिर है परन्तु ग्रापके ग्रादेशानुसार लागू धारा 144 के कारण संसद के निकट ग्राकार लोग ग्रपने कष्ट ग्राप से नहीं कह सकते। ये छात्र-गण भी ग्रपने दुःख-तकलीफें ग्राप से कहने ग्राये थे परन्तु उन्हें बन्दी बनाकर पीटा गया तथा जेल में डाला गया।

मैं जानना चाहता हूँ, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि उनके साथ राजनैतिक बंदियों जैसा व्यवहार किया जायेगा, तो क्या उन लोगों को सभी सुविधायें दी जायेंगी तथा दिल्ली पुलिस ग्रधीक्षक को ग्रादेश दिया जायेगा कि वह पुलिस वालों को कहें कि उन नौजवान तथा निर्दोष छात्रों के प्रति हिंसा का व्यवहार न करें ?

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : We all agree that it is not justified that young boys have been ill-treated. In case any atrocity has been committed on them. The Home Minister should make adequate enquiry into that and also take appropriate action against the culprits. But nevertheless we should take it serious. Certain Mem bers of this House are using these students for their own political gains and publicity. The Parliamentary forum should not, thus, he allowed to achieve political aims.

This forum is to do some welfare of the people. But some people mislead the young generation. The Home Minister should toke appropriate steps to check this bad tendency.

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : The intention, ideal and the aim behind these demonstration was to draw the attention of the representatives of the people towards their grievances. It is a basic question. These young men came here to see that the educated and uneducated jobless people get employment chances under the Draft Fourth Plan presented in this House. I think, their petition was for a reconsiderations of the draft Plan.

If there is any discrimination between an ordinary prisioner and a political prisoner there should definitely be a different treatment also and the Government should regret if wrong treatment has been meted to a political prisioner who comes to you with some aim and mission.

श्री एस० कंडप्पन (मेंट्टूर) : यहाँ एक वक्तव्य मन्त्री महोदय ने दिया है ग्रौर उसके बदले में दूसरा वक्तव्य श्री स० मो० बनर्जी ने दिया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि यहां लगाये गये ग्रारोपों की वह कैसे जांच करेंगे। यदि पुलिस को ही यह कार्य सौंपा गया तो वह तो ग्रपनी ही कार्यवाहियों को उचित सिद्ध करने का प्रयास करेगी। ऐसे मामले में ग्रपने ग्राप को गिरफ्तार कराने वाले व्यक्तियों के ग्रारोपों की समुचित जाँच की जानी चाहिए।

जिम्मेदार ग्रधिकारियों के माध्यम से कराई गई जांच पड़ताल के पश्चात् मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य का समर्थन करने के बजाए सरकार को चाहिए कि वह गिरफ्तार पुरुषों ग्रौर महिलाग्रों के ग्रारोपों की गम्भीरता को देखते हुए कि उन्हें पेशाब भी नहीं करने दिया गया तथा महिलाग्रों को उठाया गया। ग्रागे से सचेत रहने के लिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं इस विभाग में दुबारा न होने पाएं, उस सम्बद्ध ग्राधिकारी को निलम्बित करने में हिचके नहीं, क्योंकि वे उस ग्राधिकारी को पहचानने की स्थिति में हैं।

कुछ सदस्य ऐसा सोचते हुए प्रतीत होते है कि यह या तो बिल्कुल एकांकी घटना थी अथवा राजधानी में राजनीतिक दिखावा मात्र था। परन्तु यह धारणा सही नहीं है। हम जानते हैं कि ये कठिनाइयां हमारी योजनाओं के कारण हैं। कुछ राज्यों में तो यह समस्या बहुत गम्भीर है। निकट भविष्य में यह समस्या इतनी अधिक बढ़ जायेगी कि देश में हम इस का सामना नहीं कर सकेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में इस सम्बंध में देश में लाखों बेरोजगारों को आशा की कोई झलक दिखाई नहीं देती। यह एक व्यापक प्रश्न है। क्योंकि यह समस्या सभा के समक्ष आई है इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि यह सद्भावना के रूप में बेरोजगार व्यक्तियों की भावनाओं को धीरज देने के लिए एक वक्तव्य दे कि वह इस समस्या का समाधान करने की दशा कुछ करने जा रही है।

श्री रा० ढ़ो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : इस बात को देखते हुए कि शिक्षित समाज में बेरोजगारी का बोलबाला है और इस स्थिति का लाभ कम्युनिस्ट उठाते हैं। यह भी एक ठोस तथ्य है कि इस सत्र का अवसान होने वाला है और धारा 144 भी हटा ली जायेगी, तो मैं मंत्री महोदन से अनुरोध करूंगा कि इन युवकों को रिहा कर दिया जाए ताकि इनका भविष्य न बिगड़े।

Shri Rabi Ray (Puri) : I congratulate these unemployed youngsters (men and women) that they have come with this grave problem of unemployment before the Parliament, inspite of police accesses and without caring for having been arrested.

This is an admitted fact Government have beocme habituated to more only when the presure of agitation, strike and sabotage is brought upon them. I want to know from the hon. Minister whether those arrested young and educated persons will be treated as political prisoners ? What is the reason of all these troubles and all that ? It is only because in the draft Fourth Five Year Plan the Government has no programme to solve the unemployment problem. The unemployment problem is increasing manifold day by day in the country and lakhs of youngsters have been rendered unemployed and their future is bleek. I know the Government has no even a satisfactory reply to this question. These youngsters who have agitated and demonstrated here should be released and the cases against them be withdrawn. Will the hon. Minister assure the House in this respect ?

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हमारी प्रधान मंत्री भी देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से बहुत चिन्तित हैं। उन्होंने युवकों के प्रतिनिधि मण्डल को आश्वासन दिया है कि वे उनकी उचित चिन्ताओं का निवारण करने का हर सम्भव प्रयत्न करेंगी। परन्तु मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वे किस प्रकार इस समस्या को दूर करेंगी? इन 200 युवकों को, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, अपने भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं है और इसी लिये उन्हों ने यहां आकर प्रदर्शन किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय उन गिरफ्तार युवकों को तुरन्त बिना शर्त रिहा करेंगें, क्योंकि उनका आन्दोलन अपनी समस्याओं पर संसद का ध्यान आकर्षित कराने के निमित्त ही है, जो केवल दिल्ली में ही नहीं है बल्कि देश भर में फैला हुआ है। बेरोजगार शिक्षित वर्ग में बढ़ता हुआ यह असन्तोष देश के लिए घातक है और इस असन्तोष का शमन उन्हें जेल में डालने से नहीं हो सकता, किन्तु इसके विपरीत उनके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

संसद जनस्वतन्त्रय की प्रतीक है और इसे लोगों की स्वतत्रंता को समाप्त नहीं करना

चाहिए। जब संसद का सत्र आरम्भ होता है तो दिल्ली में लोगों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है कि वे आन्दोलन नहीं कर सकते. सभा नहीं कर सकते, और जलूस आदि नहीं निकाल सकते। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। अतः इसे समाप्त करना चाहिए।

हो सकता है कि कुछ विशेष कारणों से विधान का उल्लंघन हो गया हो परन्तु यह अच्छे कार्य के हेतु हुआ है। प्रधान मंत्री के द्वारा दिए गए विश्वास को देखते इन को बिना शर्त तुरन्त रिहा कर दिया जाए तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं।

श्री तुलसी दास जाधव (बारामती) : क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जेलों की स्थिति में सुधार किया गया है अथवा उनकी स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी कि अंग्रेजी शासनकाल में थी। ऐसे अवसरों पर महिला पुलिस की टुकड़ियों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? सदन की सद्इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उन गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करेगी और कब रिहा करेगी?

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापत्तनम) : प्रथम तो मैं इस विवाद में भाग नहीं लेना चाहता था, परन्तु अब जब कि देश के युवकों की क्षमता पर दोषारोपण किया गया है और कहा गया है कि इन्हें राजनीतिक दल गुमराह कर रहे हैं तो मैं उनको और सदन को यह बताना चाहता हूँ कि देश के युवक अब संसद सदस्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हो गये हैं। इसमें कोई भ्रान्ति नहीं है। मेरा भी यही अनुरोध है कि इनको तुरन्त रिहा कर दिया जाये और कुछ ऐसा वातावरण बनाया जाये जिससे यह जान पड़े कि इस देश की यह सरकार और संसद देश की प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं न कि पुरानी परम्पराओं का पालन कर रहे हैं।

जिस प्रकार कलकत्ता में विधान सभा ने धारा 1 4 के अन्तर्गत अध्यादेश को समाप्त कर दिया है उसी प्रकार यहां संसद के सत्र के दौरान तथा अन्य राज्यों की विधान सभाओं के सत्र के दौरान धारा 144 के अधीन दिये गये आदेश को समाप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठायेगी।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : I rushed to the Jail immediately after hearing that the arrested persons are on hunger strike ; but the superintendent expressed his hope to allow me to contact those who were on hunger strike. Any how I managed and I persuaded them to stop hunger strike to which they agreed. I request the hon. Home Minister that they should be given all such facilities which are available for upper class prisoners. The statement of the hon. Home Minister that none of the arrested students was injured is absolutely incorrect. Most of the arrested students have been injured. I have seen them with my own eyes. The hon. Home minister should himself go to Jail and see them. I was also misled by the Superintendent of Jail that no one was injured but when I contacted them the true picture of the seene came before me. There is no arrangement and provision for their medical aid. The arrested persons have submitted a memorandum to the Jail-Superintendent to redress their grievances in Jail. Will the hon. Home Minister be pleased to state these complaints of the prisoners ?

Many of these prisoners are those students who are examinees also. They have to appear at their respective examinations. The hon. Home Minister should sympathetically see that this problem of the examinees is solved,

*__श्री को० सूर्यनारायण__ (एल्लूरू) : बेरोजगारी केवल छात्रों अथवा नगरों में ही नहीं है यह

*मूल तेलुगु में

ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। जब तक इस समस्या पर राजनीतिक दृष्टिकोण को हटाकर इस पर विचार नहीं किया जाएगा यह समस्या सुलझेगी नहीं। अतः सब राजनीतिक दलों को इस समस्या को सुलझाने के लिए युक्तियां निकालनी चाहियें।

श्री स० कुन्डू (बालासोर) : जब मुझे यह बताया गया कि इन गिरफ्तार युवकों को बहुत कठोर दण्ड दिया जा रहा है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इन विद्यार्थियों को अधिक से अधिक दण्ड एक महीने का दिया जायेगा। यह दण्ड इनके लिए बहुत अधिक है क्योंकि कोई भी न्यायाधीश अपनी शक्ति के अनुसार अधिकतम दण्ड नहीं देता है। अनुच्छेद 144 के उल्लंघन का अपराध अनुच्चेद 158 के अन्तर्गत आता है और कार्यकारी न्यायिकों जो सीधे गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत आते हैं, के द्वारा प्रशासित होता है। मुझे यह भी पता चला है कि किसी अवर-सचिव को यह विशेष आदेश दिया गया था कि वह देखे कि इनको अधिक से अधिक दण्ड दिया जाए ताकि ऐसी घटना दुबारा न होने पाए। इनको जेल में पानी तक की सुविधा नहीं दी गई है। तीन घण्टे तक वे लोग प्यासे पड़े रहे हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से इन दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूँ और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन को रिहा कर दिया जाए।

Shri Yashpal Singh (Dehra-Dun) : These boys have a right to demonstrate before Parliament to get their grievances redressed and moreover their demonstration was peaceful. Government has treated them ruthlessly. They are innocent and they should be immediately released.

श्री विद्याचरण शुक्ल : शिक्षित बेरोजगारों की समस्या वास्तव में बहुत गम्भीर है और हम इसे सुलझाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु संसद में जबरदस्ती घुस आने से समस्या नही सुलझ सकती। शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना हमारा कर्त्तव्य है। हम पहले घोषणा कर चुके हैं कि इन सब गिरफ्तार विद्यार्थियों के साथ राजनीतिक बन्दियों का सा व्यवहार किया जाएगा। उन्हें वे सब सुविधाएं दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है माननीय सदस्यों ने जो अनेक सुझाव दिए हैं, हम उन सब पर विचार करेंगे।

लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6।

P.L.S. 48. XXIX. 62. 69 (N)
600

© 1969 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।

© 1969 BY LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and printed by the Manager, Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.